Impact Factor : 7.834

गीना देवी शोध संस्थान

द्वारा पटियाला, श्रीगंगानगर व नेपाल से प्रसारित

साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध का अंतर्राष्ट्रीय मासिक

ISSN : 2321-8037

March-April 2025

Volume 13, Issue 3-4

Gina Shodh SANGAM

AN INTERNATIONAL MULTI DISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

Editor :
Dr. Rekha Soni

Chief-Editor :
Dr. Naresh Sihag Adv.

संस्थापक सम्पादिका :
स्मृति शेष
डॉ. विश्वकीर्ति

संगम SANGAM

बहुभाषिक बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

www.ginajournal.com

संस्थापक संरक्षक :
स्मृति शेष
श्री हरविन्द्र कमल चौधरी

वर्ष : 13 | अंक : 3 – 4 (1) | मार्च – अप्रैल : 2025 | आईएसएसएन : 2321 – 8037

सम्पादक :
डॉ. रेखा सोनी
शिक्षा विभाग, टांटिया वि.वि.,
श्रीगंगानगर – 335001 (राज.)

प्रधान सम्पादक :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट
सचिव, गीना देवी शोध संस्थान,
भिवानी (हरियाणा)

मार्गदर्शन :
डॉ. राजेन्द्र गोदारा
श्रीगंगानगर, राजस्थान।

डॉ. सुरजीत सिंह कस्वां
श्रीगंगानगर, राजस्थान।

डॉ. लक्ष्मी जोशी
त्रिभुवन वि.वि. काठमाण्डू।

डॉ. सृष्टि चौधरी
लेक्चरर, इलेक्ट्रानिक्स
एंड कम्युनिकेशन,
सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर
गर्ल्स, पटियाला, पंजाब।

श्री श्रेष्ठ चौधरी,
सीनियर मैनेजर,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
साहिबजादा अजित सिंह नगर,
मोहाली, पंजाब।

कानूनी सलाहकार :
डॉ. रामफल दलाल एडवोकेट,
श्रीमती रूपिन्द्र कौर, एडवोकेट

सलाहाकार समिति (Advisory Committee)

डॉ. सुलक्षणा अहलावत
अंग्रेजी प्रवक्ता, शिक्षा विभाग
नूंह (हरियाणा)

डॉ. अरूणा अंचल
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय,
रोहतक (हरियाणा)

डॉ. सुशीला
चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी।

डॉ. अल्पना शर्मा
आईएएसई विश्वविद्यालय सरदारशहर

डॉ. विजय महादेव गाडे
बाबा साहेब चितले महाविद्यालय
भिलवडी (महाराष्ट्र)

डॉ. लता एस. पाटिल
राजीव गांधी बीएड कॉलेज
धारवाड़ (कर्नाटक)

डॉ. रीना कुमारी
दशमेश गर्ल्स कॉलेज,
अल्ला बक्श, मुकेरिया, पंजाब।

श्री राकेश शंकर भारती
यूक्रेन।

श्री हेमराज न्यौपाने
नेपाल।

डॉ. ममता तनेजा
अबोहर, पंजाब।

डॉ. प्रियंका खंडेलवाल
बराण, राजस्थान।

डॉ. संदीप
ओम विश्वविद्यालय, हिसार।

प्रो. मधुबाला
राजकीय महिला महाविद्यालय, हिसार।

डॉ. पीयूष कुमार द्विवेदी
जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग
विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उत्तरप्रदेश

डॉ. हवासिंह ढाका
राजकीय महाविद्यालय, हिन्दुमलकोट,
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

डॉ. मानसिंह दहिया
संस्कृत प्रवक्ता, शिक्षा विभाग हरियाणा

डॉ. राजेश शर्मा
टांटिया विश्वविद्यालय,
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

डॉ. मोहिनी दहिया
माती जीतोजी कन्या महाविद्यालय,
सूरतगढ़ (राजस्थान)

डॉ. मुद्दस्सिर अहमद भट्ट
हिन्दी विभाग,
कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर, कश्मीर

डॉ. सीहेच वी. महालक्ष्मी
सीहेच एसडीएसटी थेरेसा महिला
महाविद्यालय, एलुरू, आंध्र प्रदेश

डॉ. मोरवे रोशन के.
यूनाईटिड किंगडम।

डॉ. अनुपमा, पूर्व प्रोफेसर,
अंकारा विश्वविधालय, अंकारा, टर्की

डॉ. आर.के विश्वास
अध्यक्ष होम्योपैथिक, टांटिया, वि.वि.

प्रकाशक, स्वामी एवं मुद्रक **डॉ. नरेश सिहाग,** एडवोकेट ने **मनभावन प्रिन्टर्ज,** पुराना बस स्टैण्ड रोड़, नया बाजार, भिवानी से छपवाकर 202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी – 127021 (हरियाणा) से जारी किया।

संगम SANGAM

बहुभाषिक बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

(Journal of Literature, Arts, Science, Commerece, Culture, Humanities and Social Sciences)

सचिव :

डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड,

भिवानी-127021 (हरियाणा)

Email : grngobwn@gmail.com

मो. 09466532152

संगम मासिक पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं/लेखों की मौलिकता का दायित्त्व स्वयं रचनाकारों/लेखकों का है। उससे सम्पादक व प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायक्षेत्र केवल भिवानी (हरियाणा) होगा। सम्पादन और प्रबंधन के सभी पद पूर्ण रूप से अवैतनिक हैं।

Published by :

Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

202, Old Housing Board,

Bhiwani-127021 (Haryana) INDIA

Email : grsbohal@gmail.com

Facebook.com/bohalshodhmanjusha

Website : www.bohalsm.blogspot.com

WhatsApp : 9466532152

All Right Reserved by Publisher & Editor

Price

Individual/Institutional : 1300/-

Disclaimer :

1. Printing, Editing, Selling and distribution of this Journal is absolutely honorary and non-commercial.
2. All the Cheque/Bank Draft/IPO should be sent in the name of Gugan Ram Educational & Social Welfare Society payable at Bhiwani.
3. Articles in this journal do not reflect the Views or Policies of the Editor's or the Publisher's. Respective authors are responsible for the originally of their views/opinions expressed in their articles.
4. All dispute will be Subject to Bhiwani, Hry. Jurisdication only.

Printed by : Manbhawan Printers, Old Bus Stand Road, Naya Bazar, Bhiwani (Hry.)

Impact Factor : 7.834

ISSN : 2321-8037

Gina Shodh SANGAM

Peer Reviewed & Refereed Research Journal

International Journal of Literature, Arts, Culture, Humanities and Social Sciences

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

Publisher : Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

तालिका– 2

शैक्षणिक / शोध अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यप्रणाली

(आकलन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसेः प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र इत्यादि।)

क्रम सं.	शैक्षणिक / शोध क्रियाकलाप	विज्ञान / अभियांत्रिकी / कृषि / चिकित्सा / पशु–चिकित्सा विज्ञान संकाय	भाषा / मानविकी / कला / सामाजिक विज्ञान / पुस्तकालय / शिक्षा / शारीरिक शिक्षा / वाणिज्य / प्रबंधन तथा अन्य संबंधित विधाएं
1	समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र	08 प्रति पत्र	10 प्रति पत्र
2	प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त)		
	(क) लिखी गई पुस्तकें, जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गया :		
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12	12
	राष्ट्रीय प्रकाशक	10	10
	संपादित पुस्तक में अध्याय	05	05
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	10	10
	राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	08	08
	(ख) योग्य संकाय द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य		
	अध्याय अथवा शोध पत्र	03	03
	पुस्तक	08	08
3	आईसीटी के माध्यम से शिक्षण ज्ञान– अर्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सृजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का विकास		
	(क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास	05	05
	(ख) नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को तैयार करना	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

www.bohalsm.blogspot.com grsbohal@gmail.com 8708822674 9466532152

अनुक्रमाणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	सम्पादकीय	डॉ. रेखा सोनी	07-07
2.	रम्माण, हिलजात्रा : उत्तराखंड के मुखौटा उत्सव	निवेदिता लोहिया, प्रो. शेखरचंद्र जोशी	8-12
3.	आधुनिकता को झरोखे से निहारती स्त्री	दिव्या कुमारी, डॉ. सुनील कुमार सुधांशु,	13-16
4.	डिजिटल भुगतान प्रणाली : विकास, लाभ और चुनौतियाँ	डॉ. गोरधन जाटव	17-24
5.	भारत सरकार की ट्रांसजेंडर समुदाय के लिये कल्याणकारी योजनाएं	SIMMI FARHAD	25-40
6.	थर्ड जेंडर की भाषा में व्याप्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण : प्रतीक विज्ञान के संदर्भ में	डॉ. राजकुमार	41-47
7.	अभिमन्यु अनत के उपन्यासों में स्त्री-चेतना	अभय कुमार पुरी	48-52
8.	हिंदी साहित्य में महिला कहानी लेखन	मीनाक्षी शर्मा	53-57
9.	एक देश एक चुनाव : चुनाव सुधारो की दिशा में बढ़ते कदम एवं विश्लेषण	विवेक कुमार सिंह	58-63
10.	The effects of CSR on Consumer Behaviour	Suman Devi	64-68
11.	Artificial Intelligence (AI) in communicating with customers in Hotels : Its Role and Challenges	Mr. Pankaj	69-72
12.	वर्तमान परिवेश में डिजिटल मार्केटिंग	श्रीमती शीतल केरकेट्टा	73-77
13.	प्रेमचंद का पत्रकारीय स्वरूप : साहित्य से समाज तक	अमित कुमार यादव	78-80
14.	भारत में इंटरनेट कर्फ्यू एवं मौलिक अधिकार : एक विश्लेषण	विवेक कुमार सिंह	81-85
15.	बदलते सामाजिक संदर्भ व मराठी नाटक	प्रा. श्री. गौतम केदार ब्रह्मे	86-92
16.	वाल्मीकीय रामायण के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में राज्य परम्परा का विश्लेषण	डॉ. प्रतिमा कुमारी शुक्ला, श्री दीपक कुमार मिश्र	93-96
17.	भारतीय महिला उद्यमीयो के कौशल विकास में आने वाली चुनौतियां अवसर एवं सरकारी योजनाओं का प्रभाव	कु. आयुषी गोल्हानी	97-100
18.	ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣବିଚାର (Fakir Mohan Senapati's Contribution to the Standardization of the Odia Alphabet)	Dr. Prahallad Khilla	101-109
19.	राजस्थान की इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक की हिंदी कहानियों में महिला लेखकों की भूमिका	साधना शर्मा	110-115

20.	भीष्म साहनी का जीवन और व्यक्तित्व	डॉ. रवि देव	116–123
21.	थर्ड जेंडर की भाषा में व्याप्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण : प्रतीक विज्ञान के संदर्भ में	डॉ. राजकुमार	124–130
22.	'एवम् इंद्रजित' का रंगमंचीय प्रस्तुतीकरण : एक मौलिक दृष्टिकोण	रूपा देवी	131–133
23.	राष्ट्रीय एकता में भाषा का महत्व	चौधरी निलोफर महेबूब	134–139
24.	गोधन न्याय योजना का क्रियान्वयन, प्रभाव व विश्ले□ाण	संजू	140–143
25.	मंजुल भगत के कथा साहित्य में नारी विमर्श	गजेश्वरी सिदार, डॉ. शाहिद हुसैन	144–147
26.	वागड़ क्षेत्र से प्राप्त हनुमान व भैरू रूपाकृतियों में रचनधर्मिता	अल्पेन्द्र सिंह झाला, डॉ. सुशील सोमपुरा	148–153
27.	संस्कृत साहित्य में शतक काव्य	डॉ. वर्षा रानी	154–161
28.	डिजिटल साक्षरता से ग्रामीण क्षेत्र का विकास	डॉ. अंजली कुमारी	162–164
29.	कालिदास साहित्य में पर्यावरण चेतना	रागिनी शुक्ला	165–168
30.	अरावली क्षेत्र की संगीतमय परंपराएँ : सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	डॉ. अंशु वर्मा	169–171
31.	नई कहानी आंदोलन में मोहन राकेश की भूमिका और उनकी कहानियों का शिल्प : एक अनुशीलन	डॉ. विनोद कुमार	172–180
32.	नर्मदापुरम में जंगल सत्याग्रह	डॉ. विनोद राय	181–184
33.	मुंशी प्रेमचंद की कहानी 'ईदगाह' पर श्रीमद्भागवद् गीता का प्रभाव	डॉ. कुलदीप	185–187
34.	राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका : एक भारतीय अनुभव	आरती यादव	188–192
35.	रमेशचन्द्र शाह के उपन्यासों में सांस्कृतिक अवमूल्यन	डॉ. नरेश कुमार	193–197
36.	आदिवासी साहित्य में आदिवासी समाज व संस्कृति का विवेचनात्मक अध्ययन	डॉ. जयंतिलाल. बी. बारीस	198–204
37.	हिंदी शिक्षण में उच्चारण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का विवेचन एवं अध्यापक की भूमिका	डॉ. बसन्त कुमार	205–209
38.	वैदिक काल में सामाजिक एवं आर्थिक संरचना का अध्ययन	Bhagwan Dass Suthar	210-216
39.	شاہ حسین نہری بطور شاعر اطفال	سید عبدالحنان ہلال الدین	217–220
40.	(ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਤਾ: ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ)	ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ	221–225

सम्पादक की कलम से.....

नए आयाम, नई दिशाएँ'

प्रिय पाठकों,

गीना शोध संगम पत्रिका के इस 'मार्च–अप्रैल' अंक में आपका स्वागत है। समय के साथ ज्ञान, विचार और अनुसंधान की धाराएँ सतत प्रवाहित होती रहती हैं, और हमारी यह पत्रिका उन्हीं विचारों का संगम प्रस्तुत करने का एक विनम्र प्रयास है।

इस अंक में हम उन 'नए आयामों और दिशाओं' पर प्रकाश डाल रहे हैं, जो आज के सामाजिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक परिवेश को प्रभावित कर रही हैं। आज हम एक ऐसे दौर में हैं, जहाँ 'प्रौद्योगिकी, नवाचार और शोध' का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। बदलती दुनिया में न केवल शिक्षा और अनुसंधान के तरीके बदल रहे हैं, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं।

'शिक्षा और शोध' की बात करें तो आज पारंपरिक सीमाओं से परे जाकर अंतरविषयक अध्ययन का दौर है। विभिन्न विषयों का संगम नई खोजों और नवाचारों को जन्म दे रहा है। हमारी पत्रिका में इस बार के शोध पत्र और लेख भी इसी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

इसी के साथ, 'सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव' भी महत्वपूर्ण हैं। तकनीक ने जहाँ हमारे जीवन को आसान बनाया है, वहीं मानवीय मूल्यों, पर्यावरणीय संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों को भी जन्म दिया है। इन विषयों पर विचार–विमर्श करना और समाधान प्रस्तुत करना भी शोध का एक महत्वपूर्ण दायित्व है।

हमारे लेखक, शोधकर्ता और विद्वान अपने विश्लेषण और दृष्टिकोण से इन मुद्दों को गहराई से प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अंक ज्ञान की एक नई यात्रा का निमंत्रण देता है, जो शोधकर्ताओं, शिक्षकों, विद्यार्थियों और सामान्य पाठकों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा।

नवसृजन और शोध की इस यात्रा में एक बार फिर गीना शोध संगम का नया अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। साहित्य, शोध और अभिव्यक्ति के इस मंच पर, हम हर बार नई सोच, नई धारा और नई दृष्टि को स्थान देने का प्रयास करते हैं। यह अंक भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, विचारों के गहरे सागर से निकले कुछ अनमोल मोतियों को संजोकर आपके सामने ला रहा है।

इस बार के अंक में हमने साहित्य और शोध की उन प्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान दिया है, जो समाज के बौद्धिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को नई दिशा देती हैं। हमारे रचनाकारों ने अपने विचारों को शब्दों में ढालते हुए, जीवन के विभिन्न आयामों को उकेरा है। कविता, लेख, समीक्षाएँ और शोध आलेखों के माध्यम से, यह अंक एक सार्थक विमर्श को जन्म देगा।

अंत में, हम अपने सभी लेखकों, समीक्षकों और पाठकों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से यह पत्रिका निरंतर आगे बढ़ रही है। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएँ हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देती हैं।

'आशा है कि यह अंक आपकी जिज्ञासा को उत्तेजित करेगा और नए विचारों को जन्म देगा।'

''शब्दों की लौ से ज्ञान का दीप जले,
हर पंक्ति में सृजन का संगीत ढले।''

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 8–12

रम्माण, हिलजात्रा : उत्तराखंड के मुखौटा उत्सव

निवेदिता लोहिया, शोध छात्रा,
प्रो. शेखरचंद्र जोशी, विभागाध्यक्ष
दृश्यकला संकाय, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।

शोध सार :–

उत्तराखंड अपनी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लिए जाना जाता है। रम्माण उत्तराखंड में मनाया जाने वाला मुखौटा उत्सव है जिसे 2009 में विश्व विरासत घोषित किया गया है। रम्माण नाम रामायण शब्द से लिया गया है। यह त्यौहार नृत्य, संगीत और मुखौटो का मिश्रण है। रम्माण मुखौटे बनाने की परंपरा है जो 500 साल पुरानी है और इसमें भोजपत्र से बने कुल अठारह मुखौटे शामिल हैं जो कहानियों के विभिन्न पात्रों का प्रतीक हैं। इन प्रदर्शनों में ज्यादातर जानवरों के मुखौटो का उपयोग किया जाता है। हिलजात्रा उत्तराखंड का एक और मुखौटा उत्सव है। इस त्यौहार के बारे में बहुत सारे प्रमाण और स्रोत नहीं मिलते हैं। लेकिन हमें स्लाइड्स के रूप में एक शोध कार्य ऑनलाइन मिलता है जिसे विजय वर्धन उप्रेती द्वारा रिपोर्ट, भावेश सक्सेना द्वारा संपादित किया गया है और 25 अगस्त, 2022 को न्यूज 18 उत्तराखंड में प्रकाशित किया गया है। यह त्यौहार पिथौरगढ़ के अलावा सोर, अस्कोट और सीरा, कुमौड़ में मनाया जाता है और यह पाँच सौ साल पुराना है। इसे कृषि उत्सव के रूप में भी जाना जाता है जो दलदली जल भूमि पर आधारित है। लकिया भूत, महाकाली तथा हिरण हिलजात्रा का एक महत्वपूर्ण चरित्र है, जो आकर्षण का केंद्र है।

मुख्य शब्द :– बिसुखा, सलूड़–डुंग्रा, डुंग्री, बरोशी, लखिया भूत।

मुखौटे संस्कृति और समाज की अभिव्यक्ति हैं, जो पर्यावरण और समाज से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। भारत में, मुखौटा बनाना एक विशिष्ट कला है जिसका अभ्यास पहाड़ी जनजातियों और गाँवों द्वारा किया जाता है। ये रीति–रिवाज उनकी जीवन और धार्मिक मान्यताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। The masks of different region are distinct and peculiar in size, shape, form, design and material used (विभिन्न क्षेत्रों के मुखौटे आकार, रूप, अभिकल्पना और उपयोग की जाने वाली सामग्री अलग और विशिष्ट हैं)। There are vast varieties of specific forms and styles in mask making evolved with times, where makers have created their own genres to enhance the performances (मुखौटे बनाने की विभिन्न किस्में और रूप हैं जो उस समय के साथ विकसित हुए और जिसने कलाकारों को प्रेरित किया उनकी अपनी शैलियों के निर्माण के लिए)। चूंकि ये क्षेत्रीय मुखौटे विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए अब इन्हें विरासत का हिस्सा माना जाता है, जिसके लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। भारत अपनी एकता और विविधता के लिए जाना जाता है इसलिए

ये, मुखौटे जो पूरी तरह से भौगोलिक पृष्ठभूमि पर निर्भर हैं, संस्कृतियों की विविधता का चित्रण हैं, जैसा कि उनके डिजाइन, सजावट, पोशाक और सामग्री से पता चलता है, क्योंकि पात्रों की पृष्ठभूमि और कहानी के चरित्र उस क्षेत्र के आधार पर भिन्न होते हैं जिससे वे संबंधित होते हैं, इसलिए लोक कथाओं का प्रदर्शन करते समय नृत्य प्रदर्शन और भाषा बदल जाती है। हालाँकि, कहानी और पात्र में आमतौर पर तब समानता होती हैं, जब वे महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं से लिए जाते हैं। गढ़वाल के चमोली जिले में रम्माण मनाया जाता है, यह उत्सव सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक चलता है।

उत्तराखंड, जिसे देव भूमि के नाम से भी जाना जाता है, दो क्षेत्रों में विभाजित है–कुमाऊं और गढ़वाल। यह देवों और देव वृक्षों की भूमि है, यहाँ मनाया जाने वाला हर त्यौहार आध्यात्मिकता और स्थानीय देवताओं से जुड़ा हुआ है जहाँ नृत्य और संगीत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसे त्यौहार में से एक रम्माण है। धार्मिक संस्कारों के रूप में, रम्माण का समारोह सलूड़–डुंग्रा, डुंग्री, बरोशी, और सेलांग में बैशाख यानी अप्रैल माह में उत्तरखंड के गढ़वाल राज्य में मनाया जाता है। मगर सलूड़ गांव में इसका मुख्य आयोजन होता है। रम्माण नाम रामायण से लिया गया है क्योंकि यह महाकाव्य रामायण का संक्षिप्त नृत्य प्रदर्शन है। यह पांच सौ साल पुरानी नृत्य परंपरा है। रम्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में स्थानीय नृत्य और संगीत प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। विशेष रूप से इस समारोह में –रम्माण नृत्य में 18 बैसाखी 18 ताल, 12 ढोल, 12 दमाऊं, 8 भंकोरे का प्रयोग होता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रम्माण पूरा होने तक भगवान मंदिर के गर्भगृह में रहते हैं। समुदाय में एक घर को एक वर्ष के लिए देवता की मेजबानी के लिए पंच द्वारा चुना जाता है। यह सदन प्रथागत समारोहों को पूरा करने का भी प्रभारी है। सलूड़ और डुंग्रा की ग्राम सभा परिवारों का चयन करती है। स्थानीय रीति–रिवाजों के अनुसार, भगवान को एक साल डुंग्रा में और दूसरा साल सलूड़ गांव में बिताना पड़ता था। बैसाखी के दूसरे दिन के बाद, "बिसुखा उत्सव" मनाया जाता है। तीन दिन बाद, रात के दौरान मंदिर परिसर में मुखौटा नृत्य और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राम और लक्ष्मण का जन्म रम्माण के पहले सात तालों में दिखाया जाता है। आठवी ताल को अर्धांग (आधा पुरूष, आधा महिला) के रूप में दिखाया जाता है, यह घटना बगीचे के उस दृश्य से जुड़ी है जिसमें सीता स्वयं राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए खुद को प्रच्छन्न करती है, और एक अन्य सिद्धांत के अनुसार इसे अर्धनारीश्वर–शिव से जोड़ा गया है।

दसवें ताल के बाद, म्वर–म्वरीण का नृत्य होता है, जिसके बाद मंदिर के प्रांगण में भूमि क्षेत्रपाल देवता द्वारा नृत्य प्रदर्शन किया जाता है। जबकि ग्यारहवीं ताल बाणिया–बाणियाण और ख्यालारी नृत्य के लिए समर्पित है, पंद्रहवीं ताल माल और कुरुजोगी नृत्य के लिए समर्पित है, सोलहवीं स्वर्णम्रिग–वाद के लिए, सत्रहवीं राम चरित्र के नृत्य के लिए एक स्वर्ण हिरण, सीता हरण, लंका–दहन, और अठारहवीं राम के राजतिलक के लिए समर्पित है। मुख्य पात्रों को छोड़कर ये सभी नृत्य प्रदर्शन अन्य पात्रों द्वारा मुखौटे का उपयोग करके किए जाते हैं। ये मुखौटा नृत्य विभिन्न प्राकर के होते हैं , जैसे– सूरज ईश्वर, गणेश कालिंका, गान्ना गुन्नी, म्वर–म्वरीण, बाणिया–बाणियाण तथा ख्यालारी, बूढ़ा देव तथा राणी–राधिका नृत्य के साथ–साथ पांडव नृत्य आदी नृत्य हैं जो इस पूरे आयोजन में होते हैं।

सूरज ईश्वर नृत्य अवतार की धारणा, पृथ्वी की उत्पत्ति, विष्णु, शिव और प्रतीक की अवधारणा पर आधारित है। गणेश कलिंका के नाम से जाना जाने वाला नृत्य शक्ति स्वरूप पार्वती, चार कलिंका और गणेश

पर आधारित नृत्य है। जबकि म्वर–म्वरीण, नृत्य उन जनजातियों पर आधारित हैं जो जानवरों की देखभाल करते हैं, जिसे एकल व्यक्ति के नाम से दर्शाया जाता है– "म्वर"। जब म्वर पर जंगली जानवरों द्वारा हमला किया गया तब उसने अपने घावों को भरने के लिए पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग किया ,और फिर वह पूरी तरह से ठीक होने पर म्वरीण के साथ नृत्य करता है। गान्ना गुन्नी नृत्य एक जोड़े पर आधारित नृत्य हैं जो घेघ् से पीड़ित हैं। इस समारोह के दौरान कुल अठारह मुखौटो की पूजा की जाती है, और मुखौटे को कम से कम एक बार धारण करना आवश्यक है। म्वर–म्वरीण, बाणिया–बाणियाण मुखौटो को छोड़कर सभी मुखौटो को केवल एक बार धारण किया जाता है और मंदिर के भीतर सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाता है। इन मुखौटो का रूप स्वर्गीय है। ये मुखौटे भोजपत्र से बने होते हैं, जिसके कारण वे हल्के और पहनने में आरामदायक होते हैं और जिन पर विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान में भोजपत्र विलुप्त तथा संरक्षित प्रजाति है, जिस कारण अन्य पेड़ों का उपयोग मुखौटा बनाने के लिए किया जाता है। हालाँकि इस त्यौहार के बारे में विस्तार से बहुत सारे लेख लिखे गए हैं, पर यह लेख एक महत्वपूर्ण और कलात्मक पृष्ठभूमि पर केंद्रित है (प्लेट नं. 1, 2)।

प्लेट नं. 1, रम्माण मुखौटे
https://static2.tripoto.com

प्लेट नं. 2, रम्माण मुखौटे
https://images.news18.com

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हिलजात्रा उत्सव मनाया जाता है। यह पाँच सौ साल पुरानी परंपरा है जो सातू आंठू के रूप में शुरू होता है और समापन होने के आठ दिन बाद एक और उत्साह से भरा धार्मिक त्यौहार शुरू होता है जिसे हिलजात्रा कहा जाता है। यू तो ये त्यौहार कई जगहो पे मनाया जाता है पर कुमौड़ की हिलजात्रा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिलजत्रा एक कृषि उत्सव है जो भद्रा के महीने में मनाया जाता है। यह महोत्सव पीढ़ी को शिक्षित करने, कृषि और इसके उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बनाया गया है। कृषि में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसलिए इस त्यौहार में कई पशु पात्रों को देखा जा सकता है। इस उत्सव को नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नाटक में तीन मुख्य तत्व महत्वपूर्ण हैं–लाखिया भूत, महाकाली तथा हिरण। प्रत्येक कहानी और पात्रों की अपनी पृष्ठभूमि और महत्व है। लखिया भूत चरित्र को नेपाल से अपनाया (adopt) गया है, कहानियों के अनुसार चार बहादुर भाई थे जिन्हें मेहर के नाम से जाना जाता था, वे नेपाल गए और वहां उन्होंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता की शर्त थी कि उन्हें बकरी का गला काटना है बिना उसके सींग को नुकसान पहुँचाए, जिसके सींग गर्दन के पास तक बड़े और घुमी हुई थी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उन्होंने बकरी को पेड़ से लटका दिया, दोनों भाइयों ने साथ मिलकर बकरी के सींगों को नुकसान पहुंचाए बिना उसका गला काट दिया और अन्य दो भाइयों ने साथ मिलकर बैल को मार डाला, जिससे वह जीत गए। प्रतियोगिता जीतने के बाद, नेपाल के राजा से उन्हें एक जोड़ी बैल, लकड़ी के

मुखौटे की जोड़ी और भारत में हिलजत्रा आयोजित करने की अनुमति ली। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह त्यौहार बुद्धिमत्ता, बहादुरी और सांस्कृतिक संबंधों के आदान–प्रदान का प्रतीक है। लाखिया भूत को भगवान शिव का गण माना जाता है। इन मुखौटो में उपयोग किए जाने वाले रंग गुलाबी, सफेद, सुनहरा, नीला, पीला और काला हैं। इन त्यौहारों में उपयोग किए जाने वाले मुखौटे पवित्र हैं और इन मुखोटो को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक भी पवित्र है। इन मुखोटो को बनाने की कला उस समुदाय तक सीमित है जो इसे संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। इस त्यौहार के बारे में सीमित जानकारी होने के कारण बहुत अधिक ज्ञान उपलब्ध नहीं है (प्लेट नं. 3, 4, 5).

प्लेट नं. 3, बैल मुखौटा
छायाचित्र – जयमित्र सिंह बिष्ट
https://kafaltree.com

प्लेट नं. 4, लखिया भूत
छायाचित्र – जयमित्र सिंह बिष्ट
https://kafaltree.com

प्लेट नं. 5, हिरण तथा शिव
छायाचित्र – जयमित्र सिंह बिष्ट
https://kafaltree.com

संदर्भ :–

1. Pandey Anjali, Mask : A Creative Representation of Functional Art, International Journal of Research – Granthaalayah, ISSN-2350-0530(O), ISSN-2394-3629(P), Vol-7, (Issue-4), April 2019.

2. Biswas Roy Kakoli, Masks from the archives of the Indira Gandhi Centre of Arts, Indian Journal of Traditional Knowledge, Vol.7 (1) January 2008, janapadasampada@hotmail.com.
3. ईटीवी का लेख, बेहद रोचक है उत्तराखंड का प्राचीनतम मुखौटा नृत्य, विश्व धरोहर में शामिल है रम्माण मेला, https://www.etvbharat.com, Sep 5, 2023.
4. Ibid-3
5. रम्माण : विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली–110001, 2017.

वेबसाइट :–

https://wegarhwali.com
https://www.studyfry.com
https://www.etvbharat.com
https://ich.unesco.org
https://www.academia.edu

8474986643

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 13–16

आधुनिकता को झरोखे से निहारती स्त्री

दिव्या कुमारी, शोधार्थी
डॉ. सुनील कुमार सुधांशु, शोध निर्देशक
हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

सही मायने में आधुनिकता क्या है? क्या आधुनिकता केवल पुराने के विरुद्ध नये का आगाज है? अंग्रेजी बोलने, छोटे कपड़े पहनने और आज की जीवनशैली को अपनाकर जीवन जीने की कला ही आधुनिकता है। यदि यह सभी कार्य करने से कोई मनुष्य आधुनिक बन जाता है, तो स्त्रियों को इस आधुनिकता की दौड़ में सबसे आगे होना चाहिए था। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है की आधुनिकता किसी के पहनावे या रहन–सहन में नहीं बल्कि उसके विचारों में होती है। विचारों को आधुनिक बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा निभाती है। भारतीय समाज के निर्माण में केवल पुरुषों का ही सहयोग नहीं रहा है, अपितु महिलाओं ने भी उतना ही सहयोग किया है। किसी भी समाज के निर्माण महिला और पुरुष दोनों का बराबर सहयोग होता है, तभी उसे एक बेहतर समाज की सूची में सम्मिलित किया जाता है। यदि हर स्थान पर उन्नति का कारण समानता रही है तो फिर अन्य कार्यों में स्त्रियों को पुरुषों के समानांतर ही सुख–सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं मिला। समाज में रह रहे प्रत्येक मनुष्य के लिए शिक्षा सर्वप्रथम उनका अधिकार है। यदि किसी मनुष्य को उनके अधिकारों के प्रति कोई सचेत कर सकता है तो वह शिक्षा है, इसलिए स्त्रियों को आज भी पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। शहरी परिवेश की स्त्रियाँ तो शिक्षित होकर बाहर अपना खर्च चलाने के लिए कार्य कर लेती हैं किंतु अधिकतर ग्रामीण स्त्रियाँ आज भी अपने खुद के खर्चे के लिए अपने पतियों, पिता या भाई पर आश्रित रहती हैं और यह जो दूसरे पर आश्रित होना है कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास में कमी ही करता है।

एक बड़ी संख्या में से एक चौथाई हिस्से का शिक्षित होने, बाहर जाने या आधुनिक बन जाने से पूरी स्त्रियाँ आधुनिक नहीं हो जाती। आज समाज में जो उदाहरण दिए जा रहे हैं कि स्त्रियाँ निरंतर आगे ही बढ़ती जा रही है। वह पुरुषों से कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, बल्कि कहीं किसी क्षेत्र में वह पुरुषों से भी आगे हैं, तो जरूरत है उन तमाम स्त्रियों को फिर से खंगालने की जो इस दौड़ में बहुत पीछे रह गई हैं। उन स्त्रियों का भी आगे आना उतना ही जरूरी है जितना कि वो चंद स्त्रियाँ आगे हैं। आधुनिकता कोई खिड़की या दरवाजा नहीं है जिसे खोलो तोड़ो और उसमें प्रविष्ट हो जाओ। आधुनिकता एक विचार है जिसको आत्मसात करने की जरूरत है, जिसको अपने अंदर उतारने के पश्चात उसमें उतरने की जरूरत है। परंपरा और आधुनिकता के बीच की जो चौखट है उस पर खड़ी है स्त्री और वह स्त्री परंपरा के इस ओर है। परंपरा उसका वह चोला बन गया है जो उसके मरने के साथ ही खत्म होता है। वह परंपरा के उस ओर आधुनिकता में प्रवेश नहीं कर पा रही

है। आज भी न जाने कितनी स्त्रियाँ परंपरा को ही आधुनिकता समझ रही है उन्हें यह एहसास ही नहीं है कि ना जाने कितने सदियों से जिन्हें वह आधुनिकता मानती रही है वहीं परंपराएं हैं जो उन्हें जकड़ के रखी हुई है, या यूं कहे की एक क्षण के लिए भी उन्हें यह एहसास ही नहीं होने देती कि वह किसी बंधन में जकड़ी हुई है। यह बंधन की जो जकड़न है उन्हें अब इतनी सरल और सहज लगने लगी है कि उससे उतारना तो दूर उसे निकालना भी नहीं चाहती।

आधुनिकता उन सारी स्त्रियों को सौगात में नहीं मिली। बड़ी संख्या में से कुछ स्त्रियों को आधुनिक मान लेने से सभी स्त्रियाँ आधुनिक नहीं हो जाती। आज भी स्त्रियों की एक लंबी कतार परंपरा की दहलीज के इस ओर ही सिमटी हुई आधुनिकता को एकटक निहार रही है, कि कब यह परंपरा की दहलीज उन्हें मुक्त करेगी और वह दहलीज के उस ओर आधुनिकता में अपने कदम को रखेंगी। यह उनके खुली आंखों से देखे हुए वह सपने हैं जो न जाने कितने वर्षों में साकार हो सकेंगे, इसकी केवल संभावना ही की जा सकती है। आधुनिक स्त्री सबसे ज्यादा दुविधाग्रस्त है उसे एक निर्णय लेने में अत्यधिक समय लग जाता हैं क्योंकि जन्म से लेकर आज तक उसको किसी स्वतंत्र निर्णय लेने या देने में सम्मिलित ही नहीं किया गया है। उसकी आदतों में यह चीज हैं ही नहीं इसीलिए यदि उन्हें कोई व्यक्ति एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है तो उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ती है, यह उनकी आदत में शुमार हो गया है। आज जरूरत है तो आधुनिक स्त्री को अपने निर्णय को स्वतंत्र रूप से लेने और उस पर अडिग रहने की।

आधुनिक स्त्री को लैंगिक रूढ़ियों के पारंपरिक ढांचे में फिट होने की जरूरत नहीं है। वह समाज में अपनी भूमिका को अपनाते हुए भी मजबूत और दृढ़ हो सकती है। कुछ मामलों में, आधुनिक स्त्री सामाजिक न्याय के मुद्दों पर भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। लैंगिक समानता के लिए लड़ने से लेकर नस्लवाद और भेदभाव के खिलाफ खड़े होने तक, वह दुनिया में बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज और अपने मंच का इस्तेमाल कर रही है। वह अन्याय के खिलाफ बोलने और सही के लिए लड़ने से नहीं डरती। आधुनिकता का यह रूप सतही एवं सीमित है। आधुनिकता का वास्तविक मानदंड इस अपवाद से नहीं अपितु नारी की नई चेतना, आत्मनिर्भरता और अंध–रुढ़ियों से मुक्ति है। अपने अधिकारों व अपनी शक्ति को पहचानने से है। साधारण हस्तशिल्प से लेकर इंजीनियरी तक आज स्त्री जागरूकता से अपनी योग्यता प्रदर्शित कर रही है। राजनीतिक दृष्टि से भी विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय होकर आधुनिक नारी ने समाज और देश की प्रगति में योगदान दिया है। आज के लोकतंत्र, अर्थतंत्र और समाजतंत्र में नारी की जीवंत भूमिका साफ नजर आ रही है। यह उसकी आधुनिक दृष्टि का ही परिणाम है।

आज के समाज में, महिलाएँ माँ के रूप में अपनी भूमिकाएँ निभा रही हैं और साथ ही अपने करियर और महत्वाकांक्षाओं को भी आगे बढ़ा रही हैं। हालाँकि, अक्सर उन पर एक बड़ा बोझ पड़ता है क्योंकि उन्हें खुद को, घर और बच्चों की देखभाल की ज्यादातर जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की भूमिका और अपेक्षाएँ काफी हद तक बदल गई हैं। आज, ज्यादातर महिलाएँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और कार्यबल में प्रवेश कर रही हैं, जिससे वे अपने परिवार और पूरे समाज के विकास में योगदान दे रही हैं। इस बदलाव ने नई चुनौतियाँ पैदा की हैं क्योंकि अब महिलाओं को माँ बनने और करियर को बनाए रखने के जटिल संतुलन को बनाए रखना पड़ता है। आधुनिक महिला से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पेशेवर जीवन

और पालन–पोषण करने वाली माँ दोनों में ही उत्कृष्टता हासिल करे। हालाँकि, वास्तविकता अक्सर आदर्श से अलग होती है। अध्ययनों से लगातार पता चलता है कि महिलाएँ घर के कामों और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों को अनुपातहीन रूप से अपने कंधों पर उठाती हैं। यह असंतुलन न केवल उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि उनके पेशेवर विकास और क्षमता को भी बाधित करता है।

आधुनिक स्त्रियों के मूल्यों में पूर्ण वित्तीय और भावनात्मक स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। आधुनिक स्त्रियाँ सेवा, उद्योग–शैली की नौकरियाँ करेंगी और अपने परिवार पर निर्भर न होकर, स्व पर निर्भर रहेंगी। इसका स्पष्ट कारण यही रहा है कि आज बढ़ती हुई महंगाई में यदि पुरुष के साथ स्त्रियां भी कार्य करती हैं, तो आर्थिक रूप से परिवार मजबूत होता है इसलिए पुरुषों ने स्त्रियों को आज बाहर निकलकर कार्य (कुछ स्त्रियों को छोड़कर) करने की स्वतंत्रता दी है। बावजूद इसके वह अपने दफ्तर से कार्य करके जब घर लौटती हैं तो उन्हें घर का कार्य भी करना पड़ता है। आज समाज में परिवर्तन तो हुआ है किंतु समय और परिस्थिति के अनुरूप। परिवर्तन उतना ही हुआ है जहां तक पितृसत्ता सुरक्षित रह सकती है। आधुनिक स्त्री के लिए सबसे जरूरी है कि वह अपनी अस्मिता को पहचान सके। अपनी अस्मिता को सुरक्षित रख सके। स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव का प्रमुख कारण मानसिक संकीर्णता है। भारतीय लोगों की विशेषता रही है कि वह घर के बाहर तो स्त्री पर होने वाले अत्याचारों की निंदा करता है, किंतु घर के अंदर स्वयं स्त्री पर अत्याचार करता है। घर और बाहर की दुनिया के लिए पृथक–पृथक दृष्टिकोण ही स्त्री अस्मिता के सर्वाधिक तत्व हैं। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि, श्माता–पिता को बाध्य होना चाहिए कि वे अपनी कन्याओं को अपनी–अपनी रूचि तथा शक्ति के अनुसार कला, व्यवसाय आदि की ऐसी शिक्षा पाने दें, जिससे उनकी शक्तियां भी विकसित हो सकें और वे इच्छा तथा आवश्यकतानुसार अन्य क्षेत्रों में कार्य भी कर सकें। राष्ट्र की सुयोग्य संतान की माता बनना उनका कर्तव्य हो सकता है, परंतु केवल उसी पर उनके नागरिकता के सारे अधिकारों का निर्भर रहना अन्याय ही कहा जायेगा।' जब स्त्री अस्मिता की बात आती है तो सबसे पहले आवश्यक है कि पुरूष स्वयं पितृसत्तात्मक व्यवस्था से मुक्त हो उसके पश्चात् स्त्री ही सर्वश्रेष्ठ है इससे भी मुक्त होना होगा क्योंकि दोनों समान सहयोगी एवं परस्पर पूरक हैं उनमें श्रेष्ठ बनने की नहीं बल्कि उत्कृष्ट बनने की चाह होनी चाहिए। यह कहने का सिर्फ इतना अर्थ है कि पुरुष और स्त्री दोनों को पितृसत्तात्मक संस्कारों से मुक्त होना चाहिए। समाज में परिवर्तन तभी संभव है जब स्त्री स्वयं चेतना संपन्न हो तथा अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के प्रति सजग हो क्योंकि सही मायने में यदि समाज परिवर्तित होता है तो स्त्री को अपनी अस्मिता और अस्तित्व को ढूंढ़ने या बनाने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। स्त्री अस्मिता पर बात करने के लिए परंपरा, वैदिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि नियमों को छोड़कर एक नए नजरिये से बात करनी होगी। 'निर्मला पुतुल' की कविता 'क्या तुम जानते हो' के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि एक पुरूष स्त्री को उतना ही जानता–पहचानता है जितना वह चाहता है :–

"तन के भूगोल से परे
एक स्त्री के
मन की गांठें खोलकर
कभी पढ़ा है।"

निष्कर्षतः जो स्त्रियां आधुनिकता को अपनी खुली आंखों से देख रही हैं, कम से कम उन स्त्रियों को भी

आधुनिकता के उस दौर में ले आने की जरूरत है। यह जरूरतें केवल स्त्री तक ही सीमित नहीं है। आधुनिकता स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप से होनी चाहिए क्योंकि यही आधुनिक विचार है जो आगे चलकर एक स्वस्थ समाज की संरचना में सहायक सिद्ध होंगे। यदि एक स्त्री अपने विचारों में स्वतंत्र है, तो वह इस परंपरा के ताने–बाने से ऊपर उठकर एक स्वस्थ आधुनिक विचार एवं समाज की संरचना में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकती है। जिस प्रकार वह एक शिशु की संरचना करती है ठीक उसी प्रकार वह इस सामाजिक ताने–बाने को भी बेहतर बुन सकती है। समाज में स्त्री और पुरुष को एक साथ चलने और बढ़ने की जरूरत है न कि अकेले आगे बढ़ने की। अकेले आगे बढ़ने पर फिर एक पीछे छूट जाएगा जिससे दोबारा वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

संदर्भ–ग्रंथ–सूची :–

1. जैन, अरविंद, औरत : अस्तित्व और अस्मिता, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली–2001
2. अनामिका, कहती हैं औरतें, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली–2022
3. मेमन, निवेदिता, नारीवादी निगाह से, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली–2021
4. वर्मा, महादेवी, श्रृंखला की कड़ियां, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद–2014
5. मेहरोत्रा, ममता, महिला अधिकार, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली–2014
6. उपाध्याय, रमेश, आज का स्त्री आंदोलन, शब्द संधान प्रकाशन, नई दिल्ली–2004

पता : ग्राम व पोस्ट–बर्थरा खुर्द, चौबेपुर, जिला–वाराणसी, पिन–221104

मोबाइल नं. 6388201630

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 17-24

डिजिटल भुगतान प्रणाली : विकास, लाभ और चुनौतियाँ

डॉ. गोरधन जाटव
M.Com, Ph.D, PGDCA
25/129, लक्ष्मी नगर, शाजापुर (म.प्र.)

सारांश :-

डिजिटल भुगतान प्रणाली ने भारत को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया है। यह न केवल वित्तीय लेन–देन को सरल और सुरक्षित बना रही है बल्कि भारतीय समाज को तकनीकी रूप से सशक्त बना रही है। भविष्य में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों के साथ यह प्रणाली और भी उन्नत हो जाएगी। प्रस्तुत अध्ययन में डिजिटल भुगतान प्रणाली का परिचय, विकासक्रम, लाभ एवं चुनौतियों सहित अनेक महत्वपूर्ण पक्षों का विश्लेषण किया गया हैं तथा इसमें सुधार एवं विस्तार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किये गए हैं।

मुख्य शब्द :- डिजिटल भुगतान, तकनीकी विकास, चुनौतियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, ब्लॉकचेन, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मोबाइल एप्स, साइबर अपराध आदि।

परिचय :-

डिजिटल भुगतान प्रणाली (Digital Payment System) वित्तीय लेनदेन का वह माध्यम है, जिसमें नकद के बजाय डिजिटल उपकरणों और तकनीकों का उपयोग होता है। इसमें मोबाइल वॉलेट, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, फत कोड और आधार–सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) जैसे साधन शामिल हैं। यह प्रणाली तेज, सुरक्षित और पारदर्शी लेनदेन सुनिश्चित करती है। भारत में इसका विकास 'डिजिटल इंडिया' पहल, नोटबंदी, और मोबाइल इंटरनेट की बढ़ती पहुँच के कारण हुआ है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है और कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर भारत को सशक्त बनाती है अर्थात 'डिजिटल भुगतान प्रणाली का सुदृढ़ विकास, भारत के आत्मनिर्भर और आधुनिक भविष्य का आधार है।'

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली ने पिछले कुछ वर्षों में तेज गति पकड़ी है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जैसे डिजिटल कार्यक्रम और 'लेन–देन में पारदर्शिताश डिजिटल आदान–प्रदान को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। इस शोध पत्र में "डिजिटल भुगतान प्रणाली" के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन किया गया हैं।

उद्देश्य :-

- भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली के ऐतिहासिक विकास और प्रमुख तकनीकी प्रगति का विश्लेषण

करना।

- भुगतान प्रणाली में उपयोग होने वाले विभिन्न माध्यमों जैसे UPI, मोबाइल वॉलेट, और इंटरनेट बैंकिंग को समझना।
- ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के प्रभावों का अध्ययन करना।
- डिजिटल भुगतान के उपयोग पर उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करना।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान के प्रसार की तुलना करना।
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं और उनके प्रभावों का विश्लेषण करना।
- डिजिटल भुगतान प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, और डिजिटल मुद्रा जैसी तकनीकों की भूमिका का मूल्यांकन करना।

डिजिटल भुगतान प्रणाली का विकासक्रम :-

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली (Digital Payment System) का विकास पिछले कुछ दशकों में एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही है। इसने न केवल अर्थव्यवस्था को आधुनिकता प्रदान की है बल्कि कैशलेस समाज की परिकल्पना को भी साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका विकास विभिन्न सरकारी पहलों, प्रौद्योगिकी प्रगति, और उपयोगकर्ताओं की बढ़ती आवश्यकताओं का परिणाम है।

डिजिटल भुगतान प्रणाली का आरंभ और विकास

1. **प्रारंभिक चरण (1980-1990 के दशक) :-**

डिजिटल भुगतान प्रणाली का आरंभ भारत में बैंकिंग प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण से हुआ। 1980–1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (EFT) और एटीएम जैसी सुविधाओं ने आधारशिला रखी।

2. **2000 का दशक :-**

- **इंटरनेट बैंकिंग :** इस दौर में इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट/डेबिट कार्ड का प्रचलन बढ़ा।
- **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) :** 2005 में आरंभ हुआ, जिससे बैंकिंग लेनदेन में तेजी आई।
- **रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) :** बड़े भुगतानों के लिए 2004 में शुरू की गई यह प्रणाली, तुरंत भुगतान की सुविधा देती है।

3. **2010 के बाद का दौर :-**

- **यूपीआई (UPI) का आगमन :** 2016 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की शुरुआत भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई।
- **मोबाइल वॉलेट्स :** Paytm, PhonePe, Google Pay, और अन्य मोबाइल एप्स ने लोगों के बीच भुगतान प्रणाली को सरल और सुलभ बनाया।
- **भीम ऐप (BHIM App) :** 2016 में शुरू हुआ यह ऐप UPI आधारित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया।

4. **डिजिटल इंडिया पहल और नोटबंदी (2016) :-**

नोटबंदी के बाद डिजिटल लेनदेन में तेजी आई। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल ने आधार–सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) और मोबाइल आधारित भुगतान को बढ़ावा दिया।

5. पिछले कुछ वर्षों का विकास (2020 के बाद) :–

- **QR कोड आधारित भुगतान :** यह तकनीक छोटे व्यवसायों और ग्राहकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुई।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन :** इन तकनीकों का उपयोग लेनदेन की सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।
- **डिजिटल मुद्रा (CBDC) :** भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपया (e Rs) की पायलट परियोजना शुरू की है।

वर्तमान स्थिति :–

डिजिटल भुगतान प्रणाली ने भारत में वित्तीय लेनदेन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है। वर्तमान में, UPI, QR कोड, मोबाइल वॉलेट, और आधार–सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) जैसे माध्यम डिजिटल भुगतान को सरल और सुलभ बना रहे हैं। 2023 तक, UPI ने प्रतिदिन अरबों लेनदेन को सक्षम किया, जिससे भारत वैश्विक डिजिटल भुगतान प्रणाली में अग्रणी बना।

सरकार की डिजिटल इंडिया पहल और नोटबंदी ने डिजिटल लेनदेन को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान की पहुँच बढ़ी है, लेकिन अभी भी तकनीकी साक्षरता और इंटरनेट की कमी कुछ क्षेत्रों में चुनौती बनी हुई है।

साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी इस प्रणाली के सामने बड़ी बाधाएँ हैं। इसके बावजूद, डिजिटल मुद्रा (CBDC) और उन्नत तकनीकों के साथ, डिजिटल भुगतान प्रणाली एक मजबूत और समावेशी अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत के भविष्य को सशक्त बना रही है। भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली में तेजी से वृद्धि हुई है जिसका वर्णन निम्नानुसार तालिका क्रमांक–1 में किया गया हैं।

तालिका – 1

वर्ष 2018 से 2024 तक डिजिटल भुगतान में वृद्धि विश्लेषण

वर्ष	UPI लेनदेन (संख्यात्मक)	ई–वालेट लेनदेन (संख्यात्मक)
2018	0.34 अरब	1.2 अरब
2019	1.23 अरब	1.76 अरब
2020	2.12 अरब	3.5 अरब
2021	4.29 अरब	5.0 अरब
2022	6.5 अरब	8.0 अरब
2023	7.4 अरब	9.3 अरब
2024	8.5 अरब (अनुमानित)	10.5 अरब (अनुमानित)

स्त्रोत : – NPCI की वार्षिक रिपोर्ट (विभिन्न वर्ष)।

विश्लेषण :–

वर्ष 2018 से 2023 तक डिजिटल भुगतान प्रणाली में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। UPI लेनदेन में हर वर्ष लगभग 40–50% की वृद्धि हुई, जबकि ई–वॉलेट लेनदेन में भी निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2024 में, UPI लेनदेन के 8.5 अरब और ई–वॉलेट लेनदेन के 10.5 अरब तक पहुँचने का अनुमान है।

यह वृद्धि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियों, डिजिटलीकरण, और मोबाइल इंटरनेट की बढ़ती पहुँच का परिणाम है। इसके अलावा, सुरक्षित और तेज तकनीकों ने इस प्रक्रिया को और सशक्त बनाया है। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली में एक तीव्र वृद्धि हुई है।

डिजिटल भुगतान प्रणाली में आधुनिक तकनीकों की भूमिका :–

डिजिटल भुगतान प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ब्लॉकचेन, और डिजिटल मुद्रा (CBDC) जैसी तकनीकों ने इसे अधिक सुरक्षित, तेज और कुशल बनाया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैं।

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) :–**

AI का उपयोग लेनदेन में धोखाधड़ी का पता लगाने, ग्राहक व्यवहार का विश्लेषण करने और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। AI आधारित चौटबॉट और स्वचालित प्रणाली ने ग्राहक सेवा को तेज और प्रभावी बनाया है।

- **ब्लॉकचेन :–**

ब्लॉकचेन तकनीक ने लेनदेन को पारदर्शी और सुरक्षित बनाया है। यह विकेन्द्रीकृत संरचना पर आधारित है, जो धोखाधड़ी और डेटा में हेरफेर को रोकती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ने भुगतान प्रक्रिया को स्वचालित और भरोसेमंद बनाया है।

- **डिजिटल मुद्रा (CBDC) :–**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई डिजिटल मुद्रा (e Rs) ने भुगतान प्रणाली में क्रांति लाई है। यह नकद मुद्रा का डिजिटल विकल्प है, जो तेज और लागत–कुशल लेनदेन सुनिश्चित करता है।

डिजिटल भुगतान प्रणाली के लाभ :–

- **सुविधा :** डिजिटल भुगतान प्रणाली ने लेन–देन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। उपयोगकर्ता अब अपने फोन के माध्यम से किसी भी समय और कहीं भी भुगतान कर सकते हैं।
- **सुरक्षा :** डिजिटल भुगतान प्रणाली में आमतौर पर मजबूत सुरक्षा उपाय शामिल होते हैं। ओटीपी (OTP), एन्क्रिप्शन और दो–चरण प्रमाणीकरण जैसे उपाय भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाते हैं।
- **आर्थिक प्रभाव :** नकद के बिना लेन–देन का विकास अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने का कार्य करता है। इससे कर संग्रह बढ़ता है और काले धन की प्रवृत्ति में कमी आती है।
- **सुविधा और सुलभता :** उपयोगकर्ताओं को कभी भी, कहीं भी लेनदेन की सुविधा।
- **पारदर्शिता :** डिजिटल लेनदेन से वित्तीय पारदर्शिता में वृद्धि।
- **वित्तीय समावेशन :** ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुँच।
- **काला धन और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण :** नकद लेनदेन की कमी से अनियमितता में कमी।

- **तेजी और सुरक्षा :** UPI और अन्य डिजिटल प्रणालियाँ तेज और सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करती हैं।

चुनौतियाँ :–

डिजिटल भुगतान प्रणाली के सामने निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं –

- **सुरक्षा और डेटा गोपनीयता :** हालाँकि डिजिटल भुगतान प्रणाली सुरक्षित है, फिर भी साइबर अपराधों की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। ग्राहकों की संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **अर्थव्यवस्था में असमानता :** देश के सभी क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की साधारणता उचित है, जिससे समाज के एक हिस्से को लाभ मिलता है जबकि अन्य से छूट जाते हैं (Ghosh, 2023)।
- **तकनीकी विकास की गति :** तकनीकी विकास की गति में असमानता, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, डिजिटल भुगतान प्रणाली के विकास में बाधा बन सकती है।
- **साक्षरता की कमी :** ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की कमी।
- **निर्भरता :** डिजिटल भुगतान पर निर्भरता से तकनीकी असफलता का जोखिम।
- **अपराध में वृद्धि :** साइबर अपराध और डेटा चोरी के प्रकरणों में वृद्धि हुई हैं।

डिजिटल भुगतान प्रणाली में सुधार एवं विस्तार हेतु सुझाव :–

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली का निरंतर विकास हो रहा है, लेकिन इसे और अधिक कुशल, सुरक्षित और समावेशी बनाने के लिए कुछ सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं :–

तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना :–

- **तेज इंटरनेट सुविधा का विस्तार :** ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में तेज और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।
- **सर्वर अपटाइम सुधार :** बैंक और भुगतान गेटवे सर्वर का अपटाइम बढ़ाना ताकि भुगतान प्रक्रिया में बाधा न हो।
- **क्लाउड-आधारित समाधान :** बढ़ते लेनदेन के दबाव को संभालने के लिए क्लाउड टेक्नोलॉजी का उपयोग।

साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देना :–

- **डेटा सुरक्षा नीतियाँ :** उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी की सुरक्षा के लिए सख्त डेटा सुरक्षा नियम लागू करना।
- **एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन :** सभी डिजिटल लेनदेन के लिए उन्नत एन्क्रिप्शन प्रणाली लागू करना।
- **साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान :** ग्राहकों और व्यापारियों को फिशिंग, मैलवेयर और अन्य साइबर खतरों के प्रति जागरूक करना।

डिजिटल साक्षरता अभियान :–

- **शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम :** डिजिटल भुगतान प्रणाली के उपयोग के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना।

- **आसान इंटरफेस :** मोबाइल ऐप्स और भुगतान पोर्टल्स को उपयोगकर्ता के अनुकूल और बहुभाषीय बनाना।
- **संदेशों के माध्यम से जागरूकता :** ग्राहकों को धोखाधड़ी और सुरक्षित लेनदेन से संबंधित जानकारी एसएमएस और सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराना।

वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन :–

- **ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान :** उन क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना जहां नकद लेनदेन अधिक प्रचलित है।
- **आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) :** आधार आधारित लेनदेन को और अधिक लोकप्रिय और सुलभ बनाना।
- **सस्ती डिजिटल सेवाएँ :** छोटे व्यापारियों और निम्न–आय वर्ग के लिए भुगतान उपकरणों और सेवाओं को सस्ता और किफायती बनाना।

इनोवेशन और नई तकनीकों का समावेश :–

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) :** धोखाधड़ी का पता लगाने और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए AI आधारित समाधान लागू करना।
- **ब्लॉकचेन :** भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग।
- **बायोमेट्रिक भुगतान :** चेहरे की पहचान और फिंगरप्रिंट आधारित भुगतान को बढ़ावा देना।

नीतिगत सुधार और सरकारी पहल :–

- **कम शुल्क :** डिजिटल भुगतान पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को समाप्त करना या न्यूनतम करना।
- **लघु व्यवसायों को प्रोत्साहन :** छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने के लिए टैक्स में छूट और अन्य लाभ प्रदान करना।
- **समय पर विवाद समाधान :** लेनदेन से जुड़े विवादों का शीघ्र समाधान करने के लिए एक कुशल प्रणाली स्थापित करना।

बेहतर ग्राहक अनुभव :–

- **तेजी से भुगतान प्रक्रियाएँ :** UPI और अन्य प्लेटफॉर्म की गति और दक्षता में सुधार करना।
- **24/7 सहायता प्रणाली :** ग्राहकों के लिए हर समय सहायता केंद्र उपलब्ध कराना।
- **व्यापक भुगतान विकल्प :** डिजिटल भुगतान में विविधता लाने के लिए विकल्प जैसे क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल मुद्राएँ।

व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना :–

- **नकदी की निर्भरता कम करना :** कैशबैक, छूट, और अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से ग्राहकों को डिजिटल भुगतान के प्रति आकर्षित करना।
- **डिजिटल भुगतान का प्रचार :** सामाजिक अभियानों और विज्ञापनों के माध्यम से कैशलेस अर्थव्यवस्था के

फायदों को समझाना।

छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाना :–

- **क्यूआर कोड की उपलब्धता :** छोटे व्यापारियों को QR कोड और POS मशीनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना।
- **लघु ऋण सुविधाएँ :** डिजिटल भुगतान को अपनाने वाले व्यापारियों के लिए आसान और सस्ते ऋण की सुविधा।

डिजिटल मुद्रा (CBDC) का उपयोग बढ़ाना :–

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल रुपया (CBDC) को सुगमता से लागू करना और इसे ग्राहकों तथा व्यापारियों के बीच लोकप्रिय बनाना।

निष्कर्ष :–

डिजिटल भुगतान प्रणाली में तेजी से विकास हुआ है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत दे रही है। हालाँकि, इसके प्रभावी कार्यान्वयन और व्यापक स्वीकृति के लिए कई चुनौतियाँ हैं, जिनका समाधान और सुधार करना आवश्यक है।

डिजिटल भुगतान प्रणाली में सुधार और विस्तार से न केवल आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी बल्कि यह एक समावेशी और सशक्त डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगी। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए यह आवश्यक है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली को सुरक्षित, सुलभ, और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जाए। इसके लिए तकनीकी और नीतिगत सुधारों के साथ–साथ सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना भी अनिवार्य है।

विशेष – 'डिजिटल भुगतान प्रणाली का सुदृढ़ विकास, भारत के आत्मनिर्भर और आधुनिक भविष्य का आधार है।' –डॉ. गोरधन जाटव

संदर्भ सूची :–

1. घोष, एस. (2023). भारत में डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ : अवसर और चुनौतियाँ. वाणिज्य का वित्तीय जर्नल, 15(2), 45–62।
2. खान, आर. (2022). डिजिटल लेनदेन में सुरक्षा चिंताएँ : एक अवलोकन. अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जर्नल, 10(4), 23–37।
3. राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत (NPCI). (2023)., UPI लेनदेन की प्रवृत्तियाँ।
4. शर्मा, ए. (2021). द्वितीयक डेटा स्रोतों का उपयोग कर डिजिटल भुगतान प्रणालियों पर अध्ययन. भारतीय अर्थशास्त्र पत्रिका, 29(1), 124–136।
5. सिंह, पी. (2022). भारत में डिजिटल वित्त : प्रगति और तकनीकी चुनौतियाँ. डेटा विश्लेषण और सूचना प्रबंधन जर्नल, 18(3), 78–89।
6. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI). (2018–2023). वार्षिक रिपोर्ट।
7. मिश्रा, ए., और गुप्ता, आर. (2023). 'डिजिटल भुगतान प्रणाली में एआई और ब्लॉकचेन की भूमिका।'

जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन, 12(3), 45–58।
8. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI). (2023). भारत में डिजिटल भुगतान : प्रवृत्तियाँ और विश्लेषण।
9. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY). (2022). डिजिटल इंडिया पहल : प्रगति रिपोर्ट।
10. विश्व बैंक. (2022). उभरते बाजारों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान।

Email : gordhanjatav77@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 25–40

भारत सरकार की ट्रांसजेंडर समुदाय के लिये कल्याणकारी योजनाएं

SIMMI FARHAD
Research Scholar, Department Of History, M.L.S.U.,Udaipur.

सारांश :–

यह लेख ट्रांसजेंडर लोगो के लिये भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बारे में है समकालीन समाज में शायद ही कोई विषय सामाजिक विज्ञानों में शोधकर्ताओं, केन्द्रीय और राज्य सरकारों में योजना दलों और सुधारकों का इतना आकृष्ट हो जितना कि ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याएं। किन्नर समुदाय की समस्याओं का अध्ययन से लेकर मनोरोग विज्ञान और अपराध विज्ञान तक होता है। फिर भी ट्रांसजेंडर समुदाय से सम्बन्धित एक महत्वपर्ण समस्या जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है जिससे बचा गया है। समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति हिंसा का व्यवहार व समस्या कोई नयी नहीं हैं। भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय यातनाओं और शोषण का शिकार रहा है प्रत्येक काल के हमारे पास सामाजिक सगंठन और पारिवारिक जीवन क लिखित प्रमाण उपलब्ध है। वर्तमान युग में धीरे–धीरे ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज के जीवन में महत्वपूर्ण प्रभावशाली और अर्थपूर्ण सहयोग माना जाने लगा है, सदियों से बहिस्कत ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति दयनीय रही है। इस लेख में हम भारतीय सरकार द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों नीतियों और योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये नीतियां केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडरों के विकास और स्थिति में बदलाव सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं। इन नीतियों से ट्रांसजेंडरों को भेदभाव अत्याचार और शोषण से मुक्ति मिलेगी। इन नीतियों को राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों की मदद से राज्यों में भी लागू किया जाता है।

प्रस्तावना :–

Sex is what you are Bond with Gender is what you recognize and sexuality is what you discover -Anitha Chettiar

मानव समाज बहुत ही विषम और असमान है और इसमें विभिन्न समूहों में विभिन्न प्रकार के पदानुक्रम की विशेषता है। समाज में कुछ समुदाय या समूह हैं जैसे कि एससी, एसटी, महिलाएँ, ट्रांसजेंडर आदि जिन्हें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या नैतिक रूप से बहिष्कृत किया जाता है। इस तरह के बहिष्कार के परिणामस्वरूप, उन्हें समाज द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहिष्कृत किया जाता है और इसलिए वे एक असुविधाजनक स्थिति में आ जाते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय समाज की इस तरह की दुर्व्यवस्था का सबसे बुरा

शिकार लगता है और इसलिए वे खुद को पहचान के संकट में पाते हैं। उन्हें एक तरह से दोयम दर्जे पर रखा जाता है और इस तरह समाज के अन्य लोग उनके साथ नीच व्यवहार करते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय भी समाज द्वारा अमानवीय व्यवहार का शिकार होता है और इस तरह वे अपनी बुनियादी और माध्यमिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। उन्हें हीन समझा जाता है और यहाँ तक कि नीति निर्माता भी ऐसे समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर कभी विचार नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप, ट्रांसजेंडर को आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से लेकर जीवित रहने तक की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

भारतीय उपमहाद्वीय के संदर्भ में हिजड़ा ध् ट्रांसजेंडर समुदाय का इतिहास अति प्राचीन है 'हिजड़ा' शब्द की उत्पति हिज्र से हुई है जिसका अर्थ होते है अपनी जाति को छोड़ना हिजडे दो प्रकार के होते है– जन्मजात तथा दूसरे वे जो पुरुष होने के बावजूद अपने पुरुषत्व को त्याग देते है। भारत के उपमहाद्वीपीय देशों में इन्हें हिजड़ा, किन्नर, छक्का, कोठी, अरावनी, जोगप्पा, शिव–शक्ति, पावैया, खसुआ, ख्वाजासरा आदि नामों से जाना जाता है। हिजड़ा समुदाय का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीय के संदर्भ मे अति प्राचीन है यह समुदाय भारत तथा वर्तमान पाकिस्तान, बांग्लादेश में कुछ सालों से नहीं बल्कि सदियों से इतिहास में अपनी उपस्थिति देते रहे है। इन्हें भारत के उत्तरी भाग में किन्नर, ख्वाजासरा, हिजड़ा, खुसरा आदि नामों से जानते है, पश्चिम बंगाल व बाग्लादेश में इन्हे कोठी आदि नाम से जाना जाता है, वही मध्य भारत में शिव–शक्ति, जोगप्पा तथा दक्षिण में अरावनी आदि, पाकिस्तान के पंजाब, सिंध पेशावर आदि स्थानों पर इन्हें खुसरा, जनाना ख्वाजासरा कहा जाता है। प्राचीन काल की पुस्तक 'कामसूत्र', अर्थशास्त्र आदि में इनका वर्णन मिलता है कामसूत्र में इनके प्रकार भी बताए गए है वही अर्थशास्त्र में इन्हें चाणक्य द्वारा एक वफादार रक्षक बताया गया है। इसके अलावा रामायण, महाभारत, वेदो में भी किन्नरो के संदर्भ में कई उदाहरण मिलते है। प्राचीन काल में इनका सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्तर अच्छा था।

मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल हिजड़ो का स्वर्णिक काल कहलाता है। इस समय कई हिजड़ो को विदेशों से लाया जाता था या फिर बादशाहों को उपहार स्वरूप दिया जाता था। इसी समय हिजड़ो के सामाजिक स्तर में बढ़ौतरी हुई, इसके साथ–साथ आर्थिक स्तर भी सुधरा और समाज में उनका मान बढ़ा। मुगल काल के समय हिजड़ो को जनाना महला की सुरक्षा में लगाया जाता था, जो ख्वाजासरा कहलाते थे लेकिन इससे हटकर भी मुगल साम्राज्य में कई उदाहरण मिलते जहाँ हिजड़ो को अपनी स्वामीभक्ति और वीरता के कारण सेनापति, यहाँ तक की मनसबदार तक के पद प्राप्त हुए। ऐसे कुछ उदाहरण है– अलाउद्दीन खिलजी के समय का मलिक काफूर, इमामुद्दीन रेहान–बलबन के समय का मुख्यमंत्री रहा, मुहित–उल–मुल्क, जो सुल्तान मुजफ्फर शाह (गुजरात) के समय कोतवाल की पोस्ट पर रहा। मुगलो के समय नाजिर और ख्वाजा सरा 'इतमाद खान' या 'ऐतबार खान' कहलाते थे। ऐसा ही एक 'ऐतबार खान' जो बाबर और हूमायूं के समय दरबार में लाया गया था, अकबर के काल में दिल्ली का गवर्नर नियुक्त किया गया, फूल मलिक अकबर के समय 1000 का कमांडर बनाया गया बाद में वह बख्खर का गर्वनर भी नियुक्त किया गया जहांगीर के समय हिजड़ो का प्रमुख 'ऐतबार खान' आगरा शहर का गवर्नर नियुक्त किया गया और 5000/4000 का मनसबदार बनाया गया। औरंगजेब के समय भी ऐतबार खान को आगरा का गवर्नर बनाया गया तथा बख्तावर खान को 1000 मन सब दिया गया। परंतु ब्रिटिश काल आते–आते हिजड़ा समुदाय ने अपनी चमक खो दी ब्रिटिश शासन के समय हिजड़ा समुदाय

'Criminal Tribes Act 1871' के अंतर्गत आता था क्योंकि अंग्रेजो के अनुसार हिजड़े मुख्यतः बच्चा चोर/अपहरणर्ता के तौर पर देखे जाते थे जो बच्चों का अपहरण कर उन्हें हिजड़ा बनाते थे तथा समाज में अनैतिक कार्य करते थे और रूढ़ीवादी सामाजिक नियमों से परेह थे अतः ब्रिटिश सरकार ने इन पर यह कानून लगाया इसी कारण ने इस समुदाय को हाशिये पर लाकर खड़ा कर दिया गया इससे हिजड़ो का सामाजिक व आर्थिक स्तर गिरता गया। पिछले कुछ दशक में भारतीय उपमहाद्वीय के हिजड़ा समुदाय ने कई मानवशास्त्रीयों, समाज शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों जैसे Singh; 1989, Nanda; 1990; Khattak; 2004; Reddy; 2005, Khilji; 2008 का ध्यान अपने तरफ खींचा है तथा उन पर कई पुस्तके और रिसर्च कार्य हो चुका है यही नहीं 19वीं सदी की शुरुआत में डॉ किरा हाल व फरीदी जैसे शोधकर्ताओं ने हिजड़ो के सामाजिक संगठन, सेक्शुअलिटी (कामुकता), क्वेर पहचान, शारीरिक परेशानियाँ, मानसिक स्थिति पर विस्तार से अध्ययन किया है।

भारत में लंबे समय तक थर्ड जेंडर समुदाय के पक्ष में कोई भी कानून नहीं थे। इसी कारण थर्ड जेंडर समुदाय ने आंदोलन चलाया जिससे 2005 में पासपोर्ट आवेदन फार्म पर तीसरा लिंग विकल्प अपडेट हुआ। उनकको मतदान का अधिकार भी प्राप्त हुआ आदि परन्तु अभी भी समाज का एक भाग इनको सामाजिक समानता देने के पक्ष में नहीं है। जिससे अभी भी इनके साथ भेदभाव होता है। नेपाल व बांग्लादेश जैसे छोटे–छोटे देशों में भी थर्ड जेंडर को कानूनी मान्यता दे दी है। और वहां पर सबसे पहले थर्ड जेंडर की शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है तथा लोगों को सरकारी कर्मचारियों, नौकरी पेशा, लोगों को थर्ड जेंडर से संबंधित प्रचलित शब्दों से वाकिफ कराया जा रहा है ताकि थर्ड जेंडर समुदाय के कारण अच्छा व्यवहार किया जा सके। भारत में भी 2011 में हुए जनसंख्या सर्वे में एक नई श्रेणी अन्य को शामिल किया यहाँ 'अन्य' से तात्पर्य कोई भी हो सकता है किसी भी लिंग का परंतु फिर भी यह स्वीकृति की ओर एक छलांग थी 2018 में वर्षों के संघर्ष, अपमान, सामाजिक संघर्ष के बाद तथा आंदोलनों के प्रभाव से सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक X`फैसले में I.P.C की धारा 377 को निरस्त कर दिया, जो औपनिवेशिक काल का एक काला कानून था जो व्यस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक गतिविधियों को अपराध मानता था इसी के साथ 2019 में उभलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में पास हुआ जो 2014 में एक बिल था तथा कई वर्षों के बदलाव के बाद 2019 में अधिनियम बना। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय सुनाया गया जिसे NALSA निर्णय कहते है। इस फैसले में ट्रासजेडर समुदाय का कानूनी मान्यता, आरक्षण, स्वास्थ्य सेवाएँ, सुरक्षा, सामाजिक कल्याण योजनाएँ, शैक्षणिक योजनाएँ की बात कही, गई है साथ ही भारत की क्षेत्रीय, सांस्कृतिक प्रथाओं और भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए।

इसमें लिंग पहचानकी विविधता और तरलता (Fluclity) को मान्यता दी गई। इस बिल में उचित बदलाव कर 17 दिसंबर 2018 को 27 संशोधन तथा परिभाषा में एक सुधार के कर 2019 में यह बिल 9 खंडों व 23 उपधाराओं के साथ एक अधिनियम बन गया जो भारत के ट्रास समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक व गौरवमय दिवस था। 16 अप्रैल 2014 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित समाचार में बताया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल 2014 को हिजड़ों या ट्रांसजेंडरों के लिए 'तीसरे लिंग' का दर्जा बनाया" इससे पहले, उन्हें अपने लिंग के आगे पुरुष या महिला लिखने के लिए मजबूर किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ट्रांसजेंडर को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा मानने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडरों को

शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा और उन्हें तीसरे लिंग की श्रेणी के आधार पर रोजगार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिजड़ों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने वाले कानून की अनुपस्थिति को शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों का लाभ उठाने में उनके साथ भेदभाव करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

यह पहली बार है कि तीसरे लिंग को औपचारिक मान्यता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीसरे लिंग के लोगों को ओबीसी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें ओबीसी के रूप में शैक्षिक और रोजगार आरक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को उनके विशेष चिकित्सा मुद्दों को देखने के लिए विशेष सार्वजनिक शौचालय और विभाग बनाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति सर्जरी के जरिए अपना लिंग बदलवाता है, तो वह अपने बदले हुए लिंग का हकदार है और उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने समाज में ट्रांसजेंडरों के उत्पीड़न और भेदभाव पर चिंता जताई और उनके सामाजिक कल्याण के लिए कई निर्देश पारित किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले समाज में ट्रांसजेंडरों का सम्मान किया जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और उन्हें भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। इसने कहा कि पुलिस और अन्य अधिकारी उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 377 का दुरुपयोग कर रहे हैं और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। पीठ ने स्पष्ट किया कि उसका फैसला केवल किन्नरों से संबंधित है, न कि समाज के अन्य वर्गों जैसे समलैंगिक, समलैंगिक और उभयलिंगी लोगों से, जिन्हें 'ट्रांसजेंडर' शब्द के तहत माना जाता है। पीठ ने कहा कि वे समाज का अभिन्न अंग हैं और सरकार को उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें अदालत से ट्रांसजेंडरों को लिंग की तीसरी श्रेणी के रूप में मान्यता देकर उन्हें अलग पहचान देने का आग्रह किया गया था। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि राज्य और केंद्र तीसरे लिंग समुदाय के लिए सामाजिक कल्याण योजनाएं तैयार करेंगे और सामाजिक कलंक को मिटाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएंगे।

1) **भारत सरकार (केन्द्रिय सरकार) की योजनाएं :-** जैसा कि हमको विधित है कि ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं को हल करने के लिये सरकरार द्वारा ट्रांसजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) एक्ट 2019 लागू किया गया जिसके अनुसार ट्रांसजेंडर समुदाय के विकास और कल्याण के लिये ऐसी योजनाएं और प्रोग्राम बनाने के आदेश दिए गए इसी क्रम में सरकार द्वारा कई योजनाओं को लागू किया गया जो निम्नलिखित है :-

(अ) राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद (National Council for Transgender Person) ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 21 अगस्त 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री परिषद के अध्यक्ष (पदेन) हैं और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष (पदेन) हैं।

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देता है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समानता और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए तैयार की गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करता है।

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मामलों से निपटने वाले सरकार के सभी विभागों और अन्य सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करता है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करता है।
- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कार्य करता है।

परिषद के अन्य सदस्यों में विभिन्न मंत्रालयोंधविभागों के प्रतिनिधि, ट्रांसजेंडर समुदाय के पांच प्रतिनिधि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञ शामिल हैं।

(ब) Smile (Support for Marginalized Individual for Livelihood and Enterprise) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 12 फरवरी, 2022 को एक व्यापक योजना "स्माइल – आजीविका एवं उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता" शुरू की। इस व्यापक योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के लिए कल्याणकारी उपायों सहित कई व्यापक उपाय शामिल होंगे, जिसमें पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संबंध आदि पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/स्थानीय शहरी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ)/संस्थाओं और अन्य का सहयोग शामिल होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 12 फरवरी, 2022 को एक व्यापक योजना "स्माइल – आजीविका एवं उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता" शुरू की। इस व्यापक योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपायों सहित कई व्यापक उपाय शामिल होंगे, जिसमें राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/स्थानीय शहरी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ)/संस्थाओं और अन्य के सहयोग से पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संबंध आदि पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस योजना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय शामिल हैं, जैसे कक्षा नौ से स्नातकोत्तर तक पढ़ने वाले ट्रांसजेंडर छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण और आजीविका, लिंग पुष्टि सर्जरी, पूर्व और पश्चात की प्रक्रियाओं और अन्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य, परित्यक्त और अनाथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में गरिमा गृह की स्थापना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों और अपराधों के त्वरित निवारण के लिए पूरे देश में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठों की स्थापना आदि। मंत्रालय ने 2021–22 से 2025–26 तक इस योजना के लिए 365 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

इस योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं :–

1 ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान रखने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (नौवीं और उससे ऊपर की कक्षा)

छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध होगी और मंत्रालय द्वारा कक्षा नौवीं और उससे ऊपर (प्रीमैट्रिक और पोस्टमैट्रिक चरण) में पढ़ने वाले ट्रांसजेंडर छात्रों को प्रदान की जाएगी ताकि ट्रांसजेंडर बच्चों के माता–पिता का समर्थन किया जा सके और कक्षा नौवीं और दसवीं में और पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट–सेकेंडरी चरण

और उससे आगे के ट्रांसजेंडर छात्रों को पोस्ट–ग्रेजुएशन तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके ताकि ड्रॉप–आउट की घटनाओं को कम किया जा सके और प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक संक्रमण में सहायता मिल सके। कक्षा 8वीं की आयु तक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्वयं की लिंग पहचान काफी हद तक अस्पष्ट रहती है और इसलिए बच्चों की ट्रांसजेंडर पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है।

उद्देश्य :-

(क) उद्देश्य नौवीं और उससे ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाले ट्रांसजेंडर छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

(ख) ट्रांसजेंडर छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए सहायता प्रदान करना ताकि वे अपनी आजीविका कमाने के लिए खुद को तैयार कर सकें और समाज में अपने लिए एक सम्मानजनक स्थान पा सकें क्योंकि उन्हें पढ़ाई करने और सम्मान के साथ जीने में कई तरह की शारीरिक, वित्तीय, मनोवैज्ञानिक, मानसिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे छात्र अपने छिपे हुए कौशल का उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं और इस तरह अवसर से चूक जाते हैं।

(ग) छात्रवृत्ति सरकारी या निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/कॉलेज/विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी, जिसमें सरकार के ऐसे आवासीय संस्थान और संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा पारदर्शी तरीके से चयनित और अधिसूचित पात्र निजी संस्थान शामिल हैं। इसमें राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) से संबद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल होंगे, जिनमें पॉलिटेक्निक और अन्य पाठ्यक्रम शामिल हैं (एक वर्ष से कम अवधि का कोई भी पाठ्यक्रम इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी शामिल नहीं हैं।

(घ) यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त सभी स्नातक डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा/डिप्लोमा पाठ्यक्रम शामिल होंगे।

(ङ) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, लिंग गैर–अनुरूप और इंटरसेक्स बच्चों के रूप में पहचान करने वाले आवारा बच्चों और युवाओं को पहचान के माध्यम से सरकारी स्कूल और संस्थानों में नामांकित करना ताकि वे स्थानीय संगठनों, सीबीओ, एनजीओ आदि की मदद से शिक्षा के अधिकार का लाभ उठा सकें।

छात्रवृत्ति का भुगतान :-

(क) पात्र ट्रांसजेंडर छात्रों को पोस्टमैट्रिक/प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में 13,500 रुपये की राशि दी जाएगी। समग्र शिक्षा योजना के साथ अभिसरण स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की समग्र शिक्षा योजना।

ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए विशेष रूप से संकेत नहीं देती है। समग्र शिक्षा योजना ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा को संबोधित करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करती है क्योंकि उन्हें कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें लिंग संबंधी आदर्श व्यवहार और समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप होने के लिए परस्पर विरोधी दबावों का सामना करना पड़ता है, जो वे करने में असमर्थ हैं। ट्रांसजेंडर बच्चों पर एक विश्वसनीय राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और विकसित करने की आवश्यकता है। स्कूलों को एक सुरक्षित सहायक स्कूल वातावरण बनाना चाहिए जो उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न करे। इस संदर्भ

में, स्कूलों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रूप में पहचान करने वाले छात्रों और उनके माता–पिता के साथ उनके नाम के उपयोग, शौचालय और उनकी लिंग पहचान के अनुरूप अन्य स्थानों तक पहुंच के बारे में एक योजना विकसित करने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों और चिंताओं को संबोधित किया जाना चाहिए और साथ ही शिक्षकों को निरंतर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी समस्याओं के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

कार्यान्वियन एजेंसी :–

ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी और छात्रवृत्ति राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को भेजी जाएगी।

2. ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास और आजीविका :–

कौशल विकास और आजीविका गतिविधियों को शुरू करने के लिए धन उपलब्ध कराना, जिसमें कल्याणकारी उपाय शामिल हो सकते हैं जैसे कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बीच उद्यमिता कौशल विकसित करना ताकि समुदाय की शैक्षिक और सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, ताकि उन्हें अपने दम पर आय पैदा करने वाली गतिविधियाँ शुरू करने या किसी क्षेत्र में लाभकारी रोजगार पाने में सक्षम बनाया जा सके।

उद्देश्य :–

(क) मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति समुदाय से संबंधित व्यक्ति को बाजार–उन्मुख कौशल प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना है। कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्षेत्रों का चयन प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद किया जाएगा। कौशल को नामांकित व्यक्ति को सम्मान के साथ रोजगार के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करनी चाहिए।

(ख) कौशल विकास और आजीविका के लिए धन उपलब्ध कराना, जिसमें समुदाय की शैक्षिक और सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कल्याणकारी उपाय शामिल हो सकते हैं, ताकि कौशल उन्नयन के उद्देश्य से उन्हें स्वयं आय सृजन गतिविधियाँ शुरू करने या किसी क्षेत्र में लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

(ग) कौशल विकास प्रशिक्षण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पीएम–दक्ष के माध्यम से उनके मौजूदा कार्यक्रमों के भाग के रूप में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सामान्य मानदंडों का विधिवत पालन करते हुए प्रदान किया जाना है।

(घ) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और सेक्टर कौशल परिषद (एसएससी) उद्योग की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम में मदद करेंगे। भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) और राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) उद्यमिता प्रशिक्षण में सहायता करेंगे।

(ङ) कार्यक्रम को पीएम–दक्ष आईटी प्लेटफॉर्म और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

2. लक्ष्य समूह और पात्रता मानदंड :

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का चयन नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार किया जाएगा :

(क) लाभार्थी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित होना चाहिए।

(ख) लाभार्थी किसी अन्य केंद्र/राज्य योजना से ऐसे लाभ प्राप्त नहीं कर रहे होने चाहिए।

(ग) लाभार्थी के पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल द्वारा जारी ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र होना चाहिए।

भारत सरकार स्वीकृत व्यय का 100 प्रतिशत वित्तपोषित करेगी। कौशल विकास प्रशिक्षण पीएम–दक्ष योजना या एनएसडीसी द्वारा प्रदान किया जाएगा जिसके लिए मंत्रालय धन उपलब्ध कराएगा।

3) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य :

उद्देश्य :–

इस योजना का उद्देश्य भारत में रहने वाले सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है ताकि वे सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के साथ–साथ चिकित्सा सहायता सहित उचित उपचार के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार कर सकें। इस योजना में ऐसे सभी ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें अन्य केंद्रध्राज्य प्रायोजित योजनाओं से ऐसे लाभ नहीं मिल रहे हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लक्षित समूह और पात्रता मानदंड :–

(ए) लाभार्थी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ट्रांसजेंडर व्यक्ति होना चाहिए और उसके पास ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल द्वारा जारी ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र और पहचान पत्र होना चाहिए।

(बी) लाभार्थी केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से समान लाभ नहीं उठा रहा होना चाहिए।

दायरा :–

(ए) आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज में लिंग पुष्टि सर्जरी सहित आयुष्मान भारत प्लस के रूप में स्वास्थ्य बीमा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगा। प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को इस योजना के तहत प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा।

(बी) व्यापक पैकेज ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए संक्रमण संबंधी स्वास्थ्य सेवा के सभी पहलुओं को कवर करेगा। यह हार्मोन थेरेपी, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए भी कवरेज प्रदान करेगा, जिसमें ऑपरेशन के बाद की औपचारिकताएं शामिल हैं, जिन्हें सभी निजी और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में भुनाया जा सकता है।

(सी) वे ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिन्होंने पहले ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, वे स्वचालित रूप से बीमा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(डी) यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और अन्य समान कार्यक्रमों के समर्थन का पूरक होगी, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को चिकित्सा हस्तक्षेप और सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं या जहां भी ऐसे व्यक्ति ऐसी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे ट्रांसजेंडर पोर्टल द्वारा जारी ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र को लाभ प्राप्त करने के लिए वैध प्रमाण पत्र माना जाएगा।

(ई) आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध संस्थानों की सूची में से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी प्रदान करने के लिए अस्पतालों की पहचान की जाएगी, ऐसे अस्पताल और संस्थान मनोवैज्ञानिक देखभाल और सेक्स पुनर्निर्धारण सर्जरी करने के लिए समर्पित चिकित्सा प्रकोष्ठ खोलेंगे,

जिसमें ऑपरेशन के बाद की देखभाल भी शामिल है।

सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए प्रोटोकॉल :-

(ए) यूनिसेक्स या एकल शौचालय बनाएं या नामित करें। जिन रोगियों की उपस्थिति लिंग रूढ़ियों के अनुरूप नहीं हो सकती है, वे एकल–स्टॉल या यूनिसेक्स शौचालय में अधिक सहज और सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। कम से कम एक ऐसे शौचालय को डिजाइन करें या स्पष्ट रूप से पहचानें। ये एकल–स्टॉल या पारिवारिक शौचालय विपरीत लिंग के बच्चों की देखभाल करने वाले माता–पिता, विपरीत लिंग के देखभाल करने वालों के साथ विकलांग लोगों और उनका उपयोग करने के इच्छुक किसी भी अन्य रोगी की सेवा भी कर सकते हैं। नोटरू यद्यपि यूनिसेक्स शौचालय उपलब्ध कराना स्वीकृति का एक महत्वपूर्ण संकेत है, लेकिन मरीजों को ऐसे शौचालयों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो उनकी लिंग पहचान के अनुरूप हों और उन्हें यूनिसेक्स शौचालय का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

(बी) प्रत्येक अस्पताल को एक गैर–भेदभाव नीति पोस्ट करनी चाहिएय इस नीति में यह स्पष्ट होना चाहिए कि रोगी की यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान या अभिव्यक्ति की परवाह किए बिना समान देखभाल प्रदान की जाएगी। पंजीकरण, प्रतीक्षा या अन्य उच्च यातायात वाले क्षेत्रों में गैर–भेदभाव नीति पोस्ट करना ट्रांसजेंडर रोगियों के लिए समान देखभाल के लिए अस्पताल की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर सकता है।

(सी) 'हम यहां सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं..' यह एक सामान्य कथन है, फिर भी यह जरूरी नहीं है कि यह ट्रांसजेंडर रोगियों और परिवारों के लिए समावेशी उपचार और सेवाओं का संकेत दे। इसके बजाय, इसका अर्थ यह हो सकता है कि व्यक्तिगत अंतरों को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह इंगित करना महत्वपूर्ण है कि मरीज निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के इलाज की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन यह भी कि स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के दौरान, जब उचित हो, उनके यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान को ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) सभी फॉर्म में समावेशी, लिंग–तटस्थ भाषा होनी चाहिए जो आत्म–पहचान की अनुमति देती है। भर्ती, पंजीकरण और अन्य सभी रोगी फॉर्म में ऐसे विकल्प होने चाहिए जो ट्रांसजेंडर रोगियों और परिवारों को शामिल करते हों और ट्रांसजेंडर रोगियों को स्वयं की पहचान करने की अनुमति देनी चाहिए यदि वे ऐसा करना चुनते हैं। ट्रांसजेंडर रोगी और परिवार की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध सेवाओं, कार्यक्रमों और पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए अस्पताल की वेबसाइट का उपयोग करें।

(ई) लिंग डिस्फोरिया और ट्रांसजेंडर कल्याण के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा एक व्यापक दिशानिर्देशध्देखभाल का मानक तैयार किया जाएगा, जो हितधारकों (सर्जन, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक आदि जैसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, मरीज, अस्पताल) को पूरे भारत में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लिंग पुनरू पुष्टि सर्जरी करने के लिए मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से काम करेगा।

(एफ) लिंग पुष्टि सर्जरी के लिए उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों के लिए दिशा–निर्देशों को कानूनी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

कवर किए गए उपचार के प्रकार :-

इस योजना के तहत, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य और लिंग पुष्टि सर्जरी के लिए धनराशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) को ट्रस्ट मोड के रूप में जारी की जाएगी, बशर्ते कि उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। यह लाभार्थी के लिए कैशलेस उपचार होगा और अस्पताल उपचार की लागत के बिल एनएचए को प्रस्तुत करेंगे। इसी उद्देश्य के लिए एनएचए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

सहायता की सीमा भारत सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्वीकृत व्यय का 100 प्रतिशत प्रदान करेगी।

4 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 'गरिमा गृह' के रूप में आवास :-

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 'गरिमा गृह' की स्थापना और संचालन के लिए धन उपलब्ध कराना। गरिमा गृह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के क्षमता निर्माणध्कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा।

गरिमा गृह के उद्देश्य और लक्ष्य :-

गरिमा गृह का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय प्रदान करना है। इसके अलावा, यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के क्षमता निर्माण/कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा।

(क) आश्रय गृह में रहने और खाने–पीने, कपड़े, मनोरंजन, चिकित्सा और परामर्श की सुविधाओं को सुनिश्चित करना।

(ख) गरिमा गृह में बुनियादी ढांचे, जनशक्ति सेवाओं के मामले में एकरूपता बनाए रखना।

(ग) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें अत्याचारों से बचाना।

(घ) सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने योग्य एकसमान नियम और विनियम अपनाकर गरिमा गृह में सौहार्दपूर्ण वातावरण की व्यापकता की पुष्टि करना।

(ङ) कौशल विकास और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सशक्त बनाना।

पात्रता मानदंड :-

ट्रांसजेंडर व्यक्ति के निवासियों के लिए चयन मानदंड निम्नलिखित हैं :

(क) ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिनके पास ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल द्वारा जारी ट्रांसजेंडर व्यक्ति प्रमाण पत्र है और जो अधिमानतः गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं।

(ख) ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो परित्यक्त हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है।

(ग) ट्रांसजेंडर व्यक्ति यौन कार्य और भिक्षावृत्ति में संलग्न नहीं होने चाहिए।

(घ) ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो कलंकित और भेदभावपूर्ण हैं।

सेवाएँ :-

गरिमा गृह में निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए :

(क) भोजन : घर में तीन भोजन (नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना) और दो बार चाय/कॉफी

और नाश्ता उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(ख) मनोरंजन : छात्रावास में किताबें, पत्रिकाएँ और समाचार पत्र, (राष्ट्रीय दैनिक और स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्र) इनडोर खेल, रेडियो/ट्रांजिस्टर, टेलीविजन आदि जैसी मनोरंजन सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए।

(ग) निवासियों के बीच मेल–मिलाप और बातचीत के लिए गतिविधियाँ तैयार की जानी चाहिए। (स्थानीय क्षेत्रों के स्कूलों और कॉलेजों के स्वयंसेवकों से ऐसी गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए कहा जा सकता है।)

(घ) उत्पादक गतिविधियाँ : निवासियों को विभिन्न उत्पादक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए।

(ङ) शौक : कैदियों को उनके शौक जैसे पढ़ना, लिखना, इनडोर/आउटडोर खेल खेलना, गाना आदि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(घ) योग, ध्यान/प्रार्थना : कैदियों को नियमित रूप से सुबह और शाम ध्यान और प्रार्थना में शामिल होना चाहिए।

(ङ) शारीरिक तंदुरूस्ती : कैदियों को योग सहित शारीरिक व्यायाम में शामिल होना चाहिए। शाम को खेल खेले जाने चाहिए। कैदियों की आयु वर्ग के आधार पर गाने गाना और अन्य मनोरंजन गतिविधियाँ बनाई जा सकती हैं।

(च) पुस्तकालय सुविधाओं में पर्याप्त पुस्तकों और पत्रिकाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(छ) विशेषज्ञता : उनके ज्ञान और अनुभव का उपयोग सामाजिक विकास के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए, उन्हें स्थानीय कर्मचारियों, सरकारी सलाहकार समिति, विशेषज्ञ समिति आदि का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

देश में चल रहे 12 गरिमा गृह निम्न स्थानों पर है

क्र.सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	पिनकोड	गरिमा गृह का नाम
1	नई दिल्ली	उत्तम नगर	110045	मित्र ट्रस्ट
2	ओडिशा	भुवनेश्वर	751002	साखा
3	तमिलनाडु	चेन्नई	6000082	ट्रांसजेंडर अधिकार एसोसियेशन
4	बिहार	पटना	801105	वोस्वाना सफर
5	महाराष्ट्र	कल्याण	421306	किन्नर अस्मिता
6	छत्तीसगढ़	रायपुर	492010	मितवा संकल्प समिति
7	महाराष्ट्र	मुंबई	400104	ट्वीट फाउन्डेशन
8	महाराष्ट्र	रायगढ़	410206	आरजू फाउन्डेशन
9	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	700099	गोखले रोड बंधन
10	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	700105	कोलकत्ता रिस्ता
11	गुजरात	वडोदरा	390020	लक्ष्य ट्रस्ट
12	राजस्थान	जयपुर	302012	नई भोर संस्था

5. ई-सेवाएं (राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन और विज्ञापन) :-

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए संगठनों, एजेंसियों से ई–सेवाओं की उन्नति के लिए हस्तक्षेप को प्रोत्साहित किया जाएगा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल में नई सेवाओं को शामिल करना। जैसे :–

(ए) लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण।

(बी) स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आईटी प्रणाली के साथ अभिसरण।

(सी) कौशल विकास के लिए पीएम–दक्ष आईटी प्रणाली के साथ अभिसरण।

(डी) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए हेल्पलाइन, कॉल सेंटर की स्थापना।

(ई) गरिमा गृह की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली में सुधार।

(एफ) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र प्रदान करने की प्रभावकारिता में सुधार।

(जी) पोर्टल पर प्रदान की जाने वाली कोई अन्य आवश्यकता, अतिरिक्त सहायता या किसी अन्य ई–सेवा की आवश्यकता को इस घटक के तहत लिया जाएगा।

6. ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान :–

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 18 के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मजबूर करता है तो यह दंडनीय अपराध है :–

(क) बंधुआ / जबरन मजदूरी।

ख) किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से मना करना या ऐसे व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने या उस तक पहुँचने से रोकना, जहाँ अन्य सदस्यों की पहुँच है या उपयोग करने का अधिकार है।

ग) किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को घर, गाँव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना या मजबूर करनाय और।

घ) किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य या भलाई को नुकसान पहुँचाना या चोट पहुँचाना या खतरे में डालना, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, या शारीरिक शोषण, यौन शोषण, मौखिक और भावनात्मक शोषण और आर्थिक शोषण सहित कार्य करने की प्रवृत्ति, तो उसे कम से कम छह महीने की कैद और दो साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के अनुसार, शिकायतों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना है। नियम 11 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने का प्रावधान है, जिसमें प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट के प्रभार में ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ और पुलिस महानिदेशक के अधीन एक राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना शामिल है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों के मामलों की निगरानी करेगा और ऐसे अपराधों का समय पर पंजीकरण, जांच और अभियोजन सुनिश्चित करेगा।

कार्यान्वयन एजेंसियां :–

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE), गृह मंत्रालय (MHA) के साथ इस पहल को लागू करेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य मंत्री को विश्वास है कि गृह मंत्रालय के तत्वावधान में जिला और राज्य स्तर पर ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठों में स्थित

प्रशिक्षित कर्मियों से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आवश्यक सहायता मिलेगी।

संरचना :–

(क) राज्य स्तरीय सुरक्षा प्रकोष्ठ।

(ख) जिला स्तरीय सुरक्षा प्रकोष्ठ।

राज्य और जिला स्तर पर ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ के उद्देश्य :–

(क) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आत्म सम्मान, आत्म–सम्मान और गरिमा का पुनर्निर्माण करना।

(ख) तत्काल सेवाएं प्रदान करनारू संकट परामर्श, चिकित्सा, मनोरोग, शैक्षिक और व्यावसायिक सेवाओं के लिए रेफरलय पुलिस सहायताय संस्थानों में नियुक्तिय कानूनी सहायता।

(ग) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पुलिस और संगठनों के बीच संपर्क स्थापित करना।

(घ) समुदाय में उनके अधिकारों के बारे में गंभीर जागरूकता पैदा करना, पेशेवर समूहों और आम जनता के बीच ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

(ङ) आगे के काम के लिए महत्वपूर्ण समीक्षा, चिंतन के लिए विशेष प्रकोष्ठ के काम का दस्तावेजीकरण करना।

(च) विभिन्न परिस्थितियों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा और भेदभाव से निपटना। इसमें परिवार, हिजड़ा/किन्नर घराना प्रणाली, कार्यस्थल और सड़कों पर होने वाली हिंसा शामिल है। इस कार्य के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली और विभिन्न प्रकार के लोगों और व्यवसायों के साथ बातचीत की आवश्यकता होती है।

(छ) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा और भेदभाव पर केंद्रित कार्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार।

(ज) आपराधिक न्याय प्रणाली विशेष रूप से पुलिस प्रणाली के भीतर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्थान की सुविधा प्रदान करना।

(झ) हिंसा और भेदभाव से निपटने के लिए संरचनात्मक और व्यक्तिगत स्तर पर पुलिस के साथ काम करना – जिसमें प्रशिक्षण, अनुसंधान, विषय पर दस्तावेजीकरण शामिल है।

इस प्रकार, पुलिस प्रणाली के परिसर के भीतर ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल का भौतिक स्थान इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक सुविधाजनक स्थान के रूप में कार्य करता है।

7. अन्य कल्याणकारी उपाय :–

उपयुक्त सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने और सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं और कल्याणकारी उपायों तक उनकी पहुँच को सुगम बनाने के उद्देश्य से उनके लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन करेगी, ताकि विभागों, गैर सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों से ट्रांस–सुरक्षित शौचालय बनाने, क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों के लिए विभिन्न परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जा सके, मंत्रालय प्रस्तावों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद और जहाँ भी आवश्यक हो, ऐसी परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराएगा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 :–

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा

अनुमोदित किया गया, भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के साथ प्रीस्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। एनईपी 2020 ट्रांसजेंडर बच्चों की पहचान सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के रूप में करता है और ऐसे सभी छात्रों के लिए समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। इसमें ट्रांसजेंडर बच्चों को शिक्षा तक पहुँच प्राप्त करने में सहायता करने और समुदाय–आधारित हस्तक्षेपों के लिए समर्थन के प्रावधान शामिल हैं जो ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा तक पहुँच और भागीदारी में स्थानीय संदर्भ–विशिष्ट बाधाओं को संबोधित करते हैं, जिससे किसी भी लिंग या अन्य एसईडीजी के बच्चों के लिए शिक्षा (व्यावसायिक शिक्षा सहित) तक पहुँच में किसी भी शेष असमानता को खत्म करने का लक्ष्य है।

नई नीति के तहत एक 'जेंडर–समावेश निधि' का गठन किया जाएगा, ताकि सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की राष्ट्र की क्षमता का निर्माण किया जा सके। यह निधि राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए उपलब्ध होगी, जो महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों को शिक्षा तक पहुँच प्राप्त करने में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण हैं (जैसे स्वच्छता और शौचालय, साइकिल, सशर्त नकद हस्तांतरण आदि का प्रावधान), यह निधि राज्यों को प्रभावी समुदाय–आधारित हस्तक्षेपों का समर्थन करने और उन्हें बढ़ाने में भी सक्षम बनाएगी, जो महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा तक पहुँच और भागीदारी में स्थानीय संदर्भ–विशिष्ट बाधाओं को संबोधित करते हैं।

ट्रांस-एक्सक्लूजनरी बजट :-

केंद्र सरकार ने 2023 के बजट वक्तव्य में 2.23 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत SMILE (आजीविका एवं उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता) कार्यक्रम के लिए 6 करोड़ रुपये (जेंडर बजट का 0.002 प्रतिशत) की परिचालन राशि आवंटित की गई है। इससे पहले वर्ष 2020–21 के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए बजट 5.00 करोड़ रुपये था।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए हेल्पलाइन :-

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पेशेवर मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोवैज्ञानिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर यानी 8882133897 है। एक तकनीकी हेल्पलाइन नंबर भी है। 91–7923268299 और ट्रांसजेंडर के लिए डिजिटल रूप से प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए आवेदन करने में सहायता के लिए हेल्पडेस्क की ईमेल आईडी (tghelp@mail.inflibnet.ac.in)

कानूनी मान्यता, नीति समर्थन और एसईडीजी के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान के साथ, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समावेश और स्वीकृति के आंदोलन को भारत में मजबूत समर्थन मिला है। इसके अलावा, सभी सूक्ष्म और स्थूल स्तरों पर प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वे अपने घरों, कार्यस्थलों और अन्य संस्थानों में अपने आसपास एक 'लिंग समावेशी' वातावरण बनाएं। अधिक जागरूकता, सहानुभूति और स्वागत करने वाले रवैये के साथ हम इंद्रधनुषी रंगों वाले देश का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जहाँ हम इस समुदाय के सभी सदस्यों की भागीदारी, अभिव्यक्ति और कल्याण का सम्मान, समर्थन और जश्न मनाएँ। शिक्षा एक पवित्र चीज है जो

ट्रांसजेंडर के पास होनी चाहिए और यह उनके जीवन में अप्राप्य सफलता प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। उचित शिक्षा ट्रांसजेंडर को चुनौतियों का सामना करने और बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार करेगी जो उनकी जीत को वापस पाने में बाधा डालती हैं। इस समूह के लिए सक्षम वातावरण बनाने के लिए प्रावधान और आवश्यक व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। ट्रांसजेंडर समुदाय को भी खुद को शिक्षित और सशक्त बनाना चाहिए और सरकार तथा अन्य सामाजिक कल्याण एजेंसियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कानूनी प्रावधानों, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और सेवाओं तक पहुँच बनानी चाहिए। उन्हें खुद को समाज में शामिल महसूस करना चाहिए और समाज को यह सोचने और याद दिलाने के लिए मजबूर करना चाहिए कि वे भी देश के योगदानकर्ता और जिम्मेदार नागरिक हैं।

References :-

1. शर्मा, रामेश्वर प्रसाद. (2015). पौराणिक कोश. वाराणसी : चौखंबा संस्कृत प्रकाशन।
2. त्रिपाठी, मोहनलाल. (2017). हिन्दी राष्ट्रभाषा कोश. दिल्ली : साहित्य भवन।
3. मिश्रा, कैलाशनाथ. (2016). वृहत् हिन्दी कोश. लखनऊ : काशी नागरी प्रचारिणी सभा।
4. अग्रवाल, सतीश चंद्र. (2019). संस्कृत हिन्दी शब्दकोश. दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास।
5. चौहान, पी. (2018). मुगलकालीन समाज और हिजड़ा समुदाय : इतिहास और योगदान. कोलकाता : नेशनल बुक ट्रस्ट।
6. वर्मा, एस. (2016). भारतीय इतिहास में किन्नरों की स्थिति और उनकी प्रशासनिक भूमिका. लखनऊ : भारत पुस्तक मंदिर।
7. मिश्रा, के. (2021). भारतीय समाज में किन्नरों की ऐतिहासिक भूमिका : मुगलकाल से वर्तमान तक. मुंबई : ज्ञान गंगा पब्लिकेशन।
8. भारत सरकार। (2019)। ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) अधिनियम, 2019। नई दिल्ली : भारत सरकार।
9. सर्वोच्च न्यायालय। (2014)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (नालसा बनाम भारत सरकार), एआईआर 2014 एससी 1863। नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय।
10. https://transgender.dosje.gov.in/
11. https://transgender.dosje.gov.in/Applicant/Registration/DisplayForm5
12. https://www.wbnsou.ac.in/openjournals/Issue/2ndIssue/July2023/4_Monojit_Garai.pdf
13. .https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/ANNUAL_REPORT_2021_ENG.pdf
14. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1806166
15. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1593871
16. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1784245
17. http://164.100.47.194/Loksabha/Questions/QResult15.aspx?qref=31984&lsno=17.
18. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1648221
19. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1776156

20. https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/jun/doc202263068801.pdf
21. Kira Hall. 1995. Hijra/hijrin: Language and Gender Identity?, PhD Thesis, Berkeley, CA.
22. Jennifer Ung Loh. 2014. Narrating Identity: The Employment of Mythological and literary narratives in Identity Formation among the Hijras of India, available at www.researchgate.net
23. S. N. Ranade. 1983. A Study of Eunuchs in Delhi. Unpublished Manuscript, Government of India, Delhi.
24. Serena Nanda. 1999. Neither Man nor Woman: The Hijras of India, U.S.A: Wardsworth
25. Gayatri Reddy. 2006. With Respect to Sex- Negotiating Hijra Identity in South India. New Delhi: Yoda Press.
26. Hinduism today. April 2014. India Court Recognizes Transgender People As Third Gender. Hindu press International. (http://www.hinduismtoday.com/blogs-news/hindu-pressinternational/india-court-recognizes-transgender-people-as-third-gender/13573.html)

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 41-47

थर्ड जेंडर की भाषा में व्याप्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण : प्रतीक विज्ञान के संदर्भ में

डॉ. राजकुमार
पी डी एफ अध्येता (ICSSR)
अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण, इग्नू, मैदानगढ़ी, दिल्ली।

अनुवाद एक ऐसी साहित्यिक गतविधि हैं जिसने हिंदी, रोमन एवं अन्य कई भाषाओं के साहित्य के अंतर्गत एक ओर नवीन साहित्य का प्रदर्शन कर रहा हैं तो साथ ही अनुवाद में व्याप्त कई भाषा विज्ञान से समरूपी कई ऐसे आयाम हैं जिन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में कई क्रांतिपरक विषयों पर शोधार्थियों एवं अन्य द्वारा नवीन कार्य किया जा रहा हैं। अनुवाद संबंधी आयामों में व्याप्त प्रतिक विज्ञान एक ऐसा ही आयाम हैं। प्रतीक विज्ञान में प्रतीकों का वैज्ञानिक अध्यन किया जाता है। चूँकि, प्रतीक कभी अकेले या बिना परिवेश के प्रतीक नहीं रह पाता। अतः प्रतीक के वैज्ञानिक अध्ययन के स्थान पर प्रतीकों की व्यवस्था के वैज्ञानिक अध्ययन को प्रतीक–विज्ञान कहना अधिक उचित लगता है। उदाहरण के लिए श्री राम रामायण के व्यवस्था के अधीन ही आदर्श पुरूषोत्तम रूप के प्रतीक हैं, उसके बाहर नहीं। व्यावहारिक धरातल पर मित्रों के नाम राम हो सकते हैं लेकिन उसका नाम लेने से आदर्श पुरूषोत्तम अर्थ का भान ना हो कर व्यक्ति मात्र का भान होता है। यही स्थिति रामायण के अन्य पात्र – सीता, रावण, कुंभकर्ण, हनुमान आदि के बारे में है, यह सभी रामायण के संदर्भ में ही प्रतीक हैं, उसके बाहर नहीं। अतः स्पष्ट होता है कि प्रत्येक प्रतीक इस व्यवस्था का हिस्सा या अंग मात्र होता है। प्रतीक का वैज्ञानिक अध्यन तभी संभव हो पाता है जब उसे उस व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए जिसके अधीन उसका प्रयोग हुआ है।

प्रतीक विज्ञान की परिधि बहुत विस्तृत है, जहां–जहां प्रतीक की उपस्थिति है वहां–वहां प्रतीक विज्ञान का क्षेत्र परिव्याप्त है। भाषा विज्ञान हो या साहित्य, गणित हो या भौतिकी मनोविज्ञान हो या दर्शन सर्वत्र प्रतीक की उपस्थिति है। अतः इस दृष्टि से प्रतीक विज्ञान की सीमा में संसार का सब कुछ समा जाता है। भाषा के संदर्भ में यह सर्वमान्य है की भाषा वाचक प्रतीकों की एक व्यवस्था है जो की सहित्य की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है। इसलिए भाषिक प्रतीक भी साहित्य के अंतर्गत प्रतीक व्यवस्था का विषय बन गए भाषा में प्रतीक वस्तु का ना होकर उसकी मानसिक संकल्पना का होता है। भाषा की परिभाषा देते हुए, डॉ. भोलानाथ तिवारी ने ठीक ही कहा है कि "भाषा उच्चारण अव्यवों से उच्चरित द्रिक्षिक ध्वनि की फस्ट संरचनात्मका व्यवस्था है जिसके द्वारा

समाज विशेष के लोगों में विचारों का आदान–प्रदान करते हैं।" वही दूसरी और भाषा विज्ञान में भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था का अध्यन किया जाता है। कुछ विद्वान प्रतीक विज्ञान को भाषा विज्ञान का अंग मानते हैं तो कुछ इसके विपरीत इसे एक शोध परक भाषाई प्रकार के रूप में।

अनुवाद के संदर्भ में देखा जाए तो मूल भाषा के पाठ का प्रतीकांतरण ही अनुवाद हैं। मूल या स्रोत भाषा का पाठ अपनी प्रकृति में प्रतीकबद्ध होता है, प्रतीकबद्ध होने के कारण ही उसमें कथ्य और अभिव्यक्ति का अंतरण समन्वय होता है। इस तरह मूल भाषा या स्रोत भाषा इस प्रतीकबद्ध पाठ के कथ्य या संदेश का लक्ष्य भाषा में अंतरण ही अनुवाद है।

परिभाषाएं.....

प्रतीक विज्ञान की परिभाषा भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न ढंग से दी है जो की निम्नलिखित है :

- जॉन लोके (JHON LOCKE) ने "प्रतीक विज्ञान को चिन्हों का सिद्धांत माना है।"
- पियर्स ने इसे "चिन्हों अथवा संकेतों के औपचारिक या आवश्यक शास्त्र के रूप में स्वीकारा है।"
- रोलन वर्डस ने इसे "भाषा विज्ञान की शाखा अर्धविज्ञान के रूप में माना है लेकिन उनका यह भी मानना है कि इसका क्षेत्र अर्थ विज्ञान से कुछ बड़ा है क्योकि अर्थ विज्ञान में सामान्यता भाषिक इकाई के सामान्य अर्थ की बात की जाती है जबकि प्रतीक विज्ञान की इकाई प्रतीक अर्थ की दृष्टि से एक बड़ी इकाई है क्योकि इसके द्वारा सामान्य अर्थ के साथ–साथ प्रतीकार्थ रूप विशिष्ट अर्थ भी द्योतित होता है।"

प्रतीक के संबंध में एक बात स्पष्ट है कि यह भी संप्रेषण के तमाम साधनों में से एक साधन है। यदि ध्यान से देखा जाए तो संप्रेषण व्यवस्था की प्रत्येक इकाई किसी न किसी रूप में प्रतीक की होती है, क्योकि संरचना की कोई भी इकाई स्वयं में अर्थ को समेटे हुए नहीं रहती। अर्थात अर्थ या संप्रेष्य उस संप्रेषक या संरचक में नहीं रहता बल्कि संप्रेषक या संरचक के माध्यम से उससे पृथक रहने वाले अर्थ का संकेतन होता है। प्रतीक का प्रयोग ऐसे ही अन्यास नही किया जाता। प्रतीक के प्रयोग में रचनाकार्यों का एक उद्देश्य निरंतर रहता है। भावों की सघनता या वह विचार होता है जिसकी सबल अभिव्यक्ति सामान्य भाषा की माध्यम से नहीं हो पाती अनअभिव्यक्त को अभिव्यक्ति देने के लिए रचनाकार को कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए। ऐसी स्थिति में जब सारे माध्यम फीके पड़ जाते हैं तब रचनाकार प्रतीक सिद्धांत एंव प्रतीक के मूल त्तवों को अपने साहित्य में अभिव्यक्ति का एक प्रखर माध्यम बनाता है।

प्रतीक की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसके साथ जुड़े विभिन्न बिंदुओं, यथा–चिन्ह, संकेतक, अभिसूचक, पूर्व–सूचक, सूचक–लक्ष्ण आदि को समझना तथा इनके बीच में सूक्ष्म सीमा–रेखा निर्धारित करना नितांत आवश्यक है। इसके अलावा प्रतीक को सूचक, चिन्ह, अभिसूचक कई तरीके के नामों से भी संबोधित किया जाता हैं। अनुवाद के अंतर्गत भाषाई व्यवहार का प्रतीक सिद्धांत एक वैज्ञानिक कारक है, जिसके द्वारा अनुवाद के क्षेत्र में अनुवाद से परे कई तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक यौनिक एवं नवीन शोध संबंधी विषयों पर बड़े ही रोचक ढंग से कार्य किये जा रहे हैं।

आज वर्तमान समय में किन्नर समुदाय को समाज के कई समुदायों में सम्मान और कार्य करने का अधिकार

सवैधानिक रूप से प्राप्त हो चुका है, परन्तु उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में कोई परिवर्तन सकारात्मक रूप से अधिकाधिक देखने को नहीं मिला है, फिर भी शैक्षणिक स्तर पर शोध विषय के रूप में आज वर्तमान समय में कई तरीकों से किन्नर समुदाय की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भाषायी परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए कई कार्य किये जा रहे हैं। इन सभी कार्यों का वर्तमान समय में किन्नरों पर एवं उनके जीवनयापन, उनकी संस्कृति और सामाजिक परम्पराओं एवं साथ ही साथ भाषाई व्यवहार में भी सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। प्रतीक सिद्धांतों के द्वारा अनुवाद की शाखा में किन्नरों के भाषा को महत्ता देते हुए उनकों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, जो कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयास है।

भारतीय समाज का एक ऐसा वर्ग जो कि साधारण मनुष्य की भातिं ही इस समाज का अंग है, परन्तु इस समाज से भिन्न उसकी एक अलग पहचान है, जिसे समाज का अन्य व्यक्ति उपहास का पात्र मानता है, वो है हिजड़ा समुदाय। आज भारतीय समाज में हिजड़ों की स्थिति से हम सभी लोग परिचित हैं। हिजड़ा शब्द आज समाज में एक गाली की भांति है। सामान्य रूप से हिजड़ा शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो दिखते पुरुष जैसे है लेकिन उनको पहनावा, उनके हाव भाव सभी स्त्री की भांति दिखाई पड़ते हैं। वही जब बात की जाती है विज्ञान की तो साधारण शब्दों में विज्ञान की कार्यधार्मिता साक्ष्यों एवं ऐतिहासिक एवं वर्तमान दोनों परिवेश की स्थूल से सूक्ष्म स्थिति तक का संज्ञान कर तथ्यों का अंकन करना होता है। विज्ञान की शाखा अपने आप में यथार्थ एवं सकारात्मक का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करने में सक्षम है। आज विज्ञान की उपलब्धि ही आधुनिकता का परिचय देती है। उसी वैज्ञानिक सोच ने समाज के अधीन एवं समाज में व्याप्त ऐसा वर्ग जो केवल भारत भू–खंड में ही नहीं अपितु सर्वत्र संसार में भी किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है।

वर्तमान समय के आधुनिक भारत की नवीन छटा के रूप में किन्नर समुदायों को एक नयी पहचान मिल रही हैं, अपने अस्तित्व जी लड़ाई को लड़ने के लिए नयी प्रेरणा मिल रही है। इस आधुनिक समय की वर्तमान स्थिति में अमुक–अमुक समाज के लोग उनकी मदद के लिए सडकों पर उतर रहे है। आज समाज का बहुत बड़ा वर्ग इनके हक की लड़ाई के लिए इन्हें प्रेरित कर रहा हैं, क्योंकि कही न कही आज व्यक्ति का मानसिक विकास एवं सवैधानिक रूप से अधिकारों के चयन ने साधारणजन के व्यक्तिवाद को झकझोर कर रख दिया है एवं साथ ही तृतीय लिंग के पहचान के दौर में विकास प्रदान किया है। आज वर्तमान समय में हर तथ्य एवं विषयों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का प्रभाव देखने को मिलता है। इस वैज्ञानिक दृष्टि की मौलिकता का प्रभाव इस समाज में व्याप्त संस्कृति समाज एवं भाषाई विषयो की गंभीरता को देखते हुए पड़ा है। आज किन्नर समाज हाशिये का समाज बनकर ही नहीं रह गया है। आज वर्तमान समय में वह अपने अस्तित्व की लड़ाई अपने विचारों की स्वतंत्रता सभी को देखते हुए आगे बढ़ रहा है। आज किन्नर समाज ने अपनी कमर कस ली है, ताकि वह परम्परों की जीवन आंधी में विज्ञान और आधुनिकता का मेल प्रस्तुत कर सके एवं इस सहभागिता के मेल–जोल में उनका साथ दे रहा है, आज का बुद्धिजीवी वर्ग जिसमे समाज का हर वर्ग चाहे बुजुर्ग, व्यस्क, युवा स्त्री–पुरुष सभी अपने–अपने सकारात्मक भावों से इस समाज के हर वर्ग को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आज समाज का एक ऐसा वर्ग जिसकी कोई अस्मिता का बखान नहीं दिया जाता था, जिसकी

संस्कृति की कोई पहचान नहीं थी। जो व्यक्ति विकास के सम्मुख होने के बाद भी अकेला कही घूम रहा था, जहाँ उन्हें न तो अपनी महत्ता का ज्ञान था एवं न ही अपनी संस्कृति एवं परम्पराओं की शक्ति का।

आज आधुनिक समय की वैज्ञानिक मांगों में जहा कई तरह के व्यक्ति शोध संबंधी कार्यों का बड़े रूप से उल्लेख व्यक्ति विकास के लिए कर रहा है। वही आज अस्तिववाद की लड़ाई में किन्नरों ने अपनी आकांक्षाओं को नए पंख दिए है। किन्नर समुदाय के संबंधी पुराणों की कई गतिविधियां देखने में आती है, जिसमे रामायण, महाभारत, गन्धर्व–पुराण इत्यादि जैसे महिषी महाकाव्यों ने साक्ष्य के रूप में उनकी मदद की। इतिहास भी पीछे न रहा उसमे व्याप मुगलों एवं भारतीय शासन काल में किन्नरों, समलिंगियों इत्यादि का अस्तित्व भी देखने को मिलता है। वही जब वर्तमान समय के आधुनिक परिप्रेक्ष्य को देखे तो आज किन्नर समाज के कई महिषियों की गाथा देखने में आती है। जिसमे किन्नर समाज के अंतर्गत अपनी पहचान बनाने के साथ–साथ उन्होंने साधारण जन से स्पर्था करके समाज में अपना नया मुकाम हासिल किया है। पहली किन्नर जो कोलकाता में विश्वविद्यालय की प्रथम किन्नर प्राचार्या बनी डॉ मानबी बंदोपाध्याय जी, जिन्होंने समाज के इस अतरंगे व्यवहार से बिना डरे अपने मुकाम को हासिल किया। दूसरी शबनम मौसी जिन्होंने विधायक बनकर भोपाल में किन्नर समाज के नाम को गौरवान्वित किया। सिमरन शैख जो अपनी शिक्षा को एवं परम्परों को महत्व देते हुए आज नैको जैसे संस्थान की बड़े पद पर समाजसेविका का कार्य कर रही हैं। साथ किन्नर समुदाय के कार्यों को एवं अन्य किन्नर बंधुओं को शिक्षा एवं परम्पराओं को महत्व देते हुए आगे बढ़ने का मार्गदर्शन कर रही है। प्रितिका यशिनी (इंस्पेक्टर), बबली (नैको के अंतर्गत काउन्स्लेर), जोयिता मोंडल (न्यायाधीश) इत्यादि सभी किन्नर समुदाय के लोग सामाजिक स्तर की हर परिस्थितिओं से लड़ते एवं जूझते हुए आज समाज में अपना मुकाम बनाने में सक्षम है। किन्नर समुदाय में एक मुख्य नायिका एवं मुख्य नेता का किरदार बड़े ही सुंदर रूप से निभा रही है। साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना मुकाम बनाने में सक्षम रही। लड़के से लड़की के नैन–नक्श का दौर पार करते हुए, नृत्य एवं शिक्षा का परिहार करते हुए, नाटकों एवं फिल्मों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए, साहित्य के क्षेत्र में दिलेरी दिखाते हुए मि. हिजड़ा, मि. लक्ष्मी जैसी किन्नर समाज एवं किन्नर संबंधी पुस्तकों का सृजन कर साहित्य को गौरवान्वित करते हुए, साथ ही सम्माज में समाज सेविका, किन्नर सेविका, नेको में अपनी एहम भूमिका निभाते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज को यौनिकता के संबंधी बुलंद करते हुए एवं वर्तमान समय में धर्म के ठेकेदारों के साथ–साथ कंधे से कन्धा मिलाते हुए चल रही किन्नर अखाड़ा की आचार्य डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी जिनका सम्पूर्ण जीवन अपने किन्नर रूपी अस्तित्व के सही मायने खोजने के पक्ष में सकारात्मक रूप से देखने को मिलता है।

वर्तमान समय में समाज के इतने बड़े गौरवान्वित करने वाली संस्कृति के रक्षक किन्नर समाज जो कभी पहले हाशिये के मापदंडों को नापते नजर आते थे। आज वह अपना मुकाम बनाने की राह में कार्य कर रहे है। इस कार्य में वह अपनी परम्पराओं एवं संस्कृति को भी साथ लेकर चल रहे है। इस प्रविधि की राह में एक और जहाँ किन्नर समुदाय के ठेकेदार अपने महत्व को प्रस्तुत कर रहे है वही दूसरी और इन सभी में योगदान के रूप में कही न कही आज की बुद्धिजीवी युवा पीढी का भी है, जो बड़े ही सूक्ष्म तरीके से एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण

से किन्नर समाज के अस्तित्व उनकी परम्परों एवं सामाजिक रुझानों पर अपनी नजर कस रहा है। किन्नर समुदाय शिक्षण एवं शोध का विषय बन गया है। कही इसका अस्तित्व सामाजिक रूपों में देखा जा रहा है तो कही परम्पराओं में। कही इसको शिक्षण तो कही राजनीति। कही भाषा तो कही योनिकता आधारित विषयों की महत्ता निरंतर बढ़ती जा रही है। किन्नर समाज के व्यापक प्रभावों को देखते हुए आज व्यक्ति में मानवता एवं अधिकारों को जो सुचारुपन समाज में समान रूप से देखने को मिल रहा है वह कही न कही इसकी महत्ता को समझ कर आगे बढ़ रहा है। सामाजिक एवं संस्कृति के साथ–साथ आज किन्नर समुदाय के द्वारा प्रयोग किये जाने वाली प्रादेशिक प्रधान अपितु लाक्षणिक एवं मिश्रित आधारित भाषा का रूप देखने को मिलता है, आज यह भी एक मुख्य शोध–विषय के रूप में इस समाज के गौरव की प्रधानता का गुणगान करने का भी कारण है। भाषा विज्ञानं एवं साहित्य के क्षेत्र में इसकी महत्ता एवं इसकी वैज्ञानिक अभिरुचि का प्रभाव समाज एवं सहित्य के विकास में अपना योगदान देने में सक्षम है।

किन्नर समाज की भाषा जो कि मुख्यत प्रदेश–जनित भाषा है। इसके अंतर्गत लिंग, शब्द, कारक, वाक्य–विन्यास सभी का समान रूप से अन्य भाषा की व्याकरण पद्धति की भांति देखने को नहीं मिलते हैं, परन्तु जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करते है तो हमे भाषायी व्यवहार का एक नया ज्ञान सारगर्भित रूप में प्राप्त होता है। किन्नर समुदाय की अस्तित्व की लड़ाई में समाज एवं परम्परों की और समाज इतना उन्मुख था की स्वय किन्नर समाज के बुद्धिजीवी उसकी भाषा एवं उसके व्यवहार तथा प्रयोग को देखते हुए अन्य भाषाओं में व्याप्त अंतर को नहीं समझ पाए। आज साधारण जन के सम्मुख किन्नर प्रादेशिक भाषा का ही प्रयोग करता है, परन्तु उनकी भाषायी बोध का एक और पहलु है जो की कही न कही भाषाई प्रयोजन का अन्य मूल्य प्रस्तुत करना भूल जाता है। प्रादेशिक रूप से हट कर किन्नर समुदाय द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रयोजन मूलक भाषा कही न कही किन्नर समुदाय के भाषाई संज्ञान का नवीन विस्तार को करने में सक्षम है। इस संज्ञान का विस्तार किन्नर समाज को एक नए पहलु एवं नए साहित्यिक बोध से समाज को परिचय कराने में सक्षम है।

आज इसी विस्तार एवं ज्ञान का कारण हैं कि किन्नर समाज की भाषा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखने की आश्यकता महसूस हो रही है। इसलिए इस भाषाई ज्ञान को नवीन रूप से परखने की आवश्यकता महसूस हो रही है। जब बात की जाती है, भाषा संज्ञान की वहाँ मुख्य रूप से एक बात समाने आती है, वह हैं भाषा में व्याप्त व्याकरण बोध की। व्याकरण बोध का संज्ञान ही वाक्य विन्यास, शब्द व्यवहार इत्यादि का सही एवं सार्थक प्रकार प्रस्तुत करता है। इसी कारण किन्नर समुदाय की मिश्रित भाषा पूर्ण रूप से व्याकरणिक दृष्टि से साकार व्यवहार प्रदान कराती नजर नहीं आती है, इस कारण भाषाई मापदंडो में व्याप्त प्रतीकात्मक एवं अंतर–प्रतीकात्मक आयाम ही एक सही एवं सार्थक भाषायी संज्ञान का बोध करने में सक्षम है।

किन्नरों की भाषा में व्याप्त मौखिक एवं उनके परम्परागत लोक प्रभावी शब्द हैं जिनमे से कई का प्रयोग वो आपसी बातचीत में करते हैं। इन शब्दों की अपनी गरिमा एवं महत्ता हैं साथ ही अनुवाद के द्वारा इसका अनुदित प्रभावशाली वाक्य विन्यास एवं अर्थ भी हैं। किन्नरों की भाषा में जहां रिश्ते नाते शब्दावली का संज्ञान देखने को मिलता हैं, उसके अन्य वाणिज्य, राजनीति, सांस्कृतिक परक, इत्यादि कई तरह के विषयों से भरपूर

शब्दों का संचयन देखने को मिलता हैं। किन्नरों की भाषा में यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण LGBTQAI+ जैसे सतरंगी परिवार का समायोजन देखने को मिलता हैं। अनुवाद के प्रतीकात्मक सिद्धांत के मद्देनजर किन्नरों द्वारा प्रयोग किये जाने वाली भाषा को शब्दकोष में प्रवृत करना चाहिए साथ जनसाधारण को उनकी परम्पराओं के प्रति सम्मान जनक भाव रखना आवश्यक हैं।

किन्नरों की भाषा में जहा शब्द विन्यास में टेब्बो वर्ड देखने को मिलते हैं, जिसमे प्रांतीय भाषा में फारसी भाषा का प्रयोग कर बनने वाले वाक्य नवीन कलात्मक व्यवहार को प्रस्तुत करता हैं। किन्नरो द्वारा प्रयोग की जाने वाली बोलचाल की भषा जैसे उदाहरण के रूप में :–

ला रे गिरिये सुकडी ला (अरे ओ लडके ला बीडी ला) ऐसे कई वाक्य विन्यास एवं शब्द समाहित हिं इन पर कार्य करना एवं भाषा विज्ञान एवं अनुवाद के सतत्त एवं सार्थक प्रयास से कार्य करने से अवश्य ही किन्नरों की भाषा संबंधी कई उपविषय भविष्य में सार्थक रूप से जनसमाज एवं किन्नर साहित्य में नवीन साहित्यों के जन्म हेतु आवशयक हैं। इस प्रकार के विषय भाषा विज्ञान एवं अनुवाद अध्ययन दोनों के आयामों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जिनका सीधे संबंध वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं शोध–परक अभिलक्षण का प्रारूप है। किन्नरों के द्वारा प्रस्तुत हाव–भाव एवं बोलचाल की आंगिक एवं वाचिक अभिव्यक्तियों का बोधन भी कराया गया है। इन अभिव्यक्तियों के अंतर्गत उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली तालिओं की अलग–अलग सूची उनकी महत्ता एवं उनके प्रयोग को प्रतीक रूपों के साथ व्याख्यित कर निर्वचन एवं प्रतीक का एक बहुत ही प्रभावशाली प्रयास किया है। शब्दों का सीमित प्रयोग परन्तु संप्रेषण के अन्य कई माध्यम इन समुदाय की भाषा में देखने को मिलता है। आज वर्तमान समय के प्रायोगिक समय में व्याप्त उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कही न कही भाषाई उत्थान का रूपक मानते हुए पारसी भाषायी रूप में फारसी रूपी व्यक्त इस भाषा सहचरण का महत्व जिसको विकास पथ की महत्ता देने साथ ही उसका विकास करना भी ह्मारे भाषाविद्धों के दृष्टिकोणों का आधार होना चाहिए। अन्य भाषा व्यवहारों के साथ साथ इस भाषाई संज्ञान पर भी अपनी दृष्टि डालनी साथ ही इसकी महत्ता को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाना आज हम जनमानस की आवश्यकता है।

भाषाई संज्ञान में व्याप्त सकारात्मक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण भाषा को कही न कही महत्व अवश्य प्रदान करेगी। किन्नर समुदाय का यही प्रायोगिक क्षेत्र जो कही न कही आज वर्तमान समय की दृष्टि से दूर था। आज उसकी महत्ता को जानकर उसमे व्याप्त वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को समझाने में आज प्रेरणादायक एव महत्वपूर्ण है। भाषाई संज्ञान का ऐसा प्रभाव आज जो भूमंडलीकरण के दौर में वैज्ञानिक दृष्टि के साथ हर तथ्य का निरीक्षण कर रहा है, वही निरीक्षण किन्नर समुदाय की इस प्रादेशिक भाषा का बोध सकारात्मक रूप से साधारण जन के सामने प्रस्तुत करने में सक्षम है। अतएव वैज्ञानिकीकरण के रूप में किन्नर समुदाय की भाषा का प्रभाव स्वयं में साहित्यिक एवं भाषायी उपलब्धि है। आज भारतीय समाज की हर मीमांसाओं से परे यह कार्य जिसमे भाषा व्यवहार के नवीन प्रतीक अभिलक्षणों के द्वारा इस भाषाई सह्चरण को महत्व देना वैज्ञानिकीकरण एवं आधुनिक भाषायी विन्यास की एक प्रभावशाली उपलब्धि है। यह उपलब्धि सहित्य, समाज, भाषा, अनुवाद, एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य है।

संदर्भ ग्रन्थ :-

1. तिवारी भोलानाथ (सत्व संस्करण 1989), अनुवाद विज्ञान, दिल्ली : शब्दकार प्रकाशन।
2. सोनटक्के माधव (द्वितीय संस्करण 2004), प्रयोजनमूलक हिंदी, इलाहाबाद : लोकभारती प्रकशन।
3. अय्यर एन.ई. विश्वनाथन (1987), अनुवाद कला, दिल्ली : प्रभात प्रकाशन।
4. मोहन, हरि (तृतीय संस्करण 2014), अनुवाद विज्ञान एवं संप्रेषण, दिल्ली : तक्षशिला प्रकाशन।
5. सिंह, रामआधार (1990), कोश विज्ञान सिद्धांत, दिल्ली : नेशनल पब्लिक हाउस।
6. सिंह, रामगोपाल (1999), अनुवाद विज्ञान : स्वरूप और समस्याएँ, अहमदाबाद : पार्श्व पब्लिकेशन।
7. गुप्ता, रमाकांत (2015), अनुवाद के विविध आयाम, मुंबई : रिजर्व बैंक प्रकाशन।
8. शर्मा, राजमणि (2004), अनुवाद विज्ञान, पंचकुला : हरियाणा साहित्य अकादमी।
9. दास, मंजुला (1988), अनुवाद : सिद्धांत और व्यवहार, दिल्ली : प्रयाग प्रकाशन।
10. त्रिपाठी लक्ष्मी नारायण मी हिजड़ा मी लक्ष्मी 2016 वाणी प्रकाशन।
11. पाण्डेय एस. के. मध्यकालीन भारत।
12. यमदीप : एक और किन्नर विमर्श, मंजीत ठाकुर 2017
13. बोहल शोध मंजूषा (2019), किन्नर विशेषांक, डॉ. नरेश सिहाग, एडवोकेट।

Email : rkindia507@gmail.com

M. 9999703815

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 48–52

अभिमन्यु अनत के उपन्यासों में स्त्री–चेतना

अभय कुमार पुरी, शोधार्थी, हिंदी विभाग,
प्रो. (डॉ.) छाया सिन्हा, शोध निर्देशक
संकायाध्यक्ष (मानविकी), पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना, बिहार।

शोध–सार :– अभिमन्यु अनत ने अपने उपन्यासों में मॉरीशसीय समाज तथा उस समाज में रह रही स्त्रियों के विविध रूपों का चित्रण किया है। भारत हो या मॉरीशस प्राचीन समय से ही स्त्रियां पितृसत्तात्मक समाज में शोषित, उपेक्षित, लाचार एवं पुरुषों पर निर्भरशील घरों की चहारदीवारी में कैद थी। परंतु वर्तमान आधुनिक समाज में शिक्षा के प्रचार–प्रसार तथा पाश्चात्य जगत के साथ विचारों के आदान–प्रदान के पश्चात इनमें एक नवीन चेतना का प्रवाह हुआ। यह चेतना है अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने की, स्वावलंबी, स्वतंत्र होने की एवं शोषण, अत्याचार का डटकर विरोध करने की। यही चेतना स्त्री से सम्बद्ध होकर स्त्री–चेतना कहलाई। इनके उपन्यासों में चित्रित नारी अबला नहीं है बल्कि वह अपनी अस्मिता, अधिकारों तथा अपनी सत्ता के प्रति सजग है तथा अपने साथ होने वाले अन्याय एवं अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम है। वह पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की पक्षधर है। प्रस्तुत शोध–आलेख में अभिमन्यु अनत के उपन्यासों में अभिव्यक्त स्त्री–चेतना के विविध रूपों को दर्शाया गया है।

बीज शब्द :– स्त्री, चेतना, पितृसत्ता, समाज, शोषण, अधिकार, अस्मिता, स्वतंत्रता, पुरुष, आधुनिक।

मूल आलेख :– ईश्वर प्रदत्त इस सृष्टि में स्त्रियों का अनन्य स्थान है। नारी के बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। नारी ही नर की जननी है। वह शक्तिरूपा है। नारी के बिना यह सृष्टि चलायमान नहीं हो सकती। समाज, परिवार एवं पुरुषों के जीवन में नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में नारी का स्थान सर्वोच्च था तथा सभ्यता एवं संस्कृति के संपूर्ण विकास में स्त्रियों को यथोचित स्थान प्राप्त था। प्राचीन भारतीय समाज में स्त्रियों के प्रति उदारता तो थी परंतु उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं था। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए वह हमेशा से संघर्षशील रही हैं। नीतिकार चाणक्य नारी के संबंध में कहते हैं कि, 'स्त्री चाहे जितना दान करे, सैकड़ों व्रत–उपवास रखे, सभी तीर्थों की यात्रा करे, वह पवित्र नहीं होती, केवल पति के चरण धोकर पीने से ही वह पवित्र होती है।'(1)

पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का वर्चस्व वर्षों से चला आ रहा है। चाहे वह भारतीय समाज हो या मॉरीशसीय समाज इस पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों को सदैव दोयम दर्जे का प्राणी माना गया है। इन्हें उनके अधिकारों, इच्छाओं और आकांक्षाओं से वंचित रखकर अनेक प्रकार के सामाजिक बंधनों में बांधकर जीवनयापन करने को विवश किया गया। उन्हें केवल भोग एवं कामवासना का साधन माना गया। परंतु इस आधुनिक युग

एवं इस भूमंडलीकरण के दौर में जहां पूरा विश्व एक 'ग्लोबल गांव' के रूप में रूपांतरित हो रहा है, वहां स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही हैं। उनके मन में तरह–तरह के प्रश्न उठने लगे हैं कि, आखिर कब तक हमें यह अत्याचार एवं शोषण सहना पड़ेगा? कब तक हमें अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ेगा? इस तरह के अनेक प्रश्नों के साथ इनमें जागरूकता पैदा हुई तथा इन्होंने इन अत्याचारों एवं शोषण के विरुद्ध विद्रोह का स्वर अख्तियार किया है। यह जागृति ही चेतना है। यह सही भी है क्योंकि उनके मानवीय गुण एवं मानसिक क्षमताओं की अनदेखी करके केवल शारीरिक भिन्नता के आधार पर उनकी उपेक्षा करना अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है। प्रेमचंद ने ठीक ही लिखा है, 'पुरुष विकास के क्रम में नारी से पीछे है। जिस दिन वह भी पूर्ण विकास तक पहुंचेगा, वह स्त्री हो जाएगा। वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दया इन्हीं आधारों पर सृष्टि थमी हुई है और यह स्त्रियों के गुण है।'[2]

चेतना शब्द चैतन्य, विचार, ज्ञान, संकल्प, स्मृति आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 'चेतना मन की वह वृत्ति या शक्ति है जिससे जीव या प्राणी की आंतरिक (अनुभूतियों, भावों, विचारों आदि) और बाह्य (घटनाओं) तत्व या बातों का अनुभव या भान होता है।'[3] दरअसल चेतना से हमें चिंतन, अनुभूति, बुद्धि, विवेक, अधिकारों, कर्तव्यों आदि का ज्ञान होता है। यह एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो हमें प्राणवान बनाए रखने में मदद करती है तथा यही चेतना जब स्त्री या नारी से सम्बद्ध हो जाती है, तब 'स्त्री–चेतना' कहलाती है। स्त्री–चेतना का संबंध स्त्री के अपने स्वयं के अस्तित्वबोध से है। इसके अंतर्गत पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में नारी की स्थिति, उसके अधिकार तथा उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए किए गए संघर्षों की चेतना सम्मिलित है। इसमें स्त्रियां शोषण तंत्र का विरोध करते हुए समाज में मर्यादापूर्ण स्थान बनाने के लिए प्रयासरत रहती हैं।

मॉरीशस के उपन्यास सम्राट अभिमन्यु अनत ने अपने उपन्यासों में मॉरीशस समाज में रह रही नारी के सिर्फ दमित, शोषित एवं दयनीय स्थिति को ही नहीं दर्शाया है बल्कि स्त्रियों को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए भी दिखलाया है। इन्होंने अपने उपन्यासों में स्त्री–जीवन की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्त करने के साथ ही नारी की अपने अस्तित्व, अस्मिता की रक्षा करते हुए अत्याचार, शोषण के प्रति विद्रोह करती हुई स्त्री–चेतना को भी उजागर किया है। इस संदर्भ में कमल किशोर गोयनका का मत है कि 'विश्व प्रसिद्ध कथाकार शरत एवं प्रेमचंद की नायिकाओं के समान अभिमन्यु अनत की नायिकाएं भी बड़ी सशक्त होती हैं। गिरी होने पर भी स्वयं उठती हैं और दूसरों को भी उठाती हैं। उन्हें उदात्त बनती हैं।'[4]

यह सर्वविदित है कि भारत से मॉरीशस गए गिरमिटिया मजदूरों पर गोरे मालिकों द्वारा तरह–तरह के अन्याय एवं अत्याचार किए जाते थे, तथा उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था। इस शोषण का विरोध पुरुषों की तुलना में मजदूर स्त्रियां अधिक प्रखर रूप से करती हैं। ये स्त्रियां अपने इस विद्रोही स्वर से पुरुषों में भी विद्रोह की भावना जाग्रत करती हैं। उदाहरणस्वरुप 'लाल पसीना' उपन्यास में पुष्पा, लक्ष्मी जैसी स्त्री पात्रों में नारी चेतना का स्वर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। लक्ष्मी यह महसूस करती है कि गोरे मालिकों का अत्याचार दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसके जेहन में यह प्रश्न बार–बार उभर कर आता है कि, आखिरकार ये लोग (पुरुष मजदूर) अंग्रेजों के सामने इतने बेबस क्यों हैं? ये जानवरों की तरह काम करने से इनकार क्यों नहीं कर

जाते? वह उनको संबोधित करते हुई कहती है कि, 'आखिर तुम लोगन भी मालगासी गुलामों जैसे बैल की तरह कड़े काम करने से इनकार क्यों नहीं कर जाते?... एतना काम? यह तो बैल भी ना कर सकेला।'[5] इसके बाद जब उसे समस्त पुरुष मजदूरों तथा अपने पति से कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता है तब वह और क्रोधित होकर कहती है कि 'ठीक है, तुम मर्दों के पास अभी और बहुत–कुछ सहे की शक्ति बा, हम औरतन से अब ज्यादा नहीं सहा जाता।'[6] प्रेमचंद के समान ही अभिमन्यु अनत की भी यह विशेषता रही है कि उनके उपन्यासों में जहां–जहां पुरुष पात्र कमजोर पड़ जाते हैं, वहां–वहां उनकी स्त्री पात्र उन कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करती है।

'मुड़िया पहाड़ बोल' उठा उपन्यास की पात्र नेहा के चरित्र में स्त्री–चेतना के साथ–साथ प्रगतिशील चेतना का भी समन्वय है। वह आर्थिक विपन्नता से घिरी हुई है। घर की बड़ी बेटी होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। घर वालों को परिवार में बेटा का अभाव खटकता है परंतु वह प्रण करती है कि वह खुद को बेटा प्रमाणित करके रहेगी। 'उसके पिता ने अपने परिवार में बेटे की जो इच्छा की थी, वह अधूरी समझ ली गई थी, लेकिन नेहा प्रण कर चुकी थी कि वह अपने पिता के लिए बेटा प्रमाणित होकर रहेगी।'[7] वह जोन फ्रांस नामक फैक्ट्री में काम करती है। वह उस फैक्ट्री के मालिक द्वारा स्त्रियों के श्रम–शोषण का विरोध करते हुए उनमें चेतना जागृत कर उन्हें संगठित होकर आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती है। नेहा महिला कामगारों को उचित पारिश्रमिक देने की मांग करती है। वह पीड़ित सरला को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करती है तथा उसके दृढ़ संकल्प तथा आत्मविश्वास के आगे मालिक को भी झुकना पड़ता है। 'फैक्ट्री की लड़कियां दो दलों में बँटी हुई थीं। एक दल शुरू हुई सख्ती और ओवरटाइम के लिए कम पैसे दिए जाने की शिकायत के लिए ग्रां पात्रों से मिलना चाहता था और दूसरा दल यूनियन के आदेश पर हड़ताल शुरू करना चाह रहा था।'[8] इस प्रकार नेहा ने फैक्ट्री की स्त्रियों में नारी शक्ति चेतना का प्रसार किया तथा उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए जागरूक किया।

आधुनिक मॉरीशसीय समाज में स्त्रियां उन समस्त परंपरागत मान्यताओं एवं मूल्यों की बेड़ियों से खुद को स्वतंत्र करने की पक्षधर है जो उन पर बलपूर्वक थोपा गया है। 'तीसरे किनारे पर' उपन्यास की पात्र मारीज के माध्यम से अभिमन्यु अनत ने स्त्री–चेतना को एक नवीन दिशा प्रदान की है। मारीज आत्मविश्वासी एवं स्वाभिमानी है, तथा समाज एवं परिवार में मौजूद प्रश्नों को निर्भीकता से उठाती है। वह स्त्री–पुरुष के समानता की समर्थक है। आधुनिक विचारों से संपन्न मारीज का झुकाव पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति की तरफ है। इसके अनुसार विवाह स्त्रियों के स्वतंत्रता में बाधक तत्व है। इसलिए वह वैवाहिक बंधन में नहीं बंधना चाहती। वह स्वतंत्र जीवन जीने की चाह रखती है। मरीज का प्रेमी राकेश जब उससे उसका विवाह न करने का कारण पूछता है, तब वह कहती है कि 'मेरे पास अच्छी खासी नौकरी है जिससे अपनी जिंदगी के उन दिनों को बिताने के लिए मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं। शादी के बाद औरत अपनी आजादी को खो बैठती है। यह बात मुझे जरा भी पसंद नहीं। मैं इस बात को नहीं मानती हूं कि मर्द औरत का अवलंब है।''[9] यहाँ लेखक ने मारीज के माध्यम से नारी को उसके आर्थिक स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। मारीज का विवाह न करना तथा विवाह से पूर्व लीव इन रिलेशनशिप में रहना, पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के विरोध में आवाज उठाने का प्रतीक है।

इन्होंने अपने उपन्यासों में ऐसी स्त्री पात्रों का भी चित्रण किया है जो देश की सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति से अभिज्ञ है, तथा देश की राजनीति में सक्रिय भागीदारी चाहती है। अपने उपन्यासों के माध्यम से इन्होंने नारी की राजनीतिक चेतना पर प्रकाश डाला है। ये स्त्रियाँ दृढ़ निश्चयी होकर देश की भ्रष्ट शासन प्रणाली को खत्म करने के उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश करती है। 'आसमान अपना आंगन' उपन्यास की पात्र नंदिनी एक ऐसी ही स्त्री है। उसे यह स्वीकार नहीं है कि राजनीतिक पहुंच वाले कुछ लोग ही समस्त सुविधाओं का लाभ उठाएं तथा बहुत संख्यक समाज मूलभूत सुविधाओं के अभाव में तरसती रहे। अपनी इसी जनहित भावना के कारण वह नवजागरण पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ती है। नंदिनी द्वारा दिए गए भाषण का उल्लेख करते हुए अभिमन्यु अनत लिखते हैं, 'नंदिनी गंभीरता के साथ बोले जा रही थी– यह मेरी प्रतिज्ञा है। ये आज मंत्री बने बैठे लोग यह भूल बैठे हैं कि वह आज जहां हैं आपके पहुचाए हैं। राजकीय संरक्षण और ताकत के नशे में वे अपने को आपके प्रतिनिधि आपके सेवक न मानकर अपने को स्वामी और नेता तथा जनता को दास मानने लगे हैं।'[10] नंदिनी एक ऐसी नारी हैं जो अपनी राजनीतिक भागीदारी के प्रति सजग है तथा राजनीति में प्रवेश कर वह वर्तमान शासन व्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन करना चाहती है।

'मेरा निर्णय' उपन्यास की अमिता भी आधुनिक चेतना से संपन्न तथा अपने अस्तित्व एवं अस्मिता के प्रति जागरूक नारी है। अमिता तमाम पारिवारिक दबावों के बीच इंग्लैंड में नर्सिंग का कोर्स पूरा करती है। वह वहां अपने धर्म संस्कृति से भिन्न फ्रेडरिक नामक एक फ्रांसीसी युवक से शादी करती है परंतु कुछ साल बाद वह अमिता को तलाक दे देता है। तलाक के बाद भी वह टूटती नहीं है बल्कि और भी अधिक दृढ़ संकल्पित तथा आत्मनिर्भरशील होकर अकेले ही बच्ची की माता एवं पिता दोनों के दायित्वों का निर्वहन करती है। वह उपन्यास की एक अन्य पात्र से कहती है कि 'जब फ्रेडरिक मुझे उस बड़ी मुसीबत में छोड़कर गया था तो मैं टूटते–टूटते बची थी।... अगर मैं दो कठोर आघातों से चकनाचूर नहीं हुई थी तो एक और कारण यह भी है कि मैं अपने मुजरिमों के सामने हार मानने को कभी तैयार नहीं थी।' उपर्युक्त वाक्य अमित के दृढ़ आत्मविश्वास एवं उसके संघर्ष को दर्शाता है। वह किसी भी परिस्थिति में स्वयं को पुरुषों की तुलना में कमजोर नहीं समझती।

अभिमन्यु अनत ने अपने उपन्यास 'क्यों ना फिर से' में भी नारी मुक्ति चेतना को दर्शाया है। इस उपन्यास में इन्होंने भवन्ती के माध्यम से बुद्धिमति, विवेकशील तथा अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने वाली नारी का चित्रण किया है। भवन्ती औरतों की दयनीय स्थिति का कारण पुरुषों की अहंकारवादी दृष्टिकोण को मानती है। उसका मानना है कि समाज के हर क्षेत्र में नारी को पुरुष के समान अधिकार एवं मान्यता दिया जाए। स्त्रियां सिर्फ घर का काम–काज करने के लिए नहीं बनी बल्कि वह घर के साथ–साथ अन्य जिम्मेदारियां के निर्वहन में भी सक्षम है। भवन्ती उस सामाजिक व्यवस्था का विरोध करती है जिसमें स्त्रियों की स्वतंत्रता, उनकी इच्छा और आकांक्षाओं की उपेक्षा की जाती है तथा उसे पुरुषों के अधीन रखा जाता है। इस संदर्भ में वह महिमा से कहती है, 'मर्दों ने तो शुरू से ही औरतों को अपने अधीन रखने के लिए उसे घूंघट और बुर्के में रखा। उसके पांवों में पाजेब के रूप में जंजीर बांध दी। पति ने टीका और सिंदूर लगाकर उसके माथे पर अपना माल होने की मोहर लगा दी। मरकर पति दिए हुए सुहाग को छीन ले जाता है यानी कि मरने के बाद तुम्हारी अब पहचान नहीं रही।'[12] भवन्ती के इन विचारों में नारी चेतना का प्रखर रूप उभर कर सामने आता है। इसी प्रकार 'अस्ति–अस्तु' उपन्यास की दिव्या भी आधुनिक विचार एवं नारी चेतना से संपन्न नारी है। दिव्या उन समस्त

पश्चिमी विचारों से प्रेरित है जो नारी स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। वह सिर्फ नारी स्वतंत्रता की वकालत ही नहीं करती वरन वह पुरुषों से भी आगे निकलने की इच्छा रहती है। उसका पति नरेश जब उसकी अवहेलना करता है, तब वह आत्मविश्वास से लबरेज होकर कहती है कि, 'पहले मैंने मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहा था। अब मैं मर्दों से आगे निकलने की सोच रही हूं। तब साथ चलने का प्रण था। आज उससे आगे होकर उसे अपने पीछे चलाने का प्रण है।'(13) उपर्युक्त उदाहरण के माध्यम से लेखक ने स्त्रियों के दृढ़ विश्वास एवं साहस का चित्रण किया है। ये स्त्रियां अपने अस्तित्व एवं अस्मिता की रक्षा करते हुए जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध है।

निष्कर्ष :- अभिमन्यु अनत ने अपने उपन्यासों में चित्रित स्त्रियां सुशिक्षित एवं जागरूक हैं। ये स्त्रियां पुरुषों के अधीन न रहकर उनके समान अधिकार प्राप्त करना चाहती है। आर्थिक स्वतंत्रता की समर्थक ये स्त्रियां स्वावलंबी होकर खुद की कसौटी पर जीवन जीना चाहती हैं। ये स्त्रियां दबी, सहमी पुरुषों की दासी बनकर नहीं रहना चाहती। ये इनके खिलाफ होने वाले शोषण एवं अन्याय का विरोध करने वाली सशक्त नारी है। आधुनिक चेतना से संपन्न ये नारी अपनी स्वतंत्रता, अधिकारों, अस्तित्व एवं अस्मिता के प्रति सजग है। वह उन तमाम पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्थाओं, परंपराओं एवं मान्यताओं को तोड़ने की पक्षधर है जो उनके विकास में बाधक है तथा उनके अधिकारों का हनन करता है। वह समाज के हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। वह राजनीति में भी बढ़कर हिस्सा लेती है तथा भ्रष्ट नेताओं के षड्यंत्रों का पर्दाफाश कर आम जनमानस की सेवा करने का प्रण करती हैं। वह विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को टूटने–बिखरने नहीं देती तथा उनका मुकाबला करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहती हैं।

संदर्भ सूची :-

1. गुप्ता, रमणिका. स्त्री–विमर्श, कलम और कुदाली के बहाने. नई दिल्ली : शिल्पायन प्रकाशन, सं. 2008. पृष्ठ 20.
2. प्रेमचंद. कर्मभूमि. नई दिल्ली : प्रकाशन संस्थान, सं. 2009. पृष्ठ 142.
3. वत्स, डॉ महावीर. साठोत्तरी कविता में साँस्कृतिक चेतना. दिल्ली : संजय प्रकाशन, 1996. पृष्ठ 84.
4. अनत, अभिमन्यु. अचित्रित. नई दिल्ली : किताबघर प्रकाशन, 1990. पृष्ठ 10.
5. अनत, अभिमन्यु. लाल पसीना. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, सं. 2019. पृष्ठ 239.
6. वही. पृष्ठ 239.
7. अनत, अभिमन्यु. मुड़िया पहाड़ बोल उठा. नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन, 1987. पृष्ठ 8.
8. वही. पृष्ठ 73.
9. अनत, अभिमन्यु. तीसरे किनारे पर. नई दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 1976. पृष्ठ 99.
10. अनत, अभिमन्यु. आसमान अपना आंगन. नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन, 2000. पृष्ठ 375.
11. अनत, अभिमन्यु. मेरा निर्णय. नई दिल्ली : भारतीय ज्ञानपीठ, 2010. पृष्ठ 109.
12. अनत, अभिमन्यु. क्यों न फिर से. नई दिल्ली : किताब घर प्रकाशन, 2004. पृष्ठ 61.
13. अनत, अभिमन्यु. अस्ति–अस्तु. नई दिल्ली : प्रतिभा प्रकाशन, 2003. पृष्ठ 99.

ईमेल आइडी – abhaypuri16@gmail.com, मोबाईल – 8240899752
पत्राचार हेतु पता – ग्राम – बलरा किशुन, पोस्ट–बलरा ईस्माइल, थाना–मनियारी, जिला– मुजफ्फरपुर, राज्य– बिहार, पिन कोड– 844112

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 53–57

हिंदी साहित्य में महिला कहानी लेखन

मीनाक्षी शर्मा
शोधार्थी, हिंदी विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

की वर्ड :– हिंदी कहानी, महिला लेखन, स्त्री विमर्श, स्त्री चेतना और स्वतंत्रता।

मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानी का भी जन्म हुआ और कहानी कहना तथा सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। इसी कारण प्रत्येक सभ्य एवं असभ्य समाज में कहानियाँ पायी जाती हैं। हमारे देश में कहानियों की बड़ी लंबी एवं सम्पन्न परंपरा रही है। 'यम–यमी', 'पुरुरवा–उर्वशी', 'नल–दमयंती', 'शकुंतला' जैसे आख्यान कहानी के ही प्राचीन रूप हैं। जनश्रुति के रूप में आज भी कई सारी कथाएँ हमारे बीच ऐसी है जिनका कोई लिखित इतिहास तो नहीं मिलता लेकिन सामान्य जनता के बीच उनकी लोकप्रियता वर्षों से बनी हुई हैं।

हिंदी कहानी की विकास यात्रा को देखें तो मोटे तौर पर यह देखने में आता है कि इसकी शुरुआत भी हिंदी गद्य की अन्य विधाओं की तरह 1900 ई. के आस–पास हुई है। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में कहानी विधा सबसे सशक्त विधा बनकर उभरी है। वर्तमान समय में अन्य सभी विधाओं की तुलना में कहानी के पाठक सर्वाधिक है। यही कारण है कि पत्र–पत्रिकाओं में भी कहानियों की मांग अधिक है। वास्तव में कहानी में जीवन के किसी एक अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, इसमें उपन्यास की तरह जीवन की समग्रता का अंकन नहीं किया जाता है। मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में ''कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। कहानी की मूल आत्मा एक संवेदना या प्रभाव ही है। अज्ञेय के शब्दों में ''कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते है।''

हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाए इसे लेकर विद्वानों में मतभेद है। 'रानी केतकी की कहानी', 'राजा भोज का सपना', 'इंदुमती', 'दुलाईवाली', 'एक टोकरी भर मिट्टी', 'ग्यारह वर्ष का समय' आदि वो प्रमुख कहानियाँ हैं, जिन्हें हिंदी की प्रथम कहानियों में शुमार किया जाता है। परंतु नवीन अनुसंधानों के आधार पर माधवराव सप्रे की 1901 में प्रकाशित 'एक टोकरी भर मिट्टी' को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना जा सकता है। हिंदी की आरंभिक दौर की कहानियों में अधिक मौलिकता तो नहीं मिलती परंतु हिंदी कहानी के विकास के सभी चिह्न अवश्य मिल जाते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित 'उसने कहा था' कहानी को हिंदी की आरंभिक दौर की कहानियों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है।

प्रेमचंद के आगमन से हिंदी कथा साहित्य आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर मुड़ा तो प्रसाद के आगमन से रोमांटिक यथार्थवाद की ओर। जैनेन्द्र के कथा–साहित्य में प्रवेश के साथ ही हिंदी कहानी में मनोविश्लेषणवाद का उत्थान हुआ। वे कहानी के केंद्र में मनुष्य के मनोभावों को लाए। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना

हो चुकी थी। उस समय के प्रमुख कथाकारों यथा– यशपाल आदि के कहानियों में प्रगतिशीलता का जो समावेश हुआ उसे युग धर्म माना जा सकता है। अज्ञेय स्वभावतः प्रयोगधर्मी रचनाकार थे। उनके आगमन के साथ ही हिंदी कहानी नई दिशा में मुड़ी। जिस आधुनिकता की आज बहुत बात की जाती है उसके प्रथम पुरस्कर्ता अज्ञेय ही थे। 1960 ई. के बाद हिंदी कहानी नए दौर से गुजरने लगी जिसे आधुनिकता बोध की कहानियाँ या नई कहानी नाम दिया गया।

साहित्य जब तक मौखिक परंपरा का हिस्सा था तब तक लेखन में स्त्रियों का योगदान बराबरी के स्तर पर रहा, परंतु इतिहास के पन्नों में उनका जिक्र भी नहीं किया गया क्योंकि उन्हें कोई जगह नहीं मिली, अगर नारी योगदान का मूल्यांकन साहित्य में करना हो तो वह किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। सदियों पहले हिंदी कहानी का सिलसिला प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से दादी–नानी की कहानियों से ही शुरू होता है। अगर हम हिंदी कथा परिदृश्य की बात करें तो इसकी शुरूआत करीब सौ–सवा सौ साल पहले हुई थी। इसे भी एक उल्लेखनीय तथ्य ही माना जाना चाहिए कि हिंदी की पहली मौलिक कहानियों में बंग महिला की 'दुलाईवाली' कहानी की चर्चा होती है।

कहानी स्त्री के साथ हर पल, हर जगह, हर तरह से साथ चल रही होती हैं, घट रही होती है और उसके अन्तस में किसी ना किसी रूप में रच रही होती है...वही किसी बयान में, किसी केनवास पर या लोकगीत में, कागज पर उतरती हैं तो किसी कहानी का जन्म होता है।

ज्यादातर आलोचकों ने स्वतंत्रता पूर्व के महिला कथा लेखन को नकारा या दोयम दर्जे पर रखा क्योंकि वह घर–परिवार–रिश्तों पर केंद्रित रहा। यह सच हो सकता है कि वह स्त्री के अपने दायरे के आसपास का लेखन था क्योंकि उसके अनुभवों का संसार घर–परिवार–समाज तक केंद्रित था। आलोचना की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कहानियाँ एवं लेखिकाएँ सिर्फ इसीलिए चर्चा में नहीं आ पायी। बावजूद इसके बीसवीं सदी आते–आते हम देखते है कि महिला कथाकारों की लंबी श्रृंखला सामने आयी और उनमें से अधिकांश पुरूष कथाकारों के समकक्ष दिखाई दी। किंतु यह स्वीकारना होगा कि स्त्री लेखन विशेषकर कथा साहित्य को बहुत सहज भाव से सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली। साहित्यिक दृष्टि से भी उन्ह्हें उल्लेखित या रेखांकित नहीं किया गया। महिला लेखन की सबसे बड़ी सीमा यह रही कि वे पुरूष सत्तात्मक समाज में अपनी बेबाक अभिव्यक्ति का साहस नहीं जुटा पायी। उनका दबा हुआ स्वर रूढ़ियों की चादर ओढ़े रहा। हालांकि अब स्थिति वैसी नहीं रही, आज महिला कथाकार सजग और मुखर हैं।

समकालीन महिला कहानी लेखन की एक बड़ी विशेषता है– तात्कालिकता। वह अपने समय की गंभीर चिंताओं, समस्याओं, ज्वलंत प्रश्नों को तत्काल ग्रहण कर गंभीर विमर्श के रूप में प्रस्तुत करती है। जैसे स्वाति तिवारी की कहानी 'स्त्री मुक्ति की यूरोपिया' उस स्त्री पर केंद्रित है जो स्वतंत्रता के नाम पर स्त्री मुक्ति के एक ऐसे आधुनिक यूरोपिया में जकड़ी है जहाँ ना परिवार हैं ना नैतिकता के कोई अर्थ। कहानी का सार यह है कि ऐसा भी क्या घर जहाँ पति–पत्नी घर के ताले की चाबी भी शेयर ना करें। उनके निजता और स्वायत्तता के चलते बेडरूम भी अलग–अलग हैं जो घर के नाम पर मात्र एक सजा धजा एड्रेस शेयर करते हैं उनका इकलौता बेटा उसी शहर के बोर्डिंग स्कूल में और बुजुर्ग पिता ओल्ड एज होम में। महिला लेखन एक ओर स्वातः सुखाय हैं तो दूसरी ओर जनहिताय। महिला साहित्य इस परिवर्तन युग का शुभचिंतक है। यद्यपि महिला लेखन आज

स्पर्धा के युग में चुनौती है फिर भी वह स्वयं मार्ग ढूँढ कर अपने हस्ताक्षर बना रही है।

जहाँ तक महिला कहानीकारों की बात है तो राजेंद्र बाला घोष 'बंग महिला' को हिंदी प्रथम महिला कहानी लेखिका माना जाता हैं। 'दुलाईवाली' उनकी प्रमुख कहानी है। इसके अलावा उन्होंने 'चंद्रदेव से मेरी बातें', 'कुंभ में छोटी बहू', 'दलिया जैसी प्रमुख कहानियाँ लिखी। परंतु बंग महिला के अलावा हिंदी के आंरभिक दौर में कोई प्रमुख महिला कहानी लेखिका सामने नहीं आती।

आजादी की लड़ाई के समय जो स्वर साहित्य में उभरा उसमें देशकालिक परिस्थितियाँ और देश प्रेम की अभिव्यक्ति साफ लक्षित होती है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, उषादेवी मित्रा जैसी महिला कहानीकारों ने अपने समय को अभिव्यक्ति दी। 'बिखरे मोती', 'उन्मादिनी', 'पापी पेट' सुभद्रा कुमारी चौहान के कहानी संग्रह है जिसमें उन्होंने भारतीय नारी की परिस्थितियों, समस्याओं एवं भावनाओं का चित्रण किया है। उनकी कहानियों में मुख्य रूप से सामाजिक–पारिवारिक जीवण के व्यावहारिक पक्ष को स्थान मिला है। शिवरानी देवी ने भी सुभद्रा कुमारी चौहान की शैली में ही सामाजिक–पारिवारिक कहानियों का लेखन किया है। उषादेवी मित्रा की भावुकता भरी कल्पनामयी सामाजिक कहानियां जैसे– 'पिउ कहां', 'मूर्त्त मृदंग', 'गोधूलि', 'देवदासी', 'मन का मोह' आदि 1930–40 के दशक में उस दौर की विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी।

छायावादोत्तर काल में मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, उषा प्रियंवदा, रजनी पन्निकर, मेहरून्निसा परवेज आदि कहानी लेखिकाओं ने अपना अलग रचना संसार रचा जो स्त्रियों की मनःस्थिति को समझने के लिए पुरुषों के लेखन से भिन्न था। मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी की कहानियों में आधुनिक नारी की मनःस्थिति, पारिवारिक जीवन में पति–पत्नी के संबंध आदि विषय मुख्य है तो वहीं उषा प्रियंवदा की कहानियों में वैविध्य एवं जीवन के अनेक आयाम दिखाई पड़ते हैं।

मन्नू भंडारी ने अपनी कहानियों में नारी मन में उठने वाले भावों, स्थिति विशेष में पुरुषों के मन में जागने वाली शंकाओं, ईष्याओं आदि को चित्रित किया है। 'मैं हार गई', 'तीन निगाहों की एक तस्वीर', 'यही सच है' मन्नू भंडारी के प्रमुख कहानी संग्रह है। 'बादलों के घेरे' कृष्णा सोबती का प्रमुख कहानी संग्रह है। सोबती की कहानियों में सेक्स जनित भावुकता की प्रमुखता नजर आती है। शिवानी की कहानियों में नारी–मनोविज्ञान को आधुनिक जीवन के नये आयामों में देखने की इच्छा भी है। वातावरण को संपूर्ण संवेदना के साथ उकेरने में शिवानी को विशेष सफलता मिली है। 'लाल हवेली', 'पुष्पहार', 'अपराधिनी', 'रथ्या', 'स्वयं सिद्ध', 'रति विलाप' उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। 'जिंदगी और गुलाब के फूल', 'एक कोई दूसरा', 'फिर वसंत आया', 'सबसे बड़ा झूठ' कहानी संग्रह लिखने वाली उषा प्रियंवदा की कहानियों में आधुनिकता बोध है। उनकी कहानियां कमजोर लड़कियों की कहानी नहीं है बल्कि उन्होंने विशेष परिस्थितियों में अकेलेपन, बेबसी, हार और लाचारी की मानवीय नियति को आकलित किया है।

भारत की स्वतंत्रता के साथ ही समाज में महिलाओं की शिक्षा को लेकर स्थितियाँ बदली। स्वतंत्रता के बाद नारी लेखन में मुक्ति के स्वर उभरे। नारी भावनाओं की वह अभिव्यक्ति जो सदियों से उनके भीतर ही छटपटा रही थी वह अब अभिव्यक्ति होने लगी थी। 'नयी कहानी' आंदोलन में तो महिला लेखिकाओं की संख्या उतनी अधिक नहीं है परंतु उसके बाद की पीढ़ी की लेखिकाओं की संख्या अच्छी खासी बढ़ी है।

इस कालावधि में ममता कालिया, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग, मंजुल भगत, चित्रा मुद्गल, राजी सेठ, सुधा

अरोड़ा, सूर्यबाला, इंदु बानी, मालती जोशी, कुसुम अंचल, कृष्णा अग्निहोत्री, अरूणा सतीश, मणिका मोहन, नासिरा शर्मा, कुसुम चतुर्वेदी, मैत्रेयी पुष्पा, नमिता सिंह, उषा किरण सिंह, अलका सरावगी वो प्रमुख महिला कहानीकार है जिन्होंने अपने लेखन से ना केवल हिंदी कहानी को समृद्ध किया बल्कि हिंदी कहानी को नई दिशा भी प्रदान की।

प्रायः सभी लेखिकाओं ने मुख्य रूप से अपनी कहानियों में भारतीय परिवेश में अपनी मुक्ति के लिए छटपटाती नारी का चित्रण किया है। इसमें कुछ लेखिकाएँ जैसे कृष्णा अग्निहोत्री, मणिका मोहन तो विशेष तौर पर सचेत भाव से स्त्रीवादी हैं, जिसके कारण उनके स्त्री पात्र अक्सर विद्रोह करते हैं। उनके स्त्री पात्र अपने पति को नियति मानकर जीवनयापन नहीं करती बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें त्यागकर स्वतंत्र रूप से जीवन जीती हैं। इसके विपरीत कुछ लेखिकाओं के सिद्धांत मूलतः स्त्रीवादी है। उनके पात्र मानवीय पारिवारिक संबंधों के प्रति आग्रह से पूर्ण नजर आते हैं। उनके स्त्री पात्र पुरुष–वर्चस्ध्व का विरोध करते हैं, किंतु उसके साथ ही स्त्री के ममत्व को भी स्वीकार करते हैं।

एक वर्ग उन लेखिकाओं का है, जो स्त्रीवादी नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानियों में भी पुरुष–वर्चस्व को झेलते स्त्री पात्रों का चित्रण है। उन्होंने स्त्री–पुरुष–संबंधों के संदर्भ में पारंपरिक नैतिक मूल्यों के विघटन, रिश्तों के खोखलेपन, काम अतृप्ति, बलात्कार और स्त्री पर होने वाले उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव आदि का चित्रण अपनी कहानियों में किया है। उन्होंने अपनी कुछ कहानियों में यौन–संबंधों का काफी खुला और साहसिक चित्रण किया है। राजी सेठ जैसी कुछ महिला कहानीकारों ने अपनी कहानियों में स्त्री–पुरुष संबंधों के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक पक्षों पर ज्यादा बल दिया है।

हिंदी की प्रायः सभी लेखिकाओं की पात्र मध्यम वर्ग से है और उनकी समस्या भी मध्यम वर्ग से ही है। हालांकि समाज के अन्य वर्ग को भी उनके लेखन में पर्याप्त जगह मिली है। चित्रा मुद्गल ने अपनी कहानियों में वेश्याओं, मेहनत–मजदूरी करने वाली स्त्रियों, तस्करी और लड़कियों से धंधा करवाने वाली स्त्रियों का चित्रण किया हैं। मेहरून्निसा परवेज ने अपनी कहानियों में आदिवासी स्त्रियों और महानगरीय झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाली स्त्रियों का चित्रण किया है। अलका सरावगी ने अपनी कहानियों में महानगरीय जीवन के सामंती मूल्यों वाले परिवारों की स्त्रियों का चित्रण किया है। उनकी कहानियों के कुछ पात्र सामंती मूल्यों का विरोध नहीं कर उसे भाग्य मान स्वीकार कर लेते है और कुछ पात्र सामंती मूल्यों का विरोध करने का साहस तो करते है परंतु उनसे पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाते। तमाम प्रकार के विरोधों के बावजूद भी वो उससे जुड़े रहते हैं।

नयी हिंदी लेखिकाओं के साहित्य में विषय वस्तु केवल स्त्री–पुरुष तक ही सीमित नहीं है। लेखिकाओं की कहानियों में वस्तुगत विविधता और विस्तार का कारण उनका विभिन्न पृष्ठभूमियों से उद्भुत होना और व्यक्तिगत स्तर पर विविध अनुभवों से गुजरना है। नासिरा शर्मा की कहानियों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, यहूदी आदि कई धर्मों से जुड़े जीवन का चित्रण अपनी कहानियों में किया है। ईरान का सत्ता संघर्ष, फिलिस्तान का गोरिल्ला युद्ध, दूसरा विश्वयुद्ध जैसे संवेदनशील विषय को उन्होंने अपनी कहानियों की विषय–वस्तु बनाया है। चंद्रकाता ने अपनी कहानियों में कश्मीर की संस्कृति और आतंकवाद की समस्या से वहाँ के जनसामान्य के जीवन में होने वाली पीड़ा का चित्रण किया है। ऋता शुक्ला की कहानियों में बिहार के संक्रमणशील गाँवों की व्यथा–कथा कही है। अलका सरावगी की कहानियों में मारवाड़ी समाज का यथार्थ चित्रण

नजर आता है।

अधिकांश लेखिकाओं की कहानियों में परिवार, उसकी विभिन्न स्थितियों, परिवार में घटने वाली घटनाओं, परिवार के सदस्यों की मनःस्थितियों, उनकी सुदशा–दुर्दशा आदि के अंतरंग, मार्मिक और प्रामाणिक विवरण और चित्रण मिलते हैं। परिवार में स्त्रियों की स्थिति तो प्रायः सभी लेखिकाओं की कहानियों का केंद्रीय विषय है।

लेखिकाओं की कहानियों में विषयगत विविधता है, यद्यपि उनकी कहानियों की धुरी स्त्री–पुरुष–संबंधों के द्वंद्व और विविध आयाम है। वर्तमान समय में स्त्री लेखन में व्यक्तिगत अनुभव ही केंद्र में है। लेखिका के निजी अनुभवों के इर्द–गिर्द ही पूरी कहानी बुनी जाती है। इस काल के स्त्री पात्र या पुरुष, अपनी अस्मिता, स्वायत्तता और विशिष्टता के लिए विशेष तौर पर बैचेन नजर आता हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के इस दौर में केंद्र व्यक्ति में आ गया है और समाज हाशिए पर चला गया हैं।

Mail ID : msharma100883@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 58–63

एक देश एक चुनाव : चुनाव सुधारो की दिशा में बढ़ते कदम एवं विश्लेषण

विवेक कुमार सिंह
सहायक प्राध्यापक (विधि विभाग), शासकीय विधि महाविद्यालय, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत।

शोध सार :–

एक देश एक चुनाव व्यवस्था से तात्पर्य है कि संसद, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ एक ही समय पर संपन्न कराएं जाएं, सरल शब्दों में समझे तो इस व्यवस्था के तहत मतदाता को एक ही दिन, एक ही बूथ और एक ही समय पर संसद, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होगी। यहां स्पष्ट किया जाता है कि संसद और विधानसभा के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग संपन्न करवाता है, वहीं स्थानीय निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव के इस विचार को एक साथ चुनाव के रूप में भी जाना जाता है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक ही साथ कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है ।

मुख्य बिंदु :– एक देश एक चुनाव, संसद, विधानसभा, चुनाव आयोग, संविधान, संशोधन, कानून, आदि।

प्रस्तावना :–

एक देश एक चुनाव व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी कराये जा सकेंगे, साथ ही स्थानीय निकाय के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव भी हो सकेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि भारत में कहीं ना कहीं लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय चुनाव, उपचुनाव होते रहते हैं। नेता और राजनीतिक दल भारत में चुनावी मोड़ में ही बने रहते हैं परंतु अब एक देश एक चुनाव से यह बदलने वाला है यानी चुनाव एक समय पर ही होंगे। चुनावी खबरों का या चुनावों का एक तय महीना या मौसम या वर्ष हुआ करेगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :–

हमें ज्ञात है कि देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद भारत देश सन् 1950 में गणराज्य बना। वर्ष 1951–52 में ही सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे, वर्ष 1951– 52 से 1967 के बीच लोकसभा के साथ–साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में हुए अर्थात आम चुनाव वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 में आयोजित हुए थे। वर्ष 1967 के तत्पश्चात कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्यों का उदय हुआ, साथ ही समय–समय पर लोकसभा को समयपूर्व भंग किया जाता रहा, इन सभी

परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर एक देश एक चुनाव का क्रम टूट गया और अलग–अलग समय पर चुनाव होने लगे। संसद लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की स्थिति में ही बढ़ा सकती है। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष के समय के लिए लिए वृद्धि कर सकती है। सन 1976 में लोकसभा का कार्यकाल एक–एक करके दो बार बढ़ाया गया था।

एक देश एक चुनाव समिति :–

सितंबर 2023 में भारत सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव की संभावनाएं तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा विभिन्न पक्षों, विषय विशेषज्ञ और शोधकर्ताओं के अनुभव प्राप्त करने के साथ ही 47 राजनीतिक दलों ने भी अपने विचार समिति के साथ साझा किए, जिनमें से 32 दलो द्वारा समर्थन किया गया है, अन्य 15 दलों द्वारा एक देश एक चुनाव पर समर्थन प्रदान नहीं किया गया। 191 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 18626 पेजों की रिपोर्ट तैयार कर इस समिति द्वारा मार्च 2024 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है, साथ ही वर्तमान में वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर धारण किए हुए हैं। वहीं श्री रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, साथ ही वह पूर्व में बिहार के राज्यपाल के पद पर भी रह चुके हैं। श्री रामनाथ कोविंद समिति में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी हैं, साथ ही विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में वर्तमान कानून मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. नितेन चंद्र भी समिति का हिस्सा थे। 12 दिसंबर 24 को एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अपनी मंजूरी दी, जो इसे कानून बनाने की दिशा में पहला कदम है।

संविधान संशोधन :–

पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82ए और 324ए में संशोधन का सुझाव दिया है, सुझाव का परिणाम यह होगा कि एक देश एक चुनाव अवधारणा जमीनी स्तर पर उतर सके। साथ ही कैबिनेट द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर दो बिल लोकसभा में प्रस्तुत किये गए :–

1. 129वा भारतीय संविधान संशोधन बिल।
2. केंद्र शासित कानून (संशोधन) बिल 2024 जो दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने से संबंधित है।

इन बिलों पर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा और सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजा गया है। सभी राजनीतिकदलो का विश्वास प्राप्त होने के साथ अन्य औपचारिकताएं पूर्ण होने पर भी वर्ष 2034 में एक देश एक चुनाव की नीति लागू हो सकेगी।

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) :–

लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने वाले एक देश एक चुनाव विधेयक पर मंथन करने के

लिए संसद द्वारा 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया गया। समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री पीपी चौधरी को नियुक्त किया गया है। समिति में लोकसभा के 27 सदस्यों एवं राज्यसभा से 12 सदस्यों को शामिल किया गया है। समिति द्वारा दी गई सिफारिशे सलाहकारी होती हैं। सत्ता पक्ष के लिए उनका पालन किया जाना जरूरी नहीं है। जेपीसी देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं या नहीं इस पर मंथन करेगी। पूर्व में भी जेपीसी वोफोर्स घोटाला, 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन आदि विवादास्पद मुद्दों की जांच कर चुकी है, वर्ष 2024 में भी वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए भी 31 सदस्यीय समिति का गठन हो चुका है।

भारतीय चुनाव आयोग :-

संविधान द्वारा स्थापित किया गया भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग को भारत गणराज्य के भीतर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आयोग देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव करता है। 26 जनवरी 1950 को देश में गणतंत्र लागू हुआ, उसके एक दिन पूर्व 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग को शक्ति एवं अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियों, कार्यों एवं कार्यकाल एवं पात्रता आदि से संबंधित है। 25.1.1950 से 15.10.1989 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में एक सदस्यीय आयोग होता था, निर्वाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 आने के बाद आयोग में तीन सदस्यीय (एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं दो चुनाव आयुक्त) बनाया गया, तब से यही व्यवस्था प्रचलन में है। देश को आजादी प्राप्त हुए 75 साल से ज्यादा समय हो चुका है और इन 75 वर्षों में अनगिनत बार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष एवं स्वतंत्र हुए। चुनाव आयोग पर किसी भी विदेशी देश या व्यक्ति को देश के चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाने का मौका नहीं दिया।

विदेशी स्थिति :-

भारत देश में एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू करने के लिए मंथन चल रहा है, लेकिन विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां एक देश एक चुनाव जैसी व्यवस्था पहले से ही संचालित है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स एवं स्थानीय चुनाव और मेयर चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। ब्रिटेन में मई माह के प्रथम सप्ताह में ही सभी चुनाव संपन्न करा लिए जाते हैं। ब्रिटेन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने एवं अन्य कोई दूसरी पार्टी बहुमत या सरकार न वना पाने पर ही समय पूर्व चुनाव होते हैं अन्यथा नहीं। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका में भी संसद, विधानसभा और नगर पालिका के चुनाव हर 5 साल में एक साथ संपन्न होते हैं। इसी तरह इंडोनेशिया में भी राष्ट्रपति और विधानसभा चुनाव भी एक साथ कराए जाते हैं। स्वीडन में भी हर 4 वर्ष में आम चुनाव, काउंटी और म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव कराए जाते हैं। फिलीपींस, जर्मनी, गुआना, कोलंबिया आदि देशों में भी एक साथ चुनाव कराए जाते हैं।

भारतीय स्थिति :-

एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू करने से पहले हमें अपने देश की जमीनी हकीकत पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि विदेशी देशों की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन भारत भारत देश की स्थिति

विपरीत है, यहां पर विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या, क्षेत्रफल आदि आधारो पर हमको एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू करते समय इन विषयों का भी ध्यान रखना पड़ेगा।

विधि आयोग का मत :-

अगस्त 2018 में विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में यह मत दिया कि देश में चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जा सकते हैं, पहले चरण में लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो सकते हैं। दूसरे चरण में बाकी अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव आसानी से संपन्न कराए जा सकते हैं। वर्ष 2018 में भारतीय विधि आयोग ने एक मसौदा रिपोर्ट, एक साथ चुनाव कराने को लेकर प्रस्तुत की, साथ ही चुनावी कानूनो में बदलाव की बात कही। चुनाव कानून के क्रियान्वयन, सुधार और संवैधानिक बाधाओ को दूर, एवं संशोधन आदि विषयों पर जांच की बात कही गई। विधि आयोग का मत था कि एक साथ चुनाव संविधान में संशोधन करने के बाद ही संपन्न किये जा सकते हैं। तथा कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों को इन संशोधन को अपनी सहमति प्रदान करनी होगी। वर्ष 1999 में भारतीय विधि आयोग की 170 भी रिपोर्ट में भी एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया गया था। सन 1983 में जारी चुनाव आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में भी एक देश एक चुनाव जैसी व्यवस्था को लागू करने पर वल दिया गया था।

एक देश एक चुनाव : नकारात्मक पक्ष :-

1. **जीडीपी पर असर** – श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की राष्ट्रीय जीडीपी ग्रोथ अगले वर्ष 1.5% बढ़ जाएगी, जीडीपी का 1.5% वित्तीय वर्ष 2023–24 में 4.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर था। यह रकम भारत के स्वास्थ्य पर कुल खर्च का आधा और शिक्षा पर खर्च का एक तिहाई है ।

2. **आर्थिक चुनौती** – एक देश एक चुनाव होने पर VVPAT और EVM की सीमित संख्या भी एक देश एक चुनाव संपन्न कराने पर चुनौती उत्पन्न होगी, एक साथ संपूर्ण भारत देश में चुनाव आयोजित करने के लिए VVPAT एवं EVM मशीन बनानी पड़ेगी, साथ ही नई म्टड की खरीदी के लिए ही डेढ़ लाख करोड रुपए की जरूरत पड़ेगी, यह राशि बहुत ज्यादा है इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अनुमानित एक लाख करोड़ रुपए ही खर्च हुए थे। एक साथ चुनाव कराने के लिए सेंट्रल फोर्सेज में 50% से ज्यादा बढ़ोतरी की जरूरत पड़ेगी।

3. **क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान** – भारत देश की भौगोलिकता एवं धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा आदि कारणों के आधार पर छोटे दलों का उदय लगभग हर राज्यों में हुआ है। छोटे दल क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच वोट की मांग करते हैं, इस स्थिति में एक देश एक चुनाव के तहत छोटे दलों को नुकसान होगा और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। जबकि राष्ट्रीय दलों या बडे दलों को एक देश एक चुनाव से फायदा होगा।

4. **संघीय ढांचे को नुकसान** – एक देश एक चुनाव का विरोध इस आधार पर किया जाता है कि देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा, यह संविधान एवं लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। सत्ता के केंद्र में रहने वाले राजनीतिक दल को फायदा होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही भारतीय नागरिक एक दल को ही केंद्र एवं राज्य में सत्ता तक पहुंचाने के लिए वोट करें, इसका तात्पर्य यह है कि एक

ही पार्टी का देश व राज्यों में वर्चस्व हो, इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। संवैधानिक प्रावधानों को आघात पहुंच सकता है।

5. **आचार संहिता** – चुनाव के समय देश या राज्यों के भीतर आचार संहिता लागू हो जाती है और यह परिणाम जारी किए जाने तक अस्तित्व में रहती है, जिसका परिणाम यह होता है कि विकास परियोजनाओं में देरी होती है, साथ ही सरकारी मशीनरी चुनाव तैयारी में लग जाती है। शासन प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों की प्राथमिकता चुनाव कार्यो को संपन्न कराने में रहती है।

6. **राजनीतिक सहमति** – एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू करने के लिए समस्त राजनीतिक दलों की स्वतंत्र सहमति भी जरूरी है।

7. **कार्यकाल** – एक देश एक चुनाव संपन्न कराने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि देश के सभी राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल अलग–अलग समय पर शुरू होता है, और अलग–अलग समय पर विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त होता है। विधानसभाओं के कार्यकाल एक साथ शुरू करने के लिए कुछ विधानसभाओं को समय पूर्व भंग करना पड़ेगा, साथ ही बाकी अन्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा। परंतु एक बड़ी समस्या राष्ट्रपति शासन या आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भंग कर दिया जाता है, तो एक देश एक चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है।

एक देश एक चुनाव : सकारात्मक पक्ष :–

1. **शासन में निरंतरता को बढ़ावा** – निर्वाचन के समय पुलिस बल से लेकर के विभिन्न सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, इससे सरकारी काम में व्यवधान होता है, एक देश एक चुनाव व्यवस्था से एक साथ चुनाव होने पर सरकारी काम तीव्र गति से हो सकेंगे।

2. **काले धन पर अंकुश** – चुनाव के दौरान अक्सर देखने को मिलता है कि कालेधन का उपयोग किया जाता है और इस तरह की घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। एक देश एक चुनाव व्यवस्था के तहत महंगाई में अधिक गिरावट आएगी, साथ ही एक साथ निर्वाचन होने पर राजकोष की बचत होगी।

3. **संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल** – देश में लगातार चुनाव होते रहने पर निवेश को लेकर भय का माहौल बना रहता है, एक साथ चुनाव होने पर यह भय का माहौल कम होगा।

4. **नीतिगत निर्णय लेने मे मदद** – नीति निर्धारण बनाने वाले हमारे नेताओं और अधिकारियों को शासन व्यवस्था और नीतियों को लागू तथा क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय मिलेगा, बल्कि व्यवस्था से जुड़े सुधारो को आगे बढ़ाने में भी आसानी होगी।

5. **मतदान प्रतिशत** – देश में लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओ के चुनाव एक साथ कराने से मतदान प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होगी। सभी निर्वाचनों के लिए एक ही मतदाता सूची तैयार की जाकर उपयोग में लाई जाएगी। साथ ही राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के परामर्श से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र तैयार किए जाएंगे।

6. **आचार संहिता** – हम अक्सर देखते हैं कि बार–बार चुनावों की घोषणा से आदर्श आचार संहिता लगानी पड़ती है। आदर्श आचार संहिता के कारण नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा सकते है। एक साथ पूरे देश में चुनाव होने पर इस परेशानी से निजात मिल जाएगी, साथ ही देश के विकास के लिए नीतिगत निर्णय लेने के लिए

हमारे नीति निर्माता को समय एवं स्वतंत्रता मिल जाएगी।

निष्कर्ष :-

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में संपूर्ण भारत में एक साथ चुनाव कराने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने भारत की चुनावी प्रक्रिया में बड़ा क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखी है। संवैधानिक संशोधनों के साथ चुनाव चरणबद्ध दृष्टिकोण भारत में अधिक कुशल और स्थिर चुनावी माहौल का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। एक देश एक चुनाव कानून का स्वरूप प्रदान करने के लिए अंतिम निर्णय विधायिका को ही करना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://hindi.news18.com/news/knowledge/india&is&preparing&for&one&nation&one&election&which&system&is&applicable&in&a&dozen&countries&8906051.html
2. https://www.jagran.com/news/national&ncr&one&nation&one&election&bill&impact&on&indias&economy&growth&and&governance&know&23850180.html
3. https://www.jagranjosh.com/general&knowledge/pros&and&cons&of&one&nation&one&election&1726663523&2
4. https://www.bhaskar.com/amp/national/news/decoding&indias&one&nation&one&election&plan&134163006.html
5. https://www.bbc.com/hindi/articles/cn4xlnedl5xo
6. https://www.sanskritiias.com/hindi/current&affairs/one&nation&one&election&27
7. https://hindi.eci.gov.in/
8. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Election_Commission_of_India
9. https://en.m.wikipedia.org/wiki/One_Nation,_One_Election
10. https://onoe.gov.in/whoswho
11. बाबेल, डॉ. बसंती लाल, भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन।
12. पांडेय, डॉ. जय नारायण, भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी।

मोबाइल नंबर– 6260811802

ईमेल आईडी : vk979661@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 64–68

The effects of CSR on Consumer Behaviour

Suman Devi
Assistant professor in Dasmesh Girls College, Chak Alla Baksh, Mukerian.

Abstract :-

In present scenario Consumer is regarded as the king of the market . The whole production depends upon the taste and desires of consumers so it is necessary to satisfied the consumer for the long survival of the organization in the market. Firms performing corporate social responsibilities gaining loyalty in the minds and hearts of consumers. In India there are various organizations gaining popularity due to performing their corporate social responsibilities. Like Mamaearth company includes CSR efforts through tree plantation, plastic recycling and supporting local communities .Similarly Hindustan Unilever limited includes CSR in some focus areas like promotion of health and hygiene nutrition, environment sustainability and water conservation, rural and skill development and in educational sector also. There are lot of examples of many organizations indulging in CSR activities. This paper defines the impacts of CSR in Consumer Behavior and also defines the benefits and limitations facing by organizations performing CSR activities.

Keywords : Corporate social responsibilities, Consumer Behaviour, impacts of CSR.

Introduction :

Corporate social responsibility (CSR) is generally understood as a moral obligations performed by the organizations for achieving the objective of profit maximization as well as customer loyalty towards themselves. It is very important for Companies to understand their social responsibilities because companies show a concern for CSR has attain maximum value proposition for their brand. Today customers are of the view that if it is a well-known company, it undertakes certain activities not merely for the motive of profit but also for a social concern.

Consumer behaviour is the study of behaviour of consumers regarding purchasing decisions. It examines the psychological, social and economical factors that affects buying behaviour. It is an integral part of human behaviour which is shown by him at the time of buying goods and services for personal consumption. It is a type of decision making process which involves the actions they take in

the market place. Various determinants of consumer behaviour are wants, needs, education, age, income, attitudes, habits, motives etc. It is noted that CSR practices influence the consumer behaviour and it acts as promotional tool for organizations. As we know that most of Nowadays consumers become more literate and understand about what actually Corporate Social Responsibility means. They are more loyal towards those companies which fulfill their social responsibilities.

Objectives of the study :

- To analyze the impact of CSR practices on consumer's buying behaviour.
- To examine the attitude of consumers towards CSR.
- To study the leading companies indulging in CSR.
- To find out the level of awareness of consumers about CSR practices.

Review of Literature :

Corporate Social Responsibility (CSR) has emerged as a key strategic tool for businesses, influencing consumer perceptions and purchase decisions. Consumers increasingly prefer socially responsible companies, associating CSR with trustworthiness and credibility (Mohr et al., 2001). Studies suggest that consumers develop positive emotional connections with brands that engage in meaningful CSR activities (Bhattacharya & Sen, 2004). The concept of "perceived corporate benevolence" (Lichtenstein et al., 2004) highlights how consumers attribute a company's CSR actions to genuine concern rather than mere profit-driven motives.

Research Methodology :

Research methodology refers to the systematic approach used to conduct research, including the selection of research methods, data collection techniques, and analysis procedures. It ensures the reliability, validity, and accuracy of findings. There are two types of data collection methods i.e. primary data and secondary data. Primary data is generated when a researcher collects information by employing mail questionnaires, telephonic surveys, personal interviews, observations and experiments. Secondary data, on the other hand, include those data which is collected from some earlier research or by newspapers review, magazines etc. This research paper is purely based on secondary data basis.

Impacts of CSR on consumer behaviour :

CSR and Brand Trust :

Brand trust refers that consumers believes and rely on the such brand positively. Those brands are most trustworthy for Consumers that fulfill their social obligations alongwith their primary objective of profit earning. e.g. **Microsoft** is a global leader in CSR, with initiatives spanning sustainability, ethical business practices, digital inclusion, and social impact.

CSR and Buying Intention :

Buying intention stands for what consumers would like to buy in the future. It is seen as a key indicator for companies and is used as a proxy for the actual behaviour of consumers, as it predicts the probability of the consumer making a purchase in a given period of time. Consumers are more likely to buy from brands that demonstrate ethical responsibility. Consumers feel good about supporting brands that contribute to social and environmental causes. e.g. **Starbucks**: Ethical sourcing policies enhance customer trust and repeat sales.

CSR and Customer Loyalty :

Customer loyalty is such an asset for the business firms which are very beneficial in the long run for a business. CSR has significant impact on customer loyalty by enhancing a company's reputation, building emotional connections, and fostering trust. e.g. **Unilever**: Sustainability-focused initiatives improve its global reputation.

CSR and Customer Satisfaction :

CSR plays a crucial role in enhancing customer satisfaction by fostering trust, creating positive brand perception, and improving overall customer experience. Consumers feel good about supporting brands that prioritize environmental and social responsibility. e.g. **Nike**: Focus on sustainability and social responsibility strengthens customer engagement.

CSR and public Image :

Good public image is very required for business to serve more customers, better employees and higher profiles. CSR plays a vital role in shaping a company's public image, as socially responsible businesses are perceived as ethical, trustworthy, and committed to societal well-being. e.g. **Google**: Investments in renewable energy strengthen its responsible brand image.

CSR and Standard of living :

CSR spreads awareness among the every member of the society. CSR initiatives can significantly improve the standard of living by promoting economic growth, environmental sustainability, and social well-being. e.g. **Tata Group's Social Initiatives**: Invests in education, healthcare, and rural development in India.

CSR and Natural Environment :

CSR and the natural environment are closely linked, as businesses are increasingly expected to operate sustainably and minimize their environmental impact. CSR in relation to the environment involves a company's voluntary efforts to go beyond regulatory compliance and actively contribute to environmental protection. e.g. **Tesla :** Focuses on electric vehicles and renewable energy to reduce carbon emission.

Case Study of Mamaearth Company :

Mamaearth, an Indian personal care brand, has a strong Corporate Social Responsibility (CSR) focus, primarily on sustainability and environmental conservation. It focuses on safe, eco- friendly, plant based ingredients for health conscious consumers.

CSR Practices Undertaken by Mamaearth :

- Tree planting initiatives
- Plastic recycling initiatives
- Eco friendly packaging
- Collaboration with NGO's
- Water conservation and carbon neutrality goals
- Education and awareness campaigns

Limitations of Study :

- This study is based on secondary facts only.
- Time constraints is there.
- Consumers may perceive CSR initiatives differently based on personal values, culture, or prior experiences.

Conclusion :

CSR is good for both the company as well as society by bringing enormous benefits to both the sides. CSR has great significant impact on consumers behaviour as they are more loyal and committed with the companies indulging with CSR. The corporations are benefited in terms of better public image, customer loyalty, long term self interest etc. and society is benefited in terms of technology and infrastructure, increased quality of education, better health and security of people. In short we can say that following the norms of CSR will result in higher standard of living of the people of society. Therefore companies should perform their social responsibilities positively.

References :

1. Harris K.E., Mohr L.A. & Webb D.J.,(2001) The impact of Corporate Social Responsibility on Buying behaviour, Journals of Consumer affairs, 45-72 ll
2. Bakewell, C., & Mitchell, V. W. (2003). Generation Y female consumer decision-making styles. International Journal of Retail & Distribution Management, 31(2), 95-106.
3. Bhattacharya, C.B. &Sen, Sankar. (2004). Doing Better at Doing Good: When and How Consumers Respond to Corporate Social Initiatives, California Management Review. 9-24.
4. Gupta, C.B.(2015), "Corporate Governance and Social Responsibility", MKM Publisher Pvt. Ltd., New Delhi.

5. Ruchi Jain, Tanya Kailey (2016), "Impact of CSR Practices on Consumer Buying Behaviour" IISUniv.J.Com.Mgt. Vol.5(1), 66-76
6. AKANCHHA SINGH(2018), " The benefits of CSR to the company and society", IJCRT1801578 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org
7. https://www.mdpi.com/2079-9292/11/15/2442
8. https://www.slideshare.net/mobile/RobbySahoo/corporate-social-responsibility-13975540
9. https://www.slideshare.net/mobile/madangkiram
10. https://www.scribd.com/presentation/807804773/MAMAEARTH

Email id- rishitpaul15@gmail.com
Contact: 9779511015

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 69–72

Artificial Intelligence (AI) in communicating with customers in Hotels : Its Role and Challenges

Mr. Pankaj
Research scholar, MMICT & BM (Hotel Management) Maharishi Markandeshwar (Deemed to be University) Mullana. Ambala, Haryana.

Abstract :-

Artificial intelligence AI -driven chatbots, personalized recommendations, and automated assistance transform customer interactions, providing instant responses and personalized experiences. However, there are a lot of advantages to artificial intelligence, such as higher consumer happiness and enhanced productivity.This overview paper explores how hotels and consider the challenges AI faces in guest communication. In Artificial Intelligence Algorithms. It's no exaggeration to say that AI plays an important role in how hotels communicate with their guests today, but there are also a number of challenges to keep in mind when communicating with guests.

Keywords :- Chatbot, Hotel, Guest Satisfaction, Artificial Intelligence

Introduction :-

AI In Hospitality :

Artificial intelligence (AI) is described as a thinking capability generated by people since the term is derived from two words: artificial, which denotes anything created by humans, and intelligence, which denotes the capacity for independent thought. Artificial intelligence (AI) is the computer emulation of human intelligence functions, especially computer systems.

AI is being used widely in the hotel sector, from chatbots for online reservations to customer support robots. Users' experiences are impacted differently by each AI tool. Analysing customer reviews can help determine how AI is affecting company and customer ratings in hotels and provide important information about how successful these technologies are. Chatbots provide a number of noteworthy benefits.

- **Front Office and Guest Services** : Chatbots and virtual assistants are used to answer questions from visitors, manage check-in and check-out procedures, and offer tailored suggestions for

restaurants, nearby sights, and facilities. - Voice recognition systems driven by artificial intelligence (AI) provide hands-free interactions by letting visitors ask questions or make requests using voice commands.

- **Reservation and Revenue Management :** Using market trends, demand projections, and past booking data, AI algorithms optimize pricing strategies and increase revenue through dynamic pricing. - AI-driven booking systems make personalized accommodation recommendations and package offers by using predictive analytics to foresee visitor preferences.
- **Customer Relationship Management (CRM)** : To generate comprehensive visitor profiles and tailor messages, AI-powered CRM systems gather and examine guest data from many touchpoints, such as social media, email exchanges, and prior visits. Utilising automated email marketing campaigns.
- **Cleanliness and Upkeep** : Artificial intelligence-enabled sensors and Internet of Things gadgets track the number of rooms occupied, energy consumption, and equipment performance, enabling anticipatory repairs and effective resource distribution. - Human personnel is able to focus on more difficult jobs by using robotic housekeeping helpers to carry out mundane activities like refilling supplies, providing amenities, and cleaning floors.
- **Food and Beverage Services :** AI-powered chatbots and smartphone applications simplify ordering for in-room dining, room service, and restaurant reservations by providing customized menu recommendations based on prior orders and dietary restrictions. Artificial intelligence (AI)-powered inventory management systems minimize waste and guarantee timely replenishment by optimizing stock levels, monitoring expiry dates, and forecasting ingredient demand.

Challenges in Customer Communication in Hotels :

The utilization of artificial intelligence technologies process has dramatically changed how hotels communicate with customers in the hospitality industry. Hotels must face several customer communications challenges to increase guest experience and operational efficiency utilizing AI-driven communication tools:

Flexibility to technologies : The integration of AI-powered communication tools into current hotel systems challenge of compatibility and staff training levels is displayed to be key components Privacy and security at stake: Maintaining customers' data collected and processed by AI systems confidential and secure is a vital factor to build trust among hospitality businesses and customers and fulfil legislative requirements. Accuracy and Reliability: In order to guarantee accurate interpretation of visitor inquiries and dependable information delivery, artificial intelligence algorithms must be continuously improved.

Personalization vs. Intrusiveness : AI-driven communication faces a difficult task in juggling

privacy issues and personalized guest experiences to avoid coming across as overbearing

Human Touch vs. Automation : To effectively accommodate guests' tastes and wants, the proper balance between automation and human connection must be struck.

Cultural Sensitivity and Language Support : To prevent misunderstandings, AI systems need to be able to comprehend and react to a variety of languages and cultural quirks

Constant Monitoring and Improvement : To guarantee peak performance and customer satisfaction, AI systems must be continuously monitored and improved.

Conclusion :

The hospitality industry is revolutionising the consumer experience through the integration of artificial intelligence (AI) into customer communication, especially in hotels. AI-powered chatbots, personalized recommendations, and automated support have many benefits, but they also pose challenges that need to be addressed. These challenges include technology integration, data privacy and security issues, ensuring the accuracy and reliability of AI algorithms, balancing personalization and privacy, balancing human touch and automation, cultural considerations, continuous monitoring and improvements. Addressing these challenges is essential for hotels to harness the full potential of AI to improve guest satisfaction and operational efficiency. Moving forward, continued research and development of AI-based communication tools, along with strategic implementation strategies, will be key to overcoming these challenges and delivering a superior experience to hotel guests.

References :

1. Journal of Modern Hospitality ISSN: 2958-4787 (online) Vol.2, Issue No.1, pp 1 – 13, 2023
2. International Journal on Customer Relations 7 (2) 2019, 27-33 http://publishingindia.com/ijcr/
3. Limna, P. (2022). Artificial Intelligence (Al) in the hospitality industry: A review article International Journal of Computing Sciences Research. Advance online publication. doi:10.25147/ijcsr.2017.001.1.103
4. Khan, M., et al. (2019). "Application of Artificial Intelligence in Food and Beverage Management: A Comprehensive Review." International Journal of Hospitality Management, 12(1), 145-159
5. Brown, A. (2019). "The role of artificial intelligence in the hospitality industry." International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31(12), 4767-4781.
6. Smith, J. (2020). "Ensuring guest data privacy in AI-driven hotel communication." Journal of Hospitality and Tourism Technology, 11(3), 456-468.

7. Johnson, R., et al. (2018). "Improving the accuracy of AI-driven communication in hotels." Journal of Travel Research, 57(4), 543-556.
8. Choi, S., & Kim, M. (2021). "Balancing personalization and privacy: Challenges in AI-driven hotel communication." Tourism Management, 85(5), 104293.
9. Xu, L., et al. (2019). "Human-AI interaction in hotel communication: A review." International Journal of Hospitality Management, 78(2), 104-117.
10. Li, Y., & Chen, H. (2020). "Addressing cultural sensitivity in AI-driven hotel communication." Journal of Hospitality and Tourism Technology, 11(4), 597-610.
11. Wang, Q., et al. (2021). "Continuous improvement of AI-driven hotel communication." Journal of Hospitality Marketing & Management, 30(2), 278-291.

pankaj.dangi98@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 73–77

वर्तमान परिवेश में डिजिटल मार्केटिंग

श्रीमती शीतल केरकेट्टा
असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, विष्णु चरण गुप्ता शासकीय महाविद्यालय पुसौर, रायगढ़ (छ.ग.)

सार :–

इंटरनेट से लोगों की सांसे चलती है यदि ऐसा कहा जाए तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी क्योंकि आज का समाज इंटरनेट का इतना आदि हो गया है कि सुबह उठते ही वह फोन चलाता है और सोने के पहले भी वह फोन से ही चिपका रहता है अर्थात् अपना पूरा समय फोन मे ही व्यतीत करता है। तो ऐसे में डिजिटल मार्केट कैसे पीछे रह सकती है जब उसे मालूम है कि उसके ग्राहक उसे कहां पर मिलेंगे कहां से मंगवाना है कौन सी साइट है। आज जो व्यक्ति स्मार्ट फोन का उपयोग भले ही न करता हो किन्तु उसे भी मालूम है कि सामान मँगवाने के लिए एक ऑनलाइन प्लैटफार्म है। जहां से सामान मंगवाया जा सकता है उदाहरण के तोर पर छोटे बच्चे एवं बुजुर्ग व्यक्ति। आज सभी को इसके बारे में जानकारी है। विश्व में आज दूसरे नंबर पर इंटरनेट के उपयोगकर्ता के रूप में भारत उभर रहा है जो स्पष्ट करता है कि लोगो पर किस तरह डिजिटल शॉपिंग का जादू सर चढ़कर बोल रहा है डिजिटल मार्केट में नवीनतम रुझान देखने को मिल रहे हैं जैसे मोबाइल मार्केटिंग, S. E. O, AI, Voice Search, Visual Search, Social Commerce, Programmatic Advertising, शॉर्टकट वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग आदि का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जो यह दर्शाता है कि आने वाले समय में विक्रेता अपने ग्राहकों से सीधा संपर्क साध सकेंगे। प्रत्येक व्यपारी चाहे छोटा हो या बड़ा अपना खुद का ब्रांड बना सकेंगे तथा अपने व्यापार को अधिक से अधिक फैला सकते है। जहां स्थानीय बाजार के लिए एक निर्धारित समय होता है लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का कोई निर्धारित समय नहीं होता यहा 24'7 कार्य होता है। कुछ चुनौतियाँ जरूर है जैसे समझ की कमी होना, उच्च लागत का डर, पुरानी पद्धति के साथ सहजता, सिमित कौशल का होना, फ्रॉड होने का डर फिर भी बेहतर कल के लिए डिजिटल मार्केटिंग ने सामाज में अपना लोहा मनवा लिया है।

कीवर्ड :– डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट, सोशल मीडिया।

प्रस्तावना :–

एक ऐसा मार्केट जहां वस्तुओं के क्रेता एवं विक्रेता दोनों रहते हैं वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय तो होता है परंतु वे एक दूसरे के आमने सामने नहीं रहते हैं यहां पर विपणन करने के लिए ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग को अन्य नाम से भी जाना जाता है जैसे–ई मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, ई–कॉमर्स, साइबर विपणन, ऑनलाइन विपणन इत्यादि पारंपरिक विपणन की ही भांति

डिजिटल विपणन में भी व्यापार इकाई की रणनीति बनाना, बाजार अवसरों की खोज करना, विपणन की रणनीति बनाना, ग्राहकों का अनुभव अन्वेषण करना, विपणन कार्यक्रम का अभिकल्पन करना, ग्राहकों की संतुष्टि को बनाए रखना एवं विपणन कार्यक्रम का मूल्यांकन करना आदि समस्त क्रियाओ को ऑनलाइन विपणन में भी किया जाता है जहां पारंपरिक विपणन के लिए स्थान का विशेष महत्व होता था। वहीं अब डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंटरनेट का विशेष महत्व हो गया है क्योंकि यह मार्केट इंटरनेट पर ही निर्भर है। यहां पर वस्तुओं को इंटरनेट या ऑनलाइन के माध्यम से बेचा व खरीदा जाता है। वर्तमान में हम देखें तो पाएंगे कि आज हर क्षेत्र में डिजिटल मार्केट ने अपनी अच्छी खासी पकड़ बना रखी है। हम कुछ साल पहले के बारे में सोचे तो हम पाएंगे कि उपभोक्ता केवल अपने क्षेत्र की वस्तुओं तक सीमित था। उसके आसपास के क्षेत्र में जो वस्तुएं उपलब्ध थी केवल वह उन्हीं को खरीद व बेच पाता था या कभी बाहर चले जाए तो दूसरे शहर से वस्तुओं को खरीदता था पर आज ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से वह पूरी दुनिया की वस्तुओं के बारे में जानकारी रखता है। वह कभी भी किसी भी समय वस्तुओं को देख, खरीद वा बेच सकता है। अब एक उपभोक्ता के पास विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं को खरीदने के विकल्प है। आज लोगों में इंटरनेट का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हर कामकाजी पेशावर के लिए डिजिटल मार्केटिंग से परिचित होना आम बात हो गई है। चाहे वह इसका हिस्सा हो या ना हो सरल शब्दों में कहे तो डिजिटल मार्केट अपने उत्पाद या सेवाओं को ऑनलाइन बढ़ावा देने का तरीका है।

इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2024 से पता चलता है कि 2024 में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता 886 मिलियन तक पहुंच गए है जो कि 8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। 488 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ ग्रामीण भारत इस वृद्धि में सबसे आगे है जो कुल इंटरनेट आबादी का 55 प्रतिशत है।

हम पिछले कुछ सालों का आंकड़ा देखते हैं तो पाते हैं कि वैश्विक स्तर पर इंटरनेट का उपयोग करने वाली संख्याओं में लगातार वृद्धि हो रही है और यह साल दर साल बढ़ती जा रही है। इंटरनेट आज दुनिया भर के कई लोगों के लिए जरूरी उपकरण बन गया है। 5500 मिलियन से ज्यादा लोग इसका नियमित रूप से इस्तेमाल कर रहें हैं। इसने दुनिया में संचार को बहुत तेज किया है।

2024 में वैश्विक इंटरनेट उपयोग में विश्वभर में 5'52 बिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता है जो कुल जनसंख्या का 67'1 प्रतिशत हिस्सा इंटरनेट का उपयोग करता है चीन में इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या सबसे अधिक 1'1 बिलियन है इसके बाद दूसरा भारत का स्थान है जहां 881'3 मिलियन तथा तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका जहां 311'3 मिलियन उपयोगकर्ता हैं।

व्यवसाय में डिजिटल मार्केटिंग की भूमिका :-

व्यवसाय करने के लिए एक निश्चित स्थान और समय की जरूरत रहा करती थी जो कि पारंपरिक मार्केटिंग के लिए अति आवश्यक हुआ करता था। परंतु अब आधुनिक युग में जितना समय हम इंटरनेट पर बिता रहे हैं। उसी से हम समझ सकते हैं कि आज डिजिटल मार्केटिंग का महत्व कितना बढ़ चुका है। आज विज्ञापन और प्रचार–प्रसार करने का तरीका डिजिटल हो गया है। वैश्विक डिजिटल विज्ञापन और विपणन बाजार का 2026 तक 786'2 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का अनुमान है जो कि यह दर्शाता है कि डिजिटल मार्केटिंग सभी व्यवसायों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। डिजिटल मार्केटिंग वाले बाजारों में अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग दिखने

का मौका देती है।

थॉमप्सन की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार ''भारत में सबसे बेसब्र ऑनलाइन खरीदार है और लगभग 38 प्रतिशत उपभोक्ता उम्मीद करते हैं कि उनकी डिलीवरी 2 घंटे से भी कम समय में हो जाएगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज तेजी से बढ़ता जा रहा है। पहले जहां कंपनियां कस्टमर को जोड़ने में काफी मेहनत करती थी परंतु आज कस्टमर खुद ही ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद कर रहे हैं। वे डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं चाहे कोई छोटा हो या कोई बड़ा सामान सभी की पहली पसंद ऑनलाइन शॉपिंग की हो गई है। आज भारत में स्विग्गी इन्स्टामार्ट, अमेजॉन ग्रॉसरी, फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी, बिग बॉस्केट नाउ, जैसे कई क्विक किराना प्लेटफार्म है जो कि ग्राहकों को नियत समय सीमा के अंदर किराने का सामान पहुंचाता है।

थॉमप्सन के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत दूसरे सबसे अधिक उत्पादन लौटाने वाला देश है जहां से साफ हो जाता है कि भारतीय खरीदारी के लिए अधिकतर डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करते हैं।

इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार 71 प्रतिशत भारतीय उपभोक्ता त्योहारों के सीजन में ऑनलाइन खरीदारी करने का ज्यादा इरादा रखते हैं।

बेन एंड कंपनी के अनुसार – वर्ष 2021 में 40 अरब डॉलर की ऑनलाइन खरीदी भारतीयों ने की थी जो की 2030 तक 350 अरब डॉलर के पार होने की संभावना है।

आईएमएफ के अनुसार – भारत सरकार जीडीपी का 1'1 फीसदी डिजिटल सुविधाओं के विस्तार पर खर्च कर रही है। अनुमान है कि इस क्षेत्र में भारत को वर्ष 2025 तक 23 अरब डॉलर का निवेश करना होगा जो यह दर्शाता है कि डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में भारत के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं।

इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है के भारत मे डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से बढ़ रहा है। आज कोई भी व्यक्ति समय की बचत को विशेष ध्यान देता है और इसीलिए शायद ऑनलाइन शॉपिंग इतना फल फूल रहा है क्योंकि लोगों के पास या व्यक्ति के जीवन शैली इतनी व्यस्त हो गई है कि वहा बाजार में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित ना होकर भी अपने कार्य को संपन्न कर सकते है।

डिजिटल मार्केटिंग में नवीनतम रूझान या भविष्य :-

1. **मोबाइल मार्केटिंग** – आंकड़ों से ज्ञात होता है कि आज मोबाईल का उपयेाग करने में कोई अछूता होगा क्योंकि इंटरनेट का उपयोग करने में भारत का दूसरा स्थान है। ऐसे में कंपनियां नेट पर अपने ब्रांड की मार्केटिंग करती रहती है। यही वजह है कि अब डिजिटल मार्केटिंग मोबाइल रणनीतियों में एसएमएस मॉनिटरिंग व्हाट्सएप द्वारा मार्केटिंग वेबसाइट द्वारा मार्केटिंग और बेहतर अनुभव के लिए मोबाइल ऐप द्वारा मार्केटिंग कर रहे हैं।
2. S.E.O - डिजिटल मार्केटिंग में इसका रुझान बहुत आगे बढ़ गया है। खासकर के जेनरेशन ग्रुप के द्वारा इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। यह आपकी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखने में मदद करता है।
3. **AI** - AI की मदद से डाटा का विश्लेषण किया जाता है पैटर्न पहचाने जाते हैं और उन पैटर्न के आधार

पर निर्णय लिए जाते हैं। इसकी मदद से डिजिटल मार्केटिंग की दक्षता और सटीकता बढ़ती है।

4. **Voice Search -** वॉइस केंद्रित डिजिटल रुझान एक बिलियन से अधिक मासिक खोज को दर्शाते हैं। 2025 के लिए यह डिजिटल मार्केटिंग के प्रति रुझान को दर्शाते हैं।

5. **Visual Search -** यह टाइप करने की पारंपरिक विधि के बजाय छवि का उपयोग करके इंटरनेट पर उत्पादन की खोज करने का एक नया तरीका है। लगभग 10 मिलियन मासिक खोज को बताता है।

6. **Socical Commerce -** सोशल कॉमर्स से आज कोई भी अछूता नहीं है। इंस्टाग्राम फेसबुक टिकटोक ट्विटर यु–टुब हो या कोई दूसरा प्लेटफार्म आज व्यवसाय को एक नई ऊंचाइयों पर ले गया है।

प्रोग्रामेटिक एडवरटाइजिंग, शॉर्ट वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग आदि भी प्रमुख है :–

हम अपने आसपास या समाज में डिजिटल मार्केटिंग के लाभ भी देख सकते हैं कि यह सुविधा व तुरंत सेवा प्रदान करती है। घर बैठे उपभोक्ता संसार के किसी भी कोने से वस्तुएं खरीद सकता है और उसे उसके बजट के हिसाब से वस्तुएं मिल भी जाती है जो उसे कुछ दिनों या उसी दिन भी प्राप्त हो जाती है। केवल ग्राहकों को ही नहीं विक्रेताओं को भी इससे अनेक लाभ है विक्रेता 24'7 अपनी वेबसाइट की बिक्री बढ़ा सकता है क्योंकि उपभोक्ता किसी भी समय ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन में समय की कोई सीमा नहीं होती यहां 24 घंटे कार्य होने के बावजूद भी विक्रेताओं को अपने स्टाफ को इसके लिए अधिक समय का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है जो कि यह स्पष्ट करता है कि विक्रेता का समय व लागत दोनों ही कम लगती है। साथ ही अधिक मात्रा में निवेश करने की आवश्यकता अर्थात अधिक स्टॉक रखने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि जब आदेश आएगा तभी निर्माता से माल मंगाकर वस्तु की पूर्ति की जा सकती है। ई–मार्केटिंग में ग्राहकों की प्रतिक्रिया भी तत्काल प्राप्त हो जाती है जिससे ग्राहकों के विषय में अन्वेषण करने की सुविधा प्राप्त होती है। अतः आधुनिक समय में डिजिटल मार्केटिंग एक नयी अवधारणा बन गई है।

निष्कर्ष :–

भले ही सब आधुनिक हो गए हो फिर भी कुछ चुनौतियां है या यह कहा जाये कि डिजिटल के हाथों की कुछ बेड़ियां है। जैसे तकनीक की कमी या जो लोग तकनीक पर निर्भर हैं। वह ही डिजिटल मार्केटिंग का फायदा या उपयोग कर पा रहे हैं क्योंकि छोटे–छोटे शहरों में आज भी इंटरनेट की सुविधा सही ढंग से उपलब्ध नहीं है। लोगों का एक दूसरे से फोन पर बात करना ही मुश्किल हो जाता है तो ऐसे में वह ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। ऐसे में यदि वह ऑनलाइन मार्केटिंग करते भी है तो उन्हें उस पर विश्वास नहीं रहता लोगों को डिजिटल दुनिया की गोपनीयता पर विश्वास भी नहीं है। क्योंकि पेमेंट का माध्यम डेबिट क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग हो सकता है। जिससे उन्हें डर लगता है कई बार उपभोक्ता गलत साइड से भी सामान मंगवा लेता है। जिससे उन्हें गलत समान भेज दिया जाता है। बहुत से वेबसाइट ऐसे हैं जो केवल उपभोक्ताओं को गलत समान या बेवकूफ बनाने के लिए ही बैठे हुए हैं और ग्राहकों की ना समझी का फायदा उठाते हैं। खास करके सोशल मीडिया में कई साइट ऐसी रहती है जो व्यक्तियों को मोहित कर लेती है। सामान खरीदने के लिए और जब उपभोक्ता वह वस्तु खरीद लेता है तो उन्हें गलत समान दिया जाता है। जागरूकता की कमी या समय की व्यस्तता के कारण भी उपभोक्ता इसकी शिकायत नहीं करते यह निम्न चुनौतियां होने के बावजूद भी यह एक जरूरत बन गयी है क्योंकि यह आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने सही ग्राहकों को खोजने बेहतरीन

निर्णय के लिए डाटा का उपयोग समय की बचत प्रदान करती है और इन सब के चलते ही व्यवसाय में डिजिटल मार्केटिंग ने एक क्रांति पैदा करती है।

संदर्भ सूची :-

1. विपणन के सिद्वांत, लेखक डॉ. एस. सी. जैन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 301–306
2. www.sganlytics.com
3. www.skilfloor.com
4. www.futurlearn.com
5. www.kdnuggets.com
6. www.threedigital.com
7. www.business-standard.com
8. www.hindi.news18.com
9. www.m.economictimes.com
10. www.google.com
11. www.ijnrd.org

sheetaltigga@gmail.com
9039980028

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 78–80

प्रेमचंद का पत्रकारीय स्वरूप : साहित्य से समाज तक

अमित कुमार यादव
शोधार्थी, वाराणसी– 221005

प्रेमचंद का नाम भारतीय साहित्य में कथा और उपन्यास सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित है, लेकिन उनकी पत्रकारिता भी उतनी ही प्रभावशाली थी। प्रेमचंद के दौर में देश स्वतंत्रता संग्राम की आग में जल रहा था। हर भारतीय अपने–अपने तरीके से इस संघर्ष में योगदान दे रहा था और पत्रकारिता इस आंदोलन का एक सशक्त माध्यम बनकर उभर रही थी। प्रेमचंद न केवल साहित्य के माध्यम से, बल्कि पत्रकारिता के जरिए भी इस आंदोलन में सक्रिय भागीदार बने। उन्होंने अपने लेखों और संपादकीय टिप्पणियों के जरिए राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने 'हंस', 'माधुरी', 'जागरण' जैसी पत्रिकाओं में लेख लिखकर अपनी पत्रकारिता को समाज और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला।

प्रेमचंद के अंदर बचपन से ही पत्रकार बनने की इच्छा थी। उन्होंने अपने मित्र दयानारायण निगम को लिखे एक पत्र में इस इच्छा को व्यक्त भी किया था। दयानारायण निगम ने उन्हें उर्दू में एक पत्रिका निकालने का निमंत्रण दिया था, और यहीं से प्रेमचंद की पत्रकारिता यात्रा को एक नई दिशा मिली। वे न केवल कहानियाँ और उपन्यास लिखते थे, बल्कि पत्र–पत्रिकाओं में स्तंभ, संपादकीय आलेख और टिप्पणियाँ भी लिखते थे। वे जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सर्वोपरि मानते थे और कभी भी अन्याय के विरुद्ध बोलने से पीछे नहीं हटे। अंग्रेजी शासन और उसकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ उन्होंने खुलकर लिखा, जिसके कारण उन्हें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

उनकी पत्रकारिता की सबसे बड़ी विशेषता उनकी निर्भीकता थी। वे सरकारी तंत्र की आलोचना करने में कभी नहीं झिझके। 'हंस' और 'जागरण' में उनके लेखों के कारण दो बार उनकी जमानत जब्त करनी पड़ी। एक पत्रकार के रूप में प्रेमचंद ने 1903 में 'आवाजे खल्क' में 'ओलिवर क्रॉमवेल' पर टिप्पणियाँ लिखकर अपने लेखन की शुरुआत की। यह लेखमाला 1 मई 1903 से 24 सितंबर 1903 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा वे 'स्वदेश' और 'मर्यादा' में भी रिपोर्ट और टिप्पणियाँ लिखते थे। उर्दू के प्रसिद्ध पत्र 'जमाना' में वे न केवल रिपोर्ट और संपादकीय लिखते थे, बल्कि 'रफ्तार–ए–जमाना' नामक एक स्थायी स्तंभ भी लिखते थे।

प्रेमचंद की पत्रकारिता उनके साहित्य की तरह ही प्रखर थी। उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली थी। वे इस बात पर बल देते थे कि पत्रकारिता की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो पाठकों पर तुरंत प्रभाव डाले और आसानी से समझ में आए। वे मानते थे कि कथन की स्पष्टता, भाषा की सरलता और सम्प्रेषणीयता इतनी

प्रभावी होनी चाहिए कि कोई भी पाठक किसी भी समाचार को नजरअंदाज न कर सके। 'हंस' के जनवरी 1934 के अंक में उनकी एक छोटी सी टिप्पणी प्रकाशित हुई थी, जिसका शीर्षक था– 'अच्छी और बुरी सांप्रदायिकता'। इस टिप्पणी में उन्होंने 'इंडियन सोशल रिफॉर्मर' पत्रिका के एक लेख का हवाला देते हुए कहा था कि सांप्रदायिकता अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। इस पर टिप्पणी करते हुए प्रेमचंद ने लिखा था– 'अगर सांप्रदायिकता अच्छी हो सकती है, तो पराधीनता भी अच्छी हो सकती है, झूठ भी अच्छा हो सकता है।'

प्रेमचंद की पत्रकारिता किसी भी प्रकार की पक्षपातपूर्ण नीति से मुक्त थी। उन्होंने हर उस विषय पर लिखा जिससे व्यक्ति, समाज या राष्ट्र का हित जुड़ा हुआ था। वे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देने के लिए पत्रकारिता कर रहे थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, हिंदू–मुस्लिम संबंधों, छुआछूत, मजदूर–किसान समस्याओं, शासन–प्रशासन, साहित्य, धर्म, दर्शन, शिक्षा, संस्कृति और भाषा जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण लेख लिखे। उन्होंने 1933–34 में 'जागरण' साप्ताहिक पत्र का संपादन किया और 1930 से 1936 तक 'हंस' मासिक पत्र का संपादन किया। उनके संपादकीय लेखों में अंग्रेजी शासन की नीतियों की कठोर आलोचना की गई थी, जिसके कारण उन्हें बार–बार ब्रिटिश हुकूमत के दमन का सामना करना पड़ा।

'जागरण' के 12 सितंबर 1931 के अंक में प्रेमचंद ने लिखा था– 'हंस की जमानत से हाल ही में गला छूटा है। पाँच महीनों तक पत्र बंद रहा, इसलिए इतनी जल्दी जमानत का हुक्म पाकर हम क्षुब्ध हुए।' इस संदर्भ में उन्होंने टिप्पणी की– 'ऐसे वातावरण में जबकि हर संपादक के सिर पर तलवार लटक रही हो, राष्ट्र का सच्चा विकास नहीं हो सकता।' यह कथन आज भी पत्रकारिता की स्वतंत्रता के संदर्भ में प्रासंगिक प्रतीत होता है। प्रेमचंद ने अपने समय में जिस तरह से पत्रकारिता की, वह आज भी एक मिसाल बनी हुई है। वे मानते थे कि पत्रकारिता को सत्ता प्रतिष्ठानों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसे निष्पक्ष और स्वतंत्र रहना चाहिए। प्रेमचंद असहमति के अधिकार को महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने कभी भी सत्ता या धन के दबाव में आकर अपनी लेखनी को कमजोर नहीं होने दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान वे एक प्रसिद्ध स्तंभकार बन चुके थे। उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश नहीं किया, लेकिन पत्रकारिता के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाते रहे। उन्होंने साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ खुलकर लिखा और ब्रिटिश हुकूमत के दमन की आलोचना की।

विभिन्न पत्रिकाओं में उन्होंने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ लिखीं, जिनमें से कुछ प्रमुख शीर्षक इस प्रकार हैं– 'स्वराज मिलकर रहेगा' (मई 1932), 'दमन की सीमा' (अप्रैल 1932), 'काले कानून का व्यवहार' (जनवरी 1933), 'शक्कर पर एक्साइज ड्यूटी' (जुलाई 1933), और 'कोहिनूर पर खोज' (जून 1935)। इन लेखों में उन्होंने साम्राज्यवाद की खुलकर मुखालफत की और जनता को जागरूक करने का प्रयास किया।

प्रेमचंद की पत्रकारिता केवल राजनीति तक सीमित नहीं थी। वे सामाजिक मुद्दों पर भी उतनी ही गंभीरता से लिखते थे। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत, सांप्रदायिकता, शोषण और अशिक्षा जैसी समस्याओं पर लगातार लेख लिखे। उनकी संपादकीय नीति के बारे में लेखक जैनेन्द्र कुमार ने कहा था कि उनकी पत्रकारिता 'ममताहीन सद्भावना' की प्रतीक थी। वे न केवल अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करते थे, बल्कि अपने पत्रों में विरोधी विचारधाराओं के लेखकों को भी स्थान देते थे।

प्रेमचंद ने पत्रकारिता को कभी भी व्यवसाय नहीं माना, बल्कि इसे समाज सुधार और जनसेवा का माध्यम समझा। वे व्यावसायिक पत्रकारिता के घोर विरोधी थे। वे ऐसे पत्रकार नहीं थे जो आर्थिक मजबूरियों के

कारण अपने सिद्धांतों से समझौता कर लें या विज्ञापनदाताओं के आगे नतमस्तक हो जाएँ। वे सनसनीखेज पत्रकारिता से दूर रहते थे और हमेशा समाज के बुनियादी सवालों पर ध्यान केंद्रित करते थे। उन्होंने आर्थिक दबावों के बावजूद पत्रकारिता को सच्चाई और ईमानदारी से निभाया।

प्रेमचंद की पत्रकारिता में उनकी संपादकीय दृष्टि हमेशा जागरूक रहती थी। वे पत्रकारिता इसलिए करते थे ताकि समाज को कुछ दिया जा सके। इसका कोई विशेष व्यावसायिक लाभ उन्हें नहीं मिलता था, लेकिन आम आदमी के दर्द और सामाजिक विषमताओं को उजागर करना उनका मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने कई प्रसिद्ध लेखकों और पत्रकारों को प्रेरित किया और साहित्य जगत को नई ऊँचाइयाँ दीं। आज जब पत्रकारिता व्यावसायिकता और राजनीतिक दबावों के कारण अपनी निष्पक्षता खोती जा रही है, प्रेमचंद की पत्रकारिता हमें याद दिलाती है कि एक सच्चे पत्रकार का कर्तव्य क्या होना चाहिए। उनकी निर्भीकता, निष्पक्षता और समाज के प्रति प्रतिबद्धता आज भी पत्रकारिता के लिए आदर्श बनी हुई है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद पत्रकारिता के उन विरले आदर्शों में से थे, जिन्होंने अपनी लेखनी से सामाजिक बदलाव की अलख जगाई। उनकी पत्रकारिता निर्भीक, तटस्थ और जनपक्षधर थी। आज जब पत्रकारिता की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो प्रेमचंद की पत्रकारिता हमें सिखाती है कि सच्चे पत्रकार का धर्म केवल सत्य और न्याय की रक्षा करना होता है।

सन्दर्भ ग्रंथ :-

1. स्वाधीनता संग्राम में मुंशी प्रेमचंद का योगदान – डॉ. रतन कुमारी।
2. प्रेमचंद की पत्रकारिता के सरोकार (लेख)– विनीत नारायण प्रेमचंद।
3. कहानीकार ही नहीं, पत्रकार (लेख) – लाइव हिन्दुस्तान डाट काम में छपा था–11 जुलाई 2009

ईमेल – amitrsjnu@gmail.com

Mob. 7398459320

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 81-85

भारत में इंटरनेट कर्फ्यू एवं मौलिक अधिकार : एक विश्लेषण

विवेक कुमार सिंह
सहायक प्राध्यापक (विधि विभाग), शासकीय विधि महाविद्यालय, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत।

शोध सार :–

विश्व में भारत इंटरनेट का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता देश है, यदि इंटरनेट सेवाएं बंद की जाती है तो यह लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करने जैसा है। शासन–प्रशासन जनता को अपनी बात बोलने से नहीं रोक सकते। इंटरनेट को बंद करना उचित है या नहीं, आज यह बहस का विषय है।

कीवर्ड :– इंटरनेट, मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति, कानून आदि।

प्रस्तावना :–

वर्तमान समय में इंटरनेट बहुत बड़ी आवश्यकता बन गया है। इसके बिना अब कोई भी कार्य करना आसान नहीं रह गया है या हम कह सकते हैं। हमें इसकी आदत हो चुकी है। इंटरनेट के जरिए ही आज लोग अपनी भावनाओं को दर्शाते हैं। आम जनता को अपनी बात रखने से मना नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र की यह बहुत बड़ी खूबी है कि इसमें सभी को स्वतंत्रता एवं समानता मिली हुई है। भारत जैसे विविधता से भरे देश में मतभेदों का होना स्वभाविक है। लोकतंत्र की यह खूबसूरती ही है कि हम लोग विरोध प्रदर्शन, धरना, हड़ताल इत्यादि कर पाते हैं।

अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार :–

इंटरनेट के इस्तेमाल को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19, 1, A के तहत मौलिक अधिकार माना है। साथ ही कहा कि इंटरनेट पर अनिश्चितकाल के लिए पाबंदी मौलिक अधिकारों का हनन है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा गुलाम नबी आजाद बनाम भारत संघ एवं अन्य के वाद में जस्टिस एन. वी. रमन्ना, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी. आर. गवई तीन जजों की बेंच ने कहा कि बोलने की आजादी और भिन्न राय दबाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। यह सत्ता का दुरुपयोग कहलाता है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 रद्द होने के बाद से ही राज्य में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने इसी मामले की एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात कही है। व्यापार, शिक्षा, आजीविका और अभिव्यक्ति के लिए इंटरनेट अहम् टूल है।

अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट बंद करने का आदेश टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 के तहत स्वीकार्य नहीं है। इंटरनेट सेवाओं का अधिकार जीने के अधिकार का विस्तार है और इसमें बाधा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

फाहीमा शिरीन आर. के. बनाम केरल राज्य के मामले में केरल हाईकोर्ट ने इंटरनेट के इस्तेमाल को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार एवं निजता के अधिकार का ही हिस्सा बताया है।

मौलिक अधिकार :-

भारतीय सविधान के भाग–3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत भारत के नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह स्वतंत्रता केवल भारत के नागरिकों को ही प्रदान की गई है, किसी विदेशी को नहीं।

पाबंदी अनुच्छेद 19 (2) में बताई शर्तों के अनुसार ही लगाई जा सकती है यह शर्ते निम्न है :–

1. भारत की प्रभुता और अखंडता।
2. राज्य की सुरक्षा।
3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
4. लोक व्यवस्था।
5. शिष्टाचार या सदाचार के हितों में।
6. न्यायालय अवमान।
7. मानहानि।
8. अपराध – उद्दीपन।

भारतीय परिदृश्य :-

भारत के किसी भी राज्य में जब हिंसक घटनाएं होती है या तनावपूर्ण माहौल होता है तो सबसे पहले सरकार इंटरनेट सेवा को बंद करती है। इंटरनेट सेवा के बंद होने से सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने, कानून व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में मदद मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक एवं व्यापारिक हानि तो होती ही है साथ ही नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाई जाती है। इंटरनेट बंद होने से न्याय प्रणाली भी ठप्प हो जाती है, साथ ही बैंकिंग गतिविधियां, शैक्षणिक गतिविधियां, प्रशासनिक गतिविधियां, चिकित्सा गतिविधियां, रेलवे द्वारा आवागमन, एयरवेज, इंटरनेट बंद होने के कारण बाधित हो जाते हैं।

विश्व परिदृश्य :-

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भी इंटरनेट के प्रयोग को मौलिक आजादी माना है। कोस्टारिटा, फ्रांस, स्पेन, कनाडा इन देशों में इंटरनेट को मूल अधिकारों में शामिल कर लिया गया है। विदेशों में जनता को किसी न किसी रूप में इंटरनेट सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। भारत में इंटरनेट मौलिक अधिकार है या नहीं, इस पर भी सभी की अलग–अलग राय है। इंटरनेट विचार–अभिव्यक्ति व्यक्त करने का साधन है। उच्चतम न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 19, 1, A और 19, 1, G से जोड़ा है।

डिजिटल इंडिया :-

इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाना डिजिटल इंडिया बनाने के सपने में एक रोड़ा है। इंटरनेट आज इतनी

बड़ी जरूरत है कि व्यवसायिक रिश्तों से लेकर के निजी रिश्ते तक इस माध्यम पर निर्भर करते हैं। ऐसे में इंटरनेट बंद कर देना लोगों के लिए असुविधा का कारण बन जाता है। जिस किसी भी इलाके में कोई आपराधिक घटना या आतंकियों से मुठभेड़ या किसी समुदाय या संगठन का आंदोलन होता है तो शासन एवं प्रशासन को डर लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलने से स्थिति नियंत्रण के बाहर ना हो जाए। ऐसे में वहां कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाता हैं खासकर मोबाइल इंटरनेट सेवा को। कभी–कभी यह भी देखने को मिलता है कि परीक्षा में नकल रोकने के लिए भी इंटरनेट सेवाओं को बंद करा दिया जाता है यही वजह है कि देश में पिछले वर्षों में इंटरनेट बन्दी का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर बढ़ गया है।

विश्व में इंटरनेट बंद होने के मामले में भारत दूसरे देशों से बहुत आगे है। इंटरनेट बंद होने से टेलीकॉम कंपनियों को भी बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बताया कि इंटरनेट बंद होने से कंपनियों को हर एक घंटे में दो करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत दुनिया की राजधानी बनता जा रहा है। भारत में 2017 से लेकर 2021 तक कुल 409 बार इंटरनेट बंद हुआ है। वहीं जम्मू–कश्मीर में 223 बार, राजस्थान में 65 बार, उत्तर प्रदेश में 27 बार, बिहार में 09 बार और उत्तराखंड में 2 बार ऐसे ही अन्य राज्यों में भी इंटरनेट पर बैन लगाया गया है।

प्रकिया :-

इंटरनेट पर रोक तभी लगाई जा सकती है जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार के गृह सचिव आदेश दें। आदेश को अगले वर्किंग डे में सरकार की रिव्यू पैनल के पास भेजा जाता है। यहां पैनल 5 दिन तक आदेश का विश्लेषण करता है। इस रिव्यू पैनल में कैबिनेट सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी और टेलीकम्युनिकेशंस सेक्रेटरी शामिल होते हैं, दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से दिए गए आदेश के रिव्यु में मुख्य सचिव और सचिव भी शामिल होते हैं। मंजूरी मिलने के बाद इंटरनेट पर रोक लगा दी जाती है। वर्ष 2017 से पहले क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंटरनेट बंद करने का आदेश देते थे लेकिन केंद्र सरकार ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत टेंम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज (पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी) नियम में बदलाव किया था। जिसके बाद अब केंद्र या राज्य के गृह सचिव इंटरनेट बैंन का आदेश दे सकते हैं।

जस्टिस एन.वी. रामन्ना ने कहा कि जहां पर सुरक्षा का गंभीर खतरा हो वहां इंटरनेट पर रोक लगाई जा सकती है लेकिन इसकी भी समय सीमा होनी चाहिए। बिना उचित वजह के और अनिश्चितकाल तक लोगों की अभिव्यक्ति बाधित करने को सही नहीं ठहराया जा सकता है। सरकार इंटरनेट पाबंदी नियमों के मुताबिक एक कमेटी बनाए जो पाबंदी से जुड़े आदेशों की तुरंत समीक्षा करें। कमेटी के मुताबिक जहां इंटरनेट पर रोक लगाए रखना अभी जरूरी हो वहां हर हफ्ते इसकी समीक्षा होती रहे।

जहां इंटरनेट पर पाबंदी बनी रहेगी वहां भी इंटरनेट आधारित बुनियादी सरकारी सेवाओं को मुहैया करवाया जाए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोगों को बेवजह कहीं आने जाने से या एक जगह जमा होने से रोकना सही नहीं है बहुत जरूरी होने पर ही ऐसे कदम उठाने चाहिए। मजिस्ट्रेट रूटीन में धारा 144 लगाने का आदेश नहीं दे सकते हैं। बार–बार धारा 144 को बेवजह बढ़ाना कानूनी शक्ति का दुरुपयोग है। एक स्वस्थ जीवन और गतिशील समाज वही हो सकता है जहां अपने विचारों को रखने

की पूरी स्वतंत्रता हो। भारतीय परंपरा भी यही रही है कि हर नजरिए को बराबर सम्मान दिया जाए क्योंकि कोई भी एक विचार या दृष्टिकोण पूर्ण सत्य नहीं होता है।

उपसंहार :–

वर्तमान में इंटरनेट भावनाओं को व्यक्त करने का साधन ही नहीं, बल्कि जिंदगी की जरूरत बन चुका है। इंटरनेट बंद करने से पहले प्रशासन यह सोचे कि उपद्रव की स्थिति में इंटरनेट का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। प्रशासन को लोगों से बात करनी चाहिए, सही तथ्यों को आम जनता तक पहुंचाना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि इंटरनेट सेवा बंद न की जाए।

संदर्भ सूची :–

1. सिंह, महेंद्र पाल, वी. एन. शुक्ला कंस्टीटूशन ऑफ इंडिया, ईस्टर्न बुक कंपनी, 13वां संस्करण, 2017
2. पाण्डेय, डॉ. जय नारायण, भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 52वां संस्करण, 2019
3. बाबेल, डॉ. बसंती लाल, भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 16वां संस्करण, 2020
4. लाल, रतन तथा लाल धीरज, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, 17वां संस्करण, 2010
5. मिश्र, प्रो. सूर्य नारायण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 7वां संस्करण, 2019
6. बाबेल, डॉ. बसंती लाल, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 29वां संस्करण 2020
7. मिश्रा, एस.एन., दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 7वां संस्करण, 2019

बेयर ऐक्ट :–

1. खेत्रपाल, वी.एस., 'भारत का संविधान', खेत्रपाल लॉ पब्लिकेशन, इन्दौर, संस्करण 2020
2. मोदक, अनुपम, 'भारत का संविधान', वाइट्समैन पब्लिशिंग कंपनी, संस्करण 2021
3. यूनिवर्सलस, 'द कंस्टीटूशन ऑफ इंडिया', संस्करण 2020
4. खेत्रपाल, वी.एस., दंड प्रक्रिया संहिता 1973', खेत्रपाल लॉ पब्लिकेशन, इन्दौर, संस्करण 2021
5. यूनिवर्सलस, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, संस्करण 2020

वेबसाइट :–

1. https://www.jansatta.com/national/on-internet-issue-in-kashmir-supreme-court-said-the-right-to-live-using-the-internet-what-is-the-legal-process-to-stop-it/1284760/
2. https://hindi.livelaw.in/amp/category/news-updates/freedoms-of-speech-expression-trade-commerce-through-medium-of-internet-are-constitutionally-protected-sc-in-kashmir-case-151503
3. https://m.thewirehindi.com/article/right-to-access-internet-is-part-of-rte-and-right-to-

privacy-kerala-high-court/95390/amp

4. https://hindi.news18.com/amp/photogallery/knowledge/six-countries-where-access-to-the-internet-is-a-basic-human-right-2758882.html

- WP(C)1031/2019
- WP(C)1164/2019
- WP(C)19716/2019L
- https://www.jansatta.com/national/on-internet-issue-in-kashmir-supreme-court-said-the-right-to-live-using-the-internet-what-is-the-legal-process-to-stop-it/1284760/lite/#aoh=16188993995837&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s
- https://www.aajtak.in/india/news/story/farmers-protest-more-than-400-internet-lockdowns-last-4-years-average-cost-of-each-shutdown-2-crore-hour-1203050-2021-02-05
- https://m.economictimes.com/hindi/news/supreme-court-says-internet-fundamental-right-know-what-did-biggest-court-say/amp_articleshow/73185501.cms

vk979661@gmail.com
6260811802, 9755519128

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 86-92

बदलते सामाजिक संदर्भ व मराठी नाटक

प्रा. श्री. गौतम केदार ब्रह्मे
सहाय्यक प्राध्यापक (मराठी)

नाटक सांकल्पनिक चर्चा :-

नाटक हा ललित वाङ् मयाचा प्रकार आहे. तो एक अतिशय महत्त्वाचा साहित्यप्रकार व कलाप्रकार आहे. नाटक स्वरूपतः वाङ् मयीन आणि फलतः दृश्यात्मक आहे.

नाटक म्हणजे, 'रंगभूमीवर दृश्यात्मक रूपाने प्रयोगित होईल अशी वाङ्मयीन रचना होय' (डॉ. गो.के.भट) तर हेडलिनच्या मते, श्रंगभूमी ही वस्तुस्थिती आहे तशी दाखवीत नाही तर कशी असावी ते सांगते. संवाद हे नाटकाचे माध्यम असते तर नाटय व संघर्ष हे नाटकाचे प्राण आहेत. नाट्यप्रयोग विविध कलांच्या साहाय्याने सिद्ध होतो. कोणत्याही लिखित नाटकाची पूर्तता ही रंगमंचावरील प्रयोगातच होते. कारण नाटक प्रयोगसापेक्ष असते. नाटक आणि नाट्यप्रयोग या दोन्ही गोष्टी म्हणजे एकाच वस्तूची दोन कलात्मक रूपे किंवा एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. म्हणजेच नाटकाच्या प्रयोगाची महती येथे अधिक आहे. नाट्यसमीक्षक प्रा. मो. द. ब्रह्मे म्हणतात की, 'नाटकाला प्रयोगाशिवाय परिपूर्ती नाही आणि प्रयोगाला रसिक मान्यतेशिवाय परिपूर्ती नाही.'

बदलते सामाजिक संदर्भ :-

साधारणपणे १९८० नंतर आपल्या समाजवास्तवात मोठे स्थित्यंतर सुरू झाले. कामगार चळवळी हळूहळू थंड पडू लागल्या. मुंबईसारख्या महानगरातील कापडगिरण्या, औषधकंपन्या बंद पडू लागल्या. त्यामुळे त्यांतील कामगार वर्ग महानगरासह अर्थव्यवस्थेतूनही बाहेर फेकला गेला. संघटीत चळवळी संपू लागल्या. त्याच काळात जागतिकीरणाचे जोरदार वारे वाहू लागले. त्यातून एक नवी जीवनशैली अपरिहार्यपणे निर्माण होऊ लागली. मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे स्पर्धा, खासगीकरण यासह दबाव निर्माण झाला. जागतिक मापदंडानुसार स्वतःत परिवर्तन घडवणे, स्वतःला घडवणे सर्वांना स्वीकारावे लागले. हा ताण शहरांसह ग्रामीण भागातही दिसू लागला. यंत्रयुग, स्पर्धा, आधुनिकता इ. मुळे शेती व्यवसायावरही त्याचा बरा–वाईट परिणाम झाला व एकुणच जनजीवनाची घडी अनेकप्रकारे व झपाट्याने बदलू लागली. ग्रामीण भागात 'सेझ' सारखे प्रकल्प येऊ घातले तसेच जागतिक बाजारपेठेत टिकाव धरताना शेतकरी मेटाकुटीस आला. जागतिकीकरणातून नवी बाजारपेठ, खरेदीची संस्कृती उदयास आली. कृत्रिम गरजा निर्माण केल्या जाऊ लागल्या. यात माणसाची व्यक्तीविशिष्ट ओळख, गरज व आवड – निवड हरवत चालली आहे. सांस्कृतिक भेद नाहीसे होऊन, विविधता नष्ट होऊन आपल्या विभिन्नतेचे 'सपाटीकरण' होते आहे.

जागतिकीकरणाच्या लाटेत आपले स्वत्व कसे जपायचे हा प्रश्नच आहे. भौतिकतेच्या मागे लागलेला माणूस

वस्तू व माणसांच्या गर्दीतही एकटा झाला आहे, स्वत्वापासून दुरावतो आहे.

ग्रामीण जनतेच्या समस्या अधिक जटील होत आहेत. गुन्हेगारी वाढते आहे. माणसे विचारशक्ती हरवून बसली आहेत. स्त्रीला अजुनही सर्वत्र समानतेने, समतेने वागवले जाताना दिसत नाही. तिची घुसमट व शोषण होतेच आहे. समाजात स्वार्थ, स्वकेंद्रितता, दुटप्पीपणा इ. दुर्गुण वाढलेले दिसतात. श्रीमंत– गरीब, पुढारी – कष्टकरी यांच्यातील दरी वाढतेच आहे. दुर्बलांवरील अन्याय, अत्याचार वाढतच आहेत. स्वार्थाचे, जातीचे व धर्माचे राजकारणही सुरू आहे. शिक्षण– व्यवस्थेपासून कुटुंबव्यवस्थेपर्यंत सर्वत्र जुनी मूल्ये ढासळत असून नव्या समाजाचे भरण पोषण करणारी नवी मूल्ये निर्माण झालेली नाहीत. सर्वत्र नैराश्य वाटावे आणि 'सारेच दीप कसे मंदावले' असे वाटावे अशी विलक्षण भयग्रस्त, पोरकेपणाची, तुटलेपणाची भावना समाजमनात आढळते. मानवी जीवनात विसंवाद कोरडेपणा, दिशाहीनता, तात्कालिक फायद्यांकडे लक्ष, गतीमान जीवन इ. चे दर्शन घडते आहे. शहरीकरण वाढते आहे. 'मॉल संस्कृती' मूळ धरते आहे.

एकूण काय तर आधुनिकतेच्या ओढीमुळे जुना, पारंपरिक सांस्कृतिक किनाराही सुटला आहे. जीवनात अनेकरेषीय व्यामिश्रता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सामान्य माणूस गोंधळला असून तो व्याकूळ, अँक्शस होत आहे. तसेच इतिहासाकडे दुर्लक्ष करण्याची मनोवृत्ती वाढते आहे. व्यक्तीगत व सामाजिक जीवनात विखंडीकरण होत आहे.

१९९० नंतरच्या मराठी नाटकाचा विचार करण्यापूर्वी 'आजचे नाटक' ही संकल्पना विचारात घेणे आवश्यक आहे. थोडक्यात, आजच्या जीवनजाणीवा, जीवनसंघर्ष, जीवनचित्रण व जीवनमुल्ये चित्रित करणारे, वास्तवाचा प्रखरपणे शोध घेणारे ते आजचे नाटक.

नाटक 'आजचे' आहे हे कशावरून ठरते? एक म्हणजे नाटकातील संघर्ष 'काल' पेक्षा 'आज' किती आणि कसा चित्रित होतो, या संघर्षाला वेगळ्या पद्धतीने कसे चित्रित केले जाते त्यावरून नाटकाचे आजचेपण ठरते. या पद्धतीने विचार करता आजच्या नाटकांचे प्रमुख चार गट पडतील, १. संघर्ष नवा, २. संघर्ष जुना परंतु त्याची हाताळणी व जाणीव नवी, ३. काही विषय कधीच जुने किंवा कालचे होत नसतात अशा विषयांवरील नाटके, ४. कालदृष्टया आजची ठरणारी पण स्वतःचे वैशिष्टयपूर्ण स्थान निर्माण करणारी नाटके.

१९९० नंतरच्या नाटकांचा विचार करण्यापूर्वी १९६० ते १९९० दरम्यानच्या नाटकांची ठळक वैशिष्टये पाहणे उचित ठरेल. कारण आजचे नाटक आजचे ठरते ते कालच्या नाटकावरूनच. पूर्वीच्या नाटकांत प्रायोगिकता व व्यावसायिकता असे दोन्ही प्रवाह आढळतात. नवनाटयात मात्र आशय–विषय मांडणीचे रूप पालटले. संवाद–भाषेची जाणीवपूर्वक मोडतोड झाली. नाटककार रंगभाषेत लिहू लागले. वेगवेगळे रचनाबंध, नावीन्यपूर्व संगीत, चाकोरीबाहेरील विषय नाटकात येऊ लागले. बांधेसूद कथानकाची कल्पना नाकारली गेली, नाटयतंत्र बदलले. मूकाभिनय, अभाषित संहिता वापरली जाऊ लागली. ही प्रयोगशीलता पुढे व्यावसायिक धारेतही आली आणि मराठी नाटक अधिक समृद्ध, सशक्त व प्रगत झाले. याचे श्रेय बिनीचे नवनाटककार विजय तेंडुलकर यांना आणि त्यांच्यानंतर अशीच नवनाट्यनिर्मिती करणाऱ्या जयवंत दळवी, रत्नाकर मतकरी, गो.पु. देशपांडे, सतीश आळेकर यांना जाते.

या काळात एकीकडे परंपराप्रियता व दुसरीकडे परंपरेला छेद देऊन नवनिर्मितीची प्रेरणा व वृत्ती दिसते. यावरून असे म्हणता येते की, पूर्वीचे, कालचे नाटक समृद्ध, प्रयोगशील व दर्जेदार होते.

१९९० नंतरचे मराठी नाटक :–

या पार्श्वभूमीवर मला १९९० नंतरची काही नाटके उल्लेखनीय वाटतात. कारण त्यात बदलत्या सामाजिक संदर्भाचे विविध प्रकारे दर्शन घडते. 'आईच घर उन्हाचं' या गजेंद्र अहिरेंच्या नाटकात भारतीय पुरूषप्रधान समाजव्यवस्थेत स्त्रीला आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी झगडावे लागते. यशप्राप्तीसाठी अनेक गोष्टींचे मोल द्यावे लागते. तिला अशा वेळी यश मिळते की, त्या यशाची चव, गोडी निघून गेलेली असते. अशा या आधुनिक महत्त्वाकांक्षी बुद्धिमान स्त्रीच्या मनाचे चित्रण या नाटकात आहे. तर 'अपूर्णांक' या नाटकात दळवी कांचनमाला या नटीला उतारवयात वाटणारा एकाकीपणा आणि त्यावर उपाय किंवा पर्याय म्हणून 'कंपॅनियनशीप' सुचवितात. पण ते व्यवहार्य वाटत नाही. ही नाटके संघर्ष जुना पण हाताळणी नवी व कालीकदृष्ट्याही आजची आहेत. असेच एक महत्त्वपूर्ण नाटक म्हणजे प्रशांत दळवींचे 'ध्यानीमनी', संसारामध्ये मूल हवे असण्याची प्रबळ इच्छा पती–पत्नी दोघांनाही असते परंतु मूल नसल्याने स्त्री मानसिकदृष्टया जास्त खचते त्याचा परिणाम पती–पत्नीच्या सहजीवनावरही होतो. वास्तव आणि आभास यांच्या सीमारेषेवरील हा खेळ कसा चालू राहतो, त्याची परिणती कशी होते याचा शोध त्यांनी या नाटकात घेतला आहे. आजची स्त्री स्वतःचे कर्तृत्व व व्यक्तीमत्व जोपासताना दिसते. स्वतःच्या करियरमध्ये जास्त रस घेते. त्याचेच चित्रण 'चारचौघी' नाटकात प्रशांत दळवींनी केले आहे. यातील चौघीजणीही आपले स्वतंत्र व्यक्तीमत्व जोपासण्याचा, स्त्रीत्व जपण्याचा प्रयत्न करतात. जीवनातील समस्यांना धीराने सामोऱ्या जाणाऱ्या व नशीबाला दोष न देणाऱ्या चौघीजणी या नाटकाचे फार मोठे बलस्थान आहे. स्त्री मनाचे इतके वास्तव चित्रण यापूर्वीच्या मराठी नाटकात दिसत नाही. म्हणूनच या नाटकातील विषय व समस्या समाजाला अस्वस्थ व अंतर्मुख करतात. यात स्त्रीयांच्या प्रश्नांचा स्त्री मनाचा वेध अचूक शब्दांत घेतला आहे. म्हणून ते 'कलाकृती' दृष्टया आजचे व वैशिष्टयपूर्ण ठरते.

या काळात नवीन नाटककारांनी 'सामाजिक जाणीवा' हा विषय सातत्याने हाताळलेला दिसतो. शोषित–पिडीत स्त्रीयांच्या समस्या घेऊन लिहिलेली नाटके यात दिसतात. 'चारचौघी' मध्ये स्त्री पराभूत होणारी नसून धैयनि परिस्थितीला सामोरी जाऊन मात करणारी आहे याची जाणीव होते. श्लग्नश हे नाटक लग्नसंस्थेबाबतच्या संतापातून तिटकारा निर्माण करणारे, विवाहोत्तर स्त्रीची दुर्दशा कशी घडते ते दाखवते. तसेच 'सावल्या' हे स्त्रीच्या प्रश्नांभोवती फिरणारे, तिची परिस्थिती आणि जीवनसंघर्ष दाखविणारे नाटक आहे. 'डॉक्टर! तुम्हीसुद्धा' हे सामाजिक जाणिवेतून, वैद्यकीय व्यवसाय, त्यातील गैरव्यवहार यावर बेतलेले नाटक.

श्री. श्याम मनोहर यांची 'येळकोट' (१९९३) व 'प्रेमाची गोष्ट?' (१९९७) ही या काळातील संहिता व प्रयोग दृष्टया महत्त्वाची नाटके. यातून मानवी मनात उडणारे गोंधळ व कल्लोळ चित्रित करण्याचा ते प्रयत्न करतात. 'येळकोट' म्हणजे लैंगिकतेवरचे सोपे, नैसर्गिक आणि सहजप्रवृत्तीतून निर्माण झालेले नाटक आहे. 'एड्स' विषयावरील 'चंद्रपूरच्या जंगलात' हे चेतन दातार यांचे नाटकही अंतर्मुख करते. १९९१ मध्ये आलेले रा.रं. बोराडयांच्या कादंबरीवर आधारित 'आमदार सौभाग्यवती' हे श्रीनिवास जोशी यांचे नाटक या काळातील एक महत्त्वाचे राजकीय नाटक आहे. ते राजकारण्यांना आरसा तर दाखवतेच शिवाय सत्तेसाठी हपापलेल्या माणसामाणसांतील हीन वृत्तीचे दर्शन घडवते. ते स्त्रीयांच्या उपेक्षेचे दर्शन घडवितानाच स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या तकलादूपणावरही भाष्य करते. विद्रुप राजकारणाचे मुखवटे फाडून राजकीय सत्य शोधण्याचा प्रयत्न करते. गो.पु. देशपांडे यांचे १९९४ मधील 'चाणक्य विष्णुगुप्त' हे नाटक आजच्या भारतीय समाजव्यवस्था व राजकारणाचा विचार शेकडो वर्षापूर्वीच्या

भारतीय समाजकारण व राजकारणाच्या संदर्भातून करताना दिसते. आजचे उल्लेखनीय नाटक म्हणजे मकरंद साठेंचे 'ठोंब्या'. आजची तरूण पिढी कशी ठोंब्या झाली आहे, तिला कशातच रस, आवड व गती नाही याचे चित्रण त्यांनी केले आहे. हे नाटक गुणदृष्टया, कालदृष्टया व आशयदृष्टया नक्कीच आजचे आहे.

आज मराठी रंगभूमीवर बालनाटयाची (ग्रीप्स थिएटरची) चळवळ दिसून येते. यातील नाटकात लहान मुलांची भूमिका मोठी माणसेच करतात. या नाटकांचा विषय लहानमुलांचे भावविश्व, त्यांच्या दृष्टिकोणातून दिसणारे जग असे असतात. अशी नाटकेही आज मराठी रंगभूमीवर दिसतात. रत्नाकर मतकरी, सुधा करमरकर, सई परांजपे, पु.ल. देशपांडे, विजय तेंडुलकर हे या चळवळीतील नाटककार, 'वयं मोठं खोटं', 'अलिबाबा आणि चाळीस चोर', 'छान छोट्टे वाईट मोठ्ठे' (१९९१), 'पहिलं पान' (१९९५), 'नको रे बाबा' इ. या चळवळीतील महत्त्वाची नाटकं आहेत.

'नको रे बाबा' हे नाटक स्त्रीचे घर व समाजातील स्थान आणि त्याचे मुलांवर होणारे परिणाम यावर भाष्य करते. 'पहिलं पान' मधून पर्यावरणचा प्रश्न त्याच्या भयावहतेसह येतो. तर 'पण आम्हाला खेळायचंय' मध्ये धर्माच्या नावाखाली चाललेल्या भांडण, मारामाऱ्यांतून दुरावणारी माणसं, मुलांची होणारी भावनिक कुचंबणा व्यक्त होते.

याच काळातील चेतन दातार 'सावल्या', प्रशांत दळवी 'चारचौघी' व 'ध्यानीमनी', अजित दळवी 'डॉक्टर! तुम्हीसुद्धा', अभिराम भडकमकर–'ज्याचा त्याचा प्रश्न', समीर कुलकर्णी– 'काळा वजीर पांढरा राजा' इ. नाटकेही महत्त्वपूर्ण व उल्लेखनीय आहेत. याच काळात व्यावसायिक रंगभूमीवर काही नाटके केवळ व्यवसाय, मनोरंजन, करमणुकप्रधान म्हणून आली. त्यातही काही विशेष यशस्वी ठरली कारण त्यात बदलते सामाजिक संदर्भ आढळतात. उदा. वसंत सबनीस – 'गेला माधव कुणीकडे' (१९९३), रत्नाकर मतकरी– 'चार दिवस प्रेमाचे' (१९९५), शफाअतखान– 'राहिले दूर घर माझे' (१९९५), देवेंद्र पेम– 'ऑल दि बेस्ट' (१९९४), अशोक समेळ –'कुसुम मनोहर लेले' (१९९७) इ. तसेच स्त्रीभ्रुण हत्येवरील योगेश सोमण यांचे 'स्त्री सूक्त अर्थात काळया बाळीची कथा' हे मुक्तनाटयही महत्त्वाचे आहे. 'वाडा चिरेबंदी' हे महेश एलकुंचवारांचे (१९८५ –१९९५ त्रिनाटयधारा) हे प्रमुख नाटक. एका चिरेबंदी वाडयाचे उध्वस्त होणे बाहयतः लौकिकार्थाने व त्याचवेळी परस्परसंबंधातील उध्वस्तपणातून – याचे दर्शन या नाटकात घडते. कुटुंबव्यवस्थेवरील प्रातिनिधीक स्वरूपाच्या या नाटकात ढासळत्या जीवनमुल्यांचे चित्रण आहे. जुने नष्ट होते आहे, आपण स्वतः ही कोसळत आहोत, त्याच वेळी नवे काही निर्माण होत आहे. ते स्वीकारताना होणारी उलघाल, ताण एलकुंचवारांनी संयमितपणे व्यक्त केला आहे.

जागतिकीकरणाचा मराठी नाटयभाषेवरही परिणाम झालेला दिसतो. या आधुनिक युगात आर्थिक उद्दिष्टपूर्तीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रबळांच्या भाषेस 'सुपरस्ट्रेट लँग्वेज' तर हा आर्थिक व्यवहार सुलभ व्हावा म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या दुर्बलांच्या भाषेस 'सबस्ट्रेट लँग्वेज' म्हणतात. या दोघांच्या संकरातून 'पिजीन' (हायब्रिड–संकरित) भाषा तयार होते. तिचा नाटयभाषेवर परिणाम दिसतो. मराठी नाटयभाषेचे अवलोकन केल्यास तिने इंग्रजीसह हिंदी, बिहारी, पंजाबी, दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय, मुंबैया भाषाही आत्मसात केली आहे असे दिसते. नाटकात केवळ नाटकाची भाषा– नाटयभाषाच आढळत नाही तर नाटयात्मक भाषाही आढळते. आज भाषेला मार्केट लँग्वेजचे रूप प्राप्त झाले आहे.

मराठी नाटकातील संवादात इंग्रजी शब्दांचा वापर मोठ्या प्रमाणात दिसतो. तसेच कार्पोरेट संस्कृतीतील शब्द, आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित शब्द, हिंदी शब्द आढळतात. व्याकरण हद्दपार झाल्यासारखे दिसते. लोकप्रिय

व रिमिक्स संस्कृतीमुळे भाषा लवचिक झालेली दिसते. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, यांत्रिकीकरण, आधुनिकीकरण इ. च्या पार्श्वभूमीवर नाटकातून नवे समाजवास्तव नव्या नाटयभाषेतून येऊ लागले. भाषेच्या संदर्भात वैविध्यपूर्ण प्रयोग करणाऱ्या नाटककारांत श्याम मनोहरांचे नाव घ्यावे लागेल. उदा. त्यांच्या 'हृदय', 'यकृत', 'दर्शन' मधील भाषा. तसेच मकरंद साठे–'ते पुढे गेले', 'गोळा युग', 'चारशे कोटी विसरभोळे', राजीव नाईक– 'साठेंच काय करायचं?' सचिन कुंडलकर– 'फ्रीजमध्ये ठेवलेले प्रेम' इ. नाटकांतील भाषा व संवाद.

जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर नाटयभाषेत व संवादात ही परिवर्तने होणारच आहेत. हा भाषिक 'क्रायसिस' आपल्यासमोर आहे. यातून भाषिक ओळखीचा प्रश्न निर्माण होतो. या पिजीन भाषेमुळे सांस्कृतिक प्रश्नही निर्माण होतो. जागतिकीकरणात आपण आपले भाषिक अस्तित्व गमावतो आहोत का? हे तपासताना व तपासण्यासाठी भाषेचे मानसशास्त्र व भाषेचे तत्त्वज्ञान समजून घ्यायला हवे.

आजचे नाटक माणसाच्या बाहय विश्वापेक्षा अंतर्विश्वात अधिक रस घेते. तर आजची रंगभूमी नाटकाकडे खेळ किंवा गोष्ट म्हणून पाहण्यापेक्षा एक अनुभव म्हणून अधिक पाहते. उदा. 'ध्यानीमनी', 'बॅरिस्टर' इ. नाटके.

आजचे मराठी नाटक संहितेपेक्षा प्रयोगाला, प्रयोगप्रधानतेला जास्त महत्त्व देते. काहीवेळा तर असे वाटते की, आजचे मराठी नाटक आशय मांडण्यात पूर्वीप्रमाणेच पारंपरिक आहे. रंगभूमी मात्र अधिकाधिक प्रगत, विकसित तंत्रयुक्त झाली आहे. आजच्या मराठी नाटकात नेपथ्य, वेषभूषा, केशभूषा, ध्वनी, संगीत, प्रकाशयोजना इ. अनेक घटकांचे संयोजन व सुसूत्रीकरण असते. तांत्रिक साहाय्य उत्तम असते. त्यामुळे नाटक परिणामांची एकात्मता साधते. परिणामी नाटकाचा आशय थीम आणि मांडणी चांगली नाही पण प्रयोग मात्र यशस्वी होताना दिसतो. त्यामुळे चांगल्या प्रयोगानंतरही काही चांगले जीवनदर्शन घेतल्याचे समाधान प्रेक्षकांना मिळत नाही. बऱ्याचदा तांत्रिक साहाय्य व नाटकाचा आशय या दोहोंचा सुरेख समतोल व समन्वय साधला न गेल्याने नाट्यप्रयोग म्हणजे केवळ एक धांगडधिंगा वाटतो. वस्तुतः या दोहोंमध्ये कमालीचा एकजिनसीपणा हवा तरच नाटक यशस्वी होते. पण आजच्या काही नाटकांमध्ये तंत्र आशयाशी फटकून असल्यासारखे वाटते. त्यामुळे मराठी रंगभूमीचे व मराठी नाटकाचे आजचेपण यात फरक आहे असे दिसते. आजचे मराठी नाटक मराठी रंगभूमीइतके आजचे वाटत नाही. तसेच ते काही वेळा खोटे, तकलादू, अवास्तव, न पटणारे, अनुभव चितारून प्रेक्षकांचे 'इमोशनल ब्लॅकमेलिंग' करते. उदा. 'मी माझ्या मुलांचा' हे नाटक.

निरीक्षणे व निष्कर्ष :

अ. निरीक्षणे : आजही ग्रामीण दलित शोषितांचे जीवन सुखी नाही. आदिवासींचे जगणे आजही कठीणच आहे. भटके आजही फिरतातच आहेत. स्त्रीयांचा बाजार, वेठबिगारी, यल्लमाच्या मंदिरात मुली सोडणे सुरू आहेच. स्त्रीयांची अवहेलना होतेच आहे. स्त्रीवादी लेखक अजूनही सासू–सून संघर्ष रंगवण्यातच मग्न आहेत. आज व्यक्तिस्वातंर्त्याने परिसीमा गाठण्यास प्रारंभ केला असून अतियांत्रिकतेने माणसामाणसांत दुरावा व आत्मविन्मुखता (Alenation) वाढते आहे. माणसाचे मानव्य, माणूसपण हरण (Depersonalisation) केले जात आहे. जणू हा संस्कृती संभ्रमाचा Culture at Cross Roads काळ आहे. एकूणच माणसाला हीनत्व देणाऱ्या सांस्कृतिक मुल्यांपासून मुक्तीची आज गरज आहे. ही कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न नाटककारांना करता येईल. माणसाचे माणसाशी कसे संबंध असावेत, कसे असू नयेत हे त्यांना दाखविता येईल. केवळ व्यक्तिनिष्ठ लेखनात न अडकता व्यक्ती विरूद्ध व्यक्ती, व्यक्ती विरूद्ध समाज व समाज विरूद्ध समाज यांचे दर्शन चित्रण त्यांनी आपल्या नाटकातून घडवले तरच नाटक

व रंगभूमीची वाढ, प्रगती व विकास होईल. नाटक व रंगभूमीला बळ मिळेल.

नव्या परिस्थितीतून, जाणीवांतून नवे प्रश्न घेऊन उभी राहणारी नवी पिढी आजच्या नाटकातून व्यक्त होताना मोठ्या प्रमाणात दिसत नाही. राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक स्थितीचे प्रतिबिंब नाटकात अभावानेच दिसते किंवा त्यात तोचतोपणा आढळतो. देशात वारंवार होणारे बॉम्बहल्ले, त्यातून निर्माण होणारी दुःखे, कारगील संघर्ष व त्यात होरपळलेले मानवी विशेषतः सैनिकांचे जीवन, सरकारची सतत बदलणारी ध्येयधोरणे आणि त्यामुळे बेकारीच्या समस्येला सामोरा जाणारा तरूण वर्ग, त्यामुळे गुणवत्ता असूनही नोकरी नसणाऱ्या तरूणांची होणारी ससेहोलपट, मानसिक छळ, आर्थिक परावलंबन, सामाजिक, सांस्कृतिक दुरावा, जीवघेणी स्पर्धा, माणसाची होणारी कुतरओढ, वाढते शहरीकरण, जातीयतेचे राजकारण, गुंडगिरी, भ्रष्टाचार, जनतेची सद्यरूस्थिती व प्रश्न इ. अनेक घटना जीवनाचे संदर्भ व अर्थ बदलविणाऱ्या आहेत.

या सर्वांचे प्रतिबिंब आजच्या नाटकात क्वचितच आढळते. त्यामुळे केवळ तंत्र आणि नाटकाचा आशयच नव्हे तर एकूण स्थितीगती आणि मराठी नाटकही एकमेकांशी फटकून आहे असे वाटते. आजचा बदलता जीवनसंदर्भ व अनुषंगीक आचार – विचारांची व्यापक दखल आजच्या नाटकाने व रंगभूमीने हवी तेवढी घेतलेली नाही.

ब. निष्कर्ष :

१. समकालीन नाटयप्रवाहातील नाटकांचा व नाटककारांचा पिंड, 'इथॉस, कोअर, कन्सर्न वेगवेगळा असून प्रत्येकात साम्य नाही. म्हणून या काळात कुणाचीच परंपरा जाणवत नाही.

२. १९८० पर्यंत प्रायोगिक रंगभूमीवर दिसणारी नावीन्याची धडपड १९८० नंतर दिसत नाही. धूसर आशयघनता, आकृतिबंधाचा बडेजाव, अर्थहीन शारीरिक हालचाली, थबकलेल्या नाट्यसंस्था व हरवलेली वाङ्मयीनता ही या पतनाची कारणे होत.

३. १९८० पासून पुढे नाटयावकाश संकुचित होत जाताना दिसतो.

४. या काळातील समांतर धारेतील नाटक 'सर्वमुक्त' आहे.

५. पूर्वग्रह व पूर्वनिकषांवर न उभे राहता ही नाटके व नाटककार भूतकाळ व भविष्यकाळाला अधिक मोकळेपणाने ग्रहण करण्याचा प्रयत्न करतात.

६. नर्मदा सरोवर, मशीद विच्छेद, बॉम्बब्लास्ट, गर्द व्यसनाधिनता, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कृतक व्यक्तीसंवाद, कार्पोरेट जगतातील समस्या, संस्कृतीचा होणारा ऱ्हास या समकालीन सामाजिक, राजकीय इ. घडामोडींचे प्रतिबिंब जेवढे पथनाटयातून घडते तेवढे नाटकातून घडत नाही.

७. चांगल्या नाटयसंहिता मिळत नाहीत अशी ओरड असली तरी नाटयव्यवहार मुंबई, पुणे वगळता औरंगाबाद, नाशिक, सातारा, नागपूर, कोल्हापूर, सांगली इ. शहरातही स्थिरावताना दिसतो.

८. स्त्री नाटककार व स्त्री दिग्दर्शक यांचे मराठी रंगभूमीवरील प्रमाण वाढताना दिसते.

९. १९९० नंतरच्या मराठी नाट्यप्रवाहाकडे पाहताना असे प्रकर्षाने जाणवते की, आपण परभृततेकडून, परंपरेकडे, आपले जे वैचारिक धन आहे, पूर्वसंचित आहे त्याकडे चाललो आहोत. कारण एलकुचवारांना 'वाडा चिरेबंदी' १.२.३ लिहावासा वाटणे, दिलीप चित्रेना संत तुकाराम हातात घ्यावासा वाटणे, भालचंद्र नेमाडयांनी देशीवादाचा आग्रह करणे या सर्व गोष्टी आपणांस देश, काल, परिस्थिती पचवून अतीत

झालेल्या भागाकडे, परंपरेकडे, आपल्या वैचारिक संपत्तीकडे घेऊन जातात. सारांश, मराठी नाट्यप्रवाह परभृततेकडून परंपरेकडे, वैचारिक धनाकडे, भारतीय मूलाधाराकडे संथ गतीने वाटचाल करीत आहे हे निश्चित.

संदर्भ सूची :-

१. मराठी नाट्यकोश – संपादक डॉ. वि. भा. देशपांडे.
२. प्रदक्षिणा खंड दुसरा – संपादक श्री. अनिरूद्ध कुलकर्णी.
३. समकालीन मराठी रंगभूमी –संपादक डॉ. राजेंद्र नाईकवाडे, डॉ. राजन जयस्वाल.
४. मराठी रंगभूमीच्या तीस रात्री खंड तिसरा– लेखक मकरंद साठे.
५. आधुनिक मराठी नाटक आशय आणि आकृतिबंध– लेखक डॉ. सुषमा जोगळेकर
६. नटसम्राट –एक अभ्यास– लेखक प्रा. मो.द.ब्रह्मे
७. राठी नाटयतंत्र –संपादक प्रा. मो.द.ब्रह्मे.
८. आजचे नाटक, आजचे नाटककार– संपादक डॉ. द.दि. पुंडे, डॉ. स्नेहल तावरे.
९. रंगयात्रा –संपादक डॉ. वि. भा. देशपांडे.
१०. नाटक : रंगाविष्कार आणि रंगास्वाद–लेखक डॉ. व.दि. कुलकर्णी
११. स्त्रीसमस्या आणि आजचे नाटक – लेखक डॉ. मधुरा कोरान्ने
१२. संस्कृती संभ्रम –लेखक डॉ. ग.ना. जोशी.
१३. 'नाटयप्रयोग हवाच कशाला?' (लेख) 'साहस' नियतकालिक सप्टेंबर १९७३ –लेखक प्रा. मो.द.ब्रह्मे.
१४. 'मराठी रंगभूमी आजचे नाटक' (लेख) 'वसंत' मासिक, मार्च लेखक प्रा. गौतम ब्रह्मे. २००४
१५. 'ग्रामीण दलित रंगभूमीचो बीजे आणि विकासाच्या दिशा.' लेखक प्रा. गौतम ब्रह्मे. हा लेख 'ग्रामीण दलित साहित्याचा अनुबंध संपादक डॉ. म.सु. पगारे या ग्रंथात समाविष्ट.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 93–96

वाल्मीकीय रामायण के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में राज्य परम्परा का विश्लेषण

डॉ. प्रतिमा कुमारी शुक्ला, सहा0 आचार्या,
श्री दीपक कुमार मिश्र, भोधार्थी,
इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, ज.रा. दिव्यांग राज्य वि ववद्यालय, चित्रकूट (उ0प्र0) 210204

सारां :–

वाल्मीकीय रामायण काल में राजा के लिए अनेक नामों का प्रयोग होता था जैसे– नृपति, राजन, भूपति, सम्राट, पार्थिव, महाराज एवं देव। इसके अतिरिक्त भासकों को उनके प्रदे ों के नाम पर भी बुलाया जाता था जैसे– कैकेय प्रदे ा के राजा 'कैकयराज', अयोध्याधिपति, विदेह, मिथिलापति आदि। वाल्मीकीय रामायण की राज्य परम्परा पूर्णतया ऐतिहासिक होती हुई परवर्ती परम्पराओं के लिए भी अनुकार्य बनी रही जो बाहर से तो साम्राज्यवादी दिखती थी पर उसका अन्तरण पूर्ण लोकतान्त्रिक था। इसीलिए आज तक रामराज्य की लोकतन्त्रात्मक परम्परा को सभ्य जनमानस नहीं भुला पाया। इतिहास ने मुक्त स्वर में उद्घोशणा करके कहा– ''रामोराजाबभूवह'' जिस प्रदे ा अथवा जनपद में राजा का राज्य होता है, वह राजतंत्र राज्य कहलाता है। राजतन्त्र भासन प्रणाली का जन्म वैदिक युग से ही प्रारम्भ हो गया था। वाल्मीकीय रामायण काल में चर्चित सभी राज्यों में राजतन्त्र भासन व्यवस्था थी, कहीं भी संघ अथवा गणतन्त्र भासन व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य, वैराज्य, स्वराज्य, भोज्य और साम्राज्य आदि कई प्रकार की भासन पद्धतियों का वर्णन देखने को मिलता है।

मुख्य भाब्द :–

विग्राहक, आततायी, चतुर्दिक, धौम्य, धर्मज्ञ, सत्यसन्ध, प्रजाहितनिरत, सर्वपोशक, रिपुसूदन, सर्वजीवलोक, वैराज्य, पार्थिव, ऐ वर्य, आधिपत्य, विम र्ा, तीक्ष्ण, नीति ास्त्र, परवर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्वगामी, सन्धि, अव यम्भावी, तत्वद्वर्णश्रममर्यादा, अनिश्ट।

वेदों में राजन् का अर्थ सरकार अथवा भासक एवं नृपति का अर्थ 'नरों का स्वामी' अर्थात् राजा माना गया है जबकि तैतिरीय संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण 'भूपति' का अर्थ राजा बताते हैं। महाभारत एवं पाणिनी ने भी 'भूपति' का अर्थ राजा माना है जो उसके ऐ वर्य या आधिपत्य को व्यक्त करता है। सम्राट को भी वेद, रामायण, महाभारत, एवं पाणिनी ने सम्बोधित किया है जिसका अर्थ है बड़ा अथवा श्रेश्ठ, भासक, सर्वोपरि राजा एवं मण्डल का स्वामी और कृत्स्न भाक[1] आदि विभिन्न अर्थ माना गया है।

वाल्मीकीय रामायण में महत्वपूर्ण नाम राजा के लिए 'महाराज' भाब्द प्रयुक्त किया गया है जिसे वाल्मीकीय रामायण, महाभारत एवं परवर्ती इतिहास एवं अंग्रेजों के भाासन के पूर्व तक प्रयोग में लाया जाता रहा। महाराज का अर्थ होता है भाक्ति ाली अथवा महान राजा। महाराज प्राचीन राजनीति का पारिभाशिक भाब्द भी था।

वाल्मीकीय रामायण काल की राज व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित थी। भाासन में राजा के अतिरिक्त योग्य मन्त्रियों का समावे ा था। वैसे तो राजा के दैवी उत्पत्ति में वि वास था एवं वं ाानुगत भाासन प्रणाली थी फिर भी वाल्मीकीय रामायण में राजा, मन्त्रियों, पुरोहितों, अमात्यों के विचार विम ार्ा से कार्य करता था। वाल्मीकीय रामायण के बालकाण्ड के सातवें सर्ग में मन्त्रियों एवं पुरोहितों का उल्लेख मिलता है।

''तस्यामात्या गुणैरासन्निक्ष्वाकोः सुमहात्मनः।
मन्त्रज्ञा चेङ्गितज्ञा च नित्यं प्रियहिते रताः।।
अश्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या य ास्विनः।
भाुचयक्षानरक्ता च राजकृत्येशु नित्य ाः।।[2]

अर्थात् इक्ष्वाकुवं ाी वीर महामना महाराज द ारथ के मन्त्रिजनों चित गुणों से सम्पन्न आठ मन्त्री थे, जो मन्त्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेश्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे। इसीलिए उनका य ा बहुत फैला हुआ था। वे सभी भाुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरन्तर संलग्न रहते थे।

''धृश्टिर्जयन्तो विजयः सुराश्ट्रो राश्ट्रवर्धनः।
अकोपो धर्मपाल च सुमन्त्र चश्टमाऽर्थवित्।।''[3]

अर्थात् उनके नाम थे– धृश्टि, जयन्त, विजय, सुराश्ट्र, राश्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और आठवें सुमन्त्र थे। जो अर्थ ाास्त्र के ज्ञाता थे।

''को ासंग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे।
अहितं चापि पुरुशं न हिंस्युरविदूशकम्।।''[4]

अर्थात् कोश के संचय तथा चतुरंगिणी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। भात्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे।

''मन्त्रसंवरणो भाक्ताः भाक्ताः सूक्ष्मासु बुद्धिशु।
नीति ाास्त्र वि ोशज्ञाः सततं प्रियवादिनः।।''[5]

अर्थात् उनमें राजकीय मन्त्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण भाक्ति थी वे सूक्ष्म विशय का विचार करने में कु ाल थे। नीति ाास्त्र में उनकी वि ोश जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे।

''ईदृ ौस्तैरमात्यै च राजा द ारथोऽनघः।
उपपन्नो गुणोपेतैरन्व ाासद् वसुन्धराम्।।''[6]

ऐसे गुणवान मन्त्रियों के साथ रहकर निश्पाप राजा द ारथ उस भूमण्डल का भाासन करते थे।

''विश्रुतस्त्रिशु लोकेशु वदान्यः सत्यसंगरः।
स तत्र पुरुशव्याघ्रः भा ाास पृथिवीमिमाम्।।''[7]

अर्थात् उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुश सिंह राजा द ारथ अयोध्या

में ही रहकर इस पृथ्वी का भाासन करते थे।

उपर्युक्त उद्धरणों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वाल्मीकीय रामायण कालीन राज्य भाासन आधुनिक अथवा परवर्ती इतिहासों के भाासन की पूर्वगामी है। जितने भी राज्य प्र ाासन हुये सभी ने वाल्मीकीय रामायण के राज्य भाासन का अनुकरण किया। महाभारत काल की राज्य परम्परा भी रामायण के अनुकरण पर ही थी। वाल्मीकीय रामायण में 'मन्त्रिपण्डल', 'पुरोहित', 'अमात्य' आदि का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकीय रामायण में दो अमात्य थे 'वि ाश्ठ' एवं 'वामदेव'। इसी प्रकार महाभारत में कर्ण, जाबालि एवं दुः ाासन तीन अमात्य थे। ये तो कौरव पक्ष के अमात्य हुए, जबकि पाण्डवों के अमात्य तो स्वयं श्रीकृ ण चन्द्र जी थे। वनवास काल में भगवान श्रीराम ने वानर, भालुओं को ही अमात्य बना डाला। कहने का तात्पर्य यह है कि वाल्मीकीय रामायण काल में जो–जो हुआ उसे महाभारत आदि एवं परवर्ती इतिहास ने स्वीकारा एवं उसी के आधार पर भाासन किया।

वाल्मीकीय रामायण में वं ाानुगत राजा का निर्वाचन हुआ, जिसमें राजा का ज्येश्ठ पुत्र ही राजा होता था। इसे सभी ने स्वीकारा। कम अधिक यह पद्धति भारत में मुगल भाासन तक चली। राज्य प्र ाासन की परम्परा में भले ही अयोध्या एक जनपद अथवा राज्य रहा हो परन्तु वहाँ के भाासक महाराज द ारथ पूरी पृथ्वी के भाासक अथवा चक्रवर्ती सम्राट माने जाते थे। भले ही उनकी अधीनता में प्रत्येक राज्य भाासन कर रहे हों। उस समय उनकी 'प्रान्तीय' एवं केन्द्रिय दोनों प्र ाासन पर पकड़ थी। वाल्मीकीय रामायण में 'सन्धिविग्राहक', 'विदे ा मंत्री', 'गुप्तचर', सेनापति सभी का उल्लेख मिलता है।

वाल्मीकीय रामायण काल में विदे ाी आततायी रावण के अत्याचार से एवं अपनी दे ा की संस्कृति, सम्मान (सीता जी) की रक्षा एवं मर्यादा तथा गौरव बचाने के लिए प ाु (वानर, भालू) पक्षी (जटायु) तक एक जुट हो गये। ऐसी सभ्य संस्कृति केवल वाल्मीकीय रामायण काल में ही देखने को मिलती है। ऊँचे–ऊँचे महल, राज प्रासाद, चतुर्दिक खाई से युक्त किला, तोरण द्वार, बड़े–बड़े नगर सब कुछ वाल्मीकीय रामायण काल से ही प्रारम्भ हो चुके थे जिसे महाभारत से लेकर कलयुगी भाासकों तक न स्वीकार।

प्राचीन भारत का मौर्य भाासन, गुप्त भाासन एवं चोल भाासन एवं मध्य कालीन सल्तनत काल का प्र ाासन एवं मुगलों का भाासन एवं राज्य करने का ढंग कम अधिक वाल्मीकीय रामायण से ही प्रेरित दिखता है।

महाभारत काल की राज्य परम्परा तो पूरी की पूरी वाल्मीकीय रामायण काल के अनुकरण की देन है। पुरोहित, अमात्य, मंत्री, गुरु सभी कुछ वाल्मीकीय रामायण की ही भाँति दिखते हैं। महाभारत काल में पुरोहित 'धौम्य', अमात्य मुख्यतः कर्ण, मंत्री विदुर एवं गुरु द्रोणाचार्य कुलगुरु कृपाचार्य सभी के सभी वाल्मीकीय रामायण की ही भाँति दिखते हैं।

परवर्ती इतिहास में भी सभी ने स्वीकारा। ि ावाजी ने तो यहाँ तक स्वीकारा कि अपने राज्य भाासन में उन्होंने 'अश्टप्रधान' का निर्माण कर डाला जो वाल्मीकीय रामायण काल से ही प्रेरित थे। जिनमें आधे से अधिक प्रधानों का नाम वाल्मीकीय रामायण काल के प्रधानों से मिलता है[8]– जैसे– अमात्य, मंत्री, सुमन्त, पुरोहित, सेनापति, पण्डित, न्यायाधी ा आदि। सभी अश्टप्रधान मंत्रीमण्डल वाल्मीकीय रामायण के मन्त्रिमण्डल व्यवस्था के आधार पर है। बह्मचर्य एवं तपस्या से राजा राश्ट्र की रक्षा करता है। इसके उदाहरण श्रीराम हैं :–

नहि तद् भविता राश्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः।
तद् वनं भविता राश्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति।।[9]

अर्थात् जहाँ श्रीराम राजा नहीं वह दे ा राश्ट्र नहीं है, जहाँ श्रीराम निवास करेंगे वह वन भी राश्ट्र हो जायेगा।

राज्य भाासन के परम रहस्य को एक मात्र श्रीराम ही जानते थे। श्रीराम धर्मज्ञ, सत्यसन्ध, प्रजाहितनिरत, य ास्वी, ज्ञानसम्पन्न, सर्वपोशक, रिपुसूदन, सर्वजीवलोक के रक्षक, तत्वद्वर्णश्रममर्यादाओं का पालन करने वाले, अपने यज्ञ, अध्ययन, दान आदि एवं युद्धादि रूप धर्म का सादर अनुश्ठान करने वाले तथा स्वभक्त जनों के अव यम्भावी अनिश्टों को भी मिटाकर मोक्ष प्रदान कर रक्षण करने वाले हैं। रघुवं ा, भट्टिकाव्य आदि सैकड़ों काव्यों, नाटकों में राम की चर्चा है ही। ऐसे बहुचर्चित श्रीराम को अनैतिहासिक कहना अनभिज्ञता का ही परिचय देना है। भागवत् आदि पुरागों के अनुसार रामसेतु एवं रामे वर की स्थापना भी राम के ऐतिहासिक होने में ज्वलन्त प्रमाण हैं। श्रीराम से बढ़कर सन्मार्ग स्थित संसार में कोई है ही नहीं :–

''नहि रामात् परे लोके विद्यते सत्पथे स्थितः।''

सन्दर्भ :–

1. महाभारत, सभापर्व 14/2 (सम्राज् भाब्दों हि कृत्स्नभाक्)
2. वा0रा0 1/7/1, 2
2. वा0रा0 1/7/3
3. वा0रा0 1/7/11
4. वा0रा0 1/7/19
5. वा0रा0 1/7/20
6. वा0रा0 1/7/22
7. मुगल कालीन भारत, नागोरी, डॉ0 जीते ा पृ0– 81
8. वा0रा0 2/37/29

Dr. Pratima Kumari Shukla

Assistant Professor, Department of History, Culture and Archeology,

J.R. Divyang State University, Chitrakoot (U.P.) 210204

Email- pratimashukla79@gmail.com

uponlinemanoj@gmail.com

Mobile No.- 9936664717

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 97-100

भारतीय महिला उद्यमीयो के कौशल विकास में आने वाली चुनौतियां अवसर एवं सरकारी योजनाओं का प्रभाव

कु. आयुषी गोल्हानी
शोधार्थी (अर्थशास्त्र) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, म. प्र.

सारांश :-

भारत मै महिलाओ का कौशल विकास एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं युवतियों को प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्राप्त करना है ताकि उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके और वह आत्मनिर्भर बन सके। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है और भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, भारत सरकार ने बेरीजगारी की बढ़ती समस्याको ध्यान मैं रखते हुए कौशल विकास की पहल को शुरू किया है। कौशल विकास से न केवल बेरोजगारी दर कम करने में मदद मिलेगी बल्कि आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन में सहायक सिद्ध होगा।

इस शोध पत्र में कौशल विकास की भूमिका का विश्लेषण किया गया है साथ ही रोजगार के अवसर चुनौतियां एवं सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का अध्ययन भी किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से लाखों छात्रों को प्रशिक्षण रोजगार के अवसर प्रदान होगा जिससे देश की अर्थव्यवस्था में मददगार सिद्ध होगा। साथ ही यह भी देखेंगे की उन चुनौतियों के के भावी समाधान हो सकता है। कौशल विकास न केवल भारत के आर्थिक वृद्धि में सहायक है बल्कि युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए अवसर प्रदान करता है।

शब्द कुंजी – रोजगार सृजन, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, सरकारी योजनाएं, आत्मनिर्भर, आर्थिक वृद्धि, शिक्षा ग्रामीण विकास, प्रशिक्षण आदि।

परिचय :-

भारत एक विकासशील देश है। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ने न केवल कौशल विकास की पहल चालू की है। इसमें युवाओं युवतियों को शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे कौशल विकास की मदद से बेरोजगरी दर काम होगी तथा हमारे देश के व्यक्ति आत्मनिर्भर होंगे। कौशल विकास की मदद से लोगों को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा फिर रोजगार प्रदान होगा। इस शोध पत्र में सरकारी योजनाओं का अध्ययन किया गया है कि किस प्रकार ये योजनाएं मददगार साबित हो रही है। महिला सशक्तिकरण में किस तरह लाभदायक है इनमे क्या चुनौतियाँ आती है क्या समाधान एवं सुझाव हो सकते है।

कौशल विकास का अर्थ :-

कौशल विकास का अर्थ है किसी विशिष्ट कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण प्राप्त करना उस कार्य को करने के लिए योग्य बनाना।

कौशल विकास के प्रकार :-

1. तकनीकि कौशल
2. मूलभूत कौशल
3. मुलायम कौशल

शोध के उद्देश्य :-

- महिलाओ के रोजगार के नए अवसर प्रदान करने।
- आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना।
- कौशल विकास का उपयोग हर क्षेत्र में होना चाहिये चाहे वह कृषि, व्यावसायिक, मेडिकल आदि क्षेत्र है।
- कौशल विकास की मदद से महिलाओ को नये टेक्नोलॉजी का उपोयग करने का प्रशिक्षण प्राप्त होगा ताकि वे अपना काम समय से पूरा कर सके।
- जो महिला स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हें शिक्षा प्रशिक्षण देना।

शोध तकनीक :-

महिलाओं के कौशल विकास की भूमिका एवं सरकारी योजनाओं का अध्ययन करने के लिए शोधार्थी ने विभिन्न शोध तकनीकों का उपयोग किया है। यह शोध सेकेन्डरी डाटा पर आधारित है इसमें साहित्य विश्लेषण विधि, इंटरव्यू, शोध पत्र, पत्रिकाओ, रिपोर्ट्स, जर्नल, वेबसाईट के माध्यम से अध्ययन किया गया है।

शोध परिकल्पना :-

- सभी महिलाए ग्रामीण व शहरी के कौशल विकास के लिए सरकारी योजनाएं किस प्रकार सहायक शाबित है।
- महिलाए नयी तकनीक को उपयोग करके कार्य को समय पर पूरा करना।
- सभी वर्ग की महिलाओ को शिक्षा प्रशिक्षण देना ताकि उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो।
- सभी क्षेत्र में कौशल विकास की उपयोगिता जरूरी है।

विश्लेषण :-

कौशल विकास का उद्देश्य सभी वर्ग के व्यक्तियों तथा महिलाओं को रोजगार के लिए तैयार करना है इसकी कार्यक्षमता में वृद्धि करना है। उन्हें शिक्षा तथा तकनीक का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर देने है जिसके लिए सरकार की कई योजनाएं लागू है। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास नीति आदि।

कौशल विकास की मदद से मिलने वाले अवसर :-

- यह महिलाओ की शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अह्म तत्व है।
- कौशल विकास से महिलाओ कर्मचारियों को उसके दफ्तर में अधिक अवसर मिलते है जिससे वह अपने कैरियर में गई बढ़ सकता है।

- कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का कौशल विकास मददगार साबित हुआ है किसान महिलाए नई तकनीक का प्रयोग करके कृषि कर रहा है। उनके लिए ट्रेनिंग, कैम्स सेमिनार आदि की व्यवस्था की जा रही है।
- आज मैडिकल के क्षेत्र में भी महिलाओ का कौशल विकास अपना योगदान दे रहा है। मैडिकल स्टाफ के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है ताकि वह प्रशिक्षण ले सके।
- महामारी कोविड 19 के बाद दूरस्थ कार्य के लिए महिलाओं के नए कौशल की जरूरत महसूस हुई जैसे डिजिटल साक्षरता साइबर सुरक्षा क्लाउड कंप्यूटिंग आदि।
- आत्मनिर्भर बनने के लिए महिलाए अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं प्रशिक्षण लेकर।
- महिलाओं का कौशल विकास सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है क्योंकि विभिन्न आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोग समान प्रशिक्षण प्राप्त कर सके।

महिलाओ के कौशल विकास में आने वाले कुछ चुनौतियां :–

- **अवसरों का असमान वितरण :** भारत जैसे विकासशील देश में कभी कभी महिलाओ के कौशल विकास के अवसर सभी क्षेत्र और वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाता ग्रामीण क्षेत्र को प्रशिक्षण देने में अधिक समय लगता है।
- **संस्थागत और प्रशिक्षण की गुणवत्ता :** कई क्षेत्र में प्रशिक्षण केंद्रों की कमी है। कभी–कभी महिलाओं को अच्छे प्रशिक्षण नहीं मिल पाते।
- **महिलाओं की व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक चुनौतियां :** कई महिलाए कौशल विकास में समय और प्रयास में संकोच करते है। आर्थिक और पारिवारिक समस्या आती है उन्हें लगता है उनका अनुभव कम है।
- **महिलाओं की व्यावसायिक शिक्षा और उद्योग से जुड़ी चुनौतियां** – कभी–कभी वास्तविक जरूरतों के कारण कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो पाता। महिलाओं को प्रशिक्षण लेने के बाद की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। निवेश की कमी के कारण अवसर नहीं मिल पाते।
- **डिजिटल रूपांतरण के साथ नई चुनौतियां :** नई तकनीक जैसे ऑटोमेशन, कृत्रिम बुद्धिमाता, मशीन लर्निंग ने महिलाओ के कौशल विकास को दिशा प्रदान की है।

कौशल विकास के लिए कुछ सरकारी योजनाएं :–

1. **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना** – यह भारत की एक पहल है इसमें युवाओं युवतियों को कौशल का प्रशिक्षण देकर उन्हे रोजगार योग्य बनाना है।
2. **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)** – इस योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगे उनके कौशल विकास में ध्यान दिया जाएगा ताकि वह कुशलता पूर्वक कार्य कर सके।
3. **उधारी एवं वित्तीय सहायता योजना** – इसमें सरकारी योजना जेसे स्टार्ट अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना शामिल है। युवाओं को व्यापार के लिएवित्तीय सहायता प्रदान होगी।
4. **एल.आई.सी की बीमा सखी योजना** – इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर देना है जो महिलाएं दसवीं पास है उन्हें आईआर डीए का पेपर देना होगा फिर वह एल. आई. सी एजेंट के

पद पर नियुक्त होगी हर माह सात हजार की स्कॉलरशिप होगी।

5. **स्वास्थ्य निर्माण और सेवा क्षेत्र में कौशल विकास** – इसमें आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि शामिल है।
6. **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना** – इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं युवतियों को आत्मनिर्भर बनाना है।
7. **नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन** – यह संगठन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी करता है और कौशल प्रशिक्षण देने वाली संस्था का समर्थन करता है।
8. **स्टैंड अप इंडिया योजना** – यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन उपलब्ध कराती है। योजना का उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
9. **सखी वन स्टॉप सेंटर योजना** – महिलाओं को प्रशिक्षण, काउंसलिंग, कानूनी सहायता, और रोजगार मार्गदर्शन एक ही जगह पर प्रदान किया जाता है। यह योजना हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का माध्यम भी है।
10. **राष्ट्रीय महिला कोष** – कम ब्याज दर पर महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान करना। इसके माध्यम से वे सिलाई, कढ़ाई, कृषि, हस्तशिल्प आदि में आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

निष्कर्ष :-

महिलाओं के कौशल विकास के लिए सरकार एवं सरकारी योजनाएं यहां भूमिका निभा रही है। आज के समय में महिलाओं को किताबी ज्ञान के साथ अनुभवी ज्ञानहोना जरूरी है ताकि वह अच्छे से समय से अपना कार्य पूरा कर सके। वर्तमान में हमारे जीवन में आधे से ज्यादा कार्य तकनीकी हो गए है। इसलिए आज के समय में कौशल विकास की अहम भूमिका है। योजनाओं के माध्यम से महिला अपना कौशल विकास करके रोजगार प्राप्त कर सकता है। पढ़ाई की साथ अनुभवी ज्ञान भी जरूरी हो गया है। लोग निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि वह ग्रामीण हो या शहरी वर्ग हो इस शोध पत्र में सभी बिन्दुओं को बताया गया है। विभिन्य उद्धरण को सीद्ध किया जा सकता है कि महिलाओं के कौशल विकास की भूमिका भविष्य के लिए अहम है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. www.skilldevelopment.gov.in
2. www.pmkvyofficial.org
3. कौशल विकास और उद्यमिता R.K. SHARMA
4. कौशल विकास : रोजगार का अवसर, Dr.Sushil Kumar.
5. National Skill Development Corporation (NSDC)
6. Google Scholar or JSTOR for peer-reviewed articles and research papers.
7. SODH GANGA.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 101-109

ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣବିଚାର

(Fakir Mohan Senapati's Contribution to the Standardization of the Odia Alphabet)

Dr. Prahallad Khilla
Assistant Professor of Odia, Department of Language and Literature
Fakir Mohan University, Balasore, Odisha

ସାରାଂଶ/ Abstract:

ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ନିଜର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ। ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମରୁମରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ପଛରେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମୁଖରେ ଜଣାଶୁଣା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସ, ବିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିକାଶକ୍ରମ ତଥା ମୌଳିକ ଲକ୍ଷଣ ଆଦି ଆଧାରରେ "ଉତ୍କଳ ବ୍ୟାକରଣ" ଶୀର୍ଷକ ଏକ ବ୍ୟାକରଣ ପୁସ୍ତକ ଫକୀର ମୋହନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଆ ପଦ ପ୍ରକରଣ ବିଷୟକ ଅବଧାରଣା, ରୂପତତ୍ତ୍ୱ ବିଧାନ ଆଦି ବ୍ୟାକରଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଏକ ମୌଳିକ ଓ ବିଧିବଦ୍ଧ ଅବଧାରଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଖଣ୍ଡରେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ବଧ ହେବାକୁ ବସିଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଚାରବିମର୍ଶ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହେଁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ନିରୂପଣ, ବର୍ଣ୍ଣବଣ୍ଟନ ତଥା ବିଭାଗୀକରଣ, ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧାନ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ନିଷ୍କର୍ଷ ଓ ଟିପ୍ପଣୀଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହିଁ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। "ଉତ୍କଳ ବ୍ୟାକରଣ" ପୁସ୍ତକରୁ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ

ତଥ୍ୟାବଳୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ ଅବବୋଧ ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏଥିରେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି କିପରି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିରୂପଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରଯତ୍ନ ଦିଗରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି।

ଭିତ୍ତିଶବ୍ଦାବଳୀ/ Keywords : ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ବୈୟାକରଣିକ ଅନୁସଙ୍ଗ, ଣତ୍ୱବିଧାନ, ଷତ୍ୱବିଧାନ, ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ, ଉଚ୍ଚାରଣାତ୍ମକ ପ୍ରାଣଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚାରଣର ପ୍ରକୃତି, ଭାଷାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଲକ୍ଷଣ, ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଥପ୍ରକାଶକ୍ଷମ ଧ୍ୱନି।

ଉପକ୍ରମ/ Introduction :

ବ୍ୟାକରଣ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଧାରା। ବିବିଧ ମାନବୀୟ ଅନୁଭବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନିମିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷାକୁ ମାର୍ଜିତ, ଏକ ନୀୟମାନୁସୃତ କରିବା ଦିଗରୁ ବ୍ୟାକରଣର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଭାଷା ହେଉନା କାହିଁକି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟାକରଣ ବ୍ୟତିରେକ ସେହି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାକରଣଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାଷାକୁ ତା'ର ଲିଖିତ ଓ ମାନକ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାକରଣ ଭାଷାର ମାନବୃଦ୍ଧିକାରକ ପବିତ୍ର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ । ତେଣୁ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ ଭାଷା ନିମିତ୍ତ ଏକ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଣୟନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ୟଥା ଭାଷା କଦାପି ଗତିଶୀଳ / ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ; ବରଂ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ବିଷୟ/ ଧ୍ୱନି ସଂକେତ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଭାଷାଶିକ୍ଷା ସକାଶେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣଗତ ବିଧାନକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପରିଭାଷା, ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟାକରଣ ସୁତ୍ରକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଲେ ଭାଷାଶିକ୍ଷା/ ବ୍ୟାକରଣଶିକ୍ଷା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏନାହିଁ। ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମାବଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବାଚନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଧାରଣା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ/ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନାନୁସାରେ ଭାଷାବ୍ୟବହାର ବା ଭାବପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ଭାଷା ସୁସଙ୍ଗତ ଓ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ବ୍ୟାକରଣ - ଔଚିତ୍ୟରହିତ ଭାଷା ଶୁଦ୍ଧ ଲିଖନରେ ବାଧକ ହେବା ସହ ବ୍ୟାବହାରିକଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବିକୃତ କରେ। ସମାଜଜୀବନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥିତ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ବିଶେଷ ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଭାଷାକୁ ଅତି ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାନବୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି / ମାନସିକତା ହେତୁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରରେ ଭୁଲ୍ ରହିଯିବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ

ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଲିଖିତ ଭାଷା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ହେତୁ ବ୍ୟାକରଣ ନୀୟମାନୁସୃତ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଭାଷାର ଲିଖିତ ରୂପ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଲିଖିତ ଓ କଥିତ ଭାଷା (ଉଭୟ) ଜାତୀୟ ଅସ୍ମିତା ସୂଚକ ଅଟେ। ଏଥିନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଅବଧାରଣା ରହିବା ଉପକରକ।

ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାଭିତ୍ତିରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ବ୍ୟାକରଣ ରହିଛି। ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ , ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ଶବ୍ଦବିଭବ, ପଦ (ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ , ଅବ୍ୟୟ, କ୍ରିୟା, ସୂଚକ) କାରକ, ବିଭକ୍ତି , ବଚନ, ପୁରୁଷ, ପ୍ରତ୍ୟୟ , ବାକ୍ୟ, ସନ୍ଧି, ସମାସ ଆଦି ଏହାର ଅଧିତ ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିର୍ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ନିମିତ୍ତ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସବୁ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ କଳନାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ବିଦ୍ୟାବାଗିଶୀଙ୍କର "ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ" (୧୮୦୬), ଆମ୍ ସଟନଙ୍କ "An introductory Grammar of Oriya Language" (୧୮୩୧), ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣଙ୍କର "ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର୍" (୧୮୪୩), ଡବ୍ଲୁ. ସି. ଲେସିଙ୍କର "ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ସାର" (୧୮୫୮), ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ "ପ୍ରବେଶିକା ବ୍ୟାକରଣ" (୧୮୫୮) ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି "ଉତ୍କଳ ସରଳ ବ୍ୟାକରଣ" ଆକାରରେ ୧୮୬୬ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ବ୍ୟାକରଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ , ସନ୍ଧି, ଣତ୍ୱବିଧାନ, ଷତ୍ୱବିଧାନ, ଶବ୍ଦ, ପଦ, ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ପୁରୁଷ, ଚିହ୍ନପ୍ରକରଣ, କାରକ, ସମ୍ବୋଧନ, ସମ୍ବନ୍ଧ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ, ତଦ୍ଧିତ, କୃଦନ୍ତ, କ୍ରିୟା, କାଳ, ସମାସ ଆଦି ବାଇଶିଗୋଟି ବୈୟାକରଣିକ ଅନୁସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଧାରଣା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କେବଳ "ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ"ର ବିଶେଷତ୍ୱ / ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

ବିଶ୍ଳେଷଣ/ Analysis :

ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ୧୧ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ୨୫ଟି ବର୍ଗ୍ୟବ୍ୟଞ୍ଜନ, ୧୦ଟି ଅବର୍ଗ୍ୟ ଉଷ୍ମବ୍ୟଞ୍ଜନ, ୩ଟି ଅଯୋଗବାହ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋଟ ୪୯ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଲିପି ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଲେ - ଅ,ଆ,ଇ,ଈ,ଉ,ଊ,ଋ,ଏ,ଐ,ଓ,ଔ,/ କ,ଖ,ଗ,ଘ,ଙ, ଚ,ଛ,ଜ,ଝ,ଞ, ଟ,ଠ,ଡ,ଢ,ଣ,

ତ,ଥ,ଦ,ଧ,ନ, ପ,ଫ,ବ,ଭ,ମ, / ଯ,ୟ,ର,ଳ,ଲ, ୱ, ଶ,ଷ,ସ,ହ, / ଂ ଃ ଁ । ଏଥିସହିତ ଡ଼, ଢ଼, ରୂପେ ଦୁଇଟି ଉପଲିପି ଓ "କ୍ଷ" ରୂପରେ ଏକ ମିଶ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିପି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ।

ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ବର୍ଣ୍ଣ/ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ପରିଭାଷା ନିରୂପଣ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟାବହାରିକ ଦିଗରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସେ ନିଜର "ଉତ୍କଳ ବ୍ୟାକରଣ"ରେ - ଅ, ଆ, ଇ, ଈ, ଉ, ଊ, ଋ, ୠ, ଌ, ୡ , ଏ, ଐ, ଓ, ଔ- ଏହିପରି ୧୪ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅ, ଇ, ଉ, ଋ, ଌ - ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଏବଂ ଆ, ଈ, ଊ, ୠ, ୡ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ - ଏହି ନଅଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ମଧ୍ୟ "ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ"ରେ ପ୍ରଥମେ ୧୪ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ସଂସ୍କୃତ ଅନୁସାରୀ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବାଦ୍ ଦେଇ ଏହି ୧୪ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରୁ "ଋ, ଌ, ୡ" ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପରିହାର ପୂର୍ବକ ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୧ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ "ଋ" ଓ "ଌ" ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ଯଥା - "ଓଌଅ" , "ଅଇଌ", "ଋଣ" ଆଦି ଶବ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ "ଋ" "ଌ", "ୡ" ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅବିକଳ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉନାହିଁ। ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ବିଶେଷତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇ - ଈ, ଉ - ଊ, ର - ଋ,/ ର - ରୁ, ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫକୀର ମୋହନ ଅ, ଆ, ଇ, ଈ, ଉ, ଊ, ଋ, ୠ, ଌ, ୡ ଏହି ଲିପି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ପ୍ରଯତ୍ନ ଆଧାରରେ କେବଳ ହ୍ରସ୍ୱସ୍ୱର ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।

ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗୀକରଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଫକୀର ମୋହନ ବର୍ଗ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ଥବର୍ଣ୍ଣ, ଉଷ୍ମବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦରେ ସ୍ଥୂଳତଃ ଚାରିପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। "କ" ଠାରୁ "ମ" ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୫ଟି ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ୫ଟି ଲେଖାଏଁ ଧ୍ୱନି ମୁଖବିବରର (ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରସ୍ଥ) ଏକଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ହେତୁ ସେଇସେଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ସେଗୁଡିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହା ଏହିପରି-

- "କ" ବର୍ଗ / କଣ୍ଠ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ (କ୍ , ଖ୍ , ଗ୍ , ଘ୍ , ଙ୍)

- "ଚ" ବର୍ଗ / ତାଳବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ (ଚ୍ , ଛ୍ , ଜ୍ ,ଝ୍ , ଞ୍)
- "ଟ" ବର୍ଗ / ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବ୍ଯଞ୍ଜନ (ଟ୍, ଠ୍ ,ଡ୍ , ଢ୍ , ଣ୍)
- "ତ" ବର୍ଗ / ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ (ତ୍ , ଥ୍ , ଦ୍ , ଧ୍ , ନ୍)
- "ପ" ବର୍ଗ / ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ (ପ୍ , ଫ୍ , ବ୍ , ଭ୍ , ମ୍)

ଉଚ୍ଚାରଣର ପ୍ରକୃତି (ବିଧି) ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବର୍ଗ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ପଶ୍ଚ ଜିହ୍ୱା - କୋମଳ ତାଳୁ, ତାଳୁ-ଜିହ୍ୱା , ଜିହ୍ୱା-ମୂର୍ଦ୍ଧା, ଜିହ୍ୱା-ଦାନ୍ତ, ଓଷ୍ଠ-ଓଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ହେତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଫକୀର ମୋହନ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।

ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟରୁ ଯ, ର, ଳ, ୱ (ୱ) - ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ଥବର୍ଣ୍ଣ, ଶ,ଷ,ସ,ହ- ଏହି ଚାରୋଟି ଧ୍ୱନି ଉଷ୍ମବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଂ,ଃ,ଁ ଏହି ତିନୋଟିବର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗବାହ ଆକାରରେ "ଉତ୍କଳ ବ୍ୟାକରଣ"ର ବର୍ଣ୍ଣନିର୍ଣ୍ଣୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ 'ଯ' ର ବିକଳ୍ପ 'ୟ' ନୁହେଁ କିମ୍ବା 'ୟ' ର ବିକଳ୍ପ 'ଯ' ନୁହେଁ। ଉଭୟ 'ଯ' ଏବଂ 'ୟ' ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରବର୍ଣ୍ଣ। ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ "ଯମ"(ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା) "ୟମ" ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ "ବିଯୋଗ" ଲେଖିଲେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ (ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା), "ବିୟୋଗ" ଲେଖିଲେ ସେଇ ଏକାଅର୍ଥକୁ ନବୁଝାଇ ମୃତ୍ୟୁ ବା ପରଲୋକ ଘଟିବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଫକୀର ମୋହନ 'ୟ' ର ବିକଳ୍ପ 'ଯ' ଏବଂ 'ଲ' ର ବିକଳ୍ପ 'ଳ' ରୂପେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସେ 'ୟ' ଓ 'ଲ' ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଲ, ଓ ଳ, ଦୁଇଟି ଏକା ବର୍ଣ୍ଣ; ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଜନିତ ବିଶେଷତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସମୟରେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ***(ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ସାର, ସି.ଲେସି, ପୃଷ୍ଠା - ୨)*** କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଶବ୍ଦତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି।

ଭାଷାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଲକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଆମ ଭାଷାରେ ଂ,ଃ,ଁ ଏହି ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଥପ୍ରକାଶକ୍ଷମ ଧ୍ୱନି ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଅର୍ଥ ବଦଳାଇବା ବା ନୂତନ ଅର୍ଥ ତିଆରି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଥା - "ହସ" - ଅର୍ଥାତ୍ ହସିବା । ଏଥିରେ ଂ (ଅନୁସ୍ୱର) ଯୋଗ ହେଲେ ଅର୍ଥ ବଦଳି ଯାଇ ହେବ "ହଂସ"। ସେହିପରି - ବହି (ପୁସ୍ତକ), ଏଥିରେ ଃ (ବିସର୍ଗ) ଯୋଗ ହେଲେ ହେବ "ବହିଃ ('ବହିଃ' (ବାହାର)। ଅନୁରୂପ

- 'ଚାହେ' ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବା/ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଅର୍ଥ ବୁଝାପଡ଼େ; ଏଥିରେ ଁ (ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ) ଯୋଗ ହେଲେ 'ଚାହେଁ' ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇ ଦେଖିବା/ ଅନେଇବା ଅର୍ଥ ବୁଝାଏ। ଏଥିରୁ ଲକ୍ଷ କରିବାର କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଆବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଏହି ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ରହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଲ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟତିରେକ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଭାଷା ନିଜର ବଳିଷ୍ଠତା ଓ ପ୍ରାମାଣିକତା ହରାଇବ । ଫଳତଃ ଫକୀର ମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାଳରେ ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ନାହାନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ସେ ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ଥ 'ବ' ବା ଅବର୍ଗ୍ୟ ୱ(ୱ) ଧ୍ୱନିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି - "ମାତ୍ର ସଚରାଚର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ଥ 'ୱ' କାରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭେଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ଗ୍ୟ 'ବ' ପରି ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ଥ 'ୱ' କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି।" (*ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ରଚନାବଳୀ, ପୃଷ୍ଠା - ୬୭)* ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ନିରୂପଣ କ୍ରମରେ ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ଥ 'ୱ' କାରର ସ୍ୱରୂପ ସାମାନ୍ୟ ବଦଳାଇ 'ୱ' ପରିବର୍ତ୍ତେ 'ଓ' ତଳେ 'ବ' ଫଳା ଦେଇ 'ୱ' ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଇ ସେହି ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି । ଫଳରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର wicket, watch, wash - ପରି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅବିକଳ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ଭବ ହେଇ ଭାଷାକୁ ସୁସମୃଦ୍ଧ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଛି। ନଚେତ୍ 'ୱ' ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଧ୍ୱନିର ଅଭାବରେ 'ୱିକେଟ୍' ବଦଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଉଇକେଟ, ୱାଚ୍ - ଉଆଚ୍, ୱସ୍ - ଉଆସ୍ - ଲେଖି ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଥାନ୍ତା । ଅତଏବ ବର୍ଗ୍ୟ ବ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଓଷ୍ଠ । ତେଣୁ ତାହା ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଅବର୍ଗ୍ୟ 'ୱ' ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦନ୍ତ ଓ ଓଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଦନ୍ତ୍ୟ-ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଚିତ।(*ଉତ୍କଳ ବ୍ୟାକରଣ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ପୃଷ୍ଠା - ୬୭)*। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ 'ୱ' ଉଚ୍ଚାରଣ କାଳରେ ଜିଭ। ପ୍ରଥମେ ସଂବୃତ ସ୍ଥାନ 'ଉ' ରୁ ଗତିକରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ବିବୃତ ସ୍ଥାନ 'ଅ' ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ।

ଫୁସଫୁସରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ବାୟୁକୁ ଜିଭ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଶ୍ୱାସବାୟୁ ବାକଯନ୍ତ୍ର ବା ମୁଖବିବରର ଯେଉଁଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବା ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ଅବରୋଧ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେହିସେହି ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରଯତ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି/ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀ

କରଣ ବା ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ ଫକୀର ମୋହନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମୁଦାୟ ଦଶ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡିକ ହେଲା -

I. କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ - ଅ, ଆ, ହ । ହ ବର୍ଣ୍ଣଟି କିନ୍ତୁ କାକଲ୍ୟ (ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ର ମୁଖ) ଧ୍ୱନି ରୂପେ ପରିଚିତ। ***(ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ କଳନା, ପୃଷ୍ଠା - ୬୯)***

II. ଜିହ୍ୱାମୂଳୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ - କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିଭର ପାଶ୍ଚାତ ଭାଗ କୋମଳ ତାଳୁ ବା କଣ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ହେତୁ ଏସବୁ କଣ୍ଠ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଚିତ। ***(ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ପୃଷ୍ଠା - ୧୦)***

III. ତାଳବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ - ଇ, ଈ, "ଚ" ବର୍ଗ, ଯ, ଶ

IV. ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ - ଋ, ୠ, "ଟ" ବର୍ଗ, ର, ଷ

V. ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ - ଌ, ୡ, "ତ" ବର୍ଗ, ଲ, ସ

VI. ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ - ଉ, ଊ, "ପ" ବର୍ଗ

VII. କଣ୍ଠ - ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ : ଏ,ଐ

VIII. କଣ୍ଠ - ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ : ଓ, ଔ

IX. ଦନ୍ତ - ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ : ୱ

X. ଅନୁନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ - ଙ , ଞ, ଣ, ନ, ମ, ଂ, ଁ

ଏହିପରି ଭାବରେ ଫକୀର ମୋହନ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଭୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ନିରୂପଣ କରି ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କିତ ପାଠକୀୟ/ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ "ର" ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ମୂର୍ଦ୍ଧା ନୁହେଁ ଏବଂ ଲ, ସ, ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦନ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହି ର, ଲ, ସ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ବତ୍ସ୍ୟ ବା ଦନ୍ତ ମୂଳୀୟ ଧ୍ୱନି। ସମ୍ପ୍ରତି ଆଧୁନିକ ବୈୟାକରଣମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣର ପ୍ରଯତ୍ନ ଆଧାରରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ - ସଂଘର୍ଷୀ, ସଂଘର୍ଷୀ, ପାର୍ଶ୍ୱିକ, ଲୁଣ୍ଠିତ, ଉତକ୍ଷିପ୍ତ, ରଣିତ ଇତ୍ୟାଦି ଭେଦରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣାତ୍ମକ ପ୍ରାଣଧର୍ମ ଭିତ୍ତିରେ ସଘୋଷ, ଅଘୋଷ, ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ, ମହାପ୍ରାଣ, ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗୀକରଣ କରି ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ନ କରି ଫକୀର ମୋହନ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଦେଇ ଅନୁରଗୀ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆଲୋଚନା/ Discussion :

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଭାଷିକଯୋଗାଯୋଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଠନ, ଲିଖନ ଓ ବୋଧନ ନିମିତ୍ତ ଏହା ଆଧାରଶିଳା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବର୍ଣ୍ଣ ବିନା ଲେଖିବା ଓ ପଢିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଭାଷା। ଅର୍ଥାତ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଲିଖନ ବା ଲିଖିତ ରୂପ ଆପାତତଃ ସମାନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରତିଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଶବ୍ଦର ଯଥାରୂପ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶିକ୍ଷା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଅର୍ଥାତ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା, ପଢିବା ଓ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା। ଏଥିନିମିତ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ମୌଲିକ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ତା'ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତେଣୁ ଫକୀର ମୋହନ ପରାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ-ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯୁଗୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ।

ସମ୍ପ୍ରତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସମୟଖଣ୍ଡରେ ଆହ୍ୱାନ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ବନାମ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭାଷିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ବା ଭାଷାବିନିମୟ ସଂଘଟିତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ଭବତଃ ଯନ୍ତ୍ର ବନାମ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭାଷାଗତ ବିନିମୟ ସଂଘଟିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସେହି ସ୍ତରକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ କରିବାର ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ମାନସିକତା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟଥା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଯନ୍ତ୍ରଯୋଗ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଛୁଆ ହୋଇ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନବୀକରଣ ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସଂଶୋଧନ ଆଦି ଔପଚାରିକତା ପଛରେ ପ୍ରଧାବିତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଯୁଗୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ବର୍ଣ୍ଣବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୌଳିକତାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅନୁସାରୀ ସମସ୍ତ ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳାଯାଇ ପାରୁଥିବା ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।

ଉପସଂହାର/ Conclusion :

ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତି ରହିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟହୀନ

କରି/ ମୂଲ୍ୟହୀନ କହି ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେବାର ପ୍ରୟାସ ସେ କରିନାହାନ୍ତି; ବରଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପାଠକ/ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣସମ୍ପର୍କିତ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ / ଧାରଣା ଆବଶ୍ୟକ ବଡ଼ ସତର୍କତା ସହିତ ସେତିକି ତଥ୍ୟ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି।

ବାସ୍ତବିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭାଷା। ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ଯେକୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ୍ଷମ ଶବ୍ଦ, ଯେକୌଣସି ଭାବନାକୁ ଅର୍ଥ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଆସୁ / ତିଆରି ହେଉ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଲେଖି ପାରିବା ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ/ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ରରେ ରହିଅଛି।

ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ/ References :

- ଗିରି, ଅରବିନ୍ଦ, ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ରଚନାବଳୀ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ୨୦୦୦
- ଡବ୍ଲୁ . ସି. , ଲେସି, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ସାର, ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଓରିଶା ମିଶନ ପ୍ରେସ, କଟକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ - ୧୮୫୭
- ତ୍ରିପାଠୀ, ସନ୍ତୋଷ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ - କଳନା, ନାଳନ୍ଦା, କଟକ, ୨୦୦୮
- ଧଳ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ, ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା, ପୁସ୍ତକ ଭବନ,ସପ୍ତମ ସଂସ୍କରଣ - ୨୦୧୬
- ମହାପାତ୍ର, ଧନେଶ୍ୱର, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, କିତାବ ମହଲ, କଟକ, ୨୦୧୫
- ମହାପାତ୍ର, ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର(ସଂ), ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ (୧୮୦୬, ଗଦାଧର ବିଦ୍ୟାବାଗୀଶ), ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟ ମନ୍ଦିର, କଟକ - ୧୯୮୨
- ମିଶ୍ର, ହରପ୍ରସାଦ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ଆଲୋଚନା, ଅଗ୍ରଦୂତ, କଟକ, ୨୦୧୧
- ସାହୁ, ବାସୁଦେବ, ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ରୂପରେଖ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ପବ୍ଲିଶର୍ସ୍ ,ଦଶମ ସଂସ୍କରଣ - ୨୦୧୫
- Sutton, Amos, Introductory grammar of Oriya Language, Baptist mission press, Calcutta, 1831.

Mobile No. 9437587697
Email: prahalladkhilla@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 110–115

राजस्थान की इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक की हिंदी कहानियों में महिला लेखकों की भूमिका

साधना शर्मा
शोधार्थी, हिंदी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

शोध सार :–

राजस्थान में इक्कीसवीं सदी में हिंदी कहानी का परिदृश्य उल्लेखनीय रूप से परिवर्तित हो चुका है, जिसमें महिला लेखकों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। आजादी के कई वर्षों तक राजस्थान में हिंदी महिला कहानी लेखन दिखाई नहीं देता है। बीसवीं शताब्दी के उतरार्द्ध से राजस्थान में हिंदी महिला लेखन शुरू होता है और इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक की हिंदी कहानियों में महिला लेखक अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराती है। इस दशक में महिला लेखक अपनी कहानियों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। उनकी कहानियों में समाज के लिए ज्वलंत विषय जैसे पितृसत्तात्मक संरचना, महिला सशक्तिकरण, बदलते संबंधों का स्वरूप, रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याएं, युवा वर्ग के असमंजस की स्थिति आदि प्रमुखता से दिखाई देते हैं। इस दशक की महिला लेखक न केवल परंपरागत साहित्यिक रूपों को चुनौती दे रही है, बल्कि नई और प्रयोगात्मक लेखन शैली भी अपना रही है, जिससे राजस्थान की हिंदी कहानी को एक नई दिशा और ऊर्जा मिली है। इस दशक की राजस्थान की महिला कहानीकारों ने अपनी हिंदी कहानी के माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है और उनके विचारों ने सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इक्कीसवीं सदी ये दूसरे दशक की राजस्थान की हिंदी कहानी में महिला कहानीकारों का योगदान अत्यधिक प्रभावशाली और नवाचारी रहा है। इस काल में राजस्थान की महत्वपूर्ण हिंदी महिला कहानीकारों में मनीषा कुलश्रेष्ठ, डॉ पद्मजा शर्मा, डॉ वीणा चुण्डावत, डॉ शालिनी गोयल, दिव्या विजय तसनीम खान, अनुकृति उपाध्याय ने अपने प्रयोगात्मक लेखन से राजस्थान के हिंदी कहानी को एक नया आयाम दिया है। इन्होंने अपनी कहानियों में सामाजिक, आर्थिक आदि विषयों के विविध परिदृश्यों को प्रमुखता से लिया है। इनकी कहानियों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, व्यक्तिगत संघर्ष और स्वतंत्रता की खोज को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है।

बीज शब्द :– महिला लेखको की भूमिका, राजस्थान की हिंदी कहानी, इक्कीसवीं सदी का दूसरा दशक।

मूल आलेख :–

राजस्थान में महिला हिंदी लेखकों की यात्रा लंबी और संघर्षपूर्ण रही है। जिस प्रदेश में इक्कीसवीं सदी

में महिला जीवन की स्थिति खास अच्छी नहीं कहीं जा सकती है वहाँ आजादी से पूर्व तो महिला शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह भी आश्चर्य और चिंता का विषय है कि भक्ति काल में ही स्त्री मुक्ति को आवाज देने वाली 'मीरा' की भूमि पर महिला लेखन इतनी देरी से क्यों आया है? आजादी के भी कई वर्षों तक राजस्थान में हिंदी महिला कहानी लेखन दिखाई नहीं देता है। बीसवीं शताब्दी के उतरार्द्ध से राजस्थान में हिंदी कहानी महिला लेखन शुरू होता है। जब सर्वहारा की बात कहानियों में की जाने लगी और इसी कड़ी में स्त्री जीवन के संघर्ष, स्त्री की समाज में स्थिति का मुद्दा लेखन में छाने लगा, उसके बाद महिला लेखन में भी सामने आया। और इक्कीसवीं सदी में तो महिला हिंदी कहानीकारों ने महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की है।

साहित्य सामाजिक परिवर्तन का जीवंत दस्तावेज होता है। इक्कीसवीं सदी में समाज परिवार और व्यक्ति सभी स्तरों पर जो तीव्रता से बदलाव आया है, उसका असर हिंदी कहानी जगत पर भी व्यापक रूप से परिलक्षित होता है। नारी शिक्षा के कारण स्त्रियों के मानसिक और बौद्धिक स्थिति में भी काफी बदलाव हुए हैं। उन्होंने पुरानी मान्यताओं को तोड़कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मार्ग अपनाया है। इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक की राजस्थान की हिंदी महिला कहानीकार अन्य कहानीकारों के साथ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती दृष्टिगत होती है। वर्तमान में हमें महिला लेखन आधुनिकता, वैज्ञानिकता, तार्किकता, समसामयिकता तथा युगीन भावबोध का परिचय कराता है। आज का राजस्थान का हिंदी महिला कहानी लेखन उच्च कोटि का होने के साथ यह वैविध्यपूर्ण भी है। इस दशक की राजस्थान की हिंदी महिला कहानीकारों ने अपने लेखन में जीवन और समाज के सभी रंगों को अपनी कलम से बड़ी भावात्मक और कलात्मकता से उकेरा है। इनमें कहीं नारी मुक्ति की छटपटाहट है, कहीं वृद्ध समस्या, कहीं किसी बड़े परिवार की समस्या, तो कहीं आधुनिक जीवन का खोखलापन। इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक की राजस्थान की हिंदी कहानी में महिला कहानीकारों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, जहाँ वे अपनी कहानियों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों, सांस्कृतिक विरासत और व्यक्तिगत अनुभवों को उजागर कर रही है। इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक की राजस्थान की प्रमुख हिंदी महिला कहानीकारों में मनीषा कुलश्रेष्ठ, डॉ पद्मजा शर्मा, डॉ वीणा चूंडावत, डॉ शालिनी गोयल, दिव्या विजय, तसनीम खान, अनुकृति उपाध्याय आदि अग्रगण्य हैं, जो राजस्थान के हिंदी कहानी को एक नया आयाम दे रही है।

मनीषा कुलश्रेष्ठ :-

भाषा व शिल्प का एक लय में, नये ताजा शब्द, अनछुई उपमाएँ, प्रकृति और विज्ञान का समावेश कर राजस्थान की हिंदी कहानी को ऊंचे पायदान पर ले जाने वाली मनीषा कुलश्रेष्ठ राजस्थान की हिंदी कहानी में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानियाँ हमारे भीतर ठहरे कई विश्वासों को चुनौती देती है, सवाल खड़े करती हैं, सोच के स्तर पर इंसान को पूरी तरह बदल देने का जज्बा रखती है। मनीषा कुलश्रेष्ठ का इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक का महत्वपूर्ण कहानी संग्रह 'किरदार' है, जिसकी हर कहानी के पीछे किरदारों की बेचौनी, बेनियाजी, लिहाज, झिझक, बेसब्री और बेअदबी भी मन के भीतरी सतह को कुरेदती संवेदनाएं आदि विन्यस्त करती चलती है। 'आर्किड', 'लापता पीली तितली', 'ब्लैक हॉल्स', 'ठगिनी', 'समुद्री घोड़ा', 'किरदार' आदि इस कहानी संग्रह की महत्वपूर्ण कहानियाँ है, जो आज के सामाजिक यथार्थ से रूबरू कराती परिलक्षित होती हैं। मजबूत शीर्षक कहानी 'किरदार' को पढ़कर लगता है ये भारतीय समाज के न जाने कितने घरों की कहानी है, एक लड़की शादी के बाद न जाने रिश्तो के कितने किरदारों में ढलती है कि उसका

अस्तित्व खोजे नहीं मिलता। मुख्य पात्र 'मधुरा' अपने कई किरदार निभाते–निभाते खुद कहीं खो जाती है। "सपनों की सी दुनिया भी कभी–कभी बुरी लगती है क्या...? क्या मैं बेवजह खुशी में संतुष्टि खोजने के महान तर्क खोजती हूँ। पास में नदी होते हुए, तृष्णा की तरफ डग भर रही हूँ? अतितृप्ति कि मारी हूँ? तृष्णा के तृषित?"[1] मुख्य किरदार मधुरा आत्महत्या कर लेती है, लाख ढूंढने पर भी कोई वजह नजर नहीं आ रही, सतही रिश्तों में बंधा साथी, कैसे देख पाता जीती जागती लड़की के भीतर सुलगता दुख। "मेरे हिसाब से आपसी प्रेम और उसकी अभिव्यक्ति भी यथासंभव हम दोनों के बीच रही हो। झगड़ा तो दूर हमारे बीच कभी बहस तक नहीं हुई, असहमतियाँ आपसी समझदारी के निकष पर कसकर सहमतियों में तब्दील होती रहीं।"[2]

'लापता पीली तितली' कहानी में बिना बालशोषण शब्द का प्रयोग किए बचपन में एक बच्ची के साथ घटी अनहोनी को उकेरा गया है, जो संग्रह की सबसे जीवंत कथा है। 'आर्किड' कहानी में मणिपुर का जनजातीय जीवन और इर्द–गिर्द उठता संघर्ष है। 'ठगिनी' नामक कहानी में लेखिका ने लड़कियों के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया है। आज भी लड़की होने पर होंठों के आकार को पढ़ा जा सकता है, इस कहानी में कैसे एक लड़की अपने अतीत को खंगालती बियाबाँ में एक अनजान के पीछे–पीछे चल देती है। और अंत में वह जहाँ पहुंचती है वह वाकई इस तथाकथित पढ़े–लिखे जागरूक सभ्य समाज को आईना दिखाने जैसा है। अगली महत्वपूर्ण कहानी 'समुद्री घोड़ा' है। ये विज्ञान और मेडिकल साइंस की कई परतें खोलता है, एक पिता के गर्भ धारण करने की इच्छा की घटना इस कहानी में देखने को मिलती है। कहानी का नायक अपनी पत्नी से कहता है – "रौद्रा मुझे पता है संसार भर से लड़ने से पहले मेरा पहला युद्ध तुमसे होगा।"[3] इसी तरह जेनरेशन गैप के विषय पर लिखी गई कहानी 'ब्लैक हॉल्स' आज के लगभग हर परिवार की समस्या को उजागर करती है। इस प्रकार मनीषा कुलश्रेष्ठ की हर एक कहानी सशक्त रूप में पाठकों के सामने आती है, जिसे प्राथमिकता के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

डॉ पद्मजा शर्मा :–

डॉ पद्मजा शर्मा राजस्थान की नहीं वरन् हिंदी साहित्य में चर्चित शब्द चित्रकार, कवयित्री और कहानीकारों में शुमार है। डॉ पद्मजा शर्मा की कहानियों में किशोर होते लड़के–लड़कियों के मनोविज्ञान को समझा जा सकता है। उनकी कहानियों में बड़े होते समझदार बच्चों का चित्रण है। डॉ पद्मजा शर्मा का महत्वपूर्ण कहानी संग्रह 'मोबाइल पिक और हॉस्टल तथा अन्य कहानियाँ' है, जिनमें कुल गयारह कहानियाँ सम्मिलित है। जिसमें हर कहानी किशोर मन के मनोविज्ञान को समझने में सहायता प्रदान करती है। डॉ पद्मजा शर्मा की कहानियों की स्त्री पात्र सशक्त रूप में अपने लिए और अपने जैसे कितनी स्त्रियों के लिए आवाज बुलंद करने वाली व आधुनिक स्त्री की तरह बेबाक रूप में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली स्त्री के रूप में चित्रित है। डॉ पद्मजा शर्मा की कहानियों की स्त्री पात्र चुपचाप सहने वालों में से नहीं बल्कि अपने लिए डटकर लड़ने वाली स्त्री है। फिर वो चाहे 'सरप्राइज' कहानी के मुख्य पात्र हो, 'शिवी' कहानी की 'सुलेखा' हो या 'दस जुराब' की मुख्य पात्र पत्नी या फिर 'गुस्सा' कहानी की लड़की 'शुभा' हो। हर स्त्री को अपनी अस्मिता के लिए जागरूक दिखाया गया है।

'गुस्सा' कहानी के मुख्य पात्र 'शुभा' की बातों से यह देखा जा सकता है, जब वह हॉस्टल गार्ड दीदी को न्याय दिलाने के लिए खड़ी होती है– "माँ यही गुस्सा, हाँ यही आक्रोश जिस दिन हमें दूसरों के साथ हो

रहे अन्याय पर आएगा उस दिन बदलेगा दुनिया का चेहरा। वरना नहीं। माँ इस गुस्से का दायरा थोड़ा बढ़ाओ। डर से थोड़ा बाहर निकलो। माँ बंद कमरे में बैठकर कविता लिखने की नहीं अब बाहर आकर काम करने की जरूरत है। बंद कमरे में बड़ी–बड़ी बातें करने के बजाय चौराहे पर आकर चिल्लाने की जरूरत है।..... मुझे जो गलत लगता है उसका विरोध आज से, अभी से ही करूंगी। मैं दीदी को न्याय दिला कर रहूँगी। चाहे मेरा एक–दो साल खराब ही क्यों न हो जाए।"[4] इसी तरह 'दस जुराब' कहानी के मुख्य पात्र पितृसत्तात्मक समाज का प्रतिरोध दृढ़ता से करती है। अपने और अपनी बेटी के लिए आवाज बुलंद करती है। "आज आपने मुझे बहुत बड़ा पाठ पढ़ा दिया। कड़वे यथार्थ से सामना करवा दिया। अन्यथा यह सच में कभी नहीं जान पाती की औरत का कोई घर नहीं होता। मैं सोचती थी कि यह घर हमारा है। आज पता चला यह तो आपका घर है। मेरा तो कोई घर ही नहीं है। मैं तो किसी और के घर में रह रही हूँ। मेरे साथ जो हुआ, हुआ पर मेरी बेटी के साथ ऐसा न हो इसलिए मैं नौकरी करूंगी।"[5] इस तरह पद्मजा शर्मा एक अलग और मौलिक आहट के साथ इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक की राजस्थान की हिंदी महिला कहानीकारों में उपस्थिति दर्ज करवाती हैं।

डॉ वीणा चूंडावत :–

युवा मन के अंतर्द्व का चित्रांकन करने वाली डॉ वीणा चूंडावत राजस्थान की हिंदी महिला कहानीकारों में महत्वपूर्ण नाम है। इनका प्रथम कहानी संग्रह 'राग मेघ मल्हार' है। डॉ वीणा चूंडावत की कहानियों में युवा मन की थाह, उनके मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है। उनकी कहानियों के युवा जीवन में असमंजस की स्थिति से, निर्णय–अनिर्णय की स्थिति से जूझते दृष्टिगोचर होते हैं। 'और बढ़ती रहेगी कोशिश', 'राघमेघ मल्हार', 'फड़फड़ाते कबूतर', 'रंगीन सपने', 'ठहरे हुए पल', 'उदासी का घेरा' आदि उनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ है, जो बदलते संबंधों की पड़ताल करती परिलक्षित होती है। डॉ सत्यनारायण लिखते हैं – "राघ मेघ मल्हार' डॉ वीणा चूंडावत का पहला कहानी संग्रह है। इन कहानियों में लेखिका ने युवा मन की थाह लेने की कोशिश की है। यह एक तरह से युवा वर्ग के अंतर्द्वंद्व की कहानियाँ है। जहाँ कई बार निर्णय–अनिर्णय की स्थिति में रहता है। कई बार ठोस निर्णय लेता है। यह निर्णय लेना आज की युवा की बदलती सोच है।"[6]

डॉ शालिनी गोयल :–

अपनी कहानी के विषय हमारे समाज घर और अगल–बगल के जीवन से उठाने वाली डॉ शालिनी गोयल भी राजस्थान के हिंदी कहानी में उभरता हुआ नाम है। डॉ. शालिनी की कहानियाँ सुकून देने वाली के साथ–साथ परिवार का, रिश्तों का, भावनाओं का सम्मान करने वाली कहानियाँ है। इनकी कहानियाँ रोजमर्रा जीवन की छोटी–छोटी समस्याओं की ओर इशारा करती हैं परंतु प्रमुख रूप से रिश्तों की परिवार के आधुनिक जीवन में अहमियत की बात करती हैं। इनका इस दशक का और इनका प्रथम कहानी संग्रह 'अंतर्द्वंद्व तथा अन्य कहानियाँ' है। 'अंतर्द्वंद्व', 'बड़ी कुर्सी', 'भाभी', 'डिग्री', 'दोस्ती', 'थैंक्यू सर', 'बेटी फर्ज', 'करवा चौथ', 'रिश्ता', 'डाकिया डाक लाया', 'विदाई', 'वृद्धाश्रम' आदि महत्वपूर्ण कहानियाँ है, जो रिश्तों में आए स्वार्थ के साथ ही बची मिठास, त्याग, प्रेम, ममता, और सेवा की बात करती है। डॉ पद्मजा शर्मा उनकी कहानियों की समीक्षा करते हुए कहती है – "अनेक रंग, अनेक स्वाद, अनेक रूपों में जीवन इन कहानियों में बिखरा पड़ा है। इनमें घटनाएं हैं, किस्से हैं, अनुभव है, देखा–भोगा जीवन है। ये कहानियाँ काल्पनिक नहीं है, ये यथार्थ जीवन की बात करती है। जीवन की खुरदरी सतह की बात करती है। यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में घटित होने वाले अनुभूत सत्य है।

जो पग–पग पर जीवन की सीख देते हैं। बात चाहे शिक्षा की हो, चाहे धन की हो, और चाहे स्त्रियों की समझ या सूझबूझ की हो सब की शालिनी ने शालीनता के साथ प्रस्तुत किया है।"[7]

तसनीम खान :–

साहित्य और पत्रकारिता दोनों में समान रूप से सक्रिय रहने वाली तसनीम खान राजस्थान के हिंदी कहानीकारों में महत्वपूर्ण नाम है। तसनीम खान के लेखन के विषय आधुनिक समस्याओं से ओतप्रोत है। उनकी कहानियों में धर्म, संस्कृति विशेष में प्रचलित विसंगतियों का दृढ़ता से प्रतिशोध मुखर होता है तथा धर्म विशेष में परंपराओं के नाम पर स्त्रियों पर होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद होती दृष्टिगत होती है। तसनीम खान को 'भारतीय ज्ञानपीठ का युवा पुरस्कार', 'चंद्रबरदाई युवा पुरस्कार', 'शाकुंतलम सम्मान', 'लाडली मीडिया' सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। 'दास्तान ए हजरत' इस दशक का इनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। 'हमनवाई न थी' इनका प्रमुख उपन्यास है। इनकी 'मेरे हिस्से की चांदनी' नामक कहानी में स्त्री के दर्द को इन शब्दों से समझा जा सकता है – "आज की यह चांदनी तो मेरे हिस्से में नहीं। चांदनी भी बंटती है भला, ये बँटवारा मुझे कतई मंजूर नहीं। यह कहते हुए उसने अपने घुटनों के भीतर सिर छिपा लिया। वह जानती है कि उसकी मंजूरी या नामंजूरी की जरूरत किसी को नहीं।"[8]

दिव्या विजय :–

इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में युवा कहानीकार 'दिव्या विजय' राजस्थान की हिंदी कहानी जगत में मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। लगभग 10 कहानियों का संकलन कर 'अलगोजे की धुन पर' इनका प्रथम कहानी संग्रह है। दिव्या विजय की अधिकतर कहानियों में महिला पात्र प्रमुख है, जो चुपचाप सहन करने वाली स्त्रियाँ नहीं है बल्कि मजबूती इरादे रखने वाली नायिकाएँ हैं। वह जीवन में परेशानी और संघर्ष के बाद भी डटकर खड़ी रहती हैं। वह अपने विवेक इच्छानुसार से जीना चाहती हैं। 'प्रेम पत्र ऐसो कठिन', फिसलते फासलों की रेत–घड़ी', 'मन के भीतर एक समंदर रहता है', 'प्यार की कीमियाँ', 'एक जादूगर का पतन' आदि उनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ है। कथाकार एवं नाटककार 'हृषिकेश सुलभ' लिखते हैं – "दिव्या विजय अंतर्मन के बीच बेहद सहजता के साथ उतरती है और सधे हुए कौशल के साथ अंतर्द्वंद्वों के क्षणों को चुनती हैं। उनकी यह सहजता और इनका यह सधाव चकित करता है। इन कहानियों के मर्म की अनुगूंजी लंबे समय तक पाठकों के भीतर बनी रहती है और भरोसा दिलाती है कि आने वाले समय में दिव्या विजय अपनी खास पहचान बनायेंगी।"

अनुकृति उपाध्याय :–

अपने लेखन के माध्यम से सर्वथा एक नये कथालोक की यात्रा कराने वाली अनुकृति उपाध्याय भी इस दशक की महत्वपूर्ण राजस्थान की हिंदी कहानीकार है। अनुकृति उपाध्याय नई पीढ़ी की कथा लेखिका है। अनुकृति उपाध्याय की कहानियों में नवाचार केवल कथानक के स्तर पर नहीं है, बल्कि कथ्य और कहन की शैली के स्तर पर भी बहुत कुछ नया घटित होता है। 'जापानी सराय' इनका महत्वपूर्ण कहानी–संग्रह है। इस संकलन की 'जापानी सराय', 'चेरी ब्लॉसम', 'रेस्ट रूम', 'शावर्मा', 'प्रेजेंटेशन', 'हरसिंगार के फूल' आदि महत्वपूर्ण कहानियाँ है। प्रसिद्ध कथाकार एवं नाटककार हृषिकेश सुलभ उनकी कहानियों के बारे में लिखते हैं – "अनुकृति उपाध्याय की कहानियाँ केवल उनके प्रभाव और रसात्मकता के आधार पर मूल्यांकित नहीं किया जा सकता।

कई बार वह कथा शैली के प्रचलित रूपों का अतिक्रमण करती हैं, पर उनका यह अतिक्रमण कहानी के चरित्र और संवेदनाओं को नए आवेशों से पूरित करता है।"[9]

निष्कर्ष :-

इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक की राजस्थान की हिंदी महिला कहानीकारों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल साहित्य को समृद्ध बनाया है, बल्कि समाज में जागरूकता और परिवर्तन लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी रचनाएँ समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। और एक बेहतर भविष्य की और प्रेरित करती हैं। राजस्थान के इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक की हिंदी महिला कहानीकारों की यह भूमिका आने वाले समय में भी महत्वपूर्ण रहेगी और साहित्य को नई दिशा देती रहेगी।

संदर्भ सूची :-

1. कुलश्रेष्ठ, मनीषा 'किरदार, राजपाल प्रकाशन, दिल्ली, 2018, पृ. 128
2. वहीं, पृ. 118
3. वहीं, पृ. 105
4. शर्मा पद्मजा, मोबाइल पिक और हॉस्टल तथा अन्य कहानियाँ, बोधि प्रकाशन, जयपुर, 2019, पृ. 83
5. वहीं, पृ. 67
6. चुडावत, डॉ वीणा, राघ मेघ मल्हार, बोधि प्रकाशन, जयपुर, 2020, पृ. 7
7. गोयल, शालिनी, अंतर्द्वंद्व तथा अन्य कहानियाँ, बोधि प्रकाशन, जयपुर, 2017, पृ. 14
8. खान, तसनीम, दास्तान ए हजरत, कलमकार मंच, जयपुर, 2019, पृ. 23
9. उपाध्याय, अनुकृति, जापानी सराय, राजपाल प्रकाशन, दिल्ली, 2019, पृ. 8

mailto:999sadhana999@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 116–123

भीष्म साहनी का जीवन और व्यक्तित्व

डॉ. रवि देव
जी 01 प्रथम तल, प्रीत विहार, दिल्ली–११००६२

हिंदी साहित्य में प्रगतिशील चेतना संपन्न, समाजोन्मुखी, साठोत्तरी हिंदी साहित्यकारों में भीष्म साहनी का नाम शिद्दत से लिया जाता है। वे प्रगतिशील परंपरा के सशक्त कथा लेखक हैं, जिन्होंने अपने कथा साहित्य में समाजवाद को प्रस्तुत करना चाहा। भारतीय जनता की आजादी के यथार्थ का, जीवन–सिद्धांतों का, समाज के भीतर चलने वाले व्यक्ति संघर्षों का वर्णन किया। भीष्म साहनी सामंतवाद, पूंजीवाद, वर्गभेद, धर्माडंबर, मध्यम वर्ग, शोषित वर्ग और शोषक वर्ग की मनोसंस्कृति का चित्रण भी करने वाले रचनाकार हैं, लेकिन सांप्रदायिक परिवेश का उद्‌घाटन करने में वे कुशल चितेरे रहे हैं।

जीवन–वृत्त :–

जैसा की सर्वविदित है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, ठीक इसी प्रकार भीष्म साहनी ने भी अपने जीवन के अनुभवों और परिस्थितियों से पूर्ण प्रेरणा प्राप्त कर अपने साहित्य में उन्हें प्रस्तुत किया। रचनाकार भीष्म साहनी के कृतित्व को समझने से पूर्व उनके जीवन और व्यक्तित्व पर यहां पहले प्रकाश डाला जा रहा है।

जन्म :– भीष्म साहनी का जन्म 7 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान के छाछी मोहल्ले में, एक सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हरवंश लाल तथा माता का नाम लक्ष्मी देवी था। इनके बड़े भाई बलराज साहनी फिल्मों में एक बड़ा नाम रखते थे। भीष्म साहनी के पूर्वज पंजाब के शाहपुर जिले के भेरा नामक कस्बे वे रहते थे, किंतु बाद में वे रावलपिंडी आ गए। भीष्म साहनी का सारा बचपन यहीं पर गुजरा था, उन्होंने अपने बचपन की यादों को 'झरोखे' उपन्यास में बड़ी भावुकता से उतारा है।

इस संबंध में राजकुमार राकेश जी लिखते हैं कि "भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी में 1915 में हुआ। बीसवीं शताब्दी के इतिहास का बेहद बेचैन और अशांत समय इसी वक्त के आसपास शुरू होता है। जब भीष्म साहनी इसी धरती पर पहली सांस लेते हैं, तो पहले विश्वयुद्ध की लपटें इस पृथ्वी पर पड़ रही थी। इसी समय विश्व के परिदृश्य पर पूंजीवाद सामंतशाही और जारशाही के विरुद्ध सोवियत साम्यवाद का उत्थान हुआ। इधर भारत के गुलाम राजनीतिक परिदृश्य पर महात्मा गांधी का अभ्युदय होता है। बहुत से बालकों की तरह भीष्म भी इसी समय अपनी चेतना से टकराता हुआ कदम उठाने लगता है। आगे चलकर ये सब घटनाएं इसी बच्चे के दिमाग को ही कहीं न कहीं उद्वेलित जरूर करती है। जब देश में क्रांतिकारिता की लहर उठ रही थी। भगत

सिंह और उनके साथियों को फांसी होती है। गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था। पंजाबी समाज पर आर्य समाज अपना वर्चस्व बनाए हुए था। ऐसे में भीष्म साहनी भविष्य के लिए ढेरों सपने संजोए युवा होने के लिए कसमसा रहे थे।"[1] अतः यह स्पष्ट है कि भीष्म साहनी के जन्म पर उनके परिस्थितियों का असर उनके व्यक्तित्व पर दिखाई देता है।

नामकरण :- उन दिनों पंजाब के आर्य समाजी परिवार में बच्चों के नाम रामायण महाभारत से चुन–चुनकर रखने की प्रथा चल पड़ी थी, इसलिए उनका नाम 'भीष्म' रखा गया था। उनके भीतर उत्तम बालक की तरह ललक, उत्सुकता, आत्मीयता आदि गुण थे।

बचपन :- भीष्म साहनी ने अपने बचपन के बारे में लिखा है कि "बचपन का माहौल अंधेरी गुफा जैसा लगता है। मैं अक्सर बीमार रहता था और उस खेलकूद से वंचित था, जो बचपन का अधिकार है। खाट पर पड़ा सरकती धूप को देखता रहता। गली में गुजरते फकीरों, भीखमंगो, खोमचेवालों की आवाज सुनता रहता। शाम के झुटपुटे में मां के मुंह से सुनी कविता, गीत, कहानियां जिनमें अक्सर गहरे अवसाद भरा रहता था, मेरे रोग के साथी थे।"[2] अपने दर्द भरे स्वर में वे कहते हैं कि "मेरे बचपन ने मुझे और कुछ दिया हो या ना दिया हो पर थोड़ा दर्द जरूर दिया है।"[3] भीष्म साहनी में बाल सुलभ ईर्ष्या का भाव भी था और ये सभी भावनाएं उन्हें एक साथ मथती रहती। इनका साक्षात्कार हमें भीष्म जी के कथन से होता है कि "भाई को मिलने वाली हर चीज में एक प्रकार का नयापन होता है। जब मेरी बारी आती है तो वह पहले से जानी पहचानी होती है। उसमें कोई नयापन नहीं रहता। भाई जैसे भविष्य की ओट में से नई–नई चीजें उठाकर ले आता है। मुझसे दो वर्ष बड़ा होने के कारण वह सारा वक्त मेरे आगे–आगे चलता हुआ, नए–नए दरवाजे खोलता रहता है।"[4]

माता पिता :- भीष्म साहनी के पिता जी हरबंस लाल जी एक व्यापारी थे। उनके जीवन पर आर्य समाज के विचारों का गहरा प्रभाव था। वे समाजोन्मुखी विविध प्रवृत्तियों में जुड़े रहते थे। वे बच्चों को भी पढ़ा–लिखा कर समाजसेवी बनाना चाहते थे। वे आर्य समाज द्वारा संचालित अनेक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका भी निभाते थे। भीष्म साहनी की माता श्रीमती लक्ष्मी देवी भी समाज सुधारक का कार्य करने वाली धर्म परायण महिला थी। माता–पिता के संस्कार बचपन से ही भीष्म साहनी पर पड़ने लगे, जिससे भीष्म साहनी धर्म–सहिष्णु बन गए। भीष्म जी की पांच बहने थी, जो एक–एक करके चल बसी और परिवार में भीष्म और उनके बड़े भाई बलराज ही शेष रह गए थे। बलराज साहनी ने 13 अप्रैल 1973 को इस संसार से विदा ली।

पारिवारिक परिवेश एवं संस्कार :- भीष्म साहनी के जीवन पर उनके परिवेश और परिवार के संस्कार साफ दिखाई देते हैं। उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन के बारे में लिखा है कि "पिताजी ने जिंदगी गरीबी से शुरू की। वे आशावादी, पुरुषार्थ प्रेमी, आर्य समाजी थे। उनका विश्वास था कि मनुष्य का चरित्र अच्छा हो। वो कर्मशील हो, अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकता हो। घर के अंदर संध्या के, ईश्वर स्तुति के मंत्र गूंजते थे। घर के सदाचार के नियम थे :–

साधारण जीवन सजावट मृत्यु है।
सदाचार जीवन दुराचार मृत्यु है।"[5]

भीष्म साहनी जी के परिवार में सादगी का विशेष महत्व था। उनकी मां लक्ष्मी देवी साक्षात लक्ष्मी थी। पूर्ण धार्मिक, सेवाभावी, प्रेम और त्याग की मूर्ति। उनकी वात्सल्य भरी ममतामयी गोद में भीष्म साहनी जी का बचपन पला। बहनों के स्वर्ग सिधारने के बाद दोनों भाइयों के बीच राम–लक्ष्मण का सा प्रेम था। इसी आदर्श परिवार में भीष्म के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। माता–पिता के पवित्र जीवन के संस्कार भीष्म साहनी पर पड़े हैं। पिता के समाज–सुधारवादी संस्कार तथा मां की धर्म–परायण वृत्ति के धार्मिक संस्कारों से भीष्म साहनी का व्यक्तित्व बना है।

परिवार के साहित्यिक और धार्मिक माहौल में भीष्म का बचपन बीता, किंतु वे पिता की कट्टर आर्य समाजी विचारधारा से नाराज थे। उनके पिताजी मुस्लिम बच्चों को 'मलेच्छ' मानते थे। बचपन में भीष्म जी को इस कट्टर धार्मिकता का भेद समझ में नहीं आया, किंतु हिंदू और मुसलमान का आर्य और मलेच्छ का विरोधाभास, आगे चलकर उनके साहित्य का विषय बना। माता–पिता के विचारों का वे कभी–कभी विरोध भी करते थे। मुस्लिम बच्चों के साथ खेलते थे, मित्रता करते थे, खासकर गरीब बच्चों के साथ।

शिक्षा :– स्कूली शिक्षा प्राप्त ना करने वाले भीष्म साहनी ने मेहनत से ही घर पर पढ़ना लिखना सिखा था। वे जबरदस्त जिज्ञासा वृत्ति वाले थे। हिंदी और संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा घर में पाने के बाद उन्हें और उनके बड़े भाई को स्थानीय आर्य स्कूल गुरुकुल में प्रवेश दिलवाया गया। हिंदी संस्कृत के साथ उर्दू पंजाबी आदि भाषाओं का भी उन्हें ज्ञान दिया गया। अपने गुरुकुल की पढ़ाई के बारे में वे कहते हैं "इससे पहले शहर के निकट एक गुरुकुल में भी डेढ़–दो साल तक पढ़े। पीली धोती और लाठी के साथ रोज गुरुकुल में जाते थे। अष्टाध्यायी के सूत्र कंठस्थ करते थे। पांचवी कक्षा के बाद भीष्म साहनी लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने चले गए। यहां से उन्होंने 1937 में अंग्रेजी में एम.ए. की डिग्री प्राप्त की, फिर पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पंजाबी मातृभाषा के अलावा उन्हें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, रूसी, उर्दू, फारसी भाषा भी आती थी। पिता के साथ वे बाद में व्यापार में संलग्न हो गए।

जीविका संघर्ष :– भीष्म साहनी जब विद्यार्थी अवस्था में थे तो देश में चारों और स्वतंत्रता की मांग हो रही थी। जुलूस निकाले जा रहे थे। गांधीजी की एक आवाज पर लाखों लोग घर–बार छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे थे। भीष्म साहनी कहते हैं कि "जब वे स्कूल में पढ़ते थे, तब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी गई थी। अभ्यास काल में वे एम.ए. करने के बाद अंग्रेजी अफसर बनना चाहते थेश पर जब भीष्म साहनी पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ा तब उन्होंने अंग्रेजी अफसर बनने का विचार छोड़ दिया।"[6] व्यापार के साथ–साथ स्थानीय डी.ए.वी. कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाते थे। साथ–साथ पीएच–डी. की उपाधि भी प्राप्त की। बाद में नाटक में अभिनय करने लगे। साथ में कांग्रेस का कार्य भी करने लगे, फिर वे दिल्ली आ गए। कुछ समय के लिए बड़े भाई के साथ मुंबई भी रहे, फिर अंबाला और खालसा कॉलेज में प्राध्यापक की नौकरी भी की, फिर दिल्ली में प्राध्यापक भी बने और स्थाई नौकरी भी की। युवा रचनाकारों की एक साप्ताहिक गोष्ठी में वे भाग लेने लगे। 1957 में भारत सरकार ने सोवियत संघ में अनुवादक के रूप में उनकी नियुक्ति की। वे अवकाश ग्रहण करके साहित्य सृजन का ही कार्य करते रहे। भीष्म ने आजीविका के लिए बहुत संघर्ष किया। एक पंजाबी युवक

अंग्रेजी का प्राध्यापक बनकर हिंदी का लेखक बनकर धीरे–धीरे उभरने लगा। 1965 से 67 तक उन्होंने 'नई कहानियां' का संपादन कार्य किया। 1980 में अध्यापन से अवकाश प्राप्त कर वे स्वतंत्र लेखन कार्य में जुट गए।

वैवाहिक जीवन :– भीष्म साहनी के पिताजी ने अपने मित्र की लड़की शीला से भीष्म साहनी की शादी तय कर दी। 1943 में भीष्म साहनी की शादी शीला जी से हुई। तब भीष्म साहनी 28 के थे और शीला जी 20 की थी।

भीष्म साहनी जी सादगी प्रिय इंसान थे, इसलिए सवा रुपया लेकर उनकी सीधे–सादे ढंग से शादी हो गई। रावलपिंडी में डी.ए.वी. कॉलेज में तृतीय वर्ष में पढ़ने वाली शीला को अंग्रेजी की क्लास में पढ़ाते समय उनकी पहली मुलाकात हुई। एम.ए.होने के बाद गौना करके शीला जी को लाया गया। बंटवारे के समय उसे घर में ही कड़ी निगरानी में रखा गया, किंतु बाद में वे रेडियो स्टेशन पर काम करने लगी। विभाजन से पूर्व कश्मीर में उनके पहले बेटे वरुण और बेटी कल्पना का जन्म हुआ था। उनका पारिवारिक जीवन सुखमय रहा। शीला जी भीष्म साहनी के साहित्य की पहली वाचिका है और सदा ही बिना पक्षपात के निर्णय देती रहीं। बंटवारे में उनका पूरा परिवार उखड़ गया, तो शीला जी ने ही पूरी तरह आर्थिक दृष्टि से परिवार को संभाला। लेखन कार्य में भीष्म साहनी को प्रबल प्रेरणा देती रही। बेटी कल्पना की शादी हो गयी है। बेटा वरुण मोस्को में उच्च शिक्षा ग्रहण कर पूना की संस्था में काम कर रहा है। इनकी पत्नी शीला जी का देहांत 2 अगस्त 1999 में दिल्ली में हो गया।

साहित्य–सृजन की प्रेरणा :– प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में विभिन्न घटकों की भूमिका रहती है। घर, परिवार, मित्र, गुरु, शत्रु आदि व्यक्ति के व्यक्तित्व को गढ़ने की भूमिका निभाते हैं। भीष्म साहनी जैसे महान लेखक पर जिस पारिवारिक जिंदगी के संस्कार पड़े, उनकी वजह से उन्हें साहित्य–सृजन की प्रेरणा मिली। समाज में व्याप्त अनेक समस्याओं के कारण उनका साहित्य अपनी अलग शक्ल रखता है। उन्होंने कहा है "घर का माहौल एक खास तरह का माहौल था। इसमें ब्रह्मचारी की पीली धोती थी। हवन संध्या और उपदेश थे। यहां मांस खाना निषेध था। स्त्री की ओर आंख उठाकर देखना, उपन्यास पढ़ना, फिल्म देखना वर्जित था। स्कूली पढ़ाई के बाद मेरा ऐसे व्यक्तित्व से साक्षात्कार हुआ, जिन्होंने मेरी दुनिया ही बदल दी। वह गोरा, चिट्टा स्वस्थ, सौम्य, सुंदर व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने मुझे दकियानूसी घुटन भरे वातावरण में से खींचकर बाहर निकाल लिया। वे उस पीढ़ी का उदारवादी व्यक्ति था, जो मध्ययुगीन संस्कारों से स्वयं निकलकर छात्रों को भी निकालना चाहता था। उसका एक–एक शब्द मेरे लिए वेद–वाक्य थाद्य उसी के प्रभावाधीन होकर मैं साहित्य रचना में कलम आजमायी करने लगा।"[7] अपने इस गुरु के कारण भीष्म साहनी ने साहित्य–सृजन की प्रेरणा ली।

व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में तत्कालीन स्थितियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भीष्म युवा थे, तभी आजादी का आंदोलन जोरों पर था। देश में राजनीतिक हलचल बहुत तेज थी, दूसरे विश्वयुद्ध की हवा बनती जा रही थी। देश में सांप्रदायिकता का संकीर्ण वातावरण बनता जा रहा था। इसका असर भीष्म जी के मन–मस्तिष्क को भरने लगा, जो साहित्य के रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने अपने बारे में कहा है कि "घर में साहित्यिक वातावरण पहले से ही था। पिताजी सादगी के प्रेमी थे। मां के पास कहानियां, गीतों, लोकोक्तियों का

खजाना था। बड़े भाई कॉलेज के दिनों में अंग्रेजी और बाद में हिंदी में लिखने लगे थे। मेरी बुआ की बेटी श्रीमती सत्यदेवी मलिक का घर साहित्यिक वातावरण से भर गया। इसी वातावरण में साहित्यकार न बनता तो अचरज की बात होती।"[8]

भीष्म साहनी को पढ़ने का शौक था। उन्होंने प्रेमचंद, जैनेंद्र, अज्ञेय, यशपाल, सुदर्शन आदि का साहित्य पढा और उससे बहुत प्रभावित हुए, और इसी क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। वे 'विशाल भारत' और 'हंस' हिंदी पत्रिकाओं में लेख भेजने लगे, 'पंचतंत्र', 'हितोपदेश', जैसा प्राचीन–अर्वाचीन बहुत सारा साहित्य उन्होंने पढा। तुलसी, सूर की अपेक्षा वे कबीर से अधिक प्रभावित थे। विदेशी साहित्यकारों की कविता एवं अन्य साहित्य से भी वे प्रभावित थे। विक्टर हुगो, टॉलस्टॉय, चेख्व आदि से उन्हें विशेष लगाव था। भीष्म साहनी स्वयं सजग दृष्टा, भोक्ता एवं आलोचक हैं। उनके पास सूक्ष्म दृष्टि है, जो उन्हें अलौकिक बना देती है। उनकी कल्पना और प्रतिभा सजग है। उनमें जागरूकता और संवेदनशीलता है। उनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र और तर्कसंगत है। उनकी उदारता बहुत ही महान है। जिसके आधार पर उन्होंने साहित्य सृजन किया।

पुरस्कार और सम्मान :– भीष्म साहनी ने अपने रचना कर्म के बल पर अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। स्कूली जीवन से ही वे साहित्य–सृजन करने लगे थे और कॉलेज जीवन में अनेकविध साहित्य उन्होंने लिखा, जो समाजोपयोगी रहा। अपने इसी रचना–कर्म लिए उन्हें राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। जिसमें 1976 में उनके उपन्यास 'तमस' के लिए उन्हें 'साहित्य अकादमी पुरस्कार' मिला। 1965 में भाषा विभाग पंजाब द्वारा 'शिरोमणी लेखक पुरस्कार' मिला। 1980 में एफ्रो एशियाई लेखक संघ ने उन्हें 'लोटस पुरस्कार' दिया। 1980 में ही उन्हें 'दिल्ली साहित्य कला परिषद' ने सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त दिया। 1983 में सोवियत लैंड से उन्हें 'नेहरू पुरस्कार' दिया। 1985 में उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 'बसंती' उपन्यास की रचना के लिए पुरस्कार मिला। 1990 में उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान ने भीष्म साहनी को 'हिंदी–उर्दू साहित्य पुरस्कार' से सम्मानित किया। 1990 में ही 'मैयादास की माडी' उपन्यास के लिए हिंदी अकादमी दिल्ली से उन्हें पुरस्कृत किया गया। यही नहीं 'पद्मभूषण' से उनकी साहित्यिक सेवाओं का उचित सम्मान हुआ। संगीत नाटक अकादमी की ओर से उन्हें नाट्य लेखन का पुरस्कार प्राप्त हुआ। लेखन के लिए साहित्य अकादमी की ओर से उन्हें फेलोशिप भी मिली थी।

मृत्यु :– हिंदी साहित्य को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाने वाले प्रसिद्ध लेखक भीष्म साहनी का निधन 11 जुलाई 2003 को दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में हुआ। वे 87 वर्ष के थे। अंतिम समय डॉ. नामवर सिंह ने कहा "मैं उस रात 'आज के अतीत' ही पढ़ रहा था। भीष्म जी की 'आखिरी कलाम' किताब खत्म की तो सुबह हो रही थी। सूरज निकला न था लेकिन एक आभास था, उसके होने का कहीं ना कहीं। जल्दी–जल्दी तैयार होकर भागा। लोधी रोड वाले शवदाहगृह की ओर चिता सजी थी। चिरी लकड़ियों की शैय्या पर भीष्म जी लेटे थे। पितामह साहित्य के। इधर वेद मंत्रोच्चार और उधर पंक्ति बंद बौद्ध भिक्षुको का समवेत मंत्र पाठ। गरज कि भीष्म जी 'वांगचू' भी इस मौके पर मौजूद थे। 'सेकुलर' सज्जनों के लिए यह सब 'पिक्यूलियर' था। कुछ ना कुछ धर्मसंकट–सा। भीष्म साहनी की अंत्येष्टि में ऐसा धार्मिक अनुष्ठान! वे भीष्म को सिर्फ 'तमस' उपन्यास के नाते

जानते थे, लेकिन उन्हें पता ना था कि यह 'तमस' शब्द आया कहां से? 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' पर उनका ध्यान शायद ही गया था।"[14]

व्यक्तित्व :- (बाह्य पक्ष) :

भीष्म साहनी का नाम आते ही एक दुबला–पतला, लंबा, गोरा आदमी सामने आ जाता है। जिसकी तीखी नाक, नुकीली आंखें, आंखों पर मोटे फ्रेमवाला चश्मा है। चेहरे पर एक सौम्य, स्निग्ध मुस्कान के साथ हर किसी का वे स्वागत करते थे। 'आओ तुम्हारा स्वागत है' वाला भाव उनके स्वभाव में साफ झलकता है। यशवंत व्यास उनकी हंसी का वर्णन अत्यंत मृदुल शब्दों में करते हुए कहते हैं कि "भीष्म सिर्फ मुस्कुराए, कुछ अधखुले शीशों की तरह, कुछ हमारी तरफ और जैसे लू का मिजाज बार–बार उनसे पराजित होकर लौट जाता था।" उनकी हंसी में पूरे वातावरण को निर्मल करने की ताकत पाई जाती थी। कृष्णा सोबती ने भीष्म साहनी के बाह्य व्यक्तित्व को जब पहली बार देखा जो उन्हें ऐसा लगा "गोरा, चिट्टा, जवान चेहरा, आंखों में तल्खी न के बराबर। हमने यही से कुछ–कुछ उनकी उम्र का हिसाब लगाया। यह कि वे खुद अपने बेटे नहीं अपने बेटे के बाप हैं।"[15] अर्थात भीष्म साहनी को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था।

वेशभूषा की दृष्टि से भीष्म साहनी अत्यंत सीधे–सादे कपड़े पहनने वाले थे। विभाजन के बाद उन्होंने खद्दर का कुर्ता–पाजामा पहनना शुरू कर दिया था और तब से लेकर अब तक वे उसी पोशाक में रहते थे। जब राजकुमार कृष्क जी उनसे मिलने जाते हैं, तो खाना अधूरा छोड़कर वे उनसे मिलने बाहर आते हैं, तब कृषक जी भीष्म साहनी की वेशभूषा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि "मैं बैठा की मनभावन मुस्कान। उनकी यह सीधी–सादी पोशाक उनके सीधे–साधे व्यक्तित्व को हमारे सामने प्रस्तुत करती है।"[16]

उनके अभिरुचि की यदि बात की जाए तो भीष्म ने अपनी बचपन की रुचियों के बारे में लिखा है कि "मेरी रुचि बचपन में शरारतें करने, घर से गायब रहने, कोयला पीसकर स्याही बनाने, गुल्ली डंडा खेलने में थी।" इसके साथ उनकी अन्य कई रुचियां हैं जैसे – यात्रा करना, चित्र और कला प्रदर्शनी देखना। स्कूल और कॉलेज के दिनों में हॉकी खेलना, अभिनय करना और वाद–विवाद स्पर्धा में हिस्सा लेना ये शौक भी थे। उन्होंने अपने शौक के बारे में बताया है कि "स्कूल कॉलेज के दिनों में भाग लेने का शौक था। बाद में नाटक–कर्म और पठन–पाठन तथा साहित्य–सृजन में ही लगा रहा। घूमने का शौक अभी भी है।"[17]

भीष्म साहनी अत्यंत सहनशील व्यक्ति हैं। सहनशीलता भीष्म साहनी का एक सफल गुण है। वे घंटों बैठकर साहित्य सर्जन करते रहते पर वे थकते नहीं। शीला जी के लिए उनकी सहनशीलता ईर्ष्या का विषय बन गई। खुद शीला जी थक जाने पर सारा उत्साह खो देती थी, लेकिन भीष्म साहनी थक जाने पर भी सहज बने रहते थे। भीष्म साहनी एक बार लिखकर चुप नहीं रहते, बल्कि उसे फिर एक बार फेयर करते थे। शीला जी जब उनसे टाइप करवाने की बात करती थी, तो हाथ से फेयर करने का फायदा बताकर उन्हें चुप कराते थे। इस प्रकार भीष्म साहनी सहनशीलता की साकार मूर्ति दिखाई देते हैं।

भीष्म जी के स्वभाव का सबसे बड़ा गुण है कि वे अतिथि का स्वागत खुशमिजाजी से करते थे। जब भी कोई व्यक्ति उनसे मिलने आ जाता तो वे जो काम कर रहे होते थे, उसे अधूरा छोड़कर अतिथि के स्वागत के

लिए उपस्थित हो जाते। जब कोई उनसे मिलने के लिए दोपहर उनके घर गए, तो वे खाना बीच में छोड़कर उनसे मिलने आते हैं। इतना ही नहीं प्यार से उन्हें मिलते भी थे। उनका स्वभाव एक साहित्यकार होते हुए गंभीर विषयों पर चर्चा करते हुए भी खुश मिजाजी का रहता था। गंभीर चर्चा के समय भी बीच में कोई चुटकुला सुना देते हैं और सारा माहौल हल्का–फुल्का बना देते थे।

अपनी वृद्धावस्था में भी भीष्म साहनी निरंतर कार्यशील दिखाई देते थे। वे कभी खाली बैठते नहीं। राजकुमार राकेश जी को दिए हुए लंबे साक्षात्कार में इस संदर्भ में वे कहते हैं, "दरअसल अपनी–अपनी जिंदगी का एक ढर्रा–सा बन जाता है। मैं कभी दफ्तर को जाता नहीं। 1980 में कॉलेज में पढ़ना खत्म हो गया तो घर पर ही रहा, लेकिन यह ठीक है कि कभी खाली नहीं बैठता। जिंदा रहने के लिए काम करना निरंतर आवश्यक हो जाता है। स्वस्थ रह पाने के लिए भी।"[25] अपनी बातचीत में सहजता का भाव लिए हुए व्यक्त होने वाले भीष्म साहनी को औपचारिकता बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनकी कर्मशील वृत्ति के कारण मोहन राकेश लिखते हैं कि भीष्म जी के चेहरे और बातचीत में आज भी वह सहजता है जो 22–24 की उम्र के बाद नहीं रहती।

भीष्म साहनी के व्यक्तित्व पर विचार के बाद यह कहा जा सकता है कि भीष्म साहनी एक ऐसा व्यक्तित्व है, जो बाहर से जैसा है ठीक वैसा अंदर से भी है। एक बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी भीष्म साहनी में कलाकार, साहित्यकार, इंसानियत की त्रिवेणी है।

संदर्भ :–

1. मेरे साक्षात्कार : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 8
2. अपनी बात : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 26
3. मेरे भाई बलराज : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 2
4. मेरे साक्षात्कार : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 18
5. अपनी बात : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 81
6. अपनी बात : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 17
7. मेरे साक्षात्कार : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 34
8. अपनी बात : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 26
9. भीष्म साहनी : व्यक्ति और रचना : प्रताप ठाकुर/प्रदीप सक्सेना, पृष्ठ संख्या 39
10. पल–प्रतिपल पत्रिका (मार्च–जून 2001) : डॉ रीना पटेल, पृष्ठ संख्या 81
11. मेरी फिल्मी यात्रा : बलराज साहनी, पृष्ठ संख्या 89
12. मेरे साक्षात्कार : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 46
13. मेरे साक्षात्कार : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 48
14. भीष्म साहनी : व्यक्ति और रचना : प्रताप ठाकुर/प्रदीप सक्सेना, पृष्ठ संख्या 48
15. सारिका पत्रिका (अगस्त 1990) : असगर वजाहत से साक्षात्कार, पृष्ठ संख्या 11
16. सारिका पत्रिका (अगस्त 1990) : नामवर सिंह से साक्षात्कार, पृष्ठ संख्या 23

17. भीष्म साहनी : व्यक्ति और रचना : प्रताप ठाकुर/प्रदीप सक्सेना, पृष्ठ संख्या 56
18. भीष्म साहनी : व्यक्ति और रचना : प्रताप ठाकुर/प्रदीप सक्सेना, पृष्ठ संख्या 49
19. अपनी बात : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 98
20. मेरे साक्षात्कार : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 46
21. मेरे साक्षात्कार : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 34
22. मेरे साक्षात्कार : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 34
23. मेरे साक्षात्कार : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 49
24. आज के अतीत : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 39
25. मेरे साक्षात्कार : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 56
26. अपनी बात : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 22
27. मेरे साक्षात्कार : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 23
28. मेरे भाई बलराज : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 2
29. भीष्म साहनी : व्यक्ति और रचना : प्रताप ठाकुर/प्रदीप सक्सेना, पृष्ठ संख्या 48
30. भीष्म साहनी : व्यक्ति और रचना : प्रताप ठाकुर/प्रदीप सक्सेना, पृष्ठ संख्या 50
31. मेरे साक्षात्कार : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 78
32. मेरे भाई बलराज : भीष्म साहनी, पृष्ठ संख्या 2

८३६८७७४१५०
Ravi92dev@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 124–130

थर्ड जेंडर की भाषा में व्याप्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण : प्रतीक विज्ञान के संदर्भ में

डॉ. राजकुमार
पी डी एफ अध्येता (ICSSR) अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण, इग्नू, मैदानगढ़ी, दिल्ली।

अनुवाद एक ऐसी साहित्यिक गतविधि हैं जिसने हिंदी, रोमन एवं अन्य कई भाषाओं के साहित्य के अंतर्गत एक ओर नवीन साहित्य का प्रदर्शन कर रहा हैं तो साथ ही अनुवाद में व्याप्त कई भाषा विज्ञान से समरूपी कई ऐसे आयाम हैं जिन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में कई क्रांतिपरक विषयों पर शोधार्थियों एवं अन्य द्वारा नवीन कार्य किया जा रहा हैं। अनुवाद संबंधी आयामों में व्याप्त प्रतिक विज्ञान एक ऐसा ही आयाम हैं। प्रतीक विज्ञान में प्रतीकों का वैज्ञानिक अध्यन किया जाता है। चूँकि, प्रतीक कभी अकेले या बिना परिवेश के प्रतीक नहीं रह पाता। अतः प्रतीक के वैज्ञानिक अध्ययन के स्थान पर प्रतीकों की व्यवस्था के वैज्ञानिक अध्ययन को प्रतीक–विज्ञान कहना अधिक उचित लगता है। उदाहरण के लिए श्री राम रामायण के व्यवस्था के अधीन ही आदर्श पुरूषोत्तम रूप के प्रतीक हैं, उसके बाहर नहीं। व्यावहारिक धरातल पर मित्रों के नाम राम हो सकते हैं लेकिन उसका नाम लेने से आदर्श पुरूषोत्तम अर्थ का भान ना हो कर व्यक्ति मात्र का भान होता है। यही स्थिति रामायण के अन्य पात्र– सीता, रावण, कुंभकर्ण, हनुमान आदि के बारे में है, यह सभी रामायण के संदर्भ में ही प्रतीक हैं, उसके बाहर नहीं। अतः स्पष्ट होता है कि प्रत्येक प्रतीक इस व्यवस्था का हिस्सा या अंग मात्र होता है। प्रतीक का वैज्ञानिक अध्यन तभी संभव हो पाता है जब उसे उस व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए जिसके अधीन उसका प्रयोग हुआ है।

प्रतीक विज्ञान की परिधि बहुत विस्तृत है, जहां–जहां प्रतीक की उपस्थिति है वहां–वहां प्रतीक विज्ञान का क्षेत्र परिव्याप्त है। भाषा विज्ञान हो या साहित्य, गणित हो या भौतिकी मनोविज्ञान हो या दर्शन सर्वत्र प्रतीक की उपस्थिति है। अतः इस दृष्टि से प्रतीक विज्ञान की सीमा में संसार का सब कुछ समा जाता है। भाषा के संदर्भ में यह सर्वमान्य है कि भाषा वाचक प्रतीकों की एक व्यवस्था है जो की सहित्य की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है। इसलिए भाषिक प्रतीक भी साहित्य के अंतर्गत प्रतीक व्यवस्था का विषय बन गए भाषा में प्रतीक वस्तु का ना होकर उसकी मानसिक संकल्पना का होता है। भाषा की परिभाषा देते हुए, डॉ. भोलानाथ तिवारी ने ठीक ही कहा है कि "भाषा उच्चारण अव्यवों से उच्चरित द्रिक्षिक ध्वनि की फस्ट संरचनात्मका व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोगों में विचारों का आदान–प्रदान करते हैं।" वही दूसरी और भाषा विज्ञान में भाषिक प्रतीकों

की व्यवस्था का अध्यन किया जाता है। कुछ विद्वान प्रतीक विज्ञान को भाषा विज्ञान का अंग मानते हैं तो कुछ इसके विपरीत इसे एक शोध परक भाषाई प्रकार के रूप में।

अनुवाद के संदर्भ में देखा जाए तो मूल भाषा के पाठ का प्रतीकांतरण ही अनुवाद हैं। मूल या स्रोत भाषा का पाठ अपनी प्रकृति में प्रतीकबद्ध होता है, प्रतीकबद्ध होने के कारण ही उसमें कथ्य और अभिव्यक्ति का अंतरण समन्वय होता है। इस तरह मूल भाषा या स्रोत भाषा इस प्रतीकबद्ध पाठ के कथ्य या संदेश का लक्ष्य भाषा में अंतरण ही अनुवाद है।

परिभाषाएं :-

प्रतीक विज्ञान की परिभाषा भिन्न–भिन्न विद्वानों ने भिन्न–भिन्न ढंग से दी है जो की निम्नलिखित है :

- जॉन लोके (JHON LOCKE) ने "प्रतीक विज्ञान को चिन्हों का सिद्धांत माना है।"
- पियर्स ने इसे "चिन्हों अथवा संकेतों के औपचारिक या आवश्यक शास्त्र के रूप में स्वीकारा है।"
- रोलन वर्डस ने इसे "भाषा विज्ञान की शाखा अर्धविज्ञान के रूप में माना है लेकिन उनका यह भी मानना है कि इसका क्षेत्र अर्थ विज्ञान से कुछ बघ्ड़ा है क्योकि अर्थ विज्ञान में सामान्यता भाषिक इकाई के सामान्य अर्थ की बात की जाती है जबकि प्रतीक विज्ञान की इकाई प्रतीक अर्थ की दृष्टि से एक बड़ी इकाई है क्योकि इसके द्वारा सामान्य अर्थ के साथ–साथ प्रतीकार्थ रूप विशिष्ट अर्थ भी द्योतित होता है।"

प्रतीक के संबंध में एक बात स्पष्ट है कि यह भी संप्रेषण के तमाम साधनों में से एक साधन है। यदि ध्यान से देखा जाए तो संप्रेषण व्यवस्था की प्रत्येक इकाई किसी न किसी रूप में प्रतीक की होती है, क्योकि संरचना की कोई भी इकाई स्वयं में अर्थ को समेटे हुए नहीं रहती। अर्थात अर्थ या संप्रेष्य उस संप्रेषक या संरचक में नही रहता बल्कि संप्रेषक या संरचक के माध्यम से उससे पृथक रहने वाले अर्थ का संकेतन होता है। प्रतीक का प्रयोग ऐसे ही अन्यास नही किया जाता। प्रतीक के प्रयोग में रचनाकार्यों का एक उद्देश्य निरंतर रहता है। भावों की सघनता या वह विचार होता है जिसकी सबल अभिव्यक्ति सामान्य भाषा की माध्यम से नही हो पाती अनअभिव्यक्त को अभिव्यक्ति देने के लिए रचनाकार को कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए। ऐसी स्थिति में जब सारे माध्यम फीके पड़ जाते हैं तब रचनाकार प्रतीक सिद्धांत एंव प्रतीक के मूल त्तवों को अपने साहित्य में अभिव्यक्ति का एक प्रखर माध्यम बनाता है।

प्रतीक की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसके साथ जुड़े विभिन्न बिंदुओं, यथा–चिन्ह, संकेतक, अभिसूचक, पूर्व–सूचक, सूचक–लक्ष्ण आदि को समझना तथा इनके बीच में सूक्ष्म सीमा–रेखा निर्धारित करना नितांत आवश्यक है। इसके अलावा प्रतीक को सूचक, चिन्ह, अभिसूचक कई तरीके के नामों से भी संबोधित किया जाता हैं। अनुवाद के अंतर्गत भाषाई व्यवहार का प्रतीक सिद्धांत एक वैज्ञानिक कारक है, जिसके द्वारा अनुवाद के क्षेत्र में अनुवाद से परे कई तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक यौनिक एवं नवीन शोध संबंधी विषयों पर बड़े ही रोचक ढंग से कार्य किये जा रहे हैं।

आज वर्तमान समय में किन्नर समुदाय को समाज के कई समुदायों में सम्मान और कार्य करने का अधिकार सवैधानिक रूप से प्राप्त हो चुका है, परन्तु उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में कोई परिवर्तन

सकारात्मक रूप से अधिकाधिक देखने को नहीं मिला है, फिर भी शैक्षणिक स्तर पर शोध विषय के रूप में आज वर्तमान समय में कई तरीकों से किन्नर समुदाय की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भाषायी परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए कई कार्य किये जा रहे हैं। इन सभी कार्यों का वर्तमान समय में किन्नरों पर एवं उनके जीवन यापन, उनकी संस्कृति और सामाजिक परम्पराओं एवं साथ ही साथ भाषाई व्यवहार में भी सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। प्रतीक सिद्धांतों के द्वारा अनुवाद की शाखा में किन्नरों के भाषा को महत्ता देते हुए उनकों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, जो कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयास है।

भारतीय समाज का एक ऐसा वर्ग जो कि साधारण मनुष्य की भातिं ही इस समाज का अंग है, परन्तु इस समाज से भिन्न उसकी एक अलग पहचान है, जिसे समाज का अन्य व्यक्ति उपहास का पात्र मानता है, वो है हिजड़ा समुदाय। आज भारतीय समाज में हिजड़ों की स्थिति से हम सभी लोग परिचित हैं। हिजड़ा शब्द आज समाज में एक गाली की भांति है। सामान्य रूप से हिजड़ा शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो दिखते पुरुष जैसे है लेकिन उनको पहनावा, उनके हाव–भाव सभी स्त्री की भांति दिखाई पड़ते हैं। वही जब बात की जाती है विज्ञान की तो साधारण शब्दों में विज्ञान की कार्यधार्मिता साक्ष्यों एवं ऐतिहासिक एवं वर्तमान दोनों परिवेश की स्थूल से सूक्ष्म स्थिति तक का संज्ञान कर तथ्यों का अंकन करना होता है। विज्ञान की शाखा अपने आप में यथार्थ एवं सकारात्मक का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करने में सक्षम है। आज विज्ञान की उपलब्धि ही आधुनिकता का परिचय देती है। उसी वैज्ञानिक सोच ने समाज के अधीन एवं समाज में व्याप्त ऐसा वर्ग जो केवल भारत भू–खंड में ही नहीं अपितु सर्वत्र संसार में भी किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है।

वर्तमान समय के आधुनिक भारत की नवीन छटा के रूप में किन्नर समुदायों को एक नयी पहचान मिल रही हैं, अपने अस्तित्व जी लड़ाई को लड़ने के लिए नयी प्रेरणा मिल रही है। इस आधुनिक समय की वर्तमान स्थिति में अमुक–अमुक समाज के लोग उनकी मदद के लिए सडकों पर उतर रहे है। आज समाज का बहुत बड़ा वर्ग इनके हक की लड़ाई के लिए इन्हें प्रेरित कर रहा हैं, क्योंकि कही न कही आज व्यक्ति का मानसिक विकास एवं सवैधानिक रूप से अधिकारों के चयन ने साधारणजन के व्यक्तिवाद को झकझोर कर रख दिया है एवं साथ ही तृतीय लिंग के पहचान के दौर में विकास प्रदान किया है। आज वर्तमान समय में हर तथ्य एवं विषयों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का प्रभाव देखने को मिलता है। इस वैज्ञानिक दृष्टि की मौलिकता का प्रभाव इस समाज में व्याप्त संस्कृति समाज एवं भाषाई विषयो की गंभीरता को देखते हुए पड़ा है। आज किन्नर समाज हाशिये का समाज बनकर ही नहीं रह गया है। आज वर्तमान समय में वह अपने अस्तित्व की लड़ाई अपने विचारों की स्वतंत्रता सभी को देखते हुए आगे बढ़ रहा है। आज किन्नर समाज ने अपनी कमर कस ली है, ताकि वह परम्परों की जीवन आंधी में विज्ञान और आधुनिकता का मेल प्रस्तुत कर सके एवं इस सहभागिता के मेल–जोल में उनका साथ दे रहा है। आज का बुद्धिजीवी वर्ग जिसमे समाज का हर वर्ग चाहे बुजुर्ग, व्यस्क, युवा स्त्री–पुरुष सभी अपने–अपने सकारात्मक भावों से इस समाज के हर वर्ग को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

आज समाज का एक ऐसा वर्ग जिसकी कोई अस्मिता का बखान नहीं दिया जाता था, जिसकी संस्कृति

की कोई पहचान नहीं थी। जो व्यक्ति विकास के सम्मुख होने के बाद भी अकेला कही घूम रहा था, जहाँ उन्हें न तो अपनी महत्ता का ज्ञान था एवं न ही अपनी संस्कृति एवं परम्पराओं की शक्ति का।

आज आधुनिक समय की वैज्ञानिक मांगों में जहा कई तरह के व्यक्ति शोध संबंधी कार्यों का बड़े रूप से उल्लेख व्यक्ति विकास के लिए कर रहा है। वही आज अस्तिववाद की लड़ाई में किन्नरों ने अपनी आकांक्षाओं को नए पंख दिए है। किन्नर समुदाय के संबंधी पुराणों की कई गतिविधियां देखने में आती है, जिसमे रामायण, महाभारत, गन्धर्व–पुराण इत्यादि जैसे महिषी महाकाव्यों ने साक्ष्य के रूप में उनकी मदद की। इतिहास भी पीछे न रहा उसमे व्याप मुगलों एवं भारतीय शासन काल में किन्नरों, समलिंगियों इत्यादि का अस्तित्व भी देखने को मिलता है। वही जब वर्तमान समय के आधुनिक परिप्रेक्ष्य को देखे तो आज किन्नर समाज के कई महिषियों की गाथा देखने में आती है। जिसमे किन्नर समाज के अंतर्गत अपनी पहचान बनाने के साथ–साथ उन्होंने साधारण जन से स्पर्था करके समाज में अपना नया मुकाम हासिल किया है। पहली किन्नर जो कोलकता में विश्वविद्यालय की प्रथम किन्नर प्राचार्या बनी डॉ मानबी बंदोपाध्याय जी, जिन्होंने समाज के इस अतरंगे व्यवहार से बिना डरे अपने मुकाम को हासिल किया।

दूसरी शबनम मौसी जिन्होंने विधायक बनकर भोपाल में किन्नर समाज के नाम को गौरवान्वित किया। सिमरन शैख जो अपनी शिक्षा को एवं परम्परों को महत्व देते हुए आज नैको जैसे संसथान की बड़े पद पर सामाज सेविका का कार्य कर रही हैं। साथ किन्नर समुदाय के कार्यों को एवं अन्य किन्नर बंधुओं को शिक्षा एवं परम्पराओं को महत्व देते हुए आगे बढ़ने का मार्गदर्शन कर रही है। प्रितिका यशिनी (इंस्पेक्टर), बबली (नैको के अंतर्गत काउन्स्लेर), जोयिता मोंडल (न्यायाधीश) इत्यादि सभी किन्नर समुदाय के लोग सामाजिक स्तर की हर परिस्थितिओं से लड़ते एवं जूझते हुए आज समाज में अपना मुकाम बनाने में सक्षम है। किन्नर समुदाय में एक मुख्य नायिका एवं मुख्य नेता का किरदार बड़े ही सुंदर रूप से निभा रही है। साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना मुकाम बनाने में सक्षम रही। लडके से लड़की के नैन–नक्श का दौर पार करते हुए, नृत्य एवं शिक्षा का परिहार करते हुए, नाटकों एवं फिल्मों में सक्रीय भूमिका निभाते हुए, साहित्य के क्षेत्र में दिलेरी दिखाते हुए मि. हिजडा मि. लक्ष्मी जैसी किन्नर समाज एवं किन्नर संबंधी पुस्तकों का सृजन कर साहित्य को गोरवान्वित करते हुए, साथ ही सम्माज में समाजसेविका, किन्नर सेविका, नेको में अपनी एहम भूमिका निभाते हुए अर्न्तर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज को यौनिकता के संबंधी बुलंद करते हुए एवं वर्तमान समय में धर्म के ठेकेदारों के साथ–साथ कंधे से कन्धा मिलाते हुए चल रही किन्नर अखाडा की आचार्य डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी जिनका सम्पूर्ण जीवन अपने किन्नर रूपी अस्तित्व के सही मायने खोजने के पक्ष में सकारात्मक रूप से देखने को मिलता है।

वर्तमान समय में समाज के इतने बड़े गौरवान्वित करने वाली संस्कृति के रक्षक किन्नर समाज जो कभी पहले हाशिये के मापदंडों को नापते नजर आते थे। आज वह अपना मुकाम बनाने की राह में कार्य कर रहे है। इस कार्य में वह अपनी परम्पराओं एवं संस्कृति को भी साथ लेकर चल रहे है। इस प्रविधि की राह में एक और जहाँ किन्नर समुदाय के ढेकेदार अपने महत्व को प्रस्तुत कर रहे है वही दूसरी और इन सभी में योगदान के

रूप में कही न कही आज की बुद्धिजीवी युवा पीढी का भी है, जो बड़े ही सूक्ष्म तरीके से एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किन्नर समाज के अस्तित्व उनकी परम्परों एवं सामाजिक रुझानों पर अपनी नजर कस रहा है। किन्नर समुदाय शिक्षण एवं शोध का विषय बन गया है। कही इसका अस्तित्व सामाजिक रूपों में देखा जा रहा है तो कही परम्पराओं में। कही इसको शिक्षण तो कही राजनीति। कही भाषा तो कही योनिकता आधारित विषयों की महत्ता निरंतर बढती जा रही है। किन्नर समाज के व्यापक प्रभावों को देखते हुए आज व्यक्ति में मानवता एवं अधिकारों को जो सुचारुपन समाज में समान रूप से देखने को मिल रहा है वह कही न कही इसकी महत्ता को समझ कर आगे बढ़ रहा है। सामाजिक एवं संस्कृति के साथ–साथ आज किन्नर समुदाय के द्वारा प्रयोग किये जाने वाली प्रादेशिक प्रधान अपितु लाक्षणिक एवं मिश्रित आधारित भाषा का रूप देखने को मिलता है। आज यह भी एक मुख्य शोध–विषय के रूप में इस समाज के गौरव की प्रधानता का गुणगान करने का भी कारण है। भाषा विज्ञानं एवं साहित्य के क्षेत्र में इसकी महता एवं इसकी वैज्ञानिक अभिरुचि का प्रभाव समाज एवं सहित्य के विकास में अपना योगदान देने में सक्षम है।

किन्नर समाज की भाषा जो की मुख्यत प्रदेश–जनित भाषा है। इसके अंतर्गत लिंग, शब्द, कारक, वाक्य–विन्यास सभी का समान रूप से अन्य भाषा की व्याकरण पद्धति की भांति देखने को नहीं मिलते हैं, परन्तु जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करते है तो हमे भाषायी व्यवहार का एक नया ज्ञान सारगर्भित रूप में प्राप्त होता है। किन्नर समुदाय की अस्तित्व की लड़ाई में समाज एवं परम्परों की और समाज इतना उन्मुख था की स्वय किन्नर समाज के बुद्धिजीवी उसकी भाषा एवं उसके व्यवहार तथा प्रयोग को देखते हुए अन्य भाषाओं में व्याप्त अंतर को नहीं समझ पाए। आज साधारण जन के सम्मुख किन्नर प्रादेशिक भाषा का ही प्रयोग करता है, परन्तु उनकी भाषायी बोध का एक और पहलु है जो की कही न कही भाषाई प्रयोजन का अन्य मूल्य प्रस्तुत करना भूल जाता है। प्रादेशिक रूप से हट कर किन्नर समुदाय द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रयोजन मूलक भाषा कही न कही किन्नर समुदाय के भाषाई संज्ञान का नवीन विस्तार को करने में सक्षम है। इस संज्ञान का विस्तार किन्नर समाज को एक नए पहलु एवं नए साहित्यिक बोध से समाज को परिचय कराने में सक्षम है। आज इसी विस्तार एवं ज्ञान का कारण हैं कि किन्नर समाज की भाषा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखने की आश्यकता महसूस हो रही है। इसलिए इस भाषाई ज्ञान को नवीन रूप से परखने की आवश्यकता महसूस हो रही है। जब बात की जाती है, भाषा संज्ञान की वहाँ मुख्य रूप से एक बात समाने आती है, वह हैं भाषा में व्याप्त व्याकरण बोध की। व्याकरण बोध का संज्ञान ही वाक्य विन्यास, शब्द व्यवहार इत्यादि का सही एवं सार्थक प्रकार प्रस्तुत करता है। इसी कारण किन्नर समुदाय की मिश्रित भाषा पूर्ण रूप से व्याकरणिक दृष्टि से साकार व्यवहार प्रदान कराती नजर नहीं आती है, इस कारण भाषाई मापदंडो में व्याप्त प्रतीकात्मक एवं अंतर–प्रतीकात्मक आयाम ही एक सही एवं सार्थक भाषायी संज्ञान का बोध करने में सक्षम है।

किन्नरों की भाषा में व्याप्त मौखिक एवं उनके परम्परागत लोक प्रभावी शब्द हैं जिनमे से कई का प्रयोग वो आपसी बातचीत में करते हैं। इन शब्दों की अपनी गरिमा एवं महत्ता हैं साथ ही अनुवाद के द्वारा इसका अनुदित प्रभावशाली वाक्य विन्यास एवं अर्थ भी हैं। किन्नरों की भाषा में जहां रिश्ते नाते शब्दावली का संज्ञान

देखने को मिलता हैं, उसके अन्य वाणिज्य, राजनीति, सांस्कृतिक परक, इत्यादि कई तरह के विषयों से भरपूर शब्दों का संचयन देखने को मिलता हैं। किन्नरों की भाषा में यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण LGBTQAI+ जैसे सतरंगी परिवार का समायोजन देखने को मिलता हैं। अनुवाद के प्रतीकात्मक सिद्धांत के मद्देनजर किन्नरों द्वारा प्रयोग किये जाने वाली भाषा को शब्दकोष में प्रवृत करना चाहिए साथ जनसाधारण को उनकी परम्पराओं के प्रति सम्मान जनक भाव रखना आवश्यक हैं।

किन्नरों की भाषा में जहा शब्द विन्यास में टेब्बो वर्ड देखने को मिलते हैं, जिसमे प्रांतीय भाषा में फारसी भाषा का प्रयोग कर बनने वाले वाक्य नवीन कलात्मक व्यवहार को प्रस्तुत करता हैं। किन्नरो द्वारा प्रयोग की जाने वाली बोलचाल की भषा जैसे उदाहरण के रूप में :–

''ला रे गिरिये सुकडी ला (अरे ओ लडके ला बीडी ला) ऐसे कई वाक्य विन्यास एवं शब्द समाहित हिं इन पर कार्य करना एवं भाषा विज्ञान एवं अनुवाद के सतत्त एवं सार्थक प्रयास से कार्य करने से अवश्य ही किन्नरों की भाषा संबंधी कई उपविषय भविष्य में सार्थक रूप से जनसमाज एवं किन्नर साहित्य में नवीन साहित्यों के जन्म हेतु आवशयक हैं। इस प्रकार के विषय भाषा विज्ञान एवं अनुवाद अध्ययन दोनों के आयामों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जिनका सीधे संबंध वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं शोध–परक अभिलक्षण का प्रारूप है। किन्नरों के द्वारा प्रस्तुत हाव–भाव एवं बोलचाल की आंगिक एवं वाचिक अभिव्यक्तियों का बोधन भी कराया गया है। इन अभिव्यक्तियों के अंतर्गत उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली तालिओं की अलग–अलग सूची उनकी महत्ता एवं उनके प्रयोग को प्रतीक रूपों के साथ व्याख्यित कर निर्वचन एवं प्रतीक का एक बहुत ही प्रभावशाली प्रयास किया है। शब्दों का सीमित प्रयोग परन्तु संप्रेषण के अन्य कई माध्यम इन समुदाय की भाषा में देखने को मिलता है।

आज वर्तमान समय के प्रायोगिक समय में व्याप्त उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कही न कही भाषाई उत्थान का रूपक मानते हुए पारसी भाषायी रूप में फारसी रूपी व्यक्त इस भाषा सहचरण का महत्व जिसको विकास पथ की महत्ता देने साथ ही उसका विकास करना भी ह्मारे भाषाविद्दों के दृष्टिकोणों का आधार होना चाहिए। अन्य भाषा व्यवहारों के साथ साथ इस भाषाई संज्ञान पर भी अपनी दृष्टि डालनी साथ ही इसकी महत्ता को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाना आज हम जनमानस की आवश्यकता है।

भाषाई संज्ञान में व्याप्त सकारात्मक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण भाषा को कही न कही महत्व अवश्य प्रदान करेगी। किन्नर समुदाय का यही प्रायोगिक क्षेत्र जो कही न कही आज वर्तमान समय की दृष्टि से दूर था। आज उसकी महत्ता को जानकर उसमे व्याप्त वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को समझाने में आज प्रेरणादायक एव महत्वपूर्ण है। भाषाई संज्ञान का ऐसा प्रभाव आज जो भूमंडलीकरण के दौर में वैज्ञानिक दृष्टि के साथ हर तथ्य का निरीक्षण कर रहा है, वही निरीक्षण किन्नर समुदाय की इस प्रादेशिक भाषा का बोध सकारात्मक रूप से साधारण जन के सामने प्रस्तुत करने में सक्षम है। अतएव वैज्ञानिकीकरण के रूप में किन्नर समुदाय की भाषा का प्रभाव स्वयं में साहित्यिक एवं भाषायी उपलब्धि है। आज भारतीय समाज की हर मीमांसाओं से परे यह कार्य जिसमे भाषा व्यवहार के नवीन प्रतीक अभिलक्षणों के द्वारा इस भाषाई सह्चरण को महत्व देना वैज्ञानिकीकरण एवं आधुनिक

भाषायी विन्यास की एक प्रभावशाली उपलब्धि है। यह उपलब्धि सहित्य, समाज, भाषा, अनुवाद, एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य है।

संदर्भ ग्रन्थ :-

1. तिवारी भोलानाथ (सत्व संस्करण 1989), अनुवाद विज्ञान, दिल्ली : शब्दकार प्रकाशन।
2. सोनटक्के माधव (द्वितीय संस्करण 2004), प्रयोजनमूलक हिंदी, इलाहाबाद : लोकभारती प्रकशन।
3. अय्यर एन.ई. विश्वनाथन (1987), अनुवाद कला, दिल्ली : प्रभात प्रकाशन।
4. मोहन, हरि (तृतीय संस्करण 2014), अनुवाद विज्ञान एवं संप्रेषण, दिल्ली : तक्षशिला प्रकाशन।
5. सिंह, रामआधार (1990), कोश विज्ञान सिद्धांत, दिल्ली : नेशनल पब्लिक हाउस।
6. सिंह, रामगोपाल (1999), अनुवाद विज्ञान : स्वरूप और समस्याएँ, अहमदाबाद : पार्श्व पब्लिकेशन।
7. गुप्ता, रमाकांत (2015), अनुवाद के विविध आयाम, मुंबई : रिजर्व बैंक प्रकाशन।
8. शर्मा, राजमणि (2004), अनुवाद विज्ञान, पंचकुला : हरियाणा साहित्य अकादमी।
9. दास, मंजुला (1988), अनुवाद : सिद्धांत और व्यवहार, दिल्ली : प्रयाग प्रकाशन।
10. त्रिपाठी लक्ष्मी नारायण मी हिजड़ा मी लक्ष्मी, 2016 वाणी प्रकाशन।
11. पाण्डेय एस. के., मध्यकालीन भारत।
12. यमदीप : एक और किन्नर विमर्श, मंजीत ठाकुर 2017।

Email-rkindia507@gmail.com

M. 9999703815

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 131–133

'एवम् इंद्रजित' का रंगमंचीय प्रस्तुतीकरण : एक मौलिक दृष्टिकोण

रूपा देवी
शोधार्थी, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहर लाल नेहरू विश्व विद्यालय, नई दिल्ली – 110067

साहित्य जीवन की अनुकृति है किन्तु नाटक अपने रंगमंच से जुड़ने अर्थात् उसका माध्यम होने के कारण सबसे अधिक जीवन का अनुकरण करता है। रंगमंच नाटक को जीवंतता प्रदान कर उसे अन्य साहित्यिक विधाओं से बहुत ऊंचा उठा देता है जैसा कि नेमिचन्द्र जैन लिखते हैं कि "नाटक साहित्यिक अभिव्यक्ति की ऐसी विधा है जो केवल साहित्य नहीं, उससे अधिक कुछ और भी है, क्योंकि रचना की प्रक्रिया लेखक द्वारा लिखे जाने पर ही समाप्त नहीं होती उसका पूर्ण प्रस्फुटन और सम्प्रेषण रंगमंच पर जाकर ही होता है।" दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत होने के पश्चात् ही अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करता है अर्थात् नाटक ऐसी प्रविधि है जिसने रंगमंच में अत्यंत सम्भावनाएं विकसित कर दी हैं।

'एवम् इन्द्रजित्' बादल सरकार द्वारा लिखित अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है। जिसका बांग्ला से हिन्दी अनुवाद प्रतिभा अग्रवाल ने किया। यह तीन अंकीय नाटक है जिसका आधार यथार्थता एवं समसामायिकता है तथा शिल्प में प्रतीकात्मकता परिलक्षित होती है। यह नाटक उदाहरण है कि साहित्यिक कृतियों का केवल एक ही अर्थ नहीं होता। उनका अर्थ समय और दृष्टिकोण के साथ बदलता रहता है क्योंकि नाटक भी पहले एक साहित्यिक कृति है और बाद में प्रदर्शन कला का रूप धारण करती है।

इस नाटक की अंतर्वस्तु सामान्य मध्य वर्गीय जीवन है जिसका निर्वाह एक स्त्री पात्र एवं पाँच पुरुष पात्र करते हैं। नाटककार अमल, विमल और कमल को दर्शकों के बीच से रंगमंच पर प्रस्तुत करता है जिसका उद्देश्य यह है कि ये पात्र वैसे ही अपने रोजमर्या के जीवन में लिप्त हैं जैसे कि एक व्यक्ति का सामान्य मध्य वर्गीय जीवन होता है। निर्मल (इन्द्र) भी इन्ही में से एक है पर वह इनसे भिन्न है। इस भिन्नता का आधार है लेखक घ्द्वारा पात्रो को प्रस्तुत करने का तरीका क्योंकि बात कहना महत्वपूर्ण नहीं होता है बल्कि वह कैसे कही गयी है यह महत्वपूर्ण होता है।

नाटक की प्रस्तुति नाटक लिखे जाने से लेकर रंगमंच पर प्रस्तुत होने तक की विभिन्न चरणों का समूह होता है अर्थात् नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए जिन–जिन कारणों से गुजरना पड़ता है वे सभी नाटक की प्रस्तुति के अंग होते हैं जिसमे नाटक के चुनाव, पात्रो के चुनाव, दृश्यबंध, वेशभूषा, प्रकाश और ध्वनि व्यवस्था इत्यादि सभी सम्मिलित होते हैं। एक ही नाटक की कई प्रस्तुतियाँ हो सकती हैं जैसे एवम् इंद्रजित

नाटक को ही हम देखे तो उसकी कई प्रस्तुतियाँ अलग–अलग निर्देशको द्वारा की गयीं हैं। पहली प्रस्तुति बांग्ला भाषा में शौभनिक द्वारा 1962 में की गयी। 'कलकत्ता नाट्य दल' द्वारा अभिनीत यह नाटक आशा–निराशा के द्वन्द्व में अन्ततः आशावादी व्याख्या उकेरता है जिसका प्रतीक मंच पर लाल बल्व का जलना होता है जो अंत में हरा हो जाता है। एवम् इंद्रजित लगभग हर भाषा में खेला गया है। सन् 1966 में कलकत्ता में इस नाटक की पुनः प्रस्तुति हुई। 6 चरित्रों के साथ, जोकि प्रवृत्ति के वाहक हैं, कई दृश्यों के साथ मध्यवर्गीय जीवन को 15 साल की अवधि में बुना गया। इस मंचन में निर्देशक ने चरित्रों को परम्परा के वाहक के रूप में उभारने का प्रयास किया है जिनमें परम्परा के प्रति द्विचित्तापन दिखता है। एक स्तर पर लेखक और इन्द्र एक सिक्के दो पहलू प्रतीत होने लगते है।

हिन्दी क्षेत्र में एवम् इंद्रजित नाटक की पहली प्रस्तुति दिल्ली में मोहन महर्षि के निर्देशन 1967 में हुई। जिसका अनुवाद एवं नाट्यलेखन भारतभूषण अग्र, रामनाथ बजाज ने किया। निर्देशक ने इस प्रस्तुति में कविताएँ हटा दी, अंतिम अंश लगभग छोड़ दिया तथा ऐसा दिखाया गया की लेखक अंत में इन्द्रजीत का गला घोट देता है। इन्द्र को मार देना लेखक का समझौतावादी दृष्टिकोण परिलक्षित करता है। यही मानसी के साथ भी होता है चूंकि स्त्रियों को घर बचना पड़ता है इसलिए समझौतावादी होना ही एकमात्र रास्ता है। मोहन महर्षि ने नाटक की व्याख्या निराशावादी ढंग से की है।

दूसरी प्रस्तुति श्यामानन्द जालान ने 1969 में अनामिका संस्था के तहत की। आशा और निराशा के द्वन्द्व को केन्द्र में रखकर एक सफल मंचन एवम् इंद्रजित का प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति हेतु नाटक की एक प्रस्तावना भी गढ़ी। मानसी और इन्द्र के प्रेम प्रसंग को केन्द्र में रखकर 1972 में सत्यदेव दुबे ने एवम् इंद्रजित नाटक का मंचन किया। जिसमें लेखक की भूमिका अमरेश पुरी तथा मानसी की भूमिका सुधादेश पाण्डे ने निभाई। इस प्रस्तुति की तीखी आलोचना नैमिचन्द्र जैन ने की और कहा कि मूल कथा जीवन की निरन्तरता है जो उभर नहीं पायी, नाटक को बस रोमांटिक बना दिया। निर्देशक ने अपने पक्ष में ये तर्क दिए की प्रेम सम्बन्धों के आधार पर समाज के बदलते तापमान को समझा जा सकता है। एवम् इंद्रजित का अंर्तद्वंद्व इन्द्र का है लेखक का नही। इस प्रस्तुति में बैकग्राउण्ड संगीत के लिए क्लासिकल संगीत का प्रयोग किया गया।

उपर्युक्त प्रस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि एवम् इंद्रजित का मंचन एक नई दृष्टि से किया जाए तो इन तीनों एवं उसके पूर्व हुई प्रस्तुतियों के सम्मिश्रण के साथ आधुनिक तकनीकों से युक्त सभागार (Auditoriam) का प्रयोग करना चाहिए। जिसके बैकग्राउण्ड में संगीत संचालन, स्पॉट लाइट, वाइस कोर्डिनेटर और ड्रेसिंग रूम की पर्याप्त सुविधा हो। नाटक की शुरुआत नाटककार द्वारा दिए गए निर्देशो के इस्तेमाल से ही हो और अमल, विमल, कमल का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है उसे जस का तस रखें क्योंकि नाटक की प्रस्तुति तभी सार्थक होती है जब पात्र और दर्शक अपने–अपने विचार एवं ग्रहिता के लिए स्वतंत्र हो। इस नाटक में जितना इन्द्र का अंर्तद्वंद्व महत्व रखता है उतना ही कविताओं का उल्लेख इसलिए प्रस्तुति में कविताओं का प्रयोग बैकग्राउण्ड संगीत के रूप में हो। इन्द्र–मानसी के प्रेग प्रसंग का प्रयोग नाटक को गति देने हेतु।

निष्कर्षतः यह कहना चाहूंगी कि मैं एवम् इंद्रजित की व्याख्या आशावादी ढंग से करूंगी उसका तर्क यह है कि दर्शक नाटक को देखने इस भाव से जाते हैं कि अपने साथ वह कुछ ले जाएं और आज के उहापोह भरे जीवन में उन्हे यदि इस नाटक को देखने से जीवन के प्रति आशा का किंचित मात्र भी संचार होता है तो

वह इस प्रकार की प्रस्तुति की सार्थकता होगी। एवम् इंद्रजित केवल एक नाटक नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है, एक प्रश्न है और मेरा प्रयास रहेगा कि यह प्रश्न दर्शकों तक उसी प्रभावी रूप में पहुँचे, जैसा बादल सरकार ने सोचा था। मेरा प्रयास होगा की एवम् इंद्रजित को केवल मंच पर खेलने के बजाय एक अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया जाए। प्रकाश, ध्वनि, मंच संरचना और अभिनय शैली के माध्यम से मैं यह सुनिश्चित करूँगी कि दर्शकों को यह महसूस हो कि वे भी उसी अस्तित्ववादी प्रश्नों और संघर्षों का हिस्सा हैं।

संदर्भ :-

1. एवम् इंद्रजित, बादल सरकार (आनुवाद– प्रतिभा अग्रवाल)

Email – roopajnu08@gmail.com
Con. No. – 7800275311

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 134–139

राष्ट्रीय एकता में भाषा का महत्व

चौधरी निलोफर महेबूब
किल्ला रोड, मंडई पेठ, नेहरू चौक, परंडा, ता. परंडा जि. उस्मानाबाद। पिनकोड 413502

सारांश :–

विविधता में एकता की सार्थक अभिव्यक्ति हिन्दी में है। भारत जैसे महान देश में अनेकानेक भाषाएँ एवं बोलियाँ बोली जाती हैं। किन्तु किसी भी एक भाषा में हिन्दी को छोड़कर वह शक्ति नहीं है, जो भारत की समग्रता एवं एकता को मुखरित कर सके। सभी भाषाओं का अपना एक निश्चित क्षेत्र है, परन्तु हिन्दी को बोलने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा राजस्थान से लेकर बंगाल तक सर्वाधिक हैं। यही कारण है कि हिन्दी सबका प्रतिनिधिल करती है। सभी वर्गों, पंचों तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों को एक साथ परिभाषित करने की क्षमता रखती है।

भारत जैसे देश में अनेक महापुरुषों को भारतीय धर्म दर्शन, सांस्कृतिक सूत्रों का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए विदेशों में भेजा। उन लोगों ने विश्व को एक नया आलोक दिया। नई दिशा दी। उस प्रचार–प्रसार में हिन्दी का विशेष स्थान है। मारीशस, सूरीनाम की धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को स्थापित करने का कार्य इस हिन्दी ने ही किया। साधु–संतों की वाणी हिन्दी से ही विशेष मुखरित हुई। भारत जननी इस विविध रंगी–परिधान में अवेशित होकर हमेशा से ही विश्व की एकता का संदेश देती रही है, तथा इस बात का एहसास दिलाती रहती है, कि हिन्दी ही यह पायेय है, जिसे लेकर कोई भी पचिक राह पर निकला और विश्व को आलोकित करता रहा। वाली भाषा राष्ट्रभाषा के नाम से जानी जाती है।

प्रस्तावना :–

हमारे देश की राष्ट्रभाषा के नाम पर प्रयुक्त होने वाली भाषा के रूप में अगर कोई भाषा समर्थशाली है तो वह है हिन्दी भाषा। हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा का सम्मान और गौरव प्रदान किया है। इसे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना इसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप है। देश के लगभग ७० प्रतिशत लोग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। देश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ हिन्दी भाषा नहीं है। यही नहीं, विदेशों के अधिकांश क्षेत्रों में भी हिन्दी भाषी लोग हैं। हमारे देश में हिन्दी भाषी राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भी हिन्दी भाषी व्यक्तियों की संख्या अधिक है। ये हिन्दी के प्रेमी, भक्त और समर्थक है।

हिन्दी में सभी प्रांतीय भाषाओं के शब्द मिलते हैं। वह देवनागरी लिपि में रखी जाती है जो एक वैज्ञानिक लिपि है। हिन्दी की उत्पत्ति भारतीय संस्कृति की भाषा संस्कृत से हुई है। अनेक वर्षों से पह राजकारोबार की

और सामान्य जनता की भाषा रही है। अपने भावों को देशव्यापी अभिव्यक्ति देने के लिए असम के शंकर देव, नारायण देव, पंजाब के नानक देव, गुजरात के नरंसी मेहता, दयाराम महाराष्ट्र के नामदेव आदि ने हिन्दी को ही अपनाया। समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, सिनेमा ने हिन्दी को ही अपनाया है। विदेशी सिनेमाओं ने भी हिन्दी को अपनाया है, जैसे ज्युरासिक पार्क ।

मुख्य भाग :-

भारत एक अनूठा देश है। अनेकता के बीच एकता का स्वर इस पावन भूमि पर स्पेदित होना ही यहाँ की विशेषता है। हिन्दी इस देश की आत्मा को अर्से से व्यक्त करती आ रही है। हिन्दी अनेकता के बीच एकता के साम्राज्य को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती रही है। जो भाषा सीधी, सरल, आकर्षक, सीखने–सिखाने में आसान, जिसे अधिकांश लोगों ने अपनाया हो, जो साहित्य की दृष्टि से समृद्ध हो, जो राष्ट्रीय एकता के भावों को अभिव्यक्त करे जो एकता के सूत्र में बाँधे रखे वह क्यों न राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर आरुद हो? महात्मा गांधी ने कहा था, 'राष्ट्रभाषा वही हो सकती है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सहज और सुगम हो। जो धार्मिक और आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में एकता स्थापित करने की शक्ति रखती हो। जिस भाषा का बोलने वालों की संख्या अधिक हो।' इन सभी दृष्टियों से हिन्दी ही उपयुक्त है। यही राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई है।

'हिन्दी विशाल मंदिर की वाणी।
स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिभा कल्याणी।'

कविवर सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' ने हिन्दी को 'विशाल मंदिर' की उपमा दी है। हिन्दी रूपी इस मंदिर में भारत की विभिन्न राज्यों की भाषाएँ प्रतिष्ठित हैं। इसे हम भारत–भारती उर्फ हिन्दी सरस्वती का मंजर कह सकते हैं जिसमें अनेक धर्म, पंथ विलीन हुए हैं। भारत के हृदय के उदय का स्पंदन है, हिन्दी। भान्त की सामर्थ्य है हिन्दी, भारतवर्ष की, एकता का प्रतीक है हिन्दी, हमारी राष्ट्रभाषा है हिन्दी। भावों का सूत्र है हिन्दी। हम है हिन्दी है हमारा वतन है हिन्दुस्तान। भारत विविधताओं से संपृक्त एक विशाल देश है। भारत के उपवन में विभिन्न संस्कृतियों रूपी पौधे फूले–फले। दर्शन रूपी रस ने विश्व को आप्लावित किया। रस की अभिव्यक्ति हुई हिन्दी में। इसलिए मैं कहती हूँ यह है :–

'हिन्दरस-सारे धर्म सहोदर
जैसे संस्कृतियाँ हमजोली।
भाषाएँ है बहनों जैसी,
मीठी है हर बोली।।'

हिन्दी के कारण ही भारत को पराधीनता का बोध हुआ। स्व–अभिव्यक्ति की, आजादी की भावना ने उसे बेचौन कर दिया और 'जय–हिन्द' का नारा लगाते हुए स्वाधीनता के समर में पराधीनता को नष्ट कराने के लिए वह कूद पड़ा। भाषा संस्कृति का प्रतिरूप है। भाषा समृद्ध तो संस्कृति समृद्ध, संस्कृति समृद्ध तो जाति समृद्ध, जाति समृद्ध तो राष्ट्र समृद्ध। इसी समृद्धता के कारण उसे सम्मान मिलता है। विदेशी सिनेमाओं ने भी हिन्दी को अपनाया है, जैसे ज्युरासिक पार्क।

राष्ट्रीय भावना का संबंध राष्ट्रीय एकता से होता है। राष्ट्रीय एकता से राष्ट्र की उञ्जति होती है। एकता

का भाव भाषा से ही प्रकट होता है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की वाणी है। हिन्दी राष्ट्रवाणी है, जो सम्पूर्ण राष्ट्र को प्यारी है। हिन्दी राष्ट्र की आत्मा है। गांधी जी ने एक मूलमंत्र दिया था, 'एक हृदय हो भारत जननी।' वर्तमान स्थिति में देश की विविधता में एकता की वृद्धि के लिए हिन्दी की आवश्यकता भारत सदा से विभित्रता में एकता का देश रहा है। यह बात जितनी धर्म, संस्कृति और सामाजिक मान्यताओं पर लागू होती है, उतनी ही वरन्, उससे भी अधिक भाषा पर लागू होती है। हिन्दी केवल एक भाषा ही नहीं वरन् राष्ट्रीय एकता की कड़ी है। सांस्कृतिक सामाजिक और सार्वभौम, जीवन मूल्यों की आधापिका शक्ति है। भारत की मूल चिन्तन–धारा की गति, पति और नियति है। भारतीय जनमानस की सर्वांगीण अभिव्यक्ति है। विविधमुखी जनबोध की सामूहिक चेतना है।

हिन्दी भारत राष्ट्र की आत्मा है। भारतीय एकरूपता की धुरी है। भारत की संस्कृति और सभ्यता की मूल चेतना को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। राष्ट्रीय विचारों के परिधान का वस्त्र है। एकता और प्रेम का संजीवनी मंत्र फूंकने वाली हिन्दी ही तो है। बिना इसके हमारा अस्तित्व कहाँ? हमारी पहचान कैसे? भारत की यह राष्ट्रवाणी अटक से कटक और हिमालय से कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत को समेटे हुए है। भारत माँ के गले का हार हिन्दी है। हिन्दी ही हमारे सोए–मनों को जगाने का काम करती है।

'हिन्दी है राष्ट्रभाषा हमारी वतन जैसे है प्यारी।
अनेकता में एकता का नारा है
गौरवशाली भारत हमारा है।
सांस्कृतिक मूलाधार है
राष्ट्रभाषा अक्षुण्ण रहे हिन्दवासी अभिलाषा।'

भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपने मन के भाव दूसरों पर प्रकट करता है। मन के भाव प्रकट करने का सबसे अच्छा सुगम और सुलभ उपाय भाषा ही है। भाषा के स्वरूप में तीन पक्ष होते हैं, पहला शब्द, दूसरा – अर्थ और तीसरा वक्ता–श्रोता का मन। हमारी रचना एक ऐसे मन्दिर के रूप में होनी चाहिए जिसकी ईंटें शब्द हो, जिसके कमरे और दालान–प्रकरण आदि हों, जिसके खंड या मंजिलें उस रचना के भाव आदि हों, जो नेत्रों के लिए सुखद मन के लिए मोदकारी, चरित्र या आचार के लिए उत्कर्ष साधन और मानव समाज के लिए शुभफलप्रद हो जिससे सबका और सब ओर मंगल ही मंगल हो वह रचना, वह भाषा, वह वाणी है 'हिन्दी', हिन्दी, 'हिन्दी'।

'जो भारत के भाग्य भाल की, चमक रही शुची बिन्दी है। कोटि–कोटि जन–जन की भाषा, हिन्दी है. हिन्दी है।। संस्कृत माँ की पावन पुत्री, जिसकी पावन परिभाषा, आँचल में है रही संजोए, मानवता की अभिलाषा।।' इतिहास के पृष्ठों में १४ सितंबर, १६४६ का दिन स्वर्णाक्षरों में अंकित हो चुका है। क्योंकि इसी दिन व्यापक विचार विमर्श के बाद देशभर में प्रचलित १,६५२ भाषाओं और बोलियों के समूह में से हिन्दी ने अपनी व्यापकता, सरलता, निर्दोष लिपि आदि गुणों के कारण संविधान सभा ने राजभाषा के पद पर आसीन किया। किसी भी राष्ट्र एवं उसकी राष्ट्रीयता की पहचान गढ़ने में भाषा की भूमिका बड़ी अहम् हुआ करती है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगाण एवं राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता के प्रतीक होते हैं।

भारत में अनेक भाषाओं के होते हुए भी हिन्दी का अपना महत्व है। हिन्दी भारत की आत्मा में बसी हुई है, जो हर प्रदेश में जानी पहचानी जाती है। विविधता में एकता भारत जैसे बहुभाषी, बहुपंथी और बहुरंगी देश

की सबसे बड़ी शक्ति रही है। इस शक्ति का एक स्रोत हिन्दी भाषा ही है। समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोकर ऐसा स्रोत बनाने का सौभाग्य हिन्दी को ही रहा है। हिन्दी नाना प्रकार की विधाओं, कलाओं और संस्कृतियों की त्रिवेणी बनाती है। हिन्दी में पुरातन भारतीय परम्पराओं की अभिव्यक्ति के साथ ही आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की भी अपूर्व क्षमता है।

विविध भाषा-उपभाषाओं में हिन्दी का रूप है :-

हिन्दी को संस्कृत की विरासत मिली है। तथा ब्रज, अवधी, मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, मगही का सामर्थ्य–सहयोग इसे प्राप्त हुआ है। ११वीं सदी में अमीर खुसरो ने इसको जन–व्यवहार की चेतना प्रदान की। उसके बाद कबीर, नानक, तुलसीदास, मीरा, देव, घनानंद, बिहारी से लेकर भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र तक अजख धारा के रूप में हिन्दी गंगा के समान प्रवाहमान रही है। बोलचाल और जन सम्पर्क के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हिन्दी का व्यवहार किया जाता है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का श्रेय पूर्णतया महात्मा गांधी जी को है जिन्होंने आजादी अथवा राष्ट्रीय संघर्ष के साथ इसे जोड़ा। भाषा हिन्दी है यह भारत का गौरव है। विश्व में तीसरे नबंर की यह भाषा हिन्दी है जो विश्वभाषा है।

हिन्दी का विश्वबंधुत्व और उसका सामर्थ्य :-

आज दुनियाँ के ५० से अधिक देश ऐसे हैं जहाँ लोग भारत को समझने के लिए हिन्दी को समझना आवश्यक मानते हैं। देश के बाहर दुनियाँ में हर जगह हिन्दी के लिए आदर और अपनापन है। अभहाल में ही जून १६६५ में मेनचेस्टर विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने जिस आदर के साथ हिन्दी चेपर स्थापित करने की घोषणा की वह भारत और हिन्दी भाषा के लिए गर्व की बात है। विदेशी लोग हिन्दी के द्वारा भारत से जुड़ना चाहते हैं उसका मुख्य आकर्षण यह है ६०–७० करोड़ लोगों की भाषा, जो संस्कृत की संवाहिका है उसे समझे बिना भारत को समझना कठिन है।

सांस्कृतिक एकता का प्रतीक :-

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यही चाहते थे कि स्वाधीन भारत में राष्ट्रभाषा को वही दर्जा प्राप्त हो नो राष्ट्रध्वज अथवा राष्ट्रीय अस्मिता को प्राप्त है। गांधी ने राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने की कल्पना राष्ट्रभाषा हिन्दी के द्वारा की थी और विनोबा भावे चाहते थे कि भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का प्रचलन ने। ये दोनों बातें राष्ट्रीय एकता और अस्मिता के सन्दर्भ में भारत को ऊँचा उठाती है। हिन्दी के अन्तर्गत ही लगभग दो दर्जन ऐसी सशक्त बोलियाँ हैं जो दुनियाँ की किसी भी समृद्ध भाषा से लोहा ले सकती हैं। बोलैंड के राजदूत श्री प्रो. वृस्की तथा स्वीडन के राजदूत प्रो. स्मकल जैसे विदेशी हिन्दी की वकालत करते हुए कहते हैं कि, 'जब तक भारत अपनी भाषा को नहीं अपनाता, उसकी गुलामी मानसिकता बनी रहेगी।' राष्ट्रीय मर्यादा के रूप में हिन्दी को अपनाना ही राष्ट्रीय धर्म है। १६६२ में सामरिक टकराव होने पर भी चीन कई दशकों से अपने देश में हिन्दी के अध्ययन पर बल देता रहा है, उनका कहना है कि हिन्दी देश की बौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकता का ज्वलंत प्रतीक है और विदेशों में इसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।

राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दी का प्रयोग कीजिए :-

जबसे हिन्दी ने राजभाषा का मुकुट धारण किया है तभी से प्रत्येक देश प्रेमी, भारतवासी एवं भारत सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि उसकी उत्तरोत्तर प्रगति हो जिससे पपाशीघ्र उसे राष्ट्रभाषा के संहासन पर विराजित

किया जा सके। लेकिन हिन्दी को राजभाषा का पद प्राप्त हुए 74 वर्ष से अधिक हो के हैं पर उसकी प्रगति की गति बहुत कुछ कछुए की चाल जैसी है। हमारी मंजिल 'राजभाषा हिन्दी' को राजभाषा से विश्वभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करना है। इसलिए हम सब अपनी मानसिकता में आमूल परिवर्तन करके हिन्दी का ज्यादा प्रयोग करेंगे।

राष्ट्रीय 'एकता' की कड़ी : हिन्दी :-

इसका निष्कर्ष यही है कि भाषाओं की वह विविधता देश की एकता में कहीं भी बाधक नहीं समझी जानी चाहिए। 'दस बिगहा पर पानी बदले, दस कोसन पर बानी के अनुसार पानी' और 'बानी की अनेकविधता तो स्वाभाविक ही है, किन्तु कबीर ने जिस 'संस्कृत' को 'कूप–जल' और जिस 'भाषा' को बहता नीर कहा है वह भाषा निश्चय ही 'हिन्दी' है। इसी में उन्होंने अपना संदेश देश को दिया था और उसे वे 'एकता की कड़ी' के रूप में देखते थे। भाषा वही महत्वपूर्ण होती है जो लोगों को 'तोड़ने' के बजाय जोड़ने न संदेश दे और जिसके माध्यम से प्रेम का मार्ग प्रशस्त हों। इसी पावन भावना से प्रेरित होकर महाकवि जायसी ने यह कहा है '–

'तुरकी, अरबी, हिन्दुई, भाषा जेति आहि।
जेहि मुँह मारग प्रेम का, सबै सराहे ताहि।।'

और यह प्रेम का मार्ग केवल हिन्दी के माध्यम से ही प्रशस्त हो सकता है। यदि ऐसा न होता तो बंगाल के अद्वितीय सुधारक राजा राममोहन राय और केशवचंद्र सेन जैसे मनीषी अपने विचारों के प्रचार के लिए इसे क्यों अपनाते? आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वतीके बोलने वालों का प्रतिशत ५ अथवा ६ पा एवं अंग्रेजी बोलने वालों का केवल २ प्रतिशत था। अतः राष्ट्रभाषा का स्थान वही भाषा प्राप्त कर सकती है जिसे लोग अधिक से अधिक प्रयोग में लाते हैं। हिन्दी भाषा को बोलने वालों की संख्या अत्यधिक है। लेकिन उसको समझने वाले बोलने वालों से भी अधिक हैं। जितनी भी प्रांतीय भारतीय भाषाएँ हैं उनके बोलने एवं समझने वाले यह ठीक प्रकार जानते हैं कि सभी भाषाओं का एकमात्र स्रोत हिन्दी भाषा ही है। हिन्दी भाषा की लिपि पूर्ण वैज्ञानिक है। हर शब्द का उच्चारण उसकी बनावट के अनुकूल ही है। वर्णमाला के अक्षरों की ध्वनि हमेशा एक सी ही रहती है। देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण हिन्दी का दायित्व सर्वाधिक है। आज भी श्रीनगर से लेकर त्रिवेन्द्रम तक हिन्दी कवि, लेखक विद्यमान हैं। हिन्दी भाषियों को इस दिवस की प्रतीक्षा में रहना चाहिए, जब हिन्दी भगीरथ गंगा के किनारे से नहीं अपितु उसकी माँग कृष्ण और कावेरी के पुनीत पुलिनों से दुहराई जाय। अब वह दिन अधिक दूर नहीं जबकि ऐसा स्वप्र साकार होगा। –भारतेन्दु का निम्न कपन हिन्दी के विकास की प्रेरणा दे रहा है :–

'निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिप को शूल।।'

हिन्दी हमारी अपनी भाषा है। एक राष्ट्रभाषा जिन गुणों की माँग करती है वे समस्त गुण इसमें विद्यमान हैं। हिन्दी भाषा में प्राचीन काल से ही पर्याप्त मात्रा में साहित्य रचना हुई है और वर्तमान काल में भौ प्रचुर मात्रा में साहित्य रचा जा रहा है। का कपन है, 'हिन्दी के द्वारा सारे भारत को एकसूत्र में पिरोया जा सकता है।'

निष्कर्ष :-

देश की 'विविधता' में 'एकता' की 'परिचायक' हिन्दी हमारे देश में प्रांतानुसार भाषा बदलती दिखाई देती है। यहाँ लोगों की बदलती जीवन–शैली के साथ भाषाओं में भी विविधता पाई जाती है। तब भी हिन्दी को यह

महत्व इसलिए नहीं दिया गया कि वह सारी भारतीय भाषाओं में ऊँची है, बल्कि उसे 'राष्ट्रभाषा' इसलिए कहा और समझा जाता है कि हिन्दी को जानने, समझने और बोलने वाले देश के कोने–कोने में फैले हुए हैं। ये लोग चाहे हिन्दी न जानते हों, व्याकरण की भूलें करते हों, अशुद्ध हिन्दी बोलते हों, परन्तु बोलते तो हिन्दी ही हैं। और, उसी में अपने भाव व्यक्त करते एवं दूसरों की बातें समझते हैं। वास्तव में हिन्दी की यह प्रकृति ही देश की एकता की परिचायक है, और उसी प्रकृति ने ही उसे इतना व्यापक रूप दिया है। वह केवल हिन्दुओं या कुछ मुट्ठीभर लोगों की भाषा नहीं, वह तो देश के कोटि–कोटि कंठों की पुकार और इनका हृदयहार है। चुर मात्रा में साहित्य रचा जा रहा है। का कथन है, 'हिन्दी के द्वारा सारे भारत को एकसूत्र में पिरोया जा सकता है।' स्वतंत्रता के पश्चात् हिन्दी को बल मिलने की अपेक्षा पाठशालाओं और स्कूलों में अंग्रेजी को अत्यधिक महत्व मिला। एक अनिवार्य विषय के रूप में भारत में अपना स्थान दृढ़ कर लिया। जबकि भारत कृषि प्रधान देश है. अधिकांश जनता देहातों में बसती है, शिक्षा उन तक नहीं पहुँच पाती इससे अशिक्षितता या अल्पशिक्षितता एक ओर बढ़ रही है। जिससे दोनों में विद्वेष और घृणा बढ़ रही है। यदि हमने हिन्दी को समुचित्त स्थान दिया होता तो क्या ऐसा हो पाता?

संदर्भ ग्रंथ :-

1. राष्ट्रभाषा आन्दोलन और गांधीजी – रामधारी सिंह दिनकर।
2. हिन्दी भाषा – डॉ. भोलानाथ तिवारी।
3. भाषा विवेचन – डॉ. भागीरथ मिश्र।
4. राजभाषा हिन्दी – डॉ. भोलानाथ तिवारी।
5. हिन्दी भाषा स्वरूप और विकास – कैलाश चंद भाटिया।
6. राष्ट्र भाषा पर विचार – आचार्य चंडबली पांडेय।

मोबाईल नं. 7385527764

मेल –nilofarchaudhari@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 140–143

गोधन न्याय योजना का क्रियान्वयन, प्रभाव व विश्ले□ाण

संजू

सारांश :–

भारत में किसी भी प्रकार की योजना का संचालन भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित होती है। जो 73वें संविधान सं ोधन 1992 के द्वारा संविधान में उल्लेखित है। जिसमें पंचायती राज के कार्य संबंधी 29 विशयों का उल्लेख है। जिसमें हम देखते है हमारा गोधन न्याय योजना का पहला विशय जिसमें क शि–जिसके अंतर्गत कृशि विस्तार है एवं चौथा विशय जिसमें प ुपालन–दुग्ध उद्योग और कुक्कुट–पालन भी भामिल है। इसके अंतर्गत निर्दे ाक सिद्वांतों का व्यवहार में प्रयोग एवं उन कानूनो का उल्लेख करता है जो निर्दे ाक सिद्वांतो की क्रियान्वियन के लिए बनाये गये है जिसमें प ुओं की नस्ल में सुधार किया गया है और कृशि का वैज्ञानिक आधार पर संगठन किया जा रहा है। यही कारण है कि दे ा खाद्यान के मामले में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। एक या अधिक प ुओं के समूह को जिन्हे क शि सम्बन्धी परिवे ा में भोजन–रे ो व ाा श्रम आदि सामग्रियां प्राप्त करने के लिए पालतू बनाया जाता है, प ुधन के नाम से जाना जाता है। प ुधन आम तौर पर जीविका अथवा लाभ के लिए पाले जाते है, प ुओं को पालना (प ुपालन) आधुनिक क शि का एक महत्वपूर्ण भाग है।

की–वर्ड : राज्य भाासन, गौठान, ग्रामीण भाहरी, परिवार विकास, लाभ, प ुपालक।

प्रस्तावना :–

छत्तीसगढ़ राज्य की इस महात्वकांक्षी सुराजी ग्राम योजना के अंतर्गत नरवा, गरवा, घुरवा, व बाड़ा का संरक्षण एवं संवर्धन करने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण प्रदे ा में गौठान स्थापित किया जा रहा हैं। राज्य भाासन द्वारा गौठान की गतिविधियों में विस्तारण करते हुये गौठान में गोबर क्रय एवं संग्रहित गोबर से वर्मी कम्पोस्ट अन्य उत्पाद तैयार करने हेतु गोधन न्याय योजना की भाुरूआत छत्तीसगढ के महत्वपूर्ण पर्व हरेली 20 जुलाई वर्श 2020 से किया गया। योजना के क्रियान्वयन से जैविक खेती को बढ़ावा, ग्रामीण एवं भाहरी स्तर पर रोजगार के नये अवसर, गौपालन एवं गौसुरक्षा को प्रोत्साहन के साथ–साथ प ुपालकों आथिक लाभ प्राप्त होना। आगामी वर्शो में नवीन गौठानों की स्थापना के साथ–साथ योजना का विस्तार भी आव यकतानुसार किया जाना चाहिए। जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकां ा ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृशि एवं प ुपालन है। राज्य में गौवं ाी एवं भैसवं ाी प ुओं की कुल 36.34 लाख है। साथ ही प्रदे ा में अवारा घूमंतु प ु की सड़क दुर्घटना से यदि चोट लगे तो सहायता के लिए प ु नियंत्रण प ु आश्रय, पुलिस अधिकारी या प ु चिकित्सक से संपर्क कर सहायता करने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही गायों के साथ हो रहे सड़क दुर्घटना को

कम करने से रोकने के लिए गायों को मृत्यु या हादसो से बचा सके सड़कों पर गाय दिखे तो हमें रूकना और सड़क पार करने देना चाहिए। आपात कालिन फ्लै ार्स चालु करने से अन्य मोटर गाड़ी को भी धीमी गति से चलने में मदद मिल सकती है। साथ ही आवारा प ाुओं के भटकाव और उसके उग्र व्यवहार की निगरानी हेतु आर.एफ.आई.डी. तकनीक एवं जी.पी.एस. का प्रयोग एक उचित विकल्प है। भाहर के कचरे और गंदगी सड़कों के आप–पास रहने वाले बीमार या घायल प ाु का भाल्य चिकित्सा के बाद उनके अंदर पचास किलो ग्राम तक ठोस प्लास्टिक पाए गए है, तथा कभी–कभी उनके आंत से लोहे की किल भी निकलते हैं। चूंकी ज्यादातर प ाु कचड़ा और अव ोश पदार्थो का सेवन करते है। इसलिए उनके अच्छे स्वास्थ्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती तथा उनका दूध का सेवन मनुश्यों के स्वास्थ्य के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। इस तथ्य का पर्याप्त साक्ष्य यह है, इन प ाु जल एवं खाद्य जनित रोगाणुओं के अपि ाश्ट के वाहक है। इन प ाुओं से प्राप्त गोबर एवं खाद और अपि ाश्ट जल में पर्यावरण के लिए भी रोगजनक और प्रदूशक जैसे एंटीबायोटिक्स, पोशक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस, हार्मोन, तलछट भारी धातु, कार्बनिक पदार्थो, और अमोनिया की घनत्व और मात्रा बढ़ाने की क्षमता है। जो अंततः मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते है। इन सभी समस्या के समाधान हेतु छत्तीसगढ़ सरकार ने ''गोधन न्याय योजना'' के माध्यम से गायों को संरक्षित करने का प्रयास किया कृशि अर्थव्यस्था में सुधार के साथ–साथ मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहे हानिकारक प्रभाव पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया।

उद्देश्य :–

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाना।
2. ग्रामीण संसाधन के सदुपयोग को बढ़ाना।
3. ग्रामीण रोजगार को बढ़ाना।
4. गौठान निर्माण से घुमंतु एवं अवारा प ाु का संराक्षण।
5. फसल उत्पाद के अव ोश बचाकर सदुपयोग करना।

अध्ययन क्षेत्र :–

छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी से लगभग 117 कि.मी. की दूरी पर बिलासपुर जिला स्थित हैं। बिलासपुर जिला को प्राचीनकाल में बिलासा नाम से जाना जाता था। बिलासपुर भाहर लगभग 400 वर्श पुराना है बिलासा नामक फि ार महिला के नाम पर पड़ा है वर्तमान में बिलासपुर नाम है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिलासपुर की कुल जनसंख्या 26,63,629 है। जिसमें महिला 13,12,055 तथा पुरूश 13,11,574 है। प्रस्तावित भाोध में बिलासपुर जिले के 04 विकास खंडों– तखतपुर, बिल्हा, कोटा, मस्तुरी को भाामिल किया गया है। बिलासपुर एक जिला हैं। जिसे छत्तीसगढ़ की न्यायधानी के नाम से जाना जाने वाला बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा प्रमुख शहर हैं। किस्म के लिए भी प्रसिद्व हैं। रायपुर भाहर से 117 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित बिलासपुर के सीपत में एन. टी.पी.सी. का ऊर्जा गृह हैं और एस.ई.सी.एल. का मुख्यालय भी हैं। प्रदेश का सबसे पुराना रेल मंडल यहाँ स्थित हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर देश के विभिन्न रेल जोनों के बीच सबसे ज्यादा आय देने वाला जोन हैं।

बिलासपुर शहर लगभग 400 वर्श पुराना हैं। बिलासपुर का नाम बिलासा नाम की एक साहसी महिला के नाम पर रखा गया हैं। बिलासपुर जिले की अरपा नदी के किनारे जंगल पर शिकार करने पहुंचे। ि ाकार में मग्न राजा सैनिक से अलग होकर जंगल में काफी भीतर पहुँच गए। अचानक राजा जंगली जीवों से घिर गए।

जानवरों में उन पर हमला कर दिया। राजा जमीन पर गिर गए। बिलासा बाई नाम की एक मछुआरिन घोड़े की आवाज सुनकर जंगल की ओर भागी। उसने वहां पर वन्यजीवों का मुकाबला कर राजा की जान बचाई। बाद में राजा ने ससम्मान बिलासा बाई को राजधानी बुलाया और उपहार स्वरूप अरपा नदी के दोनों किनारे की जमीन सौंप दी। बिलासा बाई के नाम पर इस क्षेत्र को बिलासपुर नाम दिया। इस शहर का मूल स्वरूप 1774 के आसपास मराठा राजवंश के समय में आया। 1854 में ब्रिटिश सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिलासपुर का अधिग्रहण कर लिया। वर्तमान बिलासपुर जिले का गठन 1861 में हुआ तथा बिलासपुर नगर निगम 1867 में अस्तित्व में आया।

क्रियान्वयन का दायित्व :-

दायित्व योजना की विभिन्न गतिविधियों का निर्धारित समय अवधि में संपादन करने का संपूर्ण दायित्व जिला कलेक्टर का होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षक का कार्य जिला स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर क्रमशः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा किया जाएगा। जबकि शहरी क्षेत्रों में योजना का क्रियान्वयन के संबंध में स्वच्छ भारत मिशन से वित्त पोषित राज्य प्रवृत्ति मिशन क्लीन सिटी के साथ अभिसरण कन्वर्जेस करने की योजना है, साथ ही शहरी क्षेत्रों में गोधन योजना का प्रमुख उद्देश्य से एकीकृत व्यवस्था के साथ सड़क में घुमने वाले पशुओं के नियंत्रण हेतु उच्च गुणवत्ता के जैविक खाद की उपलब्धता, शहरी स्वच्छता के मॉडल को सृदृढ़ करते हुए पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ पशुपालन से उत्सर्जित अपशिश्ट से होने वाली बिमारियों के बचाव हेतु अपि ाष्ट का वैज्ञानिक निपटारा किया जाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु योजना में कार्यरत शहरी गरीब परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु शहरी क्षेत्र में गोबर का क्रय एवं गोबर से निर्मित गुणवत्ता युक्त वर्मी कम्पोस्ट खाद का विक्रय तथा गौठान समिति को आत्मनिर्भर बनाया जाना है।

गोधन न्याय योजना का प्रभाव :-

गोधन न्याय योजना का प्रभाव बिलासपुर ग्रामीण जीवन में निम्नानुसार है :-

1. प ुपालकों की आय में बढ़ौतरी।
2. प ुपालकों को खुले में घूमने और चरने पर रोक।
3. जैविक उर्वरकों का प्रयोग को बढ़ावा देना रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करना।
4. खरीफ और रबी फसलों की सुरक्षा और दोहरी फसल क्षेत्र बढ़ाना।
5. स्थानीय स्तर पर जैविक खाद की उपलब्धता।
6. स्थानीय स्वंय सहायता समहों के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाना।
7. भूमि की उर्वरता को सुधार करना।
8. गैर–जहरीले खाद पदार्थो और पोशण की उपलब्धता।

योजना का विश्लेषण :-

इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए एक एवं पाच सदस्यीय कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया। यह समिति राज्य के किसानों, प ुपालकों गौ– ाला संचालकों एवं बुद्धिजीवियों के सुझावों के अनुसार गोबर की क्रय दर निर्धारित कर, गोबर खरीदी से लेकर उसके वित्तिय प्रबंधन और वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन

से लेकर उसके विक्रय तक की प्रक्रिया के निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यता में प्रमुख्य सचिव एवं सचिवों की एक कमेटी से राज्य सरकार द्वारा किसानों, प ुपालकों से गोबर खरीदी की दर से हजारों गांवों में स्थापित गौ ाालाओं का उपयोग वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण स्रोत के रूप में किया जा सके। यहाँ निर्मित उर्वरकों को किसानों के साथ–साथ अन्य सरकारी विभागें में भी बेंचा जा सकेगा। पर्यावरण को समर्पित छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रकृति के प्रति प्रेम एवं समर्पण भाव को द ार्शाता है।

निष्कर्ष :–

गोधन न्याय योजना एक बहुआयामी योजना है। बहुत सारे उद्दे यों की पूर्ति हो रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठान बनाए जा रहे है। जिनसे स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध हो रहा एवं गौठान रोजगार मूल गतिविधियों का केन्द्र बन गए है। स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से पलायन पर भी अंकु ा लगेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. तारन प्रका ा सिन्हा, छत्तीसगढ़ भाासन जनमन छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग – की मासिक पत्रिका अंक 10 माह नवंबर वर्श 2021, पृ. क्रं. 3–5
2. प ुपालन विभिन्न आयाम ग्रामीण विकास को समर्पित (कुरूक्षेत्र) जनवरी 2017, पृ. क्र. 10,
3. सुराजी गांव प्रकोश्ठ, छ.ग. भाासन वार्शिक पत्रिका (2021), पृ. क्र. 28, 36, 42, 49
4. भारत सरकार, जल भाक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग नई दिल्ली प्रका ान – (2021) पृ. क्र. 14,
5. छत्तीसगढ़ भाासन, मंत्रालय कृशि विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर, पृ. क्र. 10
6. छत्तीसगढ़ भाासन, जनमन फरवरी मासिक पत्रिका (2020) पृ. क्र. 19,
7. Integrated Rural Upliftment Program – 2023 पृ. क्र. 3– 24
8. समाचार पत्र जनमन, मासिक पत्रिका (2022) पृ. क्रं. 12, 13
9. पंचमन, मासिक पत्रिका (2022) पृ. क्रं. 18–22
10. सबल, मासिक पत्रिका (2022) पृ. क्र. 27–30,
11. छ. ग. भाासन की जनकल्याणकारी योजनाएँ वार्शिक प्रतिवेदन (2020) पृ. क्र. 12–15

sanju281017@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 144–147

मंजुल भगत के कथा साहित्य में नारी विमर्श

गजेश्वरी सिदार, भोधार्थी,
डॉ. शाहिद हुसैन, सहा. प्राध्यापक,
हिन्दी विभाग, डॉ. सी.वी. रमन वि ववविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

समकालीन कथा साहित्य में महिला लेखन की प्रवृत्ति निजता से उद्‌भूत होकर व्यापक जीवन अनुभवों से गहराई से संपृक्त होती है। इस विमर्श में नारी जीवन की संवेदनाएँ, संघर्ष, आशाएँ एवं आकांक्षाएँ विशिष्ट रूप से अभिव्यक्त होती हैं। वर्तमान समय की महिला रचनाकार अपनी पीड़ा को पूर्ववत् संकोचवश अंतर्मुखी रखने के स्थान पर, उसे सशक्त रूप से व्यक्त करने की प्रवृत्ति अपनाती हैं। साथ ही वे शोषण एवं उत्पीड़न के प्रतिरोध में सशक्त अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने में समर्थ हैं, जिससे महिला लेखन एक प्रभावी सामाजिक हस्तक्षेप के रूप में उभरकर सामने आता है। वृन्दा करात लिखती है 'नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके दम पर महिला मुक्ति का प्रयास किया जा रहा है। इसके अनेक रूप है, अलग अलग प्रवृत्तियाँ है, जिन्हें समय–समय पर अलग–अलग रूपों में परिभाषित किया जाता है। एक लक्ष्य सबके सामने है, महिला होने के नाते उसका जो शोषण किया जाता है। उनका मूल खोजा जाये और जड़ से उखाड़ फेका जाये।''[1] निरूपमा सेवती ने 'भीड़ में गुम' की भूमिका में लिखा है– ''आस–पास के जीवन में कहीं भी शोषित जीव, शोषित मानसिकता का अनुभव हुआ तो खून उबाल खा जाता है लिखे बिना न रहा जाता यूँ तो बचपन से ही अन्याय नहीं सहन कर पाती थी।''[2]

समकालीन हिंदी साहित्य में मंजुल भगत एक प्रभावशाली कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके साहित्यिक योगदान में सात उपन्यास – 'क्लब, अनारों, बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौंछार' और 'गंजी' उल्लेखनीय हैं। साथ ही उन्होंने 'गुलमोहर के गुच्छे, क्या टूट गया, आत्महत्या से पहले, कितना छोटा सफर, बावन पत्ते और एक जोकर, सफेद कौआ, दूत, बूँद, आखिरी चोट' तथा 'अंतिम बयान' जैसे ग्यारह कहानी संग्रहों की रचना की है। उनका लेखन गहन संवेदनशीलता और सूक्ष्म अवलोकन क्षमता से परिपूर्ण है। नारी जीवन के अंतः और बाह्य दोनों पहलुओं को वे अत्यंत प्रभावशाली ढंग से चित्रित करती हैं। स्त्री–जीवन की जटिलताओं, सामाजिक संरचनाओं में उसकी भूमिका तथा मानसिक अंर्तद्वंद्वों को उनके साहित्य में व्यापक अभिव्यक्ति मिली है। वे स्त्री–मन की विविध परतों को उजागर करते हुए उसके मनोभावों से सहज तादात्म्य स्थापित करती हैं। यही कारण है कि उनके साहित्य में स्त्री–पात्रों के अनेकवर्णी स्वरूप देखने को मिलते हैं, जो करुणा, विवशता, आकुलता, विद्रोह, संघर्ष, विजय–पराजय और भावनात्मक उतार–चढ़ाव को जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हैं।

स्त्री विमर्श के संदर्भ में मंजुल भगत का साहित्य विशेष रूप से अध्ययन योग्य है। उनके कथा–साहित्य में स्त्री सशक्तीकरण, स्त्री–अस्मिता तथा सामाजिक चेतना के तत्त्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। समकालीन

कथाकारों की विशेषता यह रही है कि उन्होंने स्त्री के अंतर्मन को गहराई से समझते हुए उसे साहित्यिक अभिव्यक्ति दी है, जिससे न केवल स्त्री की स्थिति और संघर्ष पर प्रकाश पड़ता है, बल्कि समाज में उसकी भूमिका के पुनर्परिभाषीकरण की दिशा में भी विमर्श विकसित होता है। डॉ. राजेन्द्र अवस्थी के शब्दों में, 'मनः स्थिति का विश्लेषण करना आधुनिक कहानीकारों की विशेषता है। आधुनिक युग की कहानियों में जितना उत्कृष्ट और व्यापक मनः स्थिति का विश्लेषण मिलता है, वह पहले की कहानियों में नहीं था।

मंजुल भगत के कथा–साहित्य में स्त्री विमर्श एक केंद्रीय वि ाय के रूप में विद्यमान है। उनकी कहानियों में सामाजिक संरचना के विभिन्न वर्गों–निम्न, मध्य और उच्च वर्ग की महिलाओं का सशक्त चित्रण दृष्टिगोचर होता है। उनके लेखन में निम्नवर्गीय स्त्री प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य संघर्षशील बनी रहती है तथा अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील दिखाई देती है। मध्यवर्गीय शिक्षित स्त्री उनके साहित्य में एक जटिल मानसिक और भावनात्मक संघर्ष के केंद्र में दिखाई देती है। वह शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक उत्पीड़न का सामना करते हुए मुक्ति का मार्ग खोजने के प्रयास में संलग्न रहती है। इन कहानियों में कहीं उसकी विवशता और आकुलता परिलक्षित होती है, तो कहीं वह साहस, बुद्धिमत्ता और प्रत्यक्ष विरोध के रूप में उभरती है।

उच्च वर्ग की स्त्रियों का संघर्ष अपेक्षाकृत भिन्न परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। उनके पात्रों में कहीं स्वेच्छाचारिता की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, तो कहीं कर्तव्यों से विमुख होने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। इस प्रकार, मंजुल भगत का कथा–साहित्य विभिन्न सामाजिक वर्गों की स्त्रियों की चेतना, संघर्ष और आत्मनिर्णय की प्रक्रिया को विश्लेषणात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करता है, जिससे उनके कथा–विधान में स्त्री विमर्श की सशक्त उपस्थिति स्थापित होती है। मंजुल भगत के कथा सहित्य पर गोयनका कहते हैं कि–''उनके स्त्री पात्र वैविध्यपूर्ण हैं। उनमें शहरी–ग्रामीण, शिक्षित अशिक्षित तथा सम्बंधों के आधार पर माता, पत्नी, प्रेमिका, सहेली, पडोसिन आदि अनेक प्रकार की स्त्रियाँ हैं। उनकी दृष्टि सकारात्मक है। वे सबल भी बनती है, परन्तु स्त्री के परम्परागत तथा प्राकृतिक संस्कारों एवं दायित्वों से नहीं भागती। वे मुक्ति चाहती है, परन्तु विध्वंस के साथ नहीं, बल्कि अपने स्त्री संसार को भी साथ रखना चाहती है।''[3]

मंजुल भगत के कथा–साहित्य में आर्थिक आधार पर विभाजित स्त्री पात्रों का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है, जहाँ निम्नवर्गीय, मध्यवर्गीय एवं उच्चवर्गीय स्त्रियाँ अपने–अपने सामाजिक और आर्थिक संदर्भों में जीवन–संघर्ष का सामना करती हैं। निम्नवर्गीय स्त्रियाँ उनके साहित्य में श्रमशील, संघर्षशील एवं अपने अधिकारों के प्रति सजग रूप में उभरती हैं। विपरीत परिस्थितियों, आर्थिक अभावों तथा सामाजिक शोषण के बावजूद वे अदम्य साहस का परिचय देती हैं एवं अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु निरंतर जद्दोजहद करती हैं। मंजुल भगत की कहानियों में निम्नवर्गीय स्त्रियों का यह संघर्ष सजीव रूप में परिलक्षित होता है।

मध्यवर्गीय स्त्रियों का संघर्ष आर्थिक स्थिरता के बावजूद मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक उत्पीड़न के इर्द–गिर्द केंद्रित रहता है। वे आत्मनिर्णय एवं स्वतंत्र अस्तित्व की खोज में संलग्न रहती हैं। उनके जीवन में संघर्षशीलता के विविध रूप दृष्टिगत होते हैं, कहीं विवशता एवं आकुलता, तो कहीं बुद्धिमत्ता एवं साहस के साथ विरोध की प्रवृत्ति। लेखिका ने मध्यवर्गीय स्त्री के आंतरिक संघर्ष एवं सामाजिक जटिलताओं को गहन संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्त किया है।

उच्चवर्गीय स्त्रियों का संघर्ष भिन्न प्रकृति का है, जो मुख्यतः सामाजिक एवं पारिवारिक बंधनों से मुक्ति की आकांक्षा पर केंद्रित रहता है। वे अपनी स्वेच्छा से जीवन जीने की लालसा रखती हैं, किंतु कहीं–कहीं कर्तव्यों से पलायन की प्रवृत्ति भी परिलक्षित होती है। लेखिका ने अपने कथा–साहित्य में उच्चवर्गीय स्त्रियों की स्वतंत्रता की चाह एवं उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाओं के संघर्ष को सूक्ष्मता एवं मनोवैज्ञानिक गहराई के साथ चित्रित किया है। इस प्रकार, मंजुल भगत के कथा–साहित्य में विभिन्न वर्गों की स्त्रियों के संघर्ष एवं उनके अस्तित्व–बोध की प्रक्रिया का यथार्थपरक एवं विश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण दृष्टिगोचर होता है, जो उनके लेखन को समकालीन स्त्री–विमर्श के महत्वपूर्ण संदर्भों से जोड़ता है।

'झरोखे से मुँडेर तक' कहानी में शोषित, दरिद्र तथा कुण्ठित नारी केसरी का जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस कथा में दरिद्रता–जन्य शोषण का द्वंद्व देखा जा सकता है, जहाँ पति अपने मासूम बच्चों के पालन–पोषण की चिंता के नाम पर नारी को आर्थिक निर्भरता की स्थिति में रखते हुए उसे कार्य करने से वंचित कर देता है। वहीं 'शैतान बाजा' में 'गिंदौरी' के रूप में विवश, दरिद्र माँ का वह करूणामय रूप उभर कर सामने आता है, जो अपने पुत्र के लिए कफन की व्यवस्था हेतु अंत तक बेच देती है।'[4]

मंजुल भगत की कहानियों में अधिकांश महिलाएँ अपने परिवार के संरक्षण एवं अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्षरत दिखाई देती हैं। उदाहरणस्वरूप 'अजूबा' की नायिका नेहा अपने हिंसक पति से तलाक के विकल्प को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वह विवाह के पवित्र बंधन को केवल एक कागजी प्रक्रिया के रूप में समाप्त नहीं करना चाहती।

'नागपाश' कथा में एक शिक्षित स्त्री की पीड़ा एवं विद्रोही प्रवृत्तियों को उजागर किया गया है। यहाँ नायिका, अपने शराबी पति के हाथों शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करते हुए, अपनी अस्मिता तथा स्वाभिमान की हानि से घिरी अवस्था में टूट जाती है। दूसरी ओर, 'त्यागमयी' कहानी में नायिका कामना के माध्यम से विद्रोह के दर्द एवं हिंसात्मक प्रवृत्तियों का जन्म दर्शाया गया है। जहाँ सच्चे प्रेम के प्रति उसकी अपेक्षा में विश्वासघात का अनुभव उसके भीतर प्रतिहिंसा की आग भड़काता है, जिसके परिणामस्वरूप वह अपने पति की हत्या तक कर देती है।

'सम्बन्धहीन' कहानी में नारी का एक विशिष्ट एवं अनोखा रूप प्रकट होता है, जहाँ उसकी स्वाभाविक दया, करूणा एवं सहानुभूति का जीवंत चित्रण मिलता है। इस कथा में अभिनेत्री शिखा, समाज द्वारा शोषित बालिका ललिता को अपनाकर उसे नया जीवन प्रदान करने का प्रयास करती है।'[5]

'गुलदूपहरिया' कहानी महिला शोषण की व्यथा को गहन रूप से उजागर करती है। यहाँ एक स्त्री को अपने पारिवारिक परिवेश में ही दबाव एवं अत्याचार का सामना करना पड़ता है। वह अपने स्वाभाविक अधिकारों एवं आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करती है, परन्तु समाज की रुढ़िवादी सोच उसे दरिद्रता एवं उपेक्षा के साथ आक्रांत कर देती है। यह कथा महिला अत्याचार के विरोध में एक महत्वपूर्ण सन्देश के रूप में कार्य करती है तथा समाज को चेतावनी देती है कि इस प्रकार की अन्यायपूर्ण व्यवस्था स्त्रियों के लिए कितनी घातक हो सकती है।

डॉ. राजेन्द्र यादव के शब्दों में – ''वास्तविक व्यक्तित्व की खोज की दिशा में शारीरिक पवित्रता की उस दकियानूसी धारणा या किशोर संकोच की अनुपस्थिति आज उसके काम में कोई पाप बोध नहीं जागती। यौन

मुक्ति ही उसे अपने अस्तित्व आधार की एक मौलिक आवश्यकता लगती है।''[6] 'भग्नावशेष' कहानी में भावना के रूप में एक ऐसी स्त्री का चेहरा सामने आता है जहाँ दाम्पत्य जीवन में विशुद्ध प्रेम के स्थान पर केवल वासना की प्रतिमूर्ति ने प्रवेश किया है। कृष्ण अग्निहोत्री के शब्दों में – ''ज्यों–ज्यों सामाजिक परिस्थितियाँ बदलती है त्यों–त्यों सेक्स सम्बन्धी धारणाओं में परिवर्तन होने लगता है। ये स्वच्छन्द परिकल्पित परिवर्तित विचारधारा के कई रूप आज की कहानी में दिखाई देते हैं।''[7]

अंत में स्पष्ट है कि मंजुल भगत की कहानियों में नारी के विभिन्न रूप समाहित होते हैं, जो उनकी समस्त प्रतिक्रियाओं और संवेदनाओं को उजागर करते हैं। उनकी कहानियों में नारी का चित्रण विविधता और गहराई से किया गया है। वे नारी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं – उसके संघर्ष, सपने, आकांक्षाएं, और उम्मीदें। उनकी कहानियों में नारी को एक सामाजिक संदेश देने का भी काम किया गया है, जहाँ वे उसकी स्थिति को गहराई से समझती हैं और उसे उसके स्वार्थों और समाजिक प्रतिक्रियाओं के साथ सामना करने की क्षमता प्रदान करती हैं। इस प्रकार मंजुल भगत की कहानियाँ न केवल नारी के व्यक्तिगत अनुभव को उजागर करती हैं, बल्कि उसके सामाजिक और मानवात्मक पहलुओं को भी समझाती हैं।

संदर्भ सूची :-

1. वृन्दाकारत जीना है तो लडाना होगा, सामायिक प्रकाशन, नई दिल्ली– 2006
2. चर्चीत महिला कथाकारों की कहानियाँ, दिनेश द्विवेदी, आवरण पृष्ट से भीड़ में गुम भूमिका।
3. मंजुल भगत : समग्र कथा साहित्य, कमल किशोर गोनंका, पृ. 19
4. वही, झरोखे से मुडेर तक, पृ. 256
5. वहीं, सम्बंधहीन, पृ. 130
6. एक दुनिया समानान्तर, राजेन्द्र यादव, पृ. 38
7. स्वातंत्रोत्तर, हिन्दी कहानी. पृ. 76

shahidhussain2031@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 148–153

वागड़ क्षेत्र से प्राप्त हनुमान व भैरू रूपाकृतियों में रचनाधर्मिता

अल्पेन्द्र सिंह झाला
शोधछात्र, दृश्यकला विभाग, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बाँसवाड़ा।
डॉ. सुशील सोमपुरा
प्राचार्य, न्यू लूक गर्ल्स कॉलेज, बाँसवाड़ा।

शोध सार :–

वागड़ क्षेत्र की हनुमान और भैरू रूपाकृतियाँ भारतीय कला और धार्मिक परंपराओं का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इस क्षेत्र की हनुमान और भैरू मूर्तियाँ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनका शिल्प और रंगों का चयन भी विशिष्ट है। हनुमान की मूर्तियाँ शक्ति, वीरता और भक्ति का प्रतीक होती हैं, जबकि भैरू की मूर्तियाँ उग्रता और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करने का प्रतीक मानी जाती हैं।

हनुमान की मूर्तियों में उनके शारीरिक चित्रण, जैसे मांसल भुजाएँ और विशाल शरीर, उनकी शक्ति और वीरता को प्रदर्शित करते हैं। रंगों का चयन – लाल, पीला और सुनहरा – उनके गुणों को स्पष्ट करता है। वागड़ क्षेत्र की हनुमान मूर्तियाँ उच्च शिल्पकला का आदान–प्रदान करती हैं, जहाँ पारंपरिक राजस्थानी शिल्प विधियाँ प्रमुख हैं। भैरू की मूर्तियाँ भी इसी क्षेत्र की विशेषता हैं, जिनमें उग्रता और शक्ति का चित्रण किया गया है।

वागड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों, जैसे डविया/हड़मतिया हनुमान मन्दिर और अन्य महत्वपूर्ण मूर्तियाँ, भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला के अद्वितीय उदाहरण हैं। इन मंदिरों में शिल्पकला की सूक्ष्मता, रंगों का चयन, और संरचनाओं का अनुपात, इन मूर्तियों को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाता है।

इन मूर्तियों और मंदिरों का शिल्प, कला और सांस्कृतिक तत्व भारतीय समाज की आस्थाओं और विश्वासों का गहरा प्रतीक है। वागड़ क्षेत्र की हनुमान और भैरू रूपाकृतियाँ न केवल धार्मिक आस्थाओं का प्रदर्शन करती हैं, बल्कि भारतीय कला और संस्कृति का भी समृद्ध प्रतिनिधित्व करती हैं।

महत्वपूर्ण शब्द :– वागड़ क्षेत्र, हनुमान, भैरू, मूर्तियाँ, शक्ति, वीरता, भक्ति, शिल्पकला, रंगों का चयन, मंदिर, शारीरिक चित्रण, भावनात्मक अभिव्यक्ति, उग्रता, संकटमोचन, सांस्कृतिक धरोहर, निर्माण, स्थापत्य

आलेख :–

वागड़ क्षेत्र की हनुमान और भैरू रूपाकृतियाँ भारतीय कला और धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। हनुमान की मूर्तियाँ शक्ति, वीरता और भक्ति का प्रतीक हैं, जबकि भैरू की मूर्तियाँ उग्रता और नकारात्मक

ऊर्जा से रक्षा का प्रतीक हैं। इन रूपाकृतियों में शारीरिक संरचना, रंगों का चयन और शिल्पकला का अद्वितीय मिश्रण दर्शाया गया है। वागड़ क्षेत्र के मंदिरों की शिल्पकला, विशेष रूप से राजस्थान की पारंपरिक वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये मूर्तियाँ और मंदिर न केवल धार्मिक उद्देश्य से, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर और शिल्पकला के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। वागड़ क्षेत्र की हनुमान और भैरू मूर्तियाँ भारतीय समाज की आस्थाओं और विश्वासों का गहरा प्रतीक हैं।

हनुमान रूपाकृतियों का कलात्मक वर्णन :-

वागड़ क्षेत्र की हनुमान रूपाकृतियाँ भारतीय कला के अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इस क्षेत्र के मंदिरों और धार्मिक स्थलों में हनुमान की मूर्तियाँ और चित्र महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हनुमान जी को भारतीय संस्कृति में श्रीराम के परम भक्त और महान वीर के रूप में पूजा जाता है। इन रूपाकृतियों में हनुमान के शारीरिक चित्रण, रंगों का उपयोग, आकार और मूर्तिकला की तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

शारीरिक चित्रण और रूप :-

वागड़ क्षेत्र में हनुमान की मूर्तियाँ शक्ति और वीरता का प्रतीक होती हैं। हनुमान की मांसल भुजाएँ, विशाल शरीर और तेज दृष्टि दर्शाते हैं कि वह न केवल शारीरिक रूप से बलशाली थे, बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यधिक उत्साही और साहसी थे। उनकी मूर्तियों में विशेष रूप से उनके शरीर के अनुपात, कक्षाएँ और मांसल हाथों का चित्रण किया गया है, जो उनकी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। वागड़ क्षेत्र की हनुमान मूर्तियाँ आमतौर पर विशाल आकार में होती हैं, जिससे उनकी शक्ति और महानता को दर्शाया जाता है।

रंगों का प्रयोग :-

हनुमान की मूर्तियों में रंगों का उपयोग भी विशेष महत्व रखता है। लाल, पीला और सुनहरा रंग हनुमान की शक्ति, भक्ति और दिव्यता का प्रतीक माने जाते हैं। लाल रंग उनकी वीरता और शक्ति का प्रतीक है, पीला रंग उनकी विनम्रता और शांति को दर्शाता है, और सुनहरा रंग दिव्यता और धार्मिकता को प्रतीकित करता है। इन रंगों का चयन न केवल कलात्मक दृष्टिकोण से, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक विचारशील था।

शिल्पकला :-

वागड़ क्षेत्र की हनुमान मूर्तियाँ उत्कृष्ट शिल्पकला का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इन मूर्तियों का निर्माण पत्थर, धातु और लकड़ी से किया जाता है। इन मूर्तियों में सूक्ष्म उत्कीर्णन और गहरी कार्यकला का उपयोग किया जाता है। वागड़ क्षेत्र के शिल्पकला में राजस्थानी शैली की पारंपरिक विधियाँ और रूपांकनों का समावेश है, जो इन मूर्तियों को विशिष्ट बनाता है।

भैरू रूपाकृतियाँ :-

भैरू की प्रतिमाएँ वागड़ क्षेत्र में हनुमान के समान ही धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। भैरू को एक उग्र और शक्तिशाली रूप में पूजा जाता है, जो विशेष रूप से संकटों से उबारने और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करने का प्रतीक माने जाते हैं। वागड़ क्षेत्र में भैरू की मूर्तियाँ उनके शौर्य, शक्ति और क्रोध का प्रतीक होती हैं। इन रूपाकृतियों में आमतौर पर भैरू को उग्र मुद्रा में दिखाया जाता है, जो उनके युद्ध कौशल और साहस को प्रदर्शित करती हैं।

शारीरिक चित्रण :-

भैरू की मूर्तियाँ सामान्यतः तीव्र और आक्रामक मुद्रा में होती हैं, जिसमें उनके चेहरे की अभिव्यक्ति में क्रोध और साहस का मिश्रण होता है। उनकी भुजाएँ और मांसल शरीर विशेष रूप से उनकी शक्तियों को स्पष्ट करते हैं। भैरू के शरीर का चित्रण न केवल शारीरिक बल को प्रदर्शित करता है, बल्कि मानसिक और आंतरिक साहस को भी उजागर करता है।

शिल्पकला और धार्मिक प्रभाव :-

भैरू की मूर्तियों का निर्माण विशेष शिल्पकला से किया जाता है, जिसमें पत्थर, धातु और लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इन मूर्तियों का आकार और शिल्प शैली दर्शकों के बीच उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान उत्पन्न करती है। भैरू की पूजा से न केवल संकटों से मुक्ति मिलती है, बल्कि यह समाज में एकता और शक्ति की भावना भी उत्पन्न करती है।

प्रमुख मूर्तियाँ और उनके स्थान :-

वागड़ क्षेत्र की कुछ विशिष्ट हनुमान मूर्तियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं, जैसे कि संगोली गाँव में स्थित विशाल पाषाण मूर्ति। यह मूर्ति अपनी भव्यता, शिल्पकला और तीव्र भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। इसकी मुद्रा, आंखों की तीव्रता, वस्त्र और आभूषण इसे अत्यधिक प्रभावशाली बनाते हैं। मूर्ति की आक्रामकता और साहसिक भावनाएँ दर्शकों को तत्काल अपनी ओर आकर्षित करती हैं।

इसी प्रकार, अरथूना की काले पत्थर से निर्मित हनुमान प्रतिमा भी क्षेत्र की विशिष्ट कला शैली का उदाहरण है। इसकी गंभीरता, अनुपात, और तीव्र उकेरण शिल्पकला के उच्च मानकों का प्रदर्शन करते हैं। चेहरे पर उकेरी गई भावनाएँ – विशेषतः आंखों की तीव्रता और वीर मुद्रा – इसे विशेष बनाते हैं।

बोरवट का संकटमोचक मंदिर भी धार्मिक और कलात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ की मूर्ति अपेक्षाकृत छोटी लेकिन विशिष्ट मुद्रा में है – आशीर्वाद की मुद्रा में स्थित, जिसमें लंकिनी को पैरों तले दबाया गया है। यह मूर्ति न केवल शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि इसमें छिपा प्रतीकात्मक संदेश इसे विशेष रूप देता है।

इसके अतिरिक्त, पीपलौद और श्यापुरा जंगल के मध्य स्थित 42 फीट ऊँची हनुमान प्रतिमा एक अद्वितीय स्थापत्य और श्रद्धा का प्रतीक है। यह मूर्ति न केवल आकार की दृष्टि से भव्य है, बल्कि इसकी निर्माण सामग्री, सूक्ष्म शिल्पकारी और वातावरण से मेल खाने वाला उसका स्थान भी इसे एक अलौकिक अनुभव बनाते हैं। मूर्ति की गदा और आशीर्वाद मुद्रा, दोनों भक्तों के लिए शक्ति और शांति का संदेश देती हैं।

वागड़ क्षेत्र की हनुमान प्रतिमाएँ मात्र पूजा के साधन नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक संदेशों से भी परिपूर्ण हैं। इनमें न केवल रामायण की घटनाओं का प्रभाव देखा जा सकता है, बल्कि लोककथाओं और जनमानस की आस्थाओं की झलक भी स्पष्ट होती है। इन मूर्तियों का रूपांकन स्थानीय समाज में धर्म और नायकत्व की अवधारणा को भी दर्शाता है – जहाँ वीरता और सेवा, दोनों एक साथ पूजनीय हैं।

इन कलाकृतियों का निर्माण पत्थर, धातु और लकड़ी जैसी टिकाऊ सामग्रियों से किया गया है, जिसमें पारंपरिक राजस्थानी शिल्पकला की बारीकियों का समावेश है। मूर्तियों के आभूषण, वस्त्रों का उकेरण, और चेहरे की भावनाएँ सभी दर्शाते हैं कि इनका निर्माण केवल धार्मिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि अत्यंत गहन शिल्प दृष्टि से

भी किया गया है।

इस प्रकार, वागड़ क्षेत्र की हनुमान रूपाकृतियाँ न केवल धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति हैं, बल्कि ये क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान, कलात्मक गहराई और ऐतिहासिक परंपराओं का भी परिचायक हैं। ये प्रतिमाएँ वर्तमान समय में भी लोगों के लिए आस्था, प्रेरणा और आत्मबल का स्रोत बनी हुई हैं। इनके माध्यम से वागड़ की धार्मिक चेतना और मूर्तिकला की समृद्ध परंपरा को भली–भाँति समझा जा सकता है।

डविया/हड़मतिया हनुमान मन्दिर की वास्तुकला और शिल्पकला :–

डविया/हड़मतिया हनुमान मन्दिर भारतीय मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह मन्दिर राजस्थान की पारंपरिक शैली में निर्मित है, जो शिल्पकला और वास्तुकला का संपूर्ण मिश्रण है। यहाँ की स्थापत्य संरचना में जटिल डिजाइन, चमत्कारी मीनाकारी, और अद्‌भुत मूर्तिकला समाहित है। इस मन्दिर की विशेषता उसकी सजावट और शिल्पकला में निहित है, जो न केवल धार्मिक, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

वास्तुकला की विशेषताएँ :–

मन्दिर की वास्तुकला में संगमरमर और पत्थर का उपयोग प्रमुख रूप से किया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पत्तियाँ, फूल, और धार्मिक चित्रण उकेरे गए हैं जो उसके धार्मिक महत्व को और भी बढ़ाते हैं। मंदिर का गर्भगृह विशेष रूप से श्रद्धालुओं के ध्यान और पूजा के लिए डिजाइन किया गया है। गर्भगृह में हनुमान जी की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है, जो भक्तों के लिए केंद्र बिंदु है। इस मूर्ति का रूप भक्तों में एक गहरी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बनता है।

हनुमान जी की मूर्ति का शिल्पकला :–

हनुमान जी की मूर्ति की शारीरिक संरचना शक्ति, वीरता, और भक्ति का अद्‌भुत मिश्रण प्रस्तुत करती है। मूर्ति की आंखों में आक्रामकता और साहस की झलक दिखाई देती है, जो यह दर्शाती है कि हनुमान जी अपने भक्तों के हर संकट से उबारने के लिए तैयार रहते हैं। उनका चेहरा शांत और आशीर्वादपूर्ण भावनाओं से भरा हुआ है, जो भक्तों को मानसिक शांति और साहस प्रदान करता है।

क्षेत्रीय महत्व और अन्य मंदिर :–

मंदिर का महत्व केवल स्थापत्य और मूर्तिकला तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसके आसपास अन्य प्रमुख मंदिर जैसे बालाजी हनुमान जी कुशलगढ़, संकट मोचन हनुमान पार्ट कुशलगढ़, भेरू घाट हनुमान जी बांदला रोड बॉर्डर आदि भी हैं। ये मंदिर न केवल आस्थावान लोगों के लिए, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

भैरव रूपाकृतियों का कलात्मक वर्णन :–

भैरव, जिन्हें शंकर के उग्र रूप के रूप में पूजा जाता है, भारतीय मूर्तिकला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी मूर्तियाँ और चित्रकला विशेष रूप से राजस्थान और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में दर्शायी जाती हैं। भैरव की मूर्तियों में उनकी उग्रता, शक्ति, और क्रोध को प्रकट करने के लिए बड़े शरीर, विस्तृत मांसपेशियाँ, और गुस्से से भरा चेहरा दिखाया जाता है। इन रूपाकृतियों में भैरव को त्रिशूल, खडग, और तंत्र–मंत्र से जुड़े उपकरणों के साथ प्रदर्शित किया जाता है, जो उनकी धार्मिक शक्ति और तांत्रिक प्रभाव को दर्शाते हैं।

राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स में भैरव की रूपाकृतियाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। ये चित्र कला के अद्‌भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भैरव के युद्ध भूमि में उग्र रूप या शमशान भूमि में ध्यान करते हुए चित्रण किया जाता है। इन चित्रों में रंगों का चयन भी महत्वपूर्ण होता है, जैसे काला रंग उनकी उग्रता और शमशान भूमि से संबंधित शक्तियों को दर्शाता है, जबकि लाल रंग उनके क्रोध और वीरता को व्यक्त करता है। सुनहरा और सफेद रंग उनके दिव्य गुणों और शांति का प्रतीक होता है।

वागड़ क्षेत्र की हनुमान और भैरव रूपाकृतियाँ भारतीय कला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इन मूर्तियों में शिल्पकला की सूक्ष्मता और संतुलन को देखा जा सकता है। भैरव और हनुमान जी की मूर्तियों में लोक कला, धार्मिक विचारधारा और सांस्कृतिक तत्वों का समावेश होता है। ये रूपाकृतियाँ केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि भारतीय समाज की आस्थाओं और विश्वासों का भी एक गहरा प्रतीक हैं।

निष्कर्ष :-

वागड़ क्षेत्र की हनुमान और भैरू रूपाकृतियाँ भारतीय कला और धार्मिक परंपराओं का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इस क्षेत्र की मूर्तिकला में हनुमान और भैरू दोनों देवताओं के रूपांकनों का गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में विश्लेषण किया गया है। हनुमान की मूर्तियाँ शक्ति, वीरता और भक्ति का प्रतीक हैं, जबकि भैरू की रूपाकृतियाँ उग्रता, शक्ति और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा का प्रतीक मानी जाती हैं। इन मूर्तियों में शारीरिक संरचना, रंगों का चयन और शिल्पकला का अद्वितीय मिश्रण दर्शाता है कि इनका निर्माण केवल धार्मिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि उच्च शिल्प दृष्टि से भी किया गया है।

वागड़ क्षेत्र की हनुमान मूर्तियाँ न केवल रामायण की घटनाओं का चित्रण करती हैं, बल्कि ये लोककथाओं और जनमानस की आस्थाओं को भी व्यक्त करती हैं। हनुमान की मूर्तियाँ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण हैं, साथ ही कला और संस्कृति के संदर्भ में भी इनकी विशेष पहचान है। इसी प्रकार, भैरू की मूर्तियाँ उनके उग्र रूप को दिखाती हैं, जो समाज में शक्ति और एकता की भावना को प्रकट करती हैं।

डविया/हड़मतिया हनुमान मंदिर की वास्तुकला भी राजस्थान की पारंपरिक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें शिल्पकला और स्थापत्य का संपूर्ण मिश्रण दिखाई देता है। इन मंदिरों और मूर्तियों की शिल्पकला, रंगों का चयन और आकार सभी दर्शाते हैं कि ये केवल पूजा के साधन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

अंततः, वागड़ क्षेत्र की हनुमान और भैरू रूपाकृतियाँ न केवल धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों का प्रतीक हैं, बल्कि भारतीय शिल्पकला, कला और संस्कृति का समृद्ध प्रतिनिधित्व भी करती हैं। इन मूर्तियों और मंदिरों के माध्यम से हम क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक परंपराओं को समझ सकते हैं, जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा और आस्था का स्रोत बनी हुई हैं।

संदर्भ :-

1. प्रमोद सागर, हनुमान सिद्धि, अमित पाकेट बुक्स, जालंधर।
2. सीमा मलिक व नीतू परिहार, वागड़ का लोक साहित्य, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, 2021

3. राय गोविन्दचन्द, हनुमान के देवत्व तथा मूर्ति का विकास, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग।
4. वेदिक माध्थोलॉजी,, अनुवादक रामकुमार राय, चोखम्बा विश भवन, बनारस, 1961
5. वासुदेव शरण अग्रवाल, प्राचीन भारतीय लोकधर्म, ज्ञानोदय ट्रस्ट अहमदाबाद, 1964
6. वासुदेवशरण अग्रवाल, कला और संस्कृति, इलाहाबाद, 1952
7. श्री हनुमान् अंक, गीताप्रेस, गोरखपुर, वि०सं० 2064
8. कासलीवाल, मीनाक्षी ललित कला के आधारभूत सिद्धान्त, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 2007 (द्वितीय संस्करण).
9. गोस्वामी, प्रेमचंद्र : राजस्थान संस्कृति कला एवं साहित्य, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर–2008.

alpendrasingh1984@gmail.com
9549637240

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 154–161

संस्कृत साहित्य में शतक काव्य

डॉ. वर्षा रानी
असि. प्रो. संस्कृत – विभाग, डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा।

संस्कृत साहित्य में शतक काव्यों की एक प्रशस्त और दीर्घकालिक परंपरा उपलब्ध होती है। सौ (100) के होने से ही इसे शतक कहा जाता है अर्थात् शतक का अर्थ होता है – सौ पद्यों का समूह।

'शब्द कल्पद्रुम' में शतक शब्द की व्युत्पत्ति निम्न रूप में की गई है :–

शतकः त्रिशतं परिणामस्प। शत + संख्याया :आतिशस्तायाः कन (पा 5/1/22) इति कन् शत संख्या विशिष्ट यथा शान्ति शतकम् अमरूकः शतक' के अर्थ में सौ पद्यों के समूह से तात्पर्य मात्र सौ पद्यों से ही नहीं है, अपितु सौ पद्यों के आस–पास की संख्या अभिप्रेत है। शतकों में यह संख्या हमें प्रायः 100 से 125 तक प्राप्त होती है। शतक शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है :–

1. एक सौ (100) की निश्चित संख्या।
2. अनेक अर्थ में अमरुक शतक पर 'कामदा' व्याख्या के लेखक रविचन्द्र ने शतशब्द का प्रथम अर्थ मानकर अपने संस्मरण में मात्र 100 श्लोकों का समावेश किया है तो इसके विपरीत डा. सुरेन्द्र नाथ दास गुप्त ने शतक का अर्थ अनेक पद्यों में ही माना है :–

Should be noted the wherever we find Shatakas light शृंगार शतक, अमरूक शतक and the like, the number may be hundred less or more than the word hundred used in sense of.

डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी ने भी शतक से तात्पर्य 100 की निश्चित संख्या न मानकर अनेक ही माना है। उनके अनुसार 'शतक काव्य में कवि अपने एक या अनेक विषयों पर लिखे उत्तमोत्तम पद्यों को संकलित करते थे यह आवश्यक नहीं था कि संकलित पद्यों की संख्या निश्चित सौ (100) ही रहे, संख्या न्यूनाधिक भी हो सकती अत्यन्त प्राचीनकाल से ही विविध विषयों पर मुक्तक पद्य लिखकर उनके संग्रह की प्रवृत्ति चली आ रही थी, परन्तु उन पर काव्यशास्त्रीय दृष्टि से उतनी गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं हुआ। संस्कृत साहित्य के आचार्यों ने शतक नाम की किसी भी काव्य विद्या का उल्लेख नहीं किया है, यद्यपि संस्कृत साहित्य के लक्षण–गन्थों में मुक्तक पद्य का उल्लेख है परन्तु मुक्तक पद्यों के संग्रह को शतक जैसी किसी काव्य विधा के नाम से अभिहित नहीं किया गया है। परन्तु 10वीं शती के आचार्य विश्वनाथ के कोश काव्य के लक्षण पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें तो उसमें शतक काव्य का सामान्य लक्षण घट जाता है। वे कोश काव्य का लक्षण देते हुए कहते हैं–"परस्पर निरपेक्ष श्लोक समूह को कहते हैं। कोश की परिभाषा शतक काव्य में भी घट जाती है, क्योंकि शतक काव्यों में भी परस्पर निरपेक्ष श्लोकों का समूह ही रहता है। यह बात आचार्य विश्वनाथ के पूर्ववर्ती प्रसिद्ध गद्यकार बाण के भी काव्य से

प्रभावित होती है, जिसमें उन्होंने गाथा सप्तशती को कोश रचना मानते हुए कहा है कि– 'जिस प्रकार कोई व्यक्ति विशुद्ध जाति के अग्रगण्य रत्नों से अपना कोश (खजाना) तैयार करें, उसी प्रकार सातवाहन ने अग्राम्य जाति छन्दों (गाथाओं) को अपने कोश में संग्रहित किया।

हीरालाल शुक्ल ने भी शतक को कोष मुक्तक काव्य माना है। कोश मुक्तक की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं –कोश मुक्त में प्रायः एक प्रकार के संस्कृत छन्दों का संकलन होता है, जिसकी छंद संख्या निश्चित होती है। संस्कृत साहित्य में पाए जाने वाले संख्यामुक्तक काव्य 17 प्रकार के हैं – त्रयी, चतुश्लोकी, षट पदी, सप्तक, अष्टक, नवम, दशम्, द्वादशी, पंचदशी, षोडशी, विशांति, चत्वारिंशत्, पंचाशिका, सप्ततिशतक तथा सहस्त्रक।

उपर्युक्त विवेचन में स्पष्ट है कि मुक्तक संग्रह को 'कोष' नाम से अभिहित किया जाता था परन्तु बाद में निश्चयात्मक संख्या में मुक्तक पद्यों के संकलन होने से वर्णित पद्य संख्या के आधार पर काव्य विद्या के गन्थों का नामकरण प्रारंभ हुआ यथा अमरूक शतक,आर्याद्विशती, शृंगार कलिका त्रिशती, मूक पंचशती आदि। शतक काव्यों के लिए कोई भी नियम निर्धारण संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथ में नहीं प्राप्त होता है, तथापि शतकों के अवलोकन से हम दो बातें निर्धारित कर सकते हैं जिसमें प्रथम यह कि वह मुक्तक पद्यों का संकलन हो तथा दूसरा कि वह एक निश्चित पद संख्या में हो।

शतक काव्य का उद्भव वैदिक काल में ही हो गया था। शतक परंपरा का मूल स्रोत हमें वेदों से प्राप्त होता है। वैदिक वाङ्मय में एक विशेष प्रकार का लोक साहित्य प्राप्त होता है जिसे 'गाथा' कहते हैं। वैदिक साहित्य का यह महत्वपूर्ण 'गाथा' शब्द ऋग्वेद संहिता में केवल गीत या मन्त्र के लिये प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 1124–1125 में शुनःशेप आख्यान है। इस आख्यान में मन्त्रों की संख्या 100 (सौ) के आस–पास है जिसके लिए शतगाथम् (सौ गाथाओं में कहा गया) शब्द का प्रयोग है ऐतरेय ब्राह्मण में भी शुनःशेप आख्यान के लिए 'शतगाथम्' का प्रयोग है।

शुनः शेपः आख्यान सूक्त को हम विश्व की प्रथम शतक रचना मान सकते हैं और ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि यहीं से प्रेरणा लेकर आगे शतक काव्य की प्रक्रिया का विकास हुआ और संस्कृत साहित्य में अमरूक शतक जैसी काल जयी रचनाएँ रची जाने लगीं। इसके अतिरिक्त यजुर्वेद के 'रुद्राष्टाध्यायी' के पञ्चम अध्याय को भी हम शतक काव्य का प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं। 'रुद्राष्टाध्यायी' के इस अध्याय को 'शतरूद्रीय' कहते हैं। इसमें भगवान रुद्र को उनके 100 नाम द्वारा नमस्कार किया गया है। यजुर्वेदीय रूद्र अष्टाध्यायी के पंचम अध्याय के 66 मंत्र, शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 17वें अध्याय के 31वें और 32वें मंत्र तथा रुद्राष्टाध्यायी के छठें अध्याय का आनुपूर्वी पाठ करने पर सौ (100) मन्त्र पूरे हो जाते हैं, परन्तु रुद्र कल्पद्रुम में इसे निर्मूल बताया गया है। इसके अनुसार रुद्राष्टाध्यायी के पंचम अध्याय के 66वें मन्त्र से ही 'शतरूद्रीय' पूरी हो जाती है। अथर्ववेदीय जाबालोपनिषद् और कृष्ण यजुर्वेदीय कैवल्य–उपनिषद् में 'शतरूद्रीय' का उल्लेख हैं। महाभारत में द्रोण पर्व के 173वें अध्याय में 89 पद्यों में भी रुद्रस्तोत्र का वर्णन है जिसे शतरूद्रीय कहा गया है शतरूद्रीय के सौ नामों की परम्परा हमें पौराणिक–साहित्य में देवी देवताओं के अष्टोत्तरशतनाम् में देखने को मिलती हैं, जिसमें देवताओं को उनके 100 या 108 नाम से नमस्कार किया जाता है।

उपर्युक्त विवेचना से यह संभावना व्यक्त की जा सकती है कि सौ नामों की परम्परा ही आगे चलकर शतक पद्य में परिवर्तित हो गई और सौ नामों के स्थान पर सौ श्लोकों द्वारा इष्ट की वंदना की जाने लगी और

धीरे–धीरे शतक काव्य के रूप में एक नई काव्य विधा का सूत्रपात हो गया।

आदि कवि वाल्मीकि रचित रामायण के बालकांड में रामायण की भूमिका के रूप में 100 पद्यों को लिखा गया है जिसे 'मूलरामायण' कहते हैं। शतश्लोकात्मक मूलरामायण को भी शतकों का प्रेरणादायक स्रोत मान सकते है परंतु अधिकांश विद्वान् इसे प्रक्षिप्तांश मानकर इसे बाद की रचना मानते हैं।

उपर्युक्त विवेचना में हमें प्रथम विवेचना अधिक समीचीन प्रतीत होती है, जिसमें सौ गाथाओं में कहे गए 'शुनः शेप आख्यान' को शतक काव्यों का आरम्भ बिन्दु माना गया है। यह बात इसलिए भी पुष्ट होती है कि शतगाथम् के अभिधान जैसा ही प्राकृत भाषा में 'गाहासतसई' जैसे ग्रन्थ का संकलन हुआ जो शतक साहित्य का नितान्त सरस और मंजुल संग्रह है।

कवि गोष्ठियों में या राजसभाओं में प्रस्तुत करने के लिए अलग से स्वतंत्र मुक्तक रचने की परंपरा भी प्राचीन काल से चली आ रही होगी। कुछ आगे चलकर जब आनन्दवर्धन जैसे महान आचार्यों ने ऐसे स्वतंत्र मुक्तकों को महत्व प्रदान किया, तब इस प्रकार के मुक्तकों को संगृहित करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला होगा। इस प्रवृत्ति के कारण संस्कृत साहित्य के इतिहास में शतक–काव्यों और सुभाषित संकलनों के निर्माण का उपक्रम हुआ। शतक काव्य में कवि, एक या अनेक विषयों पर लिखे उत्तमोत्तम पद्यों का संकलन करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 'शतक' रचना का बीजारोपण वैदिक साहित्य में ही हो गया था और कालांतर में किसी विषय पर 100 मुक्तक पद्य लिखकर उसे शतक नाम देने की परंपरा का विकास हुआ। शतकों का अधिक प्रणयन इसलिए भी हुआ क्योंकि 100 की संख्या एक जानी पहचानी संख्या हैं। 100 पद्यों के शतक के अतिरिक्त भी संस्कृत साहित्य में अनेक पद्य संख्या आधारित गन्थों का प्रणयन हुआ।

जिसमें 50 पद्यों की पंचशिका, 150 पद्यों की शतपंचाशिका, 200 पद्यों की द्विशती, 300 पद्यों की त्रिशती, 500 पदों की पंचशती, 700 पद्यों की सप्तशती है। परंतु इन सभी संख्या आधारित काव्यों में 100 पद्यों में शतक लिखने का अधिक प्रचार–प्रसार हुआ।

संस्कृत के आचार्य शतक रचना को 'गीतिकाव्य–परंपरा' के अंतर्गत रचित काव्य मानने लगे है। डॉ. राधा वल्लभ त्रिपाठी ने 'अमरुक' को संस्कृत गीति परंपरा का कवि माना है संस्कृत गीति काव्य विशेषकर शतक साहित्य की प्रायः प्रत्येक रचना हमें मुक्तक शैली में लिखी मिलती है। इन शतकों की परंपरा के विषय में डॉ. त्रिपाठी लिखते हैं :–

'संस्कृत शतक साहित्य की गणना, गीति काव्य के अंतर्गत होती है। संस्कृत गीतिकाव्यों में शतकों की एक स्वतंत्र विधा है, जिसकी अपनी एक सुदीर्घ परंपरा है।'

मुक्तक गीति के सुंदर उदाहरण भर्तृहरि तथा अमरूक के शतक काव्य हैं।

जैसे शतक काव्यों का प्रचलन बढ़ता गया वैसे–वैसे शतक काव्य के लक्षण पर विचार होता गया, और विद्वानों ने संस्कृत शतक काव्यों की गीति परंपरा का काव्य कहना प्रारंभ कर दिया, इस प्रकार से गीति–काव्य के स्वरूप पर विचार करना समीचीन प्रतीत होता है।

संस्कृत के लक्षण ग्रन्थकारों ने यद्यपि 'गीति' नाम से किसी काव्य विधा का उल्लेख नहीं किया है, तथापि आधुनिक आलोचकों ने 'गीति' नामक इस नई काव्य विधा की चर्चा की है।

संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे छोटे–बड़े काव्य मिलते हैं, जिनका विषय शृंगार, नीति, भक्ति, वैराग्य आदि है

और जिनमें आत्माभिव्यञ्जन की प्रधानता है, विषय वर्णन की नहीं। इन काव्यों को पाश्चात्य विद्वानों ने 'गीति' काव्य का 'लिरिक' कहा है। यूरोप में शोक–प्रेम आदि मार्मिक भावों की अभिव्यक्ति करने वाली गीत प्रधान कविताओं को 'लिरिक' कहा जाता है।

भारतीय विद्वानों ने 'गीति' काउद्गम ऋग्वेद की ऋचाओं से माना है।

ऋग्वेद में वर्णित 'उषा–वर्णन' अद्भुत गीतात्मकता से युक्त है। उषस् सूक्तों के एक–एक मन्त्रों में हमें सौंदर्य बोध और कवि कल्पना का अनूठा संगम देखने को मिलता है यथा :–

एषा शुभा न तत्वो विदानो धर्वेव स्नाती दृशये नो अस्थात्।
अप द्वेषां बाधमाना तयांस्युषा दिवो दुहिता ज्योति षागात्।।

अर्थात्– यह उषा देवी किसी लावण्यमयी नारी की भाँति स्नान करके ऊपर आती सी लगती है और अपने शुभ्र–देह को प्रकट करती है। अंधकार और शत्रु को दूर हटाती हुई द्युलोक की यह पुत्री अपने मनोहर तेज के साथ आ पहुँचती है।

अग्नि, इंद्र, वरुण आदि देवों के प्रति की गई स्तुतियों में हमें गीति रचना के दर्शन होते हैं। संहिताओं में अनेक ऐसे स्थल हैं जिन्हें पाश्चात्य विद्वानों ने 'पेस्टोरल पोएट्री' (ग्रामगीत) की संज्ञा दी है। यद्यपि इन गीतों में आध्यात्मिक पाठ भी अनुस्यूत हैं पर इसमें गीतिकाव्य की सारी विशेषताओं का भी ऋषियों ने दिग्दर्शन करा दिया है।

प्रजापति की स्तुति में हिरण्यगर्भ उत्कृष्ट गीति काव्य का उदाहरण है।

आदिकाव्य रामायण का उदय भी गीति काव्य के रूप में ही हुआ है। इसमें स्थल विशेष पर ऋतु वर्णन, स्त्री सौंदर्य का चित्रण तथा सत्रहवें सर्ग में निहित अशोक वाटिका आदि के वर्णन में हमें अलौकिक गीतात्मकता के दर्शन होते हैं। महाभारत में प्राप्त होने वाली स्तुतियाँ भी गीतिकाव्य के तत्वों से युक्त है।

'संस्कृत गीति काव्यनुचिन्तन 'नामक ग्रंथ में गीति का लक्षण देते हुए कहा गया है– यासु रचनासु गेयतया रस पेशलतया च महात्म निष्ठता तिष्ठति ता एवं गीति काव्य श्रेणीषु गव्यते'।

अर्थात् जिस रचना में गेयता और रस से शलता समान रूप से रहती है उसे गीतिकाव्य कहते हैं।

'गीति' या 'गीत' का अर्थ हृदय की रागात्मक भावना को छन्दोंबद्ध रूप में प्रकट करना हैं। गीति काव्य में रागात्मकता या ध्वन्यात्मकता का होना 'धूम में अग्नि' की भांति अनिवार्य हैं। गीति काव्यों में गीतात्मकता तो होनी ही चाहिए किन्तु ऐसी पद्यरचना जो कवि की आत्मानुभूति पर आधारित हो, अगेय होने पर भी गीतिकाव्य के भीतर समा जाती हैं।

गीति की आत्मा भावातिरेक है। कवि अपनी रागात्मक अनुभूति तथा कल्पना से वर्ण्य विषय तथा वस्तु को भावात्मक बना देता है।

गीतियों का निर्माण उस बिंदु पर होता है, जब कवि का हृदय सुख–दुख के तीव्र अनुभव से आप्लावित हो जाता है और वह अपनी रागात्मिका अनुभूति को अपनी हार्दिक भावना की पूर्णता के कारण बाह्य अभिव्यक्ति के रूप में परिणत करता है। 'स्व गम्य' अनुभूति, 'पर गम्य' अनुभूति के रूप में परिणत करने के लिए कवि जिन मधुर भावापन्न, रससान्द्र– उक्तियों का माध्यम पकड़ा है, वही होती है 'गीतियाँ'।

डॉ. दशरथ ओझा ने गीति काव्य की परिभाषा को चोकोर सीमा रेखाओं में इस प्रकार निरूपित किया है–

1. जिस छन्दबद्ध रचना में भावातिरेक की धारा इस रूप में प्रवाहित हो कि उसमें स्वर लहरियाँ स्वभावतः तरंगयित हों।
2. जिसमें कवि या पात्र की रागात्मकता उसके व्यक्तित्व के साथ मिलकर आत्मनिवेदन के रूप में प्रकट हो।
3. जिसका आयतन इतना बड़ा हो कि जिसमें कवि या पात्र की रागात्मकता का प्रवाह शिथिल न पडने पावे।
4. जिसमें घटना वर्णन को गौण किंतु भावना को उच्चतम आसन प्राप्त हो जिस काव्य में एक ही लय या एक ही भाव में साथ–साथ एक ही निवेश एक ही रस, एक ही परिपाटी हो वह गीति काव्य हैं। संक्षेप में गीतिकाव्य का लक्षण इस प्रकार दिया जा सकता है :–

भावानामात्मनिष्ठानां कल्पनावलिंत लघु।
स्फरणगेय रुपेण गीतिकाव्यं निगद्यते।।

अर्थात् गीतिकाव्य उसे कहते है जिसमें आत्मनिष्ठ कल्पना, भावना के रूप में स्फुरित है।

आचार्य नेमिचन्द्र शास्त्री ने गीति काव्य के मूल तत्वों को विस्तार से निरूपित किया है। उनके अनुसार गीति काव्य के मुक्त तत्व 12 हैं :–

1. आत्मनिष्ठा या अन्तर्वृत्ति की प्रधानता
2. संगीतात्मकता
3. निरपेक्षता
4. रसात्मकता
5. भावातिरेकता
6. भावसान्द्रता
7. चित्रात्मकता
8. समाहित प्रभाव
9. मार्मिकता
10. संक्षिप्तता
11. सरलता तथा स्वाभाविक अभिव्यक्ति
12. सहज अन्तः प्रेरणा

आधुनिक विद्वानों ने इस 12 तत्वों के स्थान पर तीन तत्वों को ही प्रमुखता दी।

(क) भावातिरेकता।
(ख) संक्षिप्तता।
(ग) संगीतात्मकता।

(क) भावातिरेकता – वस्तुतः गीति की आत्मा भावातिरेक ही है। यह कोमल भाव ही हो सकता है, रौद्र भाव नहीं। कवि अपनी रागात्मक अनुभूति तथा कल्पना से विषय अथवा वस्तु को भावात्मक बना देता है। प्रेम, शोक, भक्ति नीति, वैराग्य आदि भावनाएँ संस्कृत गीति काव्यों का विषय रही है।

भावातिरेकः रसविशेषो वा गीतिकाव्य स्यात्मास्ति, कविः।
स्वरागात्मिकयानुभूत्या कल्पनया च विषयमथवा वस्तुं भावात्मक करोति।।

(ख) संक्षिप्तता – संक्षिप्तता गीति काव्य का आवश्यक तत्व है। आवेग को विस्तार प्रदान करने से भाव की आवृत्ति होने लगती है, नीरसता छा जाती है। अतः गीति काव्य में कवि स्वल्प शब्दों में सघन भावों की अभिव्यक्ति करता है। कभी–कभी भावना का आवेश इतना प्रबल होता है कि कवि एक ही पद्य में उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति करता है।

(ग) संगीतात्मकता – गीतिकाव्य गेय होता है जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। गीति–काव्य में काव्य की अपेक्षा संगीत की ही मात्रा अधिक होती है। कारण यह है कि गीति काव्य का उद्देश्य आत्म कल्याण

और परमानंद की प्राप्ति करना है और इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है संगीत।

आचार्य नेमिचन्द्र शास्त्री ने संस्कृत गीति काव्यों की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है :–

1. विषय की विविधता – शृंगार, नीति, वैराग्य, प्राकृतिक दृश्य आदि विविध विषयों का चित्रण।
2. विधागत वैशिष्टय – प्रबंध और मुक्तक रचनाओं का समावेश।
3. छन्दोजन्य नाद, मार्धुय – गेयता।
4. कलासौंदर्य और भावसौंदर्य का सामञ्जस्य।
5. प्रकृति चित्रण।
6. प्रेम और शृंगार परक गीतियों का बहुल्य।
7. सामञ्जस्यपूर्ण अनुभूति।
8. सूक्ष्म संवेदन।
9. चर्वणा प्रक्रिया का समावेश।
10. रसात्मकता।
11. भावानुकूल वातावरण।
12. स्वच्छन्तावाद का स्पर्श।
13. सुकोमल भावना।
14. विचारों में एकरूपता।
15. भाषागत माधुर्य और चित्रात्मकता।

उपर्युक्त विशेषताओं में से रसात्मकता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सभी गीति काव्यों में रसोद्भावन अनिवार्य तत्व है। मुख्य रूप से शृंगार, नीति, विरह, भक्ति, ऋतुवर्णन, देवस्तुति आदि में से किसी एक विषय को चुनकर उसे संवेगात्मक अभिव्यक्ति दी गई है।

उपर्युक्त विषयों में शृंगार, करूण तथा शांत रस की निष्पत्ति होती है।

शृंगार के अंतर्गत संयोग और विप्रलम्भ दोनों रसों की पुष्टि हुई है।

अमरुक शतक में संयोग शृंगार प्रधान गीति काव्य है तो मेघदूत विप्रलम्भ शृंगार प्रधान। शांत रस के अंतर्गत भक्ति, माधुर्य और वैराग्य मूलक गीति काव्यों को रखा जाता है। मातृभूमि की वन्दना आदि में 'ईषद् वीर' रस वाली गीतियाँ वर्तमान युग में आ गई हैं।

संस्कृत गीति काव्यों में भाषा और भाव का समन्वय होता है। गीति काव्य जैसे गीतगोविंद (जयदेव) तो कोमल–कांत पदावली से सदैव आछन्न रहते हैं।

'गीतिकाव्य की दृष्टि से संस्कृत के गीति काव्य' के निम्नलिखित भेद हैं :–

1. परोक्षानुभूति परक गीति काव्य।
2. स्वानुभूतिपरक या आत्मानुभूति परक गीति काव्य।
3. एक भावान्वित दीर्घबन्ध गीति काव्य।
4. तालबद्ध गीति काव्य।
5. स्तुतिपरक गीति काव्य।

6. स्वच्छन्द गीति काव्य।

परोक्षानुभूति परक गीति काव्य से तात्पर्य है – स्वयं को परोक्ष में रख कर स्वमनोनीत पात्रों के द्वारा, स्वगत भावों का प्रकाशन। जो कवि के परहृदय स्थित सुखदुःखात्मक भावों के साथ आत्मीयता स्थापित करने में सफल होता है, वही वास्तविक गीतकार होता हैं। परोक्षानुभूति का सफल अंकन ही सत्कवित्व की कसौटी है।

'आत्मानुभूति परक गीतिकाव्य' में कवि हृदय का सम्बन्ध स्वयं की अनुभूतियों से रहता है। इसमें सत्यता का तत्व अधिक होता है। परानुभूति को स्वानुभूति के रूप में परिणत करने में सक्षम, कवि ही 'वाणिपुत्र' की संज्ञा को प्राप्त होता है।

एक 'भावान्वित दीर्घबन्ध गीति काव्य' के अन्तर्गत महाकवि विल्हण विरचित 'चोर पञ्चाशिका' के सदृश रचनाएँ आती हैं।

'तालबद्ध गीति काव्य' के अन्तर्गत 'गीत गोविन्द' गीतवीतराग सदृश रचनाओं का समावेश है।

'स्तुतिपरक गीति काव्य' में स्तोत्र काव्य की गणना होती है यथा सूर्यशतक, चण्डीशतक आदि।

'स्वच्छन्द गीति काव्यों' में भर्तृहरि, अमरूक आदि की गणनाएँ की जाती है।

संस्कृत गीति–काव्य में शतकों की एक स्वतंत्र विधा है, जिसकी अपनी सुदीर्घ परम्परा है। शतक काव्य के प्रारम्भिक स्वरूप हमे वैदिक संहिताओं में मिलते हैं तथा इनके अतिरिक्त भी यत्र–तत्र हमें शतक काव्य के स्फुट संकेत मिलते हैं, परंतु लौकिक संस्कृत साहित्य में पृथक् रूप से शतक काव्य लिखने की परंपरा के सूत्रपात के कर्त्ता, द्वितीय शती के 'जैनाचार्य समन्तभद्र' को माना जाता है। जैन संस्कृत काव्य के आदि प्रणेता आचार्य समन्तभद्र संस्कृत शतक काव्य परंपरा के आदि कवि हैं। आपका समय ईसा की द्वितीय शताब्दी है।

'जिन शतक' के रूप में संस्कृत काव्य परम्परा को आपने एक नवीन विधा प्रदान की।

जब तक महाकवि अमरूक और भर्तृहरि के काल का स्पष्ट निर्धारण नहीं हो जाता तब तक हम यह प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकते कि पृथक रूप से शतक–काव्य रचना द्वितीय शती से ही प्रारम्भ हुई। ध्वनिवादी आचार्य आनन्दवर्धन (850 ई0) के उल्लेख से हम अमरूक की केवल उत्तरी सीमा ही निर्धारित कर सकते है। डॉ. भोला शंकर व्यास अमरूक को भर्तृहरि का समकालिक मानते हैं, और भर्तृहरि का काल असन्दिग्ध है। दिङनाग के प्रमाण समुच्चय और त्रैकाल्य परीक्षा में वाक्यपदीय का उपयोग किया है और दिङनाग का समय 385 – 425 ई. के लगभग माना जाता है। अतः वाक्यपदीय इससे पूर्व की रचना है। ऐसा ही विचार मुनि जम्बुविजय का भी है। कवि भर्तृहरि के विषय में डी. डी. कोसांबी का भी यही मत है, कि वह सातवीं सदी से पूर्ववर्ती रहे अतः यह सम्भावना व्यक्त की जा सकती है कि भर्तृहरि ने शतकों की रचना 345 ई. से पूर्व अर्थात् द्वितीय शती से पूर्व में की हो।

उपर्युक्त विवेचन के बाद प्रथम शतक रचना का समय निर्धारित करना विवादास्पद है, तथापि सामान्यतः हम शतक काव्य लिखने का प्रचलन द्वितीय सदी से प्रारंभ हुआ मान सकते हैं क्योंकि द्वितीय शती से पूर्व हमें कोई भी शतक–काव्य पृथक रूप से दिखाई नहीं देता जिन शतक के बाद ही पृथक शतक काव्य लिखने का प्रचलन प्राप्त होता है।

अतः जिन शतक को ही प्रथम संस्कृत काव्य कह सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. शब्दकल्पद्रुम्।
2. Editoraial notes on the His. of Skt. Lite peg. 669
3. Editorial note on the history of Sanskrit literature. Dr. S. N. Dus Gupta.
4. साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ (7/329–330)
5. आधुनिक संस्कृति साहित्य, हीरालाल शुक्ल, पृष्ठ – 89
6. ऋग्वेद 8–32–1, 8–71–14
7. वैदिक साहित्य का इतिहास, आचार्य बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ. 278
8. वैदिक साहित्य और संस्कृति का स्वरूप, डॉ० ओमप्रकाश पाण्डेय, पृष्ठ–225

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 162-164

डिजिटल साक्षरता से ग्रामीण क्षेत्र का विकास

डॉ. अंजली कुमारी

सारांश :-

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरूआत केंद्र सरकार ने 2015 में की। सरकार ने इसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए नौ स्तम्भ – ब्रॉडबैंड हाइवे, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुँच, ई–गवर्नेस के माध्यम से सरकार में सुधार, सभी के लिए सूचना, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, आईटी और अर्लीहार्वेस्ट कार्यक्रम नौकरियों के लिए तैयार किए। इन सभी स्तम्भ की सहायता से सरकार के तीन मुख्य उद्देश्यों– मांग आधारित सेवाओं को उपलब्ध कराने, नागरिकों के लिए उपयोगी अवसंरचना निर्मित करना और नागरिकों के लिए डिजिटल सशक्तीकरण को साधने की कोशिश कर रही हैं। इस प्रकार डिजिटल पहचान पर बल देना, सभी पंचायतों तक उच्च गति का इंटरनेट पहुँचाना, वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल सक्षमता मोबाइल की सहायता से प्रदान करने तथा एक उपयोगी अवसंरचना विकास पर कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बल दिया गया। नागरिकों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया।

डिजिटलीकरण के माध्यम से केन्द्र सरकार ने शहर और गाँव के बीच की खाई को कम करने का रास्ता अपनाया। जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के बहुआयामी विकास को लक्षित किया गया। जिससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में विकास देखा जा सकता हैं।

शब्द कुंजी :- डिजिटल साक्षरता, डिजिटलीकरण, डिजिटल सशक्तीकरण।

प्रस्तावना :-

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के वक्तव्य यह आई टी है जिसमें देश के प्रत्येक लोगों को जोड़ने की क्षमता हैं। हम डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के आध्यन से एकता के मंत्र को साकार करना चाहते हैं। 01 जुलाई 2015 को सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान की शुरूआत की गयी जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण भारत को डिजिटल रूप से बदलना हैं। सरकारी विभागों और राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के एकीकरण के द्वारा डिजिटल रूप से सशक्त भारतीय समाज के लिए योजनानुसार पहल है। भारत के लोगों के लिए आसान पहुँच पर सभी सरकारी सेवा उपलब्ध कराने के लिए इस देश का डिजिटर्लाइजेशन करना मुख्य कारण है।

इस मूर्त रूप देने के लिए केन्द्र सरकार ने इसे नौ आधार स्तम्भ ब्रॉडबैंड हाइवे, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस

कार्यक्रम मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुँच, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, ई–गवर्नेस के माध्यम से सरकार में सुधार, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सभी के लिए सूचना, नौकरियों के लिए आईटी और अर्लीहार्वेस्ट कार्यक्रम तैयार किए।

इन सभी कारणों की सहायता से सरकार का मुख्य उद्देश्य – उपयोगी अवसंरचना नागरिकों के लिए निर्मित करना, नागरिकों के लिए डिजिटल सशक्तीकरण, माँग आधारीत सेवाओं को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही सभी पंचायतों में उच्च गति का इंटरनेट कनेक्टिविटी, वित्तीय क्षेत्र में मोबाइल की सहायता से डिजिटल सक्षमता प्रदान करना तथा सी0 एस0 सी0 (CSC) खोलने के माध्यम से एक उपयोगी संरचना विकास पर बल दिया गया।

इस क्षेत्र में देखे तो ई–क्रांति के माध्यम से नवाचार शुरू किए गए। जिससे अधिकांश ग्रमीण भारत को लाभ मिले। सबसे पहले ई–एजुकेशन के माध्यम से सर्व शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की गई। स्कूल एंव कॉलेज को इंटरनेट से कनेक्ट की पहल शुरू की गई। जिससे डिजिटल साक्षरता को आगे बढाया जा सके। जिसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेंत्रों में आँगनवाडी तथा आशा कार्यकर्त्ताओं, राशन डीलरों को सामान्य सूचना प्रौघोगिकी का ज्ञान तथा प्रशिक्षण दिया जाता हैं।

भारत जैसे विकासशील, तथा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ग्रामीण कृषक अर्थव्यवस्था में तकनीकी नवाचार से परिवर्तन लाया जा सकता हैं। हालाँकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को नीतिगत स्तर पर विकास के एक उपकरण के रूप में अपनाया जाता है। केन्द्र सरकार ने कुछ ऐसे प्रयास किए हैं।

रा□ट्रीय कृ□ा बाजार :–

यह पोर्टल एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार हैं। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराना है जिससे किसानों को सर्वोत्तम लाभ मिल सके। जिसके तहत अधिकांश मंडियों को जोड़ा जा चुका हैं। सरकार के इस योजना को एग्री टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AITF) से वित्त की सहायता प्राप्त होता हैं। इस पहल से कृषि आय को बढाने का काम किया हैं।

रा□ट्रीय कृ□ा विस्तार और प्रौघोगिकी मिशन :–

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) के प्रायोजन यह केन्द्र सरकार की एक योजना हैं। जिसके अंतर्गत बीज एंव पौधारोपण सामाग्री पर उप मिशन (SMSP), कृषि यंत्रीकरण उप मिशन (SMAM), पौधा संरक्षण पर उप मिशन (SMPP) जैसे अनेक मिशन संचालित किए है।

कृ□ा विज्ञान केंद्र :–

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ये केंद्र चलाए जाते हैं। ग्रामीण युवाओं और किसानों के कौशल विकास इन केंद्रो के माध्यम से प्रशिक्षण पर बल दिया जाता हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कृषि क्षेत्र में स्पष्ट भूमिका हैं। लेकिन जब हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो यह एक ऐसा जगह है जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपनी महत्व भूमिका निभा सकता है। गाँव से शहर की ओर लोग बेहतर चिकित्सा के लिए एक बड़ी संख्या में पलायन करते हैं। इस समय उन्हें अनेक कठिनताओं

का सामना करना पड़ता हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान में विज्ञान एवं तकनीक की उपयोगिता देखी जा सकती हैं। इसके अलावा, सरकार ने अनेक कदम उठाए जिससे ग्रामीण भारत को बदल सकें।

संदर्भ :-

1. कुरूक्षेत्र (फरवरी 2022) : पत्रिका, सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ0 स0 14
2. कुरूक्षेत्र (नवंबर 2022) : पत्रिका, सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ0 स0 39, 40
3. www.gogle.com
4. इंटरनेट व अंतरजाल से उपलब्ध।
5. योजना, मार्च 2021

ईमेल - anjalisingh.ktr1@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 165–168

कालिदास साहित्य में पर्यावरण चेतना

रागिनी शुक्ला
संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

सारांश :–

पर्यावरण शब्द का अर्थ है चारों ओर से आवरण। ये पांच महाभूत हैं– क्षिति, जल, अग्नि, आकाश एवं वायु। ये पांच महाभूत प्रकृति में व्याप्त हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिये प्रकृति एवं मानव के बीच सन्तुलन आवश्यक है। मानव पर्यावरण से ही पोषित एवं पालित है। मानव जीवन के विकास के सभी गुण प्रकृति में पहले से ही विद्यमान हैं पर्यावरण की शुद्धता के लिये प्रकृति के साथ स्नेह अत्यन्त अनिवार्य है। प्रकृति में पर्यावरण के पांच साधन हैं– स्थल–मण्डल, जल–मण्डल, वायु–मण्डल, तेजो–मण्डल, नभो–मण्डल।

स्थल–मण्डल में भूमि माता की तरह पालन पोषण करती है। जिस प्रकार मां शिशु को दुग्ध पान करा कर उसका पोषण करती है उसी प्रकार भूमि, अन्न, जल, वायु वनस्पति ये तीनों साधन भूमि अर्थात् पृथ्वी के उपसाधन हैं। अथर्ववेद पृथ्वी को हमारी माता और हमें उसका पुत्र कहा गया है।

माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्या।[1]

इन पांचो साधनों के माध्यम से पर्यावरण का विस्तृत वर्णन शोधपत्र में किया गया है।

पर्यावरण शब्द परि आवरण से मिलकर बना है जिसका अर्थ है चारों ओर से आवरण। परितः आव्रियन्ते आच्छाद्यन्ते जलादीनि पञ्चतत्वानि सामाजिक–नैतिक–विचाराः वा यस्मिन् तत् पर्यावरणम् अर्थात् जिसमें चारों ओर से आकाश जल वायु आदि पञ्चतत्व अथवा सामाजिक नैतिक विषयों से सम्बन्धित विचार आवृत रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। हमारे शरीर की सृष्टि पञ्चमहाभूतों के सन्तुलन से हुई है इसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड़ की सृष्टि भी इन्ही से हुई है। अतएव कहा गया है– यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे। ये पांच महाभूत हैं– क्षिति, जल, अग्नि, आकाश एवं वायु। ये पांच महाभूत प्रकृति में व्याप्त हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिये प्रकृति एवं मानव के बीच सन्तुलन आवश्यक है।

मानव पर्यावरण से ही पोषित एवं पालित है। मानव जीवन के विकास के सभी गुण प्रकृति में पहले से ही विद्यमान हैं पर्यावरण की शुद्धता के लिये प्रकृति के साथ स्नेह अत्यन्त अनिवार्य है।

जननी के सदृश प्रकृति ने मनुष्य को स्नेह एवं ममता के आगोश में सदा से बांधे रखा है। प्रकृति से सर्वस्व प्राप्तकर मनुष्य स्वस्थ जीवन व्यतीत करता आ रहा है परन्तु वर्तमान स्थिति ऐसी हो गयी है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया जाने लगा है आधुनिक तकनीकि का अतिशय प्रयोग कर

1. अथर्ववेद–12–1–12

प्रकृति का निर्ममतापूर्वक मानव के द्वारा शोषण किया जाने लगा है। खनिज पदार्थों का दोहन प्रदूषण की उत्पत्ति का कारण बन चुका है। जंगलों का क्षरण और जीव–जन्तुओं के व्यापक संहार से पर्यावरण में असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जिसके परिणाम स्वरूप हम प्रकृति के कोप के भाजन बन गये हैं। प्रकृति के साथ विरोध से हमारा जीवन अधःपतन की ओर उन्मुख होता जा रहा है। मातुः स्वरूपा वत्सलप्रदात्री प्रकृति की गोद में बैठकर ही हम अपना जीवन स्वस्थ एवं सुरक्षित बना सकते हैं।

प्रकृति में पर्यावरण के पांच साधन हैं– **स्थल–मण्डल, जल–मण्डल, वायु–मण्डल, तेजो–मण्डल, नभो–मण्डल।**

स्थल–मण्डल में भूमि माता की तरह पालन पोषण करती है। जिस प्रकार मां शिशु को दुग्ध पान करा कर उसका पोषण करती है उसी प्रकार भूमि, अन्न, जल, वायु वनस्पति ये तीनों साधन भूमि अर्थात् पृथ्वी के उपसाधन हैं। अथर्ववेद पृथ्वी को हमारी माता और हमें उसका पुत्र कहा गया है।

माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्या।
नमो मात्रे पृथिव्यै। नमो मात्रे पृथिव्यै।[2]

पृथ्वी अनेकानेक औषधियों एवं वनस्पतियों को धारण करती है, जिन्हें हम प्राप्त करते हैं अथर्ववेद में कहा गया है :–

यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे।
इमां खनाम्योषधि वीरूधां बलवत्तमाम्।[3]

पृथ्वी, शिला, पत्थर और पांसु से निर्मित है। इसके अन्दर सुवर्ण आदि हैं।

शिला भूमिरश्मा पांसुः सा भूमिः सन्धृता धृता।
तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या आकरं नमः।[4]

पृथ्वी की समस्त सम्पदा मानव के सुखी जीवन के लिये परिस्थितियां उपलब्ध कराती है। पृथ्वी अन्न से जल से, वनस्पतियों से खनिज वस्तुओं से हमारा पालन पोषण करती है किन्तु हम उसे विभिन्न प्रकार से प्रदूषित करते हैं– खेतों की उपजाऊ मिट्टी को, कीटनाशक पदार्थों से नगरों में घर के कूड़ा कर्कट से मानव के मल–मूत्रादि से।

इस प्रदूषण को रोकने के लिये अनेक विधियां हैं– **भस्म विधि, पुनश्चक्रीकरण विधि, भंजक, आसव विधि व्यवसायिक मुक्तीकरण विधि आदि।**

पर्यावरण संरक्षण आज हमारा मुख्य चिन्तनीय विषय है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिये प्रकृति एवं मानव के बीच सन्तुलन आवश्यक है।

कालिदास ने शिव की अष्टमूर्तियों के माध्यम से विश्व पर्यावरण के समस्त जैविक– अजैविक कारकों का सारगर्भित निरूपण किया है आठ तत्वों का पर्यावरणीय महत्त्व कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तलम् के नान्दी पद्य में प्रकट किया है :–

---

2. अथर्ववेद–12–1–13
3. अथर्ववेद–5–25–2
4. अथर्ववेद–3–18–1

या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुत या हविर्या च होत्री।
ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणाः या स्थिता व्याप्यविश्वम्।।
यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः।
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः।।[5]

इस पद्य में जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चन्द्र, आकाश, पृथ्वी वायु इन आठ मूर्तियों के रूप में साक्षात् विद्यमान ईश (शिव) की प्रार्थना रक्षा के लिये की गयी है। इन आठ शरीरों द्वारा शिव समस्त शिव को धारण करते हैं। कालिदास ने जल को आदि सृष्टि कहा है। वस्तुतः जल से ही जीवन का प्रारम्भ हुआ है ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त में सर्वव्यापी जल में सगर्भता का कथन कर जल में बीज रूप में जीवन की सम्भावना व्यक्त की गयी है।

जीवन के प्रारम्भिक मूलाधार स्वरूप जल को प्रत्यक्ष शिवमूर्ति कहा गया है।

विधिपूर्वक हवन की गयी यज्ञ सामग्री वहन करने वाली यज्ञीय अग्निमूर्ति यज्ञ के महत्त्व प्रतिपादन के साथ ही मानव नियन्त्रित अग्नि तत्व की उपादेयता पर बल देती है। अग्नि, प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा का प्रतीक है। आकाश सभी पदार्थों के भीतर बाहर व्याप्त रहता है। सर्वबीज प्रकृति स्वरूपा पृथ्वी समस्त बीजों का उत्पत्ति–स्थल है। अथर्ववेद में इसे वनस्पति का ध्रुव आधार कहा गया है :–

यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा।
पृथिवीं विश्वधायसं धृतामच्छावदामसि।।[6]

पर्यावरणीय प्रभाव की दृष्टि से पृथ्वी की उर्वरता उसका सबसे विशिष्ट गुण है। जिस पर वनस्पति जीव–जन्तु एवं मानव सबका जीवन निर्भर करता है।

वायु की जीवनदायिनी शक्ति उसकी सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता है। ऋग्वेद में वायु को स्वास्थ्य दीर्घायु, प्रदाता एवं प्राणदायक कहा गया है।

वात आ वातु भेषजं शंभु मयोभु नो हृदे प्रण आयुंषि तारिषत।[7]

काल पर्यावरण का एक प्रमुख अंग है। दिन और रात के वर्ग में बांटने वाले सूर्य–चन्द्र भी अष्टमूर्ति में आते हैं। ऋतु परिवर्तन का मूल कारण सूर्य ही है। वनस्पतियों के विकास के लिये रात्रि भी आवश्यक क्योंकि रात्रि में पेड़ पौधे जीवनोपयोगी आक्सीजन ग्रहण करते हैं।

सृष्टि तत्वों की अन्योन्यता और परस्पर उपकार अष्टमूर्ति के सभी तत्वों की परस्परापेक्षी क्रियाशीलता के द्वारा कारकों के अन्योन्याश्रयिता को प्रकट किया गया है।

कलितान्योन्यसामर्थ्ये पृथिव्यादिरात्मभिः।
येनेदं ध्रियते विश्वं धुर्यैर्यानमिवाध्वनि।।[8]

इन आठ तत्वों के मिल–जुल कर कार्य करने से ही सृष्टि के रथ का संचालन होता है। पर्यावरण के

5. अभिज्ञानशाकुन्तलम्–1–1
6. अथर्ववेद–12–1–26
7. ऋग्वेद–10–121–7
8. ऋग्वेद–1–143–3

सभी तत्व सहज रूप से परस्पर परोपकार करते हुए समृद्ध होते हैं। यही पर्यावरण की स्वतः नियन्त्रण क्षमता का मूल मन्त्र है ।

कुमारसम्भव में पार्वती स्वयं ही सेचन घटों से वृक्षों को सींचती है। पुत्र कार्तिकेय का जन्म हो जाने पर भी उनका वात्सल्य वृक्षों और पौधों के प्रति कम नहीं हुआ था।

वृक्ष को पुत्र मानकर उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं :–

अमुं पुरः पश्यसि देवदारूं पुत्रीकृतो सौ वृषभध्वजेन।
यो हेमकुम्भस्तन निःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः।।[9]

इसलिये राजा रघु कौत्स ऋषि से आश्रम के वृक्षों की कुशलता अपने पुत्र की भांति पूछते हैं :–

आधारबन्धः प्रमुखैः प्रयत्नैः संवर्धितानां सुतनिर्विशेषम्।
काच्चिन्न वाप्यादिरूपप्लवो वः श्रमाच्छिदामा श्रमपादपानाम्।।[10]

इस प्रकार प्राचीन भारतीय परम्परा में साहित्य सर्जकों की लेखनी न केवल पर्यावरण को लेकर अपितु सद् असद् के विवेक पथ पर सदैव ही चलती रही है। उस विवेक का अनुकरण करना मानव के विवेक पर निर्भर करता है। परन्तु पर्यावरण की वर्तमान स्थिति दर्शाती है कि मनुष्य की विवेक बुद्धि उस विवेक पथ का अनुकरण नहीं कर रही है जिसका परिणाम वर्तमान में भयावह सिद्ध हो रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. अभिज्ञानशाकुन्तल– कपिलदेव द्विवेदी, रामनारायणलाल विजय कुमार, कटरा रोड इलाहाबाद।
2. अभिज्ञानशाकुन्तल– श्री नवलकिशोर शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी।
3. अभिज्ञानशाकुन्तलम्– सुबोधचन्द्र पन्त, मोतीलाला बनारसीदास, वाराणसी।
4. रघुवंशम्– श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी।
5. कुमारसम्भव– प. प्रद्युम्न पाण्डेयः, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी।
6. ऋग्वेद – संस्कृति संस्थान बरेली, उत्तर प्रदेश।
7. ऋग्वेद संहिता, भाषा भाष्य, वनस्थली राजस्थान, 1984।
8. अथर्ववेद– द्वादश काण्ड, प. क्षेमकरणदास त्रिवेदी, प्रयागनगर ओङ्कारमन्त्रालय।
9. अथर्ववेद, दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारदी।
10. ऋग्वेद संहिता, दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारदी 1985।
11. कालिदासग्रन्थावली– रामप्रताप त्रिपाठी, किताब महल प्राइवेट लिमिटेड़।
12. संस्कृत साहित्य का इतिहास, उमाशंकर शर्मा ऋषि, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी।

9. कुमारसम्भव–6–76

10. रघुवंशम्–2–8

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 169–171

अरावली क्षेत्र की संगीतमय परंपराएँ : सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

डॉ. अंशु वर्मा
सहायक आचार्य, संगीत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

सारांश :–

अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आने वाले राजस्थान क्षेत्र की लोकसंगीत परंपराएँ अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण हैं। ये परंपराएँ केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में फड़ परंपरा (विशेषतः देवनारायण, पाबूजी, गोगाजी, रामदेवजी एवं माताजी की फड़), पानिहारी गीत, मांड गायन, पारंपरिक लोकवाद्य और मौखिक परंपरा के माध्यम से लोकसंगीत के संरक्षण, प्रचार–प्रसार और उसके सामाजिक–सांस्कृतिक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन अरावली क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर की निरंतरता एवं लोकगायक परंपरा की सामाजिक उपयोगिता को रेखांकित करता है।

1. परिचय :–

राजस्थान के अरावली क्षेत्र को लोक संगीत की दृष्टि से एक जीवंत संग्रहालय कहा जा सकता है। यहाँ की भौगोलिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत ने जनजीवन में ऐसे सांस्कृतिक तत्वों को जन्म दिया है जो आज भी जीवंत हैं। संगीत, नृत्य, कथा गायन और धार्मिक अनुष्ठान इस क्षेत्र की जीवन शैली में रचे–बसे हैं। यह आलेख उन लोकसंगीत परंपराओं का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को निर्मित करती हैं।

2. फड़ परंपरा : एक जीवंत चित्रकथा गायन :–

फड़ परंपरा राजस्थान की अद्वितीय चित्रकथा शैली है जिसमें चित्रित कपड़े पर लोकदेवताओं की कथाएँ संगीतमय ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं। यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि यह सामुदायिक संवाद का माध्यम भी है।

2.1 देवनारायण जी की फड़ :–

देवनारायण जी को विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। इनकी फड़ सबसे प्राचीन और विस्तृत मानी जाती है। इसका गायन दो भोपों द्वारा जंतर वाद्य के साथ किया जाता है। यह परंपरा मुख्यतः गुर्जर समुदाय में प्रचलित है।

2.2 पाबूजी की फड़ :–

पाबूजी मारवाड़ के वीर लोकदेवता हैं। इनकी फड़ रावणहत्था वाद्य के साथ प्रस्तुत की जाती है और इसमें उनके वीरता और लोककल्याण के प्रसंगों को दर्शाया जाता है।

2.3 गोगाजी की फड़ :–

गोगाजी, जिन्हें 'जाहर पीर' भी कहा जाता है, सर्प देवता के रूप में पूजनीय हैं। इनकी फड़ सर्पदंश से सुरक्षा और लोक विश्वास की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है।

2.4 रामदेवजी की फड़ :–

रामदेवजी की फड़ विशेषकर हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है। चमार, बलाई, भाभी एवं दाढ़ी समुदायों में इसका विशिष्ट स्थान है।

2.5 माताजी की फड़ :–

माताजी या भैंसासुर की फड़ मुख्यतः पूजा हेतु घरों में स्थापित की जाती है, मंचीय प्रस्तुति इसके अंतर्गत नहीं होती।

3. पाणिहारी गीत : जीवन और जल का संगम :–

स्त्रियों द्वारा जल लाते समय गाए जाने वाले पानिहारी गीत राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर हैं। ये गीत स्त्री जीवन की पीड़ा, सौंदर्य, आशा और सामाजिक संवाद को स्वर देते हैं। इन गीतों में जल एक प्रतीक के रूप में उभरता है – जीवन, प्रेम और संघर्ष का।

4. मांड गायन : रागात्मक लोकधारा :–

मांड एक अर्द्धशास्त्रीय लोक राग है जो भक्ति, श्रृंगार और विरह भाव को संजोता है। "केसरिया बालम पधारो म्हारे देश..." जैसे गीतों ने इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। मांड गायन में स्वर और लोकलय का अद्‌भुत मेल होता है।

5. पारंपरिक लोक वाद्य : ध्वनि की आत्मा :–

अरावली क्षेत्र में प्रयोग होने वाले लोकवाद्य, न केवल ध्वनि के स्रोत हैं बल्कि वे जातीय अस्मिता और सांस्कृतिक उत्तराधिकार के संवाहक भी हैं :–

कमायच्चा : मंगणियार जाति द्वारा प्रयोग किया जाने वाला तंतु वाद्य।

रावणहत्था : फड़ गायन में उपयोग किया जाने वाला प्रमुख वाद्य।

चंग, ढोल, खंजरी, मुरली : सामूहिक उत्सवों, मेलों और नृत्य प्रस्तुतियों में प्रयुक्त वाद्य।

6. मौखिक परंपरा और संरक्षण के प्रयास :–

गुरु–शिष्य परंपरा, निरंतर अभ्यास और स्मृति आधारित परंपराओं ने अरावली क्षेत्र की संगीत परंपरा को जीवित रखा है। पद्म भूषण कोमल कोठारी जी का योगदान इस दिशा में अत्यंत सराहनीय है। उनकी संस्थागत पहल और फील्ड रिसर्च ने इन परंपराओं को विश्वस्तरीय पहचान दिलाई।

7. सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव :–

लोकपरंपराएँ केवल सांस्कृतिक नहीं होतीं, वे सामाजिक चेतना और संवाद का माध्यम भी होती हैं। इन संगीत परंपराओं ने महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण चेतना, और लोकसंवाद को नया आयाम दिया है। विश्वविद्यालयों

एवं अकादमिक संस्थानों में इनके संरक्षण हेतु विविध प्रयास हो रहे हैं।

निष्कर्ष :-

अरावली क्षेत्र की संगीतमय परंपराएँ सांस्कृतिक आत्मा की तरह हैं। इनकी मौखिक परंपरा, जीवंतता और सामाजिक संवाद क्षमता इन्हें विशिष्ट बनाती है। आज के वैश्वीकरण और डिजिटलीकरण के दौर में इन परंपराओं का दस्तावेजीकरण, अनुसंधान और संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। संगीत केवल ध्वनि नहीं, संस्कृति का संवाहक है – और अरावली की यह संगीत धरोहर हमारी पहचान की सशक्त अभिव्यक्ति है।

संदर्भ सूची :-

1. भार्गव, उमेश – भोपा लोकगीत एवं सामाजिक संरचना, पृ. सं. 120
2. श्री आनंदाराम – बगड़ावत भारत, पृ. सं. 15
3. भानावत, महेन्द्र – पाबूजी की फड़, पृ. सं. 12
4. जोशी, कल्याण – फड़ चित्रकार कलाकार, भीलवाड़ा (साक्षात्कार), 17 मई 2023
5. भोपा फूलाराम – फड़ गायक कलाकार, भीलवाड़ा (साक्षात्कार), 30 मई 2023.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 172-180

नई कहानी आंदोलन में मोहन राकेश की भूमिका और उनकी कहानियों का शिल्प : एक अनुशीलन

डॉ. विनोद कुमार
सहायक आचार्य – हिन्दी साहित्य, विद्या संबल योजना, राजकीय महाविद्यालय, श्रीकरणपुर।

शोध सार :-

नई कहानी आंदोलन (1950–1960) हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने यथार्थवादी दृष्टिकोण और व्यक्तिगत संवेदनाओं को केंद्र में लाकर कहानी विधा को नई दिशा दी। इस आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक मोहन राकेश ने अपनी कहानियों के माध्यम से मध्यमवर्गीय जीवन की जटिलताओं, मनोवैज्ञानिक गहराई और सामाजिक परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया। यह शोध पत्र नई कहानी आंदोलन में मोहन राकेश की भूमिका का विश्लेषण करता है और उनकी कहानियों के शिल्प कथानक, पात्र चित्रण, भाषा, और प्रतीकात्मकता का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है। राकेश की कहानियाँ जैसे मलबे का मालिक, एक और जिंदगी, मिस पाल, और उसकी रोटी मध्यमवर्गीय समाज की आकांक्षाओं, निराशाओं और मानवीय संबंधों की पड़ताल करती हैं। यह पत्र राकेश की कहानियों के शिल्प को नई कहानी के सिद्धांतों के संदर्भ में जांचता है और उनके योगदान को समकालीन साहित्य में स्थापित करता है। शोध का निष्कर्ष है कि राकेश ने नई कहानी आंदोलन को न केवल सैद्धांतिक बल्कि रचनात्मक स्तर पर भी समृद्ध किया, जिससे हिंदी कहानी विधा का आधुनिक स्वरूप विकसित हुआ।

मुख्य शब्द :- नई कहानी आंदोलन, मोहन राकेश, नई कहानी, मध्यमवर्गीय समाज, कहानी, शिल्प, यथार्थवाद, मनोवैज्ञानिक चित्रण।

प्रस्तावना :-

हिंदी साहित्य में 1950 के दशक में नई कहानी आंदोलन ने कहानी विधा को एक नया आयाम प्रदान किया। यह आंदोलन स्वतंत्रता के बाद के भारत में सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रतिबिंब था, जो परंपरागत आदर्शवाद और रोमांटिकता से हटकर यथार्थवादी और व्यक्तिगत अनुभवों पर केंद्रित था। नई कहानी ने मध्यमवर्गीय समाज की जटिलताओं, व्यक्तिगत संवेदनाओं, और आधुनिक जीवन की विडंबनाओं को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। इस आंदोलन के प्रमुख रचनाकारों मोहन राकेश, कमलेश्वर, और राजेंद्र यादव ने कहानी को सामाजिक चेतना और मनोवैज्ञानिक गहराई का माध्यम बनाया। मोहन राकेश (1925–1972) नई कहानी आंदोलन के सैद्धांतिक और रचनात्मक दोनों स्तरों पर एक केंद्रीय व्यक्तित्व थे। उनकी कहानियाँ

मध्यमवर्गीय जीवन की सूक्ष्म संवेदनाओं, सामाजिक परिवर्तनों, और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को चित्रित करती हैं। राकेश ने न केवल कहानियाँ लिखीं, बल्कि पत्रिका सारिका के संपादन और साहित्यिक विमर्शों के माध्यम से नई कहानी के सिद्धांतों को भी आकार दिया। उनकी कहानियों का शिल्प कथानक की संरचना, पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण, संवादों की स्वाभाविकता, और प्रतीकात्मकता नई कहानी की विशेषताओं का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह शोध पत्र नई कहानी आंदोलन में मोहन राकेश की भूमिका और उनकी कहानियों के शिल्प का गहन अनुशीलन प्रस्तुत करता है। यह पत्र चार मुख्य खंडों में विभाजित है : (1) नई कहानी आंदोलन का परिचय और इसका सामाजिक संदर्भ, (2) मोहन राकेश की नई कहानी आंदोलन में भूमिका, (3) उनकी कहानियों का शिल्प और विश्लेषण और (4) राकेश के योगदान का मूल्यांकन। पत्र का उद्देश्य राकेश की कहानियों को नई कहानी के सैद्धांतिक ढांचे में विश्लेषित कर उनके साहित्यिक महत्त्व को रेखांकित करना है।

1. नई कहानी आंदोलन : परिचय और सामाजिक संदर्भ :–

नई कहानी आंदोलन 1950 के दशक में हिंदी साहित्य में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में उभरा। यह आंदोलन प्रेमचंद युग की सामाजिक सुधारवादी कहानियों और प्रगतिशील आंदोलन की विचारधारा से अलग था। नई कहानी ने व्यक्तिगत अनुभवों, मनोवैज्ञानिक गहराई और आधुनिक समाज की जटिलताओं को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। स्वतंत्रता के बाद भारत में शहरीकरण, औद्योगीकरण और मध्यमवर्गीय समाज का उदय इस आंदोलन की पृष्ठभूमि बना।

सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ : स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक सुधारों और शिक्षा के प्रसार ने मध्यम वर्ग को एक नई पहचान दी। शहरी मध्यमवर्गीय परिवारों में आर्थिक दबाव, व्यक्तिवाद का उदय और पारंपरिक मूल्यों का टकराव नई कहानी की रचनाओं का आधार बना। यह आंदोलन भारत–विभाजन की त्रासदी, सामाजिक असमानता, और आधुनिक जीवन की विडंबनाओं से भी प्रभावित था।

नई कहानी के सिद्धांत : नई कहानी ने यथार्थवाद को अपनाया, लेकिन यह प्रगतिशील आंदोलन की तरह विचारधारा–प्रधान नहीं थी। इसने व्यक्तिगत संवेदनाओं, मनोवैज्ञानिक चित्रण, और सूक्ष्म अनुभवों को महत्त्व दिया। कमलेश्वर ने इसे "जीवन की समग्रता" की खोज के रूप में परिभाषित किया, जबकि राजेंद्र यादव ने इसे "नए यथार्थ" की अभिव्यक्ति माना।

प्रमुख रचनाकार : मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, और भीष्म साहनी इस आंदोलन के प्रमुख रचनाकार थे। इनमें मोहन राकेश की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने न केवल कहानियाँ लिखीं, बल्कि साहित्यिक पत्रिकाओं और विमर्शों के माध्यम से नई कहानी को एक दिशा दी।

2. नई कहानी आंदोलन में मोहन राकेश की भूमिका :–

नई कहानी आंदोलन (1950–1960) हिंदी साहित्य में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक था, जिसने कहानी विधा को परंपरागत आदर्शवाद और विचारधारा–प्रधान लेखन से हटाकर यथार्थवादी, व्यक्तिगत, और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। स्वतंत्रता के बाद के भारत में सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में यह आंदोलन मध्यमवर्गीय समाज की जटिलताओं और व्यक्तिगत संवेदनाओं को केंद्र में लाया। मोहन राकेश (1925–1972) इस आंदोलन के एक केंद्रीय व्यक्तित्व थे, जिन्होंने न केवल अपनी रचनाओं के माध्यम से, बल्कि सैद्धांतिक विमर्श, संपादकीय कार्य, और साहित्यिक नेतृत्व के जरिए नई कहानी

को आकार दिया। उनकी भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से विस्तार से समझा जा सकता है।

2.1 सैद्धांतिक योगदान : न कहानी के सिद्धांतों को आकार देना :-

मोहन राकेश ने नई कहानी आंदोलन के सैद्धांतिक ढांचे को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने लेखों, निबंधों, और साहित्यिक विमर्शों के माध्यम से नई कहानी के उद्देश्यों और दिशा को स्पष्ट किया। निबंध कहानी – नई कहानी (1957) इस आंदोलन के सैद्धांतिक आधार को रेखांकित करता है। राकेश ने तर्क दिया कि नई कहानी को सामाजिक यथार्थ और व्यक्तिगत अनुभवों के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए, जो प्रेमचंद युग की सामाजिक सुधारवादी कहानियों और प्रगतिशील आंदोलन की विचारधारा–प्रधान रचनाओं से अलग हो। उन्होंने लिखा : "नई कहानी केवल सामाजिक समस्याओं का चित्रण नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति की कहानी है जो इन समस्याओं के बीच अपनी पहचान और संवेदनाओं को खोजता है।" यह दृष्टिकोण नई कहानी की आत्मा बन गया। राकेश ने जोर दिया कि कहानी को यथार्थवादी होना चाहिए, लेकिन यह यथार्थ केवल बाह्य परिस्थितियों तक सीमित नहीं होना चाहिए; इसमें व्यक्ति की आंतरिक दुनिया और मनोवैज्ञानिक जटिलताएँ भी शामिल होनी चाहिए।

इस संदर्भ में, उनकी कहानियाँ जैसे मलबे का मालिक और एक और जिंदगी इस सिद्धांत का व्यावहारिक रूप प्रस्तुत करती हैं। राकेश ने नई कहानी को एक ऐसी विधा के रूप में परिभाषित किया, जो "जीवन की समग्रता" को व्यक्त करे। कमलेश्वर और राजेंद्र यादव के साथ मिलकर उन्होंने नई कहानी के सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाया। जहाँ कमलेश्वर ने सामाजिक चेतना पर जोर दिया और यादव ने वैचारिक तीक्ष्णता को महत्त्व दिया, राकेश का योगदान व्यक्तिगत संवेदनाओं और मनोवैज्ञानिक गहराई को केंद्र में लाने में था। उनके इस दृष्टिकोण ने नई कहानी को एक व्यापक और समावेशी स्वरूप प्रदान किया, जो सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर प्रासंगिक था।

2.2 रचनात्मक योगदान : मध्यमवर्गीय संवेदनाओं का चित्रण :-

मोहन राकेश की कहानियाँ नई कहानी आंदोलन की विशेषताओं– यथार्थवाद, मनोवैज्ञानिक चित्रण, और मध्यमवर्गीय संवेदनाओं का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनकी रचनाएँ स्वतंत्रता के बाद के भारत में मध्यमवर्गीय समाज की आकांक्षाओं, निराशाओं और टूटते रिश्तों को चित्रित करती हैं। राकेश की कहानियाँ सामाजिक परिवर्तनों और व्यक्तिगत जीवन के बीच के तनाव को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती हैं।

मलबे का मालिक (1957) : कहानी भारत–विभाजन की त्रासदी को एक मध्यमवर्गीय व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से चित्रित करती है। नायक का अपने खोए हुए घर और अतीत से सामना नई कहानी के यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। कहानी में मलबे का प्रतीक न केवल भौतिक विनाश, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक विघटन को भी व्यक्त करता है।

एक और जिंदगी (1961) : कहानी शहरी मध्यमवर्गीय जीवन के अकेलेपन और अस्मिता की खोज को प्रस्तुत करती है। नायक की नीरस नौकरी और एक नई शुरुआत की चाहत आधुनिक समाज की विडंबनाओं को उजागर करती है। कहानी का खुला अंत नई कहानी की विशेषता को रेखांकित करता है, जो पाठक को विचार के लिए प्रेरित करता है।

मिस पाल : कहानी मध्यमवर्गीय महिलाओं की स्वतंत्रता और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच के तनाव को

चित्रित करती है। मिस पाल का चरित्र नई कहानी की लैंगिक संवेदनशीलता को दर्शाता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक दबावों के बीच संतुलन की खोज करता है।

उसकी रोटी : कहानी सामाजिक असमानता और मानवीय गरिमा की खोज को प्रस्तुत करती है। नायक का अपनी रोटी के लिए संघर्ष नई कहानी के मानवतावादी दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। राकेश की ये कहानियाँ मध्यमवर्गीय समाज की सूक्ष्म संवेदनाओं को चित्रित करती हैं। उनकी रचनाएँ न केवल सामाजिक यथार्थ को दर्शाती हैं, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक उथल–पुथल और मनोवैज्ञानिक जटिलताओं को भी उजागर करती हैं। यह रचनात्मक योगदान नई कहानी आंदोलन को एक नई गहराई और व्यापकता प्रदान करता है।

2.3 संपादकीय योगदान : साहित्यिक मंच और नवाचार :–

मोहन राकेश ने साहित्यिक पत्रिका सारिका के संपादक के रूप में नई कहानी आंदोलन को एक मजबूत मंच प्रदान किया। सारिका के संपादन (1960 के दशक) के दौरान उन्होंने नए लेखकों को प्रोत्साहित किया और नई कहानी के सिद्धांतों को लागू करने के लिए रचनात्मक प्रयोगों को बढ़ावा दिया। इस पत्रिका ने नई कहानी के रचनाकारों जैसे निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी और भीष्म साहनी को अपनी रचनाएँ प्रकाशित करने का अवसर दिया। राकेश ने सारिका के माध्यम से साहित्यिक विमर्श को समृद्ध किया। उन्होंने विशेषांक और लेखों के जरिए नई कहानी के सैद्धांतिक और रचनात्मक पहलुओं पर चर्चा को प्रोत्साहित किया। उदाहरण के लिए, सारिका में प्रकाशित उनके लेख "कहानी का नया रूप" में उन्होंने तर्क दिया : "कहानी का काम केवल कहना नहीं, बल्कि वह अनुभव देना है जो पाठक को अपने जीवन से जोड़े। नई कहानी इस अनुभव को व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर प्रस्तुत करती है।" इस संपादकीय कार्य ने नई कहानी को एक व्यापक पाठकवर्ग तक पहुँचाने में मदद की और इसे हिंदी साहित्य में एक स्थायी आंदोलन के रूप में स्थापित किया। राकेश का संपादकीय दृष्टिकोण समावेशी था, जिसने विभिन्न शैलियों और दृष्टिकोणों को स्थान दिया, लेकिन नई कहानी के मूल सिद्धांतों यथार्थवाद और संवेदनशीलता को बनाए रखा।

2.4 सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में राकेश की प्रासंगिकता :–

मोहन राकेश की कहानियाँ स्वतंत्रता के बाद के भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रतिबिंब थीं। शहरीकरण, औद्योगीकरण, और मध्यमवर्गीय समाज का उदय उनकी रचनाओं की पृष्ठभूमि बना। भारत–विभाजन की त्रासदी, आर्थिक असुरक्षा और पारंपरिक मूल्यों का आधुनिकता के साथ टकराव उनकी कहानियों में बार–बार उभरता है। उदाहरण के लिए, मलबे का मालिक विभाजन की सामाजिक और भावनात्मक हानि को चित्रित करता है, जबकि एक और जिंदगी शहरी मध्यमवर्गीय जीवन के अकेलेपन को दर्शाता है। राकेश ने मध्यमवर्गीय समाज की आकांक्षाओं और निराशाओं को एक संवेदनशील दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उनकी कहानियाँ न केवल समकालीन समाज की समस्याओं को उजागर करती थीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की गहराई को भी व्यक्त करती थीं। यह दृष्टिकोण नई कहानी आंदोलन को सामाजिक और साहित्यिक दोनों स्तरों पर प्रासंगिक बनाता था।

2.5 राकेश का प्रभाव और विरासत :–

मोहन राकेश का नई कहानी आंदोलन पर प्रभाव दीर्घकालिक और व्यापक था। उनकी कहानियों ने हिंदी कहानी विधा को एक नई दिशा दी, जो यथार्थवाद और मनोवैज्ञानिक चित्रण पर आधारित थी। सारिका के माध्यम

से उन्होंने नए लेखकों को प्रोत्साहित किया और साहित्यिक विमर्श को समृद्ध किया। उनकी रचनाएँ आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे आधुनिक समाज की जटिलताओं और मानवीय संवेदनाओं को गहराई से चित्रित करती हैं। राकेश की कहानियों ने नई कहानी के बाद के लेखकों, जैसे मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, और मृदुला गर्ग, को प्रभावित किया। उनकी प्रतीकात्मकता और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ने हिंदी कहानी को एक आधुनिक स्वरूप प्रदान किया, जो विश्व साहित्य के समकक्ष था। उनकी संपादकीय और सैद्धांतिक भूमिका ने नई कहानी को एक संगठित आंदोलन के रूप में स्थापित किया, जिसने हिंदी साहित्य में कहानी विधा को नया आयाम दिया।

3. मोहन राकेश की कहानियों का शिल्प-विश्लेषण :-

मोहन राकेश की कहानियों का शिल्प नई कहानी आंदोलन की विशेषताओं का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनकी कहानियों में कथानक, पात्र चित्रण, भाषा, और प्रतीकात्मकता का संतुलन देखने को मिलता है। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से उनके शिल्प का विश्लेषण किया गया है– कथानक की संरचना : राकेश की कहानियाँ जटिल कथानक पर आधारित नहीं होतीं, बल्कि वे एकल घटना या अनुभव के इर्द–गिर्द बुनी जाती हैं। संवाद और प्रतीकात्मकता का उपयोग कहानी को गहन बनाता है। मोहन राकेश की कहानियों का शिल्प नई कहानी आंदोलन की विशेषताओं यथार्थवाद, व्यक्तिगत संवेदनाएँ, और मनोवैज्ञानिक चित्रण का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनकी कहानियाँ मध्यमवर्गीय समाज की आकांक्षाओं, निराशाओं, और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को सूक्ष्मता से चित्रित करती हैं। राकेश का शिल्प कथानक की सादगी, पात्रों के गहन मनोवैज्ञानिक चित्रण, संवेदनशील भाषा, स्वाभाविक संवाद और प्रतीकात्मकता के उपयोग में निहित है। उनकी चार प्रमुख कहानियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उदाहरण, संवाद, और प्रतीकों का उपयोग शामिल है।

3.1 मलबे का मालिक : विस्थापन और हानि का यथार्थ :-

मलबे का मालिक (1957) भारत–विभाजन की पृष्ठभूमि में मध्यमवर्गीय परिवार की त्रासदी और विस्थापन को चित्रित करती कहानी है। यह कहानी नई कहानी आंदोलन के यथार्थवादी दृष्टिकोण और सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाती है।

कथानक और संरचना : कहानी का कथानक सादा और एकल घटना पर केंद्रित है। नायक, एक मध्यमवर्गीय व्यक्ति, अपने परिवार के साथ विभाजन के दौरान अपने घर को छोड़कर भारत आता है। वह अपने घर के मलबे को देखने लौटता है, जो अब केवल खंडहर है। कथानक की सादगी कहानी को गहन बनाती है, क्योंकि यह व्यक्तिगत और सामाजिक हानि को एक साथ चित्रित करता है। कहानी का अंत खुला है, जो नायक की भावनात्मक स्थिति को अनुत्तरित छोड़ता है, जैसा कि नई कहानी की विशेषता है।

पात्र चित्रण : नायक एक मध्यमवर्गीय व्यक्ति है, जो अपनी सामाजिक स्थिति और पारिवारिक जिम्मेदारियों से बँधा है। उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण कहानी का केंद्र है। वह अपने खोए हुए घर और अतीत की स्मृतियों से जूझता है। उदाहरण के लिए, जब वह अपने घर के मलबे को देखता है, उसकी आंतरिक उथल–पुथल इस वाक्य में व्यक्त होती है : "यह मेरा घर था, यहीं मेरा बचपन बीता, यहीं मेरे माता–पिता रहे। अब यह क्या है?" यह पंक्ति नायक की भावनात्मक हानि और पहचान के संकट को दर्शाती है।

भाषा और संवाद : राकेश की भाषा सरल और संवेदनशील है, जो नायक की भावनाओं को स्वाभाविक रूप से व्यक्त करती है। संवादों का उपयोग सीमित है, लेकिन वे प्रभावशाली हैं। उदाहरण के लिए, जब नायक

एक स्थानीय व्यक्ति से अपने घर के बारे में पूछता है, वह कहता है : "वो जो बड़ा सा मकान था, उसका क्या हुआ?" जवाब में स्थानीय व्यक्ति की उदासीनता "अब वहाँ कुछ नहीं, बस मलबा है" न केवल भौतिक विनाश, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक विघटन को भी दर्शाती है।

प्रतीकात्मकता और बिंब : "मलबा" कहानी का केंद्रीय प्रतीक, जो न केवल भौतिक घर के विनाश, बल्कि नायक के अतीत, उसकी पहचान, और सामाजिक स्थिरता के खंडहर होने का प्रतीक है। मलबे का बिंब बार–बार उभरता है, जैसे जब नायक मलबे को छूता है और सोचता है : "यह मेरा सब कुछ था।" यह बिंब विभाजन की व्यापक त्रासदी को व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त, खंडहरों का बिंब आधुनिक समाज में मध्यमवर्गीय परिवारों की टूटन को भी दर्शाता है। नई कहानी के संदर्भ में देखें तो यह कहानी नई कहानी के यथार्थवादी दृष्टिकोण को दर्शाती है, क्योंकि यह सामाजिक घटना (विभाजन) को व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से प्रस्तुत करती है। नायक का मनोवैज्ञानिक चित्रण और प्रतीकात्मकता नई कहानी की विशेषताओं को पूर्णता प्रदान करते हैं।

3.2 एक और जिंदगी : शहरी अकेलापन और अस्मिता की खोज :–

एक और जिंदगी (1961) शहरी मध्यमवर्गीय जीवन के अकेलेपन और अस्मिता की खोज को चित्रित करती है। यह कहानी नई कहानी की मनोवैज्ञानिक गहराई और व्यक्तिगत संवेदनाओं पर जोर देती है।

कथानक और संरचना : कहानी का कथानक एक शहरी युवक की आंतरिक यात्रा पर केंद्रित है, जो अपनी नीरस नौकरी और एकाकी जीवन से त्रस्त है। वह एक नई शुरुआत की तलाश में है, लेकिन उसकी खोज अधूरी रहती है। कथानक की संरचना ढीली है, जो नायक के विचारों और भावनाओं के प्रवाह को दर्शाती है। कहानी का अंत अनुत्तरित प्रश्नों के साथ समाप्त होता है: "क्या वह सचमुच एक और जिंदगी शुरू कर पाएगा?" यह खुला अंत नई कहानी की विशेषता है, जो पाठक को विचार के लिए प्रेरित करता है।

पात्र चित्रण : नायक एक मध्यमवर्गीय युवक है, जो आधुनिक शहरी जीवन की जटिलताओं से जूझता है। उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण कहानी का केंद्र है। उदाहरण के लिए, जब वह अपनी नौकरी की एकरसता से तंग आकर सोचता है: "हर दिन वही मेज, वही कागज, वही चेहरे। क्या यही मेरी जिंदगी है?" यह पंक्ति नायक की निराशा और अस्मिता के संकट को व्यक्त करती है। अन्य पात्र, जैसे उसकी सहकर्मी, उसके अकेलेपन को और गहरा करते हैं।

भाषा और संवाद : राकेश की भाषा इस कहानी में आत्मचिंतनात्मक और काव्यात्मक है। संवाद सीमित हैं, लेकिन वे नायक की आंतरिक उथल–पुथल को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए, जब नायक अपनी सहकर्मी से कहता है: "कभी–कभी लगता है, जैसे मैं कहीं और हूँ, किसी और जिंदगी में," और उसका जवाब "सबको ऐसा लगता है, फिर भी जीते हैं" आधुनिक जीवन की विडंबना को दर्शाता है। यह संवाद नई कहानी की यथार्थवादी शैली को रेखांकित करता है।

प्रतीकात्मकता और बिंब : शहर का बिंब इस कहानी में केंद्रीय है, जो आधुनिक जीवन की जटिलता, अकेलेपन, और गुमनामी का प्रतीक है। उदाहरण के लिए, नायक की सैर के दौरान शहर की सड़कों का वर्णन "लंबी सड़कें, अनगिनत चेहरे, और फिर भी कोई अपना नहीं" उसके अकेलेपन को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त, "एक और जिंदगी" का विचार स्वयं एक प्रतीक है, जो मध्यमवर्गीय व्यक्ति की अधूरी आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। नई कहानी के संदर्भ में : यह कहानी नई कहानी की मनोवैज्ञानिक गहराई और व्यक्तिगत

अनुभवों पर जोर देती है। नायक का आत्मचिंतन और शहर का यथार्थवादी चित्रण नई कहानी के सिद्धांतों को पूर्णता प्रदान करते हैं।

3.3 मिस पाल : स्वतंत्रता और सामाजिक अपेक्षाओं का तनाव :-

मिस पाल मध्यमवर्गीय महिलाओं की स्वतंत्रता और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच के तनाव को चित्रित करती है। यह कहानी नई कहानी के सामाजिक यथार्थ और लैंगिक दृष्टिकोण को उजागर करती है।

कथानक और संरचना : कहानी मिस पाल नामक एक स्वतंत्र मध्यमवर्गीय महिला के इर्द–गिर्द घूमती है, जो अपनी नौकरी और व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्रता की तलाश करती है। वह सामाजिक अपेक्षाओं और अपने सपनों के बीच फँसी है। कथानक एकल घटना पर केंद्रित नहीं है, बल्कि मिस पाल के दैनिक जीवन और आंतरिक संघर्ष को चित्रित करता है। कहानी का अंत अस्पष्ट है, जो मिस पाल की खोज को अनुत्तरित छोड़ता है।

पात्र चित्रण : मिस पाल एक शिक्षित, स्वतंत्र महिला है, जो मध्यमवर्गीय समाज की परंपरागत लैंगिक भूमिकाओं से जूझती है। उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण कहानी का केंद्र है। उदाहरण के लिए, जब वह अपनी सहेली से अपनी स्वतंत्रता के बारे में बात करती है : "मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, लेकिन हर कदम पर लोग सवाल उठाते हैं।" यह पंक्ति उसकी स्वतंत्रता और सामाजिक दबावों के बीच के तनाव को व्यक्त करती है। अन्य पात्र, जैसे उसके सहकर्मी और परिवार, सामाजिक अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भाषा और संवाद : राकेश की भाषा इस कहानी में संवेदनशील और यथार्थवादी है। संवाद मिस पाल के आंतरिक संघर्ष को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए, जब उसका सहकर्मी उससे कहता हैः "तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, औरत का असली जीवन तो परिवार में है," और मिस पाल का जवाब "मेरा जीवन मेरे अपने सपनों का है" लैंगिक भूमिकाओं पर एक टिप्पणी है। यह संवाद नई कहानी की सामाजिक चेतना को दर्शाता है।

प्रतीकात्मकता और बिंब : मिस पाल का कमरा एक प्रतीक है, जो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एकांत का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, कमरे का वर्णन "एक छोटा सा कमरा, कुछ किताबें, और मेरी अपनी दुनिया" उसके आत्मनिर्भर स्वभाव को दर्शाता है। इसके विपरीत, समाज का बिंब, जैसे भीड़ और पड़ोसियों की नजरें, सामाजिक दबावों को व्यक्त करता है। नई कहानी के संदर्भ मेंः यह कहानी नई कहानी की सामाजिक यथार्थ और लैंगिक संवेदनशीलता को दर्शाती है। मिस पाल का चरित्र और उसका संघर्ष नई कहानी के व्यक्तिगत अनुभवों पर जोर को रेखांकित करते हैं।

3.4 उसकी रोटी : सामाजिक असमानता और मानवीय गरिमा :-

उसकी रोटी सामाजिक असमानता और मानवीय गरिमा की खोज को चित्रित करती है। यह कहानी नई कहानी के यथार्थवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है।

कथानक और संरचना : कहानी एक गरीब व्यक्ति की है, जो अपनी रोटी कमाने के लिए समाज के बहिष्कार और अपमान का सामना करता है। कथानक उसकी एक दिन की यात्रा पर केंद्रित है, जिसमें वह अपनी गरिमा को बचाने की कोशिश करता है। कहानी की संरचना सरल है, लेकिन यह गहरी मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती है। अंत में, नायक की जीत उसकी आत्म–सम्मान में निहित है।

पात्र चित्रण : नायक एक निम्न–मध्यमवर्गीय व्यक्ति है, जो सामाजिक असमानता का शिकार है। उसका

मनोवैज्ञानिक चित्रण कहानी का केंद्र है। उदाहरण के लिए, जब वह अपनी रोटी के लिए मेहनत करता है और सोचता है : "मैं भूखा मर जाऊँ, लेकिन भीख नहीं माँगूँगा," यह उसकी गरिमा की लड़ाई को व्यक्त करता है। अन्य पात्र, जैसे दुकानदार और राहगीर, समाज की उदासीनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भाषा और संवाद : राकेश की भाषा इस कहानी में तीखी और यथार्थवादी है। संवाद नायक के संघर्ष को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए, जब दुकानदार उससे कहता है: "तेरे जैसे कितने आए, काम नहीं, बस रोटी चाहिए," और नायक का जवाब "मैं मेहनत करूँगा, बस एक मौका दो" उसके आत्म–सम्मान को दर्शाता है। यह संवाद नई कहानी की सामाजिक चेतना को रेखांकित करता है।

प्रतीकात्मकता और बिंब : "रोटी" कहानी का केंद्रीय प्रतीक है, जो न केवल भौतिक भोजन, बल्कि मानवीय गरिमा और आत्म–सम्मान का प्रतीक है। नायक की मेहनत का बिंब, जैसे "उसके हाथों में पसीना और धूल," मेहनतकश वर्ग की जिजीविषा को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, समाज की उदासीनता का बिंब, जैसे "ठंडी नजरें," सामाजिक असमानता को व्यक्त करता है। नई कहानी के संदर्भ में : यह कहानी नई कहानी के यथार्थवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण को दर्शाती है। नायक का संघर्ष और उसकी गरिमा की खोज नई कहानी की सामाजिक संवेदनशीलता को रेखांकित करती है।

4. निष्कर्ष और मूल्यांकन :–

मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के एक ऐसे रचनाकार थे, जिन्होंने हिंदी कहानी को न केवल सैद्धांतिक बल्कि रचनात्मक स्तर पर भी समृद्ध किया। उनकी कहानियाँ मध्यमवर्गीय समाज की जटिलताओं, व्यक्तिगत संवेदनाओं, और सामाजिक परिवर्तनों को यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती हैं। राकेश का शिल्प कथानक की सादगी, पात्रों का गहन चित्रण, संवेदनशील भाषा, और प्रतीकात्मकता नई कहानी की विशेषताओं को पूर्णता प्रदान करता है। राकेश की कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के मूल सिद्धांतों यथार्थवाद, व्यक्तिगत अनुभव, और सामाजिक चेतना का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनकी रचनाएँ मध्यमवर्गीय समाज की आकांक्षाओं, निराशाओं, और टूटते रिश्तों को एक सार्वभौमिक संदर्भ प्रदान करती हैं। सारिका के संपादन और साहित्यिक विमर्शों के माध्यम से राकेश ने नई कहानी को एक व्यापक मंच प्रदान किया, जिसने समकालीन हिंदी साहित्य को दिशा दी। मोहन राकेश का योगदान हिंदी कहानी विधा के आधुनिक स्वरूप को स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण रहा। उनकी कहानियाँ आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे आधुनिक समाज की जटिलताओं और मानवीय संवेदनाओं को गहराई से चित्रित करती हैं।

यह शोध पत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के एक ऐसे रचनाकार थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य में कहानी विधा को एक नई पहचान और गहराई प्रदान की। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के एक ऐसे रचनाकार और विचारक थे, जिन्होंने इस आंदोलन को सैद्धांतिक, रचनात्मक, और संपादकीय स्तर पर समृद्ध किया। उनके निबंध और लेखों ने नई कहानी के सिद्धांतों को आकार दिया, उनकी कहानियों ने मध्यमवर्गीय समाज की संवेदनाओं को गहनता से चित्रित किया और सारिका के संपादन ने नए लेखकों को मंच प्रदान किया। अन्य समकालीन रचनाकारों से तुलना में राकेश की विशिष्टता उनकी मनोवैज्ञानिक गहराई और संवेदनशीलता में निहित थी। उनका योगदान नई कहानी आंदोलन को हिंदी साहित्य में एक स्थायी

स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण रहा, और उनकी रचनाएँ आज भी साहित्यिक और सामाजिक दृष्टिकोण से प्रासंगिक हैं।

संदर्भ सूची :-

1. राकेश, मोहन, मलबे का मालिक, राजकमल प्रकाशन, 1957.
2. राकेश, मोहन, एक और जिंदगी, राजकमल प्रकाशन, 1961.
3. राकेश, मोहन, नई कहानी : संकलन, राजपाल एंड संस, 1965.
4. नामवर सिंह, नई कहानी : एक परिचय, लोकभारती प्रकाशन, 1980.
5. कमलेश्वर, नई कहानी की भूमिका, राजकमल प्रकाशन, 1978.
6. वर्मा, निर्मला, मोहन राकेश और उनका साहित्य, किताबघर प्रकाशन, 2000.
7. यादव, राजेंद्र, हिंदी कहानी : एक अंतर्विरोधी यात्रा, वाणी प्रकाशन, 1990.
8. राकेश, मोहन, कहानी : नई कहानी, राजकमल प्रकाशन, 1957.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 181-184

नर्मदापुरम में जंगल सत्याग्रह

डॉ. विनोद राय
सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय महाविद्यालय डोलरिया, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश।

1857 के बाद के दौर में वनवासी आन्दोलन में नई प्रवृत्तियों सामने आई वन अधिकारों के मुददे पर जोर बढ़ा और विरोध का नेत त्व उस आम आदमी के हाथों में आ गया जो देश की मुख्य धारा से जुड़ा था। वनवासी समुदाय पर औपनिवेशिक व्यवस्था की गहरी मार पड़ी। व्यवस्था के व्यवसायीकरण से पारंपरिक वनवासी समाज टूट कर बिखरने लगा। औपनिवेशिक शासन ने भूमि में निजी सम्पत्ति का अधिकार शुरू किया। इस समुदाय में सामूहिक भू स्वामित्व की मजबूत परम्परा थी। लेकिन कर्ज के कारण वनवासियों की जमीन की बिक्री और जमीन से अलगाव शुरू हुआ। निर्मम शोषण के शिकार वनवासी सस्ते श्रम के स्रोत बन गये। ब्रिटिश शासकों के मिशनरी कार्यों से वनवासी के परम्परागत सांस्कृतिक जीवन पर भी हमला हुआ। सतपुड़ा और विन्ध्याचल के बीच बसे नर्मदापुरम के गोंड, कोरकू इस उपनिवेशवाद के शिकार हुये। 1870 और 80 के दौर में अपने राजस्व, निर्यात वस्तुओं की आपूर्ति आदि के लिए वन क्षेत्रों पर औपनिवेशिक राज्य का नियंत्रण क्रमशः बढ़ता गया। इस स्थिति ने वनवासी समुदाय को आन्दोलित कर दिया। वनवासियों के लिए वन पानी और हवा की तरह एकदम निःशुल्क थे। इसलिये वन अधिकारों का अपहरण एक महत्वपूर्ण और निर्णायक सा मुद्दा था। वनवासियों को जीवन यापन के लिए वन से कई उत्पाद मिलते थे उन पर कोई शुल्क नहीं था। वन क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश ने वनवासियों के वन पर आधारित सांस्कृतिक ताने बाने को अस्त–व्यस्त कर दिया। ब्रिटिश शासकों के लिए वन विभिन्न प्रकार के कीमती उत्पादों की आपूर्ति करते थे। नर्मदापुरम में कर्नल अडाम्स ने 1817 में पिण्डारियों के दमन के बहाने छावनी डाली देखते ही देखते पचमढ़ी अंग्रेजों की पूरी छावनी बन गई। पचमढ़ी चारों तरफ से घने जंगलों और पहाडियों के बीच बसी हुई है। अतः नर्मदापुरम के इस क्षेत्र में गोंड कोरकू रहते थे। 1862 में जब कैप्टन फारसोथ यहाँ आये थे तब पचमढ़ी के कोरकू जागीरदार का पचमढ़ी पर अधिकार था।

इस जिले में 1931 की जनगणना के अनुसार गोंड जाति की संख्या 73161 और हिन्दू गोंडो की संख्या 17703 थी। कोरकुओं की संख्या 22000 थी। गोडों और कोरकुओं का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान उल्लेखनीय रहां जब अप्पा साहिब को कम्पनी सरकार ने बन्दी बनाया था और अप्पा साहिब कैप्टन ब्राउनी की कैद से वेश बदलकर भागे थे तब महादेव की पहाडियों में इन्ही गॉड और कोरकुओं के बीच के वे पूर्णतः सुरक्षित थे और यहीं पर उन्होंने आजादी के आन्दोलन की व्यूह रचना बनाई। अप्पा साहिब को बंदी बनाने वाले व्यक्ति को दो लाख रूपये का पारितोषिक और 10 हजार रूपये वा ि क आय की जागीर प्रदान करने की घोषित आय की जागीर प्रदान करने की घोषणा कम्पनी सरकार द्वारा की गई थी लेकिन इस अंचल का वनवासी इस ईनामी गद्दारी के

लालच में नहीं आया।

मदनपुर के मालगुजार राजा ढिल्लनशाह की भांति फतेहपुर (नर्मदापुरम) का राजा अर्जुनसिहं गौंड भी अंग्रेजों के खिलाफ था। उसे अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध तो पिता से मिला था। अर्जुनसिंह के पिता राजा जालिम सिंह ने जैतपुर के महाराजा पारीछत के साथ 1842–43 में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आन्दोलन छेडा था। 23 दिसम्बर 1842 के पत्र से जाहिर है कि सिमरिया (पन्ना राज्य) के किलेदार बखतसिंह के पास कुछ पत्र मिले जो महाराजा पारीछत ने कुछ प्रमुख जनों को जुलाई 1842 में लिखे थे। उनमें फतेहपुर के राजा जालिमसिंह को भी एक पत्र लिखा गया था। इसी राजा के पुत्र अर्जुनसिंह ने भी 1857–58 के विद्रोह काल में अंग्रेजी शासन का सख्त विरोध किया था। अक्टूबर 1857 की बात है। राजा अर्जुनसिंह गौंड अपनी फोर्स के साथ बुगुलवाड़ा में ठहरा हुआ था। संभवतः वह किसी गांव पर हमला बोलने वाला हो अथवा ब्रिटिश फोर्स का इन्तजार कर रहा हो। यह बात जरूर है कि उसने अपने राज्य की राजधानी फतेहपुर को नहीं छोड़ा था यह राज्य की बागडोर संभाले हुये था। कहा जाता है कि वह अपने पुत्र से बुगुलवाड़ा में विरोध प्रदर्शन करने आया है। रियाया तो यह कहती है कि राजा केवल दिखाने के लिये पुत्र से विरोध करता है पुत्रानी खेलबाद खुल्ला अंग्रेजों के विपरीत था क्योंकि वह अम्बापानी (भोपाल राज्य) कि अन्तरर्गत अम्बापानी के नबाव फजल मोहम्मद खां जो अंग्रेजी व भोपाल रियासत से संबंध बनाये हुये थे।

निम्नलिखित गाँड नेता. राजा अर्जुनसिंह गौड के साथ थे– धारासिंह गौड, सूरा गौड, दरयाव गौड, नृपतसिंह गौड, देवचन्द गौड तथा मन्साराम गौड ये सभी सहयोगी गौड फतेहपुर के ही थे। ब्रिटिश सरकार इन सहयोगी गॉडों के विद्रोहात्मक रूख पर असंतुष्ट थी। ये लूटमार करते और भाग जाते। इनको पकड़ने के लिये सरकार ने इनाम की घोषणा की और उपरोक्त हर विद्रोही पर पचास रूपये इनाम मुकरर्र था।

तात्या टोपे ने दक्षिण जाने के लिये 30 अक्टूबर 1857 का नर्मदा नदी को पार किया। तात्या टोपे पहली नवम्बर को नर्मदा तट पर ही पड़ाव डाले रहे। यह फतेहपुर उसी रात को पहुंचें तथा रात को फतेहपुर राजा के अनुरोध पर वहीं विश्राम किया। तात्या टोपे कै साथ उस समय नौ सो के करीब कुशल घुड़सवार थे। गर्वनर जनरल के ऐजेन्ट ने, जो उस समय सोहागपुर में मुकिम था, सोचा कि वह 2 नवम्बर को सुबह फतेहपुर जाकर तात्या टोपे का मुकाबला करेगा तथा वहां के गाँड़ों को भी उनके विरुद्ध कर देंगे फिर तो तात्या टोपे को फतेहपुर से कोई भी मदद नहीं मिलेगी। तात्या टोपे तथा उसके साथियों को आगे जाने के लिये गौड़ों ने ही मार्ग बताया। यह मार्ग जंगल पहाड़ों के बीच से गुजरता था। इस प्रकार तात्या टोपे आसानी से दक्षिण की ओर जा सका। तात्या टोपे को फतेहपुर के राजा ने आवश्यक सामान, रसद आदि की आपूर्ति की और गौड मार्गदर्शक भी दिये। अंग्रेजी सरकार ने इस बावत जांच पड़ताल की किन्तु उन्हें कुछ भी अनहोनी बात नहीं मिली। इसलिये जांच पड़ताल को खत्म करना पड़ा। जंगल सत्याग्रह के आह्वान के समय तो इस जिले का हर आदिवासी कंधे पर कम्बल डाले और हाथ में लाठी लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने जंगल और पहाड़ों से निकल पड़ा था। जंगल सत्याग्रह का उद्देश्य जंगल कानून को सरल बनाना था। जिससे यहां रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग वन उपज का फायदा उठा सकें। जंगल सत्याग्रह की आग पूरे जिले में फैल गयी थी। आदिवासियों पर पुलिस तरह–तरह के अत्याचार कर रही थी। उस समय का जंगल–कानून अन्यायपूर्ण अमानवीय पूर्ण था। पुराने समय में किसानों को उनकी भूमि से लगी हुई कर मुक्त भूमि में वे पशुओं के चारे के लिये घास उगा सकते थे,

परन्तु अंग्रेजी राज्य के प्रारंभ होते ही, यह सुविधा समाप्त कर दी गई। गरीब किसानों को जानवरों के लिये घास प्राप्त करना कठिन हो गया। यह गरीबी प्रायः सभी गांवों में थी और प्रायः सभी किसानों को इस कठिनाई का सामना करना पड़ता था। किसानों को अपने झोपड़े की छत्तों के लिये सूखे घास–पात की आवश्यकता हुई, परन्तु वे इन्हें बिना दान के प्राप्त नहीं कर सकते थे। सरकार इन कृषकों को चारागाह के लिये भूमि, घास, सूखे तथा लकड़ी आदि नहीं देना चाहती थी। अतः जंगल को भंग करना ही उनके लिये एक मात्र रास्ता था।

12 सितम्बर 1930 को ठाकुर गुलजार सिंह की अध्यक्षता में एक आम सभा हुई जिसमें बड़वानी जंगल में घास काटने हेतु जंगल सत्याग्रह का आहवाहन किया गया। सभाओं को सर्वश्री सीताचरण दीक्षित, महेश दत्त, दादा भाई नायक और ठाकुर गुलजार सिंह ने संबोधित किया। यह सभी वक्ता रात्रि को गिरफ्तार कर लिये गये। इनकी गिरफ्तारियों के विरोध में हरदा में हड़ताल हुई और 3000 हजार व्यक्तियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया। इस सत्याग्रह में महिलायें भी आगे आई और 15 सितम्बर 1930 के श्रीमती विद्यावती वाजपेयी के नेतृत्व में इन गिरफ्तारियों के विरोध में महिलाओं ने एक जुलूस निकाला। एक सत्याग्रह समिति का गठन किया गया जिसके तत्वाधान में सर्वश्री सीताराम पटेल, बागले और रामप्रसाद आदि कार्यकत्ताओं ने बड़वानी जंगल में विशाल जन–समुदाय के समक्ष जंगल कानून तो़ड़ा और जंगल से काटी गई वह घास 500 रूपये में नीलाम हुई। जबलपुर और नागपुर से भारी संख्या में पुलिस सेना आ जाने से यद्यपि इस विद्रोह को दबा दिया गया किन्तु एक बार पुनः गोंड और कोरकू आदिवासियों ने सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता की बलिवेदी पर प्राणोत्सवर्ग करने की परंपरा इनकी पूर्वज महारानी दुर्गावती ने चार शताब्दी पहले स्थापित की थी। वह धूमिल नहीं पड़ी और आजादी के लिये हंसते–हंसते प्राण न्यौछावर करने में वे किसी से पीछे नहीं रहे।

'लगभग दो दशक बाद जंगल सत्याग्रह देखते–देखते सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में चारों तरफ दावानल की तरह फैल गया। सिवनी के जंगल सत्याग्रह और वनवासियों की शहादत इन वनवासी अचल में जंगल सत्याग्रह की मशाल को प्रज्जवलित कर दिया। नर्मदापुरम में केसला से वर्तमान बैतूल जिले तक की पूरी पट्टी पर गोंड और कोरकू रहते हैं। पचमड़ी में गोंड और कोरकू का निवास है केसला की सीमा से लगे भौरा से 10–12 किलोमीटर अंदर बजारी ढाल है यधपि यह आज बैतूल जिले में है परन्तु 1939 से 1945 तक यह पूरा अंचल एक ही था केसला और पचमढ़ी के गॉड कोरकू सबने मिलकर इस सत्याग्रह को अमली जमा पहनाया था। इस अंचल के सारे वनवासी महिला–पुरुष सभी कंधे पर कंबल डाले सत्याग्रह को निकल पड़े। बजारी ढाल के गंजनसिंह कोरकू ने वनवासी सत्याग्रहियों की कमान संभाली। अंग्रेज सिपाही पूरे दल–बल के साथ गंजनसिंह को गिरफ्तार करने बंजारी बाल पहुँचा किन्तु बनवासियों ने गंजनसिंह के चारों तरफ ऐसा घेरा डाला कि गंजन सिंह का बाल भी बांका नहीं हुआ। कोमा गोंड ठोर मारा गया था। अनेक वनवासी आहत हुये। पुलिस ने गोलियों दागी। वनवासियों के खून से जंगल, पहावा. भीग गये। गंजनसिंह साथियों की सहायता से पुलिस का घेरा तोडकर सुरक्षित ठिकाने पर पहुँच गया। महिलायें सरकारी जंगल की घास को काटकर सत्याग्रह करने के लिये पहुँच गई। पुलिस ने लगभग 500 गोंडों के समूह पर गोली चलाई। यह घटना भी जालियावाला बाग हत्याकाण्ड से कम नहीं थी। जंगल सत्याग्रह में भाग लेने वाले वनवासियों को नियमित करने के लिये मध्य प्रान्त शासन ने कोडे लगाने का दंड देना प्रांरभ कर दिया। अगस्त के प्रांरभ से ही दंड का यह पाशविक स्वरूप अधिकारियों का स्वभाव बन गया था। अर्थदंड वसूल करना अंग्रेज अधिकारियों के लिये कठिन था। कारावास के दण्ड के लिये

उन्हें स्थान की व्यवस्था करनी पड़ती चाहे वह कितना ही तंग और गन्दा क्यों न हो। कोडे लगाने के दंड ने अंग्रेजों की सारी समस्या सुलझा दी। सतपुडा और विन्ध्याचल के इस जंगल सत्याग्रह ने खंडवा, बुरहानुपर, रूस्तम पुरी मंदी, परधाना, हरसूद डोंगरगाँव आदि स्थानों पर स्व स्फूर्त आन्दोलन का रूप ले लिया। 1942 के भारत छोडो आन्दोलन में होशंगाबाद सीमा से लगे घोडा डोंगरी के विष्णु सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने वनवासी साथियों के साथ मोची खोला और कई दिनों तक घोडा डोंगरी पर कब्जा जमाये रखा। जंगल सत्याग्रह के गोण्ड सरदार विष्णु सिंह और कोरकू नेता गंजनसिंह का उल्लेख अनेक लोक गीतों में हुआ है।

इस प्रकार स्वतंत्रता आन्दोलन में जंगल सत्यागह का प्रमुख योगदान रहा एवं इसमें भी मध्य प्रदेश के आदिवासी जंगल सत्याग्रहिंयों ने अहम भूमिका निभाई।

संदर्भ :-

1. राष्ट्रीय अभिलेखागार – भोपाल पत्रावली, संख्या 63, पृ. 253
2. राष्ट्रीय अभिलेखागार कन्सलटेशन 100 दिनांक 27.7.1843 पालिटकल गदर जनरल के ऐजेन्ट का पत्र–218। विषय विद्रोहियों को पकड़ने के लिए इनाम।
3. राष्ट्रीय अभिलेखागार, कन्सलटेशन 248 दिनांक 1.4.1859 पालिटकल लेफ्टिनेन्ट कीट का रार्बट हेमिल्टन के नाम पत्र।
4. राष्ट्रीय अभिलेखागार, : पालिटकल सप्लीमेन्ट्री पोसिड़िग 30.12.59 भाग–2 पृ. 375
5. जिला गजेटियर, होशंगाबाद–1979, पृ. 67
6. मध्य प्रदेश राज्य अभिलेखागार, नागपुर पत्रावली, संख्या 76, 37

raivinod686@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 185–187

मुंशी प्रेमचंद की कहानी 'ईदगाह' पर श्रीमद्भागवद् गीता का प्रभाव

डॉ. कुलदीप
सहायक प्रोफेसर, हिन्दी, राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय, झज्जर।

श्रीमद् भागवद् गीता हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में तेजस्वी और निर्मल हीरे के समान चमकता हुआ पवित्र धर्मग्रंथ है। यह हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की धरोहर है। यह संसार, पिंड, ब्रह्मांड, आत्मज्ञान के गूढ तत्वों की समझ विकसित करा देने वाला, भक्ति, ज्ञान, निष्काम, कर्तव्यपालन की ओर मनुष्य को प्रेरित कर शांति प्रदान करने वाला एक ऐसा ग्रंथ है, जो आज भी अतुल्यनीय है। यद्यपि यह ग्रंथ अर्जुन व श्रीकृष्ण के बीच हुए संवादों पर आधारित है फिर भी समस्त समाज इसमें अंकित श्रीकृष्ण के उपदेश से लाभान्वित होता है। इसी कारण इस ग्रंथ को ईश्वरीय कृपा का गीत कहा गया है। "भगवद्गीता को 'इश्कृपा का गीत' माना जाता है।"[1] यह 18 अध्यायों में विभाजित महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंश है। जब पांडवों व कोरवों के मध्य लड़ाई प्रारंभ होने वाली थी, तब अर्जुन के हृदय में अपने रिश्तेदारों के प्रति मोह और जंग के प्रति नफरत उत्पन्न हो जाती है। वह हथियार नहीं उठा पाता तो भगवान श्रीकृष्णा जो विष्णु के आठवें अवतार माने जाते हैं। उसके समक्ष एक दार्शनिक खाका पेश कर जन्म–मृत्यु, कर्तव्य, मोहभंग, आत्मसंयम, धैर्य, कर्मयोग, त्याग, सच्ची भक्ति, माया, सत्य, असत्य, धर्म आदि के संबंध में विस्तृत ज्ञान देते हैं जो न केवल अर्जुन बल्कि संपूर्ण समाज के कल्याण का आधार बनता है। "इस ग्रंथ में समस्त वैदिक धर्म का सार स्वयं श्रीकृष्ण भगवान की वाणी से संग्रहित किया गया है, उसकी योग्यता का वर्णन कैसे किया जाये?"[2]

यह ग्रंथ इतना उपयोगी, इतना सारगर्भित है कि आधुनिक युग के हिंदी साहित्यकार भी इससे प्रभावित होकर गीता में बताए गए सिद्धांतों को अपनी रचनाओं का हिस्सा बनाते हैं। युग प्रवर्तक, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद भी श्रीमद् भागवत गीता के दार्शनिक व नैतिक आधार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। उनके साहित्य में नैतिकता, धार्मिकता व मानवीय मूल्यों का समावेश गीता के प्रभाव को परिलक्षित करता है। इनकी कहानी 'ईदगाह' पर सूक्ष्मता से दृष्टि डाली जाए, तो हमें गीता का प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है। यह कहानी मोटे तौर पर एक बालक हामिद की मासूमियत, उसकी दादी माँ के प्रति उसके लगाव तथा सामाजिक विषम परिस्थितियों को उजागर करती है। लेकिन गहन अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं कि गीता में शामिल सार्वभौमिक सिद्धांत जैसे कर्मयोग, त्याग, निस्वार्थ प्रेम, इंद्रियों का संयम, सेवाभाव, समत्व योग के दर्शन हमें इस कहानी में मिलते हैं।

निष्काम कर्मयोग :- श्रीमद् भागवत गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म करने अर्थात् बिना किसी स्वार्थ अर्थात् परिणाम की चिंता से मुक्त होकर कर्तव्य पालन का उपदेश दिया है। इसी कर्मयोग के सिद्धांत का प्रभाव मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।कहानी का पात्र हामिद अपने सुख की परवाह किए बिना अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। वह उस चिमटे के लिए मिठाइयां, खिलौने व अन्य वस्तुओं के आनंद को त्याग कर, एक काम में आने वाली वस्तु को खरीदता है। वह विचार करता है कि "खिलौने से क्या फायदा व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है। घर पहुँचते–पहुँचते टूट–फूट बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है।"[3] उस चिमटे में बालक के मन को भाने वाला कुछ भी नहीं था फिर भी निःस्वार्थ होकर वह उसे खरीदता है।

इन्द्रियों पर संयम :- श्रीमद् भागवत गीता में आंख, नाक,कान, जीभ, त्वचा आदि पाँचों इन्द्रियों को वशीभूत करने का संदेश दिया गया है। इसमें श्रीकृष्ण ने समस्त संसार को कहा है कि जो व्यक्ति अपनी पाँचों इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है, वही मुक्ति मार्ग में अग्रसर हो सकता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी 'ईदगाह' में हामिद एक बच्चे के माध्यम से इंद्रियों को संयमित करने की शिक्षा समाज को प्रदान की है। बच्चे का मन बड़ा ही चंचल होता है, लेकिन इस कहानी में हामिद के दोस्त जब मिठाइयां, चर्खियों, खिलौनों के लिए मचलते हैं। उन्हें पाने के लिए भागते हैं। उसे चिढ़ा–चिढ़ा कर खाते हैं। हामिद मिठाइयां, खिलौने कुछ भी नहीं खरीदता। वह सोचता है कि यह क्षणिक सुख है और कहता है "खेले खिलौने और खायें मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने से, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ माँगने तो नहीं जाता।"[4]

जन्म-मृत्यु के फेर से मुक्त :- श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है की मृत्यु केवल अलगाव है, वह पूर्ण विनाश नहीं। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। "जो पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, जो मरा है, उसका जन्म निश्चित है।"[5] 'ईदगाह' कहानी का प्रमुख पात्र हमीद भी जन्म–मृत्यु के फेर से मुक्त है। इस कहानी की शुरुआत में ही उसके माता–पिता का देहांत हो चुका था, फिर भी वह अपनी दादी अमीना के संग प्रसन्नता से रहता है। "उसे किसी के मरने–जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल–बल लेकर आये, हामिद की आनंद भरी चित्तवन उसका विध्वंस कर देगी।"[6]

सच्ची भक्ति और कर्तव्यभाव :- श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति भगवान से संबंधित है। वह पूजा पाठ तक सीमित नहीं, इसमें सेवा–भाव को प्रमुखता प्रदान की गई है। बल्कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम को भी भक्ति माना गया है। हामिद का अपनी दादी के प्रति प्रेम और उसकी आवश्यकताओं को समझने की क्षमता शुद्ध भक्ति के इसी रूप को दर्शाती है। हामिद भी अपनी दादी के प्रति सच्चा सेवा भाव रखता है। इसी निःस्वार्थ सेवा–भाव के कारण ही वह अपनी इच्छाओं का त्याग कर अपनी दादी के लिए चिमटा लाता है ताकि उसकी दादी को भविष्य में उंगलियाँ जलने का दर्द सहना न पड़े। जब उस पर उसकी दादी गुस्सा करती है तो वह निस्वार्थ प्रेम का परिचय देते हुए कहता है "हामिद ने अपराधी भाव से कहा– तुम्हारी उंगलियाँ तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया।"[7]

माया से मुक्ति :- श्रीमद् भागवत गीता में संसार की भौतिक वस्तुओं को माया की श्रेणी में रखा गया है और इनसे दूर रहने की सीख प्रदान की है। इस कहानी में हामिद भी खिलौने और मिठाइयों के लिए क्षणिक सुख की बजाय व्यावहारिकता को प्राथमिकता प्रदान करता है। "बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और

कितना विवेक है! दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे?"[8]

अतः ईदगाह कहानी केवल बालक की मानसिक, सामाजिक कहानी ही नहीं अपितु यह कहानी श्रीमद्भागवत गीता के गहरे दार्शनिक तत्वों को समाज के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिंबित करने वाली कहानी है। यह हामिद के जन्म–मृत्यु, माया से मुक्ति, सच्ची, सेवा–भक्ति, आत्मसंयम, कर्तव्य–निष्ठा, त्याग आदि गीता के आदर्शों को प्रकट करती है। मुंशी प्रेमचंद ने हामिद को एक कर्मयोगी की भांति प्रस्तुत किया है। यह कहानी भारतीय संस्कृति व दर्शन की अमूल्य धरोहर है।

संदर्भ :-

1. डी. डी. कोसांबी, भगवद्गीता के सामाजिक–राजनीतिक पहलू, पृष्ठ संख्या –03
2. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य, भाग–1, पृष्ठ संख्या –29
3. मुंशी प्रेमचंद, ईदगाह तथा अन्य कहानियां, पृष्ठ संख्या –32
4. वही, पृष्ठ संख्या –32
5. स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती, श्रीमद् भगवद्गीता, पृष्ठ संख्या –42
6. मुंशी प्रेमचंद, ईदगाह तथा अन्य कहानियां, पृष्ठ संख्या –27
7. वही, पृष्ठ संख्या –36
8. वही, पृष्ठ संख्या –36

Address : 1327/31 Kamla Nagar Rohtak Pin code-124001

Dr. Kuldeep Assistant Professor (Hindi) Government Post Graduate Nehru College Jhajjar

Phone-9728144001

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 188–192

राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका : एक भारतीय अनुभव

आरती यादव
शोध छात्रा, शिक्षक शिक्षा विभाग, नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

सारांश :–

यह शोध पत्र राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के योगदान पर प्रकाश डालता है, यह इस तथ्य पर जोर देता है कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि समकालीन विश्व का ध्यान विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया की ओर क्यों है और इसके परिणामस्वरूप लोगों के नैतिक उत्थान और पुनरुत्थान की नींव रखने की आशा है। यह एक ऐसी शक्ति और शक्ति है जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह देखा गया है कि कोई भी राष्ट्र अपनी शिक्षा के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाता है। शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में संघीय, राज्य और स्थानीय सरकारों से उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र को राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की जा सके।

मुख्य शब्द :– शिक्षा, राष्ट्र, समाज, नैतिक, विकास इत्यादि।

परिचय :–

राष्ट्र–निर्माण में शिक्षा का सर्वाधिक महत्त्व है, जैसी शिक्षा–व्यवस्था होगी, जैसी शिक्षा की रीति–नीति होगी, जैसी शिक्षण पद्धति होगी वैसा ही बालक बनेगा, जैसा बालक बनेगा वैसा ही समाज बनेगा, जैसा समाज बनेगा वैसा ही राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित होगा क्योंकि आज के बालक ही कल के व्यवस्थापक, इन्जीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी, अधिवक्ता, जज, प्रशासनिक अधिकारी, लेखक बनेंगे। ये जैसे बनेंगे वैसा ही राष्ट्र बनेगा। शिक्षा किसी भी राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मानव पूंजी विकास में एक प्रमुख निवेश होने के नाते, यह सूक्ष्म और वृहद दोनों स्तरों पर दीर्घकालिक उत्पादकता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा की स्थिति सभी स्तरों पर हमारे राष्ट्रीय प्रवचन का विषय क्यों बनी हुई है। नतीजतन, सभी स्तरों पर शिक्षा की घटती गुणवत्ता का निहितार्थ राष्ट्र की नैतिक, नागरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिरता पर दूरगामी नकारात्मक प्रभाव डालता है।

इस बिंदु पर, यह समझना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा और इसके सुधारों पर चर्चा, ताकि यह राष्ट्रीय विकास में सार्थक रूप से योगदान दे सके, धीरे–धीरे और व्यवस्थित रूप से राजनीतिकरण से हटकर अधिक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की ओर बढ़नी चाहिए, जो हमारे शैक्षिक विकास के लिए खेल और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करने में निहित जटिलताओं की सराहना करता है। भारतीय भविष्य में, इस क्षेत्र (शिक्षा) के लिए, सरकार के इन स्तरों का उचित रूप से एकीकरण होना चाहिए। यदि यह उचित तरीके से किया जाता है, तो

विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कर्मचारी संघ को औद्योगिक कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बेहतर बुनियादी ढाँचा होगा, कोई और प्रतिभा पलायन नहीं होगा, क्योंकि शोध गतिविधियाँ प्रभावी रूप से की जाएँगी और परीक्षा कदाचार को समाप्त या कम किया जाएगा और यह क्षेत्र राष्ट्र निर्माण में सार्थक रूप से योगदान देगा,शिक्षा क्षेत्र में कुछ जरूरी काम किया जाना चाहिए। उपरोक्त अवलोकन के बावजूद, इस शोधपत्र का मुख्य ध्यान राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के योगदान पर है। उत्पत्ति की दृष्टि से, शिक्षा शब्द दो लैटिन शब्दों 'एजुकेयर' और 'एजुकेरे' से मिलकर बना है। तदनुसार, 'एजुकेयर' का अर्थ है प्रशिक्षित करना, ढालना। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ है कि समाज व्यक्ति को सामाजिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए ढालता है। दूसरी ओर, 'एजुकेरे' का अर्थ है नेतृत्व करना, या विकास करना।

आमतौर पर, शिक्षा का उपयोग विशेष रूप से संज्ञानात्मक, आत्मकेंद्रित मनोप्रेरक और मनोवैज्ञानिक उत्पादक क्षेत्रों में मानव के विकास के लिए किया जाता है। यह मानव व्यवहार में प्रक्रिया के माध्यम से एक वांछनीय दृष्टिकोण भी विकसित करता है।

प्रत्येक पीढ़ी अपने युवाओं को क्या देती है, जिससे उनमें दृष्टिकोण, योग्यताएँ, कौशल और अन्य व्यवहार विकसित होते हैं, जो उस समाज के लिए सकारात्मक मूल्य हैं जिसमें वे रहते हैं।

शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसकी योग्यताओं और रुचियों के अनुसार स्वीकार्य तरीकों और तकनीकों के माध्यम से व्यक्तिगत बच्चे के संपूर्ण विकास के रूप में देखा जाता है और व्यक्ति को अपना सही स्थान लेने और समाज की वृद्धि में समान रूप से योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। यहाँ समझाई जाने वाली एक अन्य अवधारणा राष्ट्र निर्माण है। यहाँ राष्ट्र निर्माण को राष्ट्रीय विकास के रूप में लिया जाना चाहिए। लिचमैन और मार्कोविट्ज इस बात पर जोर देते हैं कि एक विकसित समाज वह है जो अपने अधिकांश निवासियों के लिए जीवनयापन का स्रोत प्रदान करने में सफल रहा है और ऐसे समाज में गरीबी उन्मूलन, अपने सदस्यों को भोजन, आश्रय और कपड़े प्रदान करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह तर्क आधुनिकीकरण प्रतिमान से टोडारो और स्मिथ द्वारा विकास की परिभाषा से सहमत है जो विकास को एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में देखता है जिसमें पूरे समाज और सामाजिक व्यवस्था का बेहतर या मानवीय जीवन की ओर निरंतर उत्थान शामिल है। वे विकास को समझने के लिए तीन बुनियादी घटकों की पहचान करते हैं। ये घटक हैं जीविका, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता। ये सभी व्यक्तियों और समाजों द्वारा मांगे जाने वाले सामान्य लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके अनुसार, जीविका का संबंध बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से है, आत्मसम्मान का संबंध मूल्य और आत्म–सम्मान की भावना से है, दूसरों द्वारा अपनी जरूरतों के लिए उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जाने से है और स्वतंत्रता का संबंध दासता से मुक्ति से है– प्रकृति, अज्ञानता, अन्य लोगों, दुख, संस्थानों और विशेष रूप से हठधर्मी विश्वासों के प्रति दासता, कि गरीबी एक पूर्वनियति है। कोई भी विकास मॉडल जो इन सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करता है, उसे एक प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता है।

इस शोधपत्र का फोकस राष्ट्र निर्माण या राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के योगदान को देखना है। यहाँ विचारणीय बिंदुओं में सबसे प्रमुख यह है कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक जनशक्ति प्रदान करती है। अफोलाबी और लोटो इस तर्क का समर्थन करते हुए कहते हैं कि एक विकसित या शिक्षित राजनीति वह होती

है जिसमें पर्याप्त जनशक्ति होती है और प्रत्येक व्यक्ति समाज के विकास को बढ़ाने के लिए अपनी सही स्थिति में होता है। इसका समर्थन करने के लिए, अजयी और अफोलाबी ने यह भी टिप्पणी की है कि भारत में शिक्षा को बड़े पैमाने पर एक अपरिहार्य उपकरण के रूप में माना जाता है जो न केवल राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करेगा बल्कि व्यक्ति में ज्ञान, कौशल, निपुणता, चरित्र और वांछनीय मूल्यों को भी विकसित करेगा जो राष्ट्रीय विकास और आत्म–साक्षात्कार को बढ़ावा देगा। शिक्षा व्यक्ति को समाज में उपयोगी बनने तथा राष्ट्रीय विकास के लिए समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित करती है। इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि शिक्षा के बिना राष्ट्र को भौतिक उन्नति तथा नागरिकों के ज्ञानवर्धन के लिए आवश्यक जनशक्ति नहीं मिल सकती। प्रशिक्षित इंजीनियर, शिक्षक, चिकित्सक,अधिवक्ता अन्य सभी शिक्षा के उत्पाद हैं। यह बताता है कि क्यों यह तर्क दिया जाता है कि किसी राष्ट्र की शिक्षा की गुणवत्ता उसके राष्ट्रीय विकास के स्तर को निर्धारित करती है।

इसके अलावा, शिक्षा सामाजिक तथा समूह संबंधों को बढ़ावा देती है शिक्षा व्यक्तियों को समाज में दूसरों के साथ सार्थक रूप से संबंध बनाने तथा बातचीत करने तथा मानव प्रगति के लिए प्रभावी संगठन के महत्व को समझने के लिए प्रशिक्षित करती है। यहाँ, शिक्षा प्रणाली के भीतर स्कूल प्रणाली इस विकास को बढ़ावा देती है। स्कूल अलग–अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों को एक साझा उद्देश्य के लिए एक साथ लाता है। यह आपसी सह–अस्तित्व को बढ़ावा देता हैं। माना जाता है कि जो शिक्षार्थी अपने विद्यालय से दृढ़ता से जुड़े होते हैं, उनका शिक्षकों, अन्य शिक्षार्थियों और संपूर्ण शैक्षिक उद्यम के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है।

विद्यालय प्रणाली में, आधिकारिक क्लब और संगठन मौजूद हैं। इन संगठनों और क्लबों में भाग लेने वाले शिक्षार्थी व्यक्तिगत संगठनों के बाहर दूसरों के साथ काम करने और कुछ हद तक न्यूनतम घर्षण के साथ बाहरी समूहों के साथ काम करने और प्रतिस्पर्धा करने का अनुभव प्राप्त करते हैं और यह राष्ट्रीय एकता और शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करता है जो राष्ट्रीय विकास की ओर ले जाएगा। कभी–कभी, कुछ मामलों में औपचारिक रूप से विद्यालय द्वारा प्रायोजित नहीं किए जाने वाले संगठन कक्षाओं के न होने पर विद्यालय की सुविधाओं का उपयोग करने की व्यवस्था करते हैं। शिक्षार्थी इन समूहों के साथ अपने जुड़ाव से उसी तरह लाभ प्राप्त करते हैं जिस तरह से वे विद्यालय प्रायोजित संगठनों में भागीदारी से लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसा करने से, शिक्षा एक ऐसी सेटिंग प्रदान करती है जिसके भीतर विभिन्न शिक्षार्थियों के संगठन पनपते हैं और युवा लोगों को पारस्परिक संबंधों के उचित पैटर्न सीखने में मदद करने के लिए एक संदर्भ प्रदान करते हैं। व्यक्ति–से–व्यक्ति व्यवहार पैटर्न के विकास के लिए एक मंच प्रदान करता है क्योंकि विद्यालय की कक्षाओं में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं। इन कक्षाओं में, शिक्षार्थी अपने से अलग सामाजिक, जातीय और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों से मिलते हैं।

यहाँ, युवा लोगों के परिपक्व होने के साथ ही पुरुष–महिला संबंध विकसित होने लगते हैं। यह स्पष्ट है कि शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षार्थियों को निर्धारित शैक्षणिक पाठ्यक्रम से परे बहुत कुछ सिखाया जाता है और सामाजिक व्यवहार के विकास को भी प्रोत्साहित किया जाता है जो वयस्क होने पर उनके लिए उपयोगी होगा।

शिक्षा व्यक्तियों को उनमें रचनात्मक क्षमताओं की खोज करने और विशिष्ट कार्यों को करने के मौजूदा

कौशल और तकनीक में सुधार करने में सक्षम बनाकर उत्पादकता की संस्कृति को भी बढ़ावा देती है, जिससे उनके व्यक्तिगत सामाजिक प्रयासों की दक्षता बढ़ती है। शिक्षा लोगों को खुद के लिए और जिस समाज में वे रहते हैं उसके लिए उपयोगी होना सिखाती है या प्रशिक्षित करती है। इसके द्वारा, उन्हें उत्पादक होना चाहिए और अपनी रचनात्मक क्षमताओं की खोज करनी चाहिए और आत्म–साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कार्यों को करने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए।

शिक्षा व्यक्तियों में उन मूल्यों का भी विकास करती है जो अच्छे नागरिक बनाते हैं, जैसे ईमानदारी, निस्वार्थता, सहिष्णुता, समर्पण, कड़ी मेहनत और व्यक्तिगत अखंडता, ये सभी ऐसी समृद्ध मिट्टी प्रदान करते हैं जिससे अच्छी नेतृत्व क्षमता तैयार होती है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, शिक्षा व्यक्ति को समाज में जिम्मेदार बनने के लिए प्रशिक्षित करती है। इससे यह स्पष्ट है कि शिक्षा नैतिक प्रशिक्षण देती है। उपर्युक्त चर्चा राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करने में शिक्षा की रणनीतिक स्थिति को दर्शाती है। भारतीय शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त संकट शिक्षा के वित्तपोषण में सरकार की अनदेखी, शिक्षा का राजनीतिकरण, बदलते राजनीतिक माहौल, शिक्षा नीतियों में निरंतर परिवर्तन और भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। नीचे भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले चिरस्थायी संकट का स्थायी समाधान बताया गया है।

समाधानों में सबसे प्रमुख यह है कि सरकार को शिक्षा के प्रभावी वित्तपोषण के लिए प्रावधान करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। फिर से, शिक्षा एक त्रिपक्षीय मामला होना चाहिए और संघीय, राज्य और स्थानीय सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। साथ ही, निजी क्षेत्र को भी वित्तपोषण में भाग लेने के लिए बनाया जाना चाहिए।यह तभी सफल होगा जब सरकार वित्तपोषण के मामले में प्रणाली के प्रति अपनी गंभीरता और प्रतिबद्धता दिखाएगी।

स्वतंत्रता के बाद, भारत ने एकीकृत राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए महत्वपूर्ण शैक्षिक सुधार किए। औपनिवेशिक पाठ्यक्रम, जो क्लर्क और सिविल सेवक बनाने पर केंद्रित था, को भारत के इतिहास एवं सांस्कृतिक विरासत पर गर्व पैदा करने वाले पाठ्यक्रम से बदल दिया गया। तीन–भाषा सूत्र की शुरूआत का उद्देश्य भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए एकता को बढ़ावा देना था। राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना जाना चाहिए और इस प्रयास में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, शिक्षक और शैक्षणिक संस्थान बचपन से ही छात्रों में एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा कर सकते हैं, सामरिक और एकीकृत शिक्षा आयन प्रणाली को अपनाया जा सकता है जहाँ विभिन्न संप्रदायों और पृष्ठभूमि के छात्र एक–दूसरे को स्वीकार करना और सम्मान करना सीखते हैं। शिक्षकों को रोल मॉडल के रूप में माना जाता है जो छात्रों को अपने देश का सम्मान करने और सभी लोगों के साथ गरिमा और निष्पक्षता के साथ व्यवहार करने के लिए प्रभावित कर सकते हैं।

निष्कर्ष :-

भारत में शिक्षा का तात्पर्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं है इसका अर्थ है राष्ट्र निर्माण। यह लाखों लोगों के मस्तिष्क और आकांक्षाओं को आकार देता है, देश को आगे बढ़ाता है। इस शोधपत्र का फोकस राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के योगदान पर है और शोधकर्ताओं ने उन विशिष्ट तरीकों की पहचान की है, जिनसे शिक्षा राष्ट्र निर्माण में योगदान देती है। यह शोधपत्र इस बात पर भी जोर देता है कि राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का योगदान भारत में खराब वित्त पोषण, व्यवस्था के राजनीतिकरण, अस्थिर राजनीतिक माहौल और भ्रष्टाचार के कारण सीमित रहा

है। शिक्षा का राष्ट्रीय विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए कुछ सिफारिशें की गई हैं और अगर उनका उचित तरीके से पालन किया जाए, तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्याप्त संकट का समाधान हो जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. के एंड नासिर। आर। (2000)। शिक्षण की स्थिति राष्ट्रीय एकता के लिए निहितार्थ, शैक्षिक अध्ययन के भूमध्यसागरीय जर्नल, टवस।
2. लाल. आर. बी. और पालोड. एस (2014)। शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। आर. लाल बुक डिपो।
3. कौर मंदीप, आर्थिक विकास और शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) वाल्यूम–7 स्पेशल इश्यू, मई 2019।
4. कुमार राजेश, महिला व कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने में शिक्षा का योगदान (2018), इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडभांस रिसर्च एण्ड डेवभलपमेंट।
5. सारस्वत एवं श्रीवास्तव (2007), भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएं, इलाहाबाद न्यू कैलाश प्रकाशन।
6. शील, अवनींद्र (2011), भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं, कानपुर साहित्य रत्नालय पब्लिकेशन।

आरती यादव

शान्तिपुरम, फाफामऊ, प्रयागराज।

artiyadav8573083646@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 193–197

रमेशचन्द्र शाह के उपन्यासों में सांस्कृतिक अवमूल्यन

डॉ. नरेश कुमार
पीएच.डी, नेट–जे.आर.एफ, एम.ए, बी.ए, पी.जी.डी.टी
पटियाला–147001

संस्कृति और साहित्य का अटूट सम्बन्ध है। संस्कृति ही साहित्य की जननी होती है। क्योंकि साहित्य में जिन आचारों–विचारों अथवा मूल्यों को अभिव्यक्त किया जाता है। वे सभी समाज और संस्कृति से ही ग्रहण किये जाते हैं। एक तरह से साहित्य, संस्कृति के मूल्यों का संवाहक भी होता है। साहित्य, मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित भी करता है। अतः साहित्य के माध्यम से भी संस्कृति का अध्ययन किया जा सकता है। प्रस्तुत शोध पत्र में रमेशचन्द्र शाह के उपन्यासों के माध्यम से संस्कृति के भिन्न–भिन्न मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों पर विचार किया गया है।

रमेशचन्द्र शाह आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार हैं। उनके उपन्यासों में भारतीय संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। प्रत्येक समाज के अपने कुछ आचार–विचार अथवा मूल्य होते हैं। जिसे संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। भारतीय समाज की भी अपने विशेष मूल्य हैं। जिसका परम्परागत रूप से अनुपालन हर भारतीय करता आ रहा है। यथा : अतिथि सत्कार, बड़ों का आदर करना, करुणा, प्रेम, त्याग, बंधुत्व इत्यादि। जब संस्कृति के आदर्श रूपी आचारों–विचारों अथवा मूल्यों का ह्रास होने लगता है अथवा परिवर्तन होने लगता है, तो इसे सांस्कृतिक अवमूल्यन के रूप में विवेचित किया जाता है। यहाँ कुछ चिन्तन बिन्दुओं को लेकर स्पष्ट किया गया है कि भारतीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। जिनका विवेचन इस प्रकार से है :–

1.1 **श्रद्धा–भक्ति का अवमूल्यन :** आर्थिक स्थिति के खराब होने से व्यक्ति का मन सांस्कृतिक मूल्यों से विमुख हो सकता हैय जैसे– भारतीय संस्कृति में साधुओं और बाबाओं का आदर और सत्कार किया जाता है, घर पर आने पर जल–पान और भोजन दिया जाता है। परन्तु घर की आर्थिक–तंगी की वजह से, किसी साधु–संन्यासी का घर आना बोझ लगता है। श्रद्धा और भक्ति का अवमूल्यन होता है। इस तरह का वृतान्त 'गोबरगणेश' उपन्यास में देखा जा सकता है। इस उपन्यास में विनायक का पिता भगवान साधु–प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह साधु–संन्यासी के सान्निध्य में विशेष आस्था रखता है। अतः उनके घर किसी साधु के आने पर विशेष सत्कार किया जाता है। परन्तु विनायक की माँ इससे उक्ता चुकी है। उदाहरणतः जब विनायक के घर एक साधु आता है, तो उसकी माँ आग–बबूला हो जाती है, जो उसके इन शब्दों से अभिव्यक्त हो जाता है : ''इन जोगी–भगौतियों के मारे मैं तंग आ गई हूँ। कहलाएंगे जोगी–संन्यासी और खाने को चाहिए सूजी के पुए। यहाँ बच्चों के भात में डालने को भी दो बूँद घी नहीं होता और इनको पुए चाहिए।"[1] इससे स्पष्ट होता है कि विनायक के घर की आर्थिक स्थिति

सही नहीं है और साधुओं का आना–जाना लगा रहता है। अतः विनायक की माँ का इस तरह बड़बड़ाना स्वाभाविक ही है।

1.2 मधुर दाम्पत्य संबंधों का पतन : परिवार संस्था में माता–पिता का दायित्व होता है कि वह अपने परिवार के जीवन–यापन के लिए संसाधन जुटाए और उपयुक्त ढ़ंग से परिवार के पेट का भरण–पोषण करें। 'गोबरगणेश' उपन्यास में विनायक का पिता, अपने परिवार के भरण–पोषण हेतु कमाने–धमाने में ध्यान नहीं देता है। धन कमाने के प्रति उसके पिता की उदासीनता के चलते, घर में आर्थिक तंगी रहती है। अतः विनायक के पिता का घर में बड़ा होने के कारण, जितना आदर–सम्मान परिवार में मिलना चाहिए। उतना नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि उसकी माँ भी, उसके पिता के साथ अभद्र व्यवहार करती है। भारतीय समाज में इस परम्परा पर पूरी निष्ठा है कि भोजन ग्रहण करते समय किसी तरह का कलह अथवा वार्तालाप नहीं करना चाहिए। परन्तु विनायक की माँ, इस विचार की उपेक्षा करती है, जो विनायक की बहन सरोज के इन शब्दों से पता चल जाता है : ''माँ भी उनसे अच्छे से नहीं बोलती। जब देखो जली–कटी सुनाती रहती है। खाते बखत भी।"[2] अतः स्पष्ट है कि आर्थिक स्थिति के प्रतिकूल होने से पारिवारिक सदस्य, परम्परागत आचारों से विमुख हो सकते हैं।

1.3 संवेदन शून्यता : मनुष्य प्राकृतिक रूप से पशु है। धर्ममूलक संस्कृति मनुष्य को पशुता से मानवता की ओर अग्रसर करती है। परन्तु फिर भी कभी न कभी पशु–जन्य संस्कार, अवसर पाकर जागृत हो ही उठते हैं। 'आखिरी दिन' उपन्यास में एक बस में विस्फोट होने के बाद की लूट, समाज की पशुता और संवेदनहीनता को उजागर करती है, जो कथानायक इन्द्रजीत द्वारा उद्घाटित हो जाती है : ''बचे खुचे यात्री ही मृतकों और घायलों का सामान–घड़ी, पेन और पर्स लूटने में लगे हुए थे।"[3] उक्त लोग घायलों की सहायता भी कर सकते थे। किन्तु लालसा के वशीभूत हो वे अनाचार की ओर प्रवृत्त होते हैं। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य किंचित् धन–सम्पदा के लिए संवेदन शून्य हो सकता है। करुणा और दया जैसे– मानवीय मूल्यों से दूर हो सकता है।

1.4 अनमेल विवाह की विकृति : अनमेल विवाह, एक गंभीर विकृति के रूप में हमारे समक्ष आती है। अनमेल विवाह की विकृति की विवेचना 'गोबरगणेश' उपन्यास में भी बहुत ही विस्तार पूर्वक से की गई है। इस उपन्यास की मुख्य पात्रा सरोज का विवाह, एक ऐय्याश अमीर व्यक्ति से कर दिया जाता है। विनायक अपनी बहन सरोज की त्रासदी को बताते हुए कहता है : ''एक गरीब लेकिन संस्कारी परिवार में पली दीदी उस अमीर और ऐय्याश घराने के साथ अपने व्यक्तित्व को नहीं घुला सकीं।"[4] इस अनमेल वैवाहिक जीवन में, सरोज अपने पति की ऐय्याशी के दुःख से आखिर में विक्षिप्त हो जाती है। 'पूर्वापर' उपन्यास में बंटू के माता–पिता अपनी पुत्री का विवाह अभिजात–वर्ग के एक विधुर से कर देते हैं, जो बंसी के पिता गोपी पंडित के बंसी को कहे इस वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है : ''ललाइन की जिद थी। अमीर घर मिल रहा था। दुहाजू था तो क्या हुआ ! कन्यादान का पुण्य इतनी आसानी से कौन छोड़ता है।"[5] इस विवाह को अनमेल विवाह की श्रेणी में ही रखा जाएगा। भारतीय परम्परा का अध्ययन किया जाये तो हमें ज्ञात होता है कि कन्या को पति चुनने का अधिकार रहा है। अतरू एक तरह से उक्त विकृति परम्परा का हनन ही है।

1.5 अस्पृश्यता की विकृति : अस्पृश्यता, व्यक्ति को असामाजिक बनाती है। किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर अछूत मानना एक विकृति है, जो भारतीय समाज में व्याप्त है। गांधी के कथन अनुसार, ''अस्पृश्यता–छुआछूत हिन्दू–धर्म का अंग नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि उसमें घुसी हुई सड़न है, वहम है, पाप

है और उसका निवारण करना प्रत्येक हिन्दू का धर्म है।''[6] अतः लेखक का इस विकृति को अपने उपन्यास में दिखाने के पीछे समाज–परिवर्तन की ही आकांक्षा है। 'गोबरगणेश' उपन्यास में वर्णित लोगों की धारणा है कि छोटी जाति के लोगों को छू लेने मात्र से सवर्ण अपवित्र हो जाते हैं। जब विनायक को पता चलता है कि नारायण डूम है, तो उसको अतीत की एक घटना याद आती है : ''माँ की बीमारी के दिनों में कई दिनों तक बर्तन माँजने के लिए एक औरत उनके घर आती रही थी। वह भी माँ ने बतलाया था–डूम है। माँ यों तो उसके साथ बड़े प्रेम से बोलती थी... मगर उसे छूती नहीं थी। कोई रोटी, कपड़ा या रुपया पैसा भी देना होता तो ऊपर से ही उसके फैले हुए हाथ या आँचल में डाल देती थी।''[7] इससे पता चलता है कि तत्कालीन समाज में इस मान्यता का प्रचलन था कि छोटी जाति के लोगों को छू लेने मात्र से सवर्ण अपवित्र हो जाते हैं। जातिगत विभिन्नता का संस्कार बालक के मन पर प्रारंभ में ही डाल दिया जाता है। जिससे सौहार्द और ऐक्य जैसे सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास होता है।

1.6 जातिगत भेदभाव की विकृति : जातिगत भेदभाव भारतीय समाज में फैली एक गंभीर समस्या तथा अमानवीय और अन्यायपूर्ण व्यवहार है। 'किस्सा गुलाम' उपन्यास में लेखक ने जातिगत भेदभाव को यथार्थ रूप में चित्रित किया है, जो कुन्दन के माध्यम से जताया गया है। कुन्दन घरेलू परीक्षा में सदैव शंका में रहता है कि नीची जाति के विद्यार्थी को शिक्षक कभी फर्स्ट नहीं आने देते। उसकी यह शंका तब सही साबित होती है। जब कुन्दन का मामा वाद–विवाद की एक प्रतियोगिता के निर्णायकों में से एक था और वह कहता है : ''हम तीनों निर्णायक अगल–बगल में ही तो बैठे थे। बाकी दोनों ने तुझे इतने कम नम्बर दिये थे कि मैं तुझे सौ में से सौ भी देता तो भी तुझे हद–से–हद थर्ड प्राईज ही मिलता।''[8] उक्त वक्तव्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस तरह का अन्याय एक दलित के भीतर विद्रोह का भाव पैदा करता है, जो कुन्दन के कनसोलेशन प्राइज न लेने से भी स्पष्ट हो जाता है। जातिगत भेदभाव जहाँ एक वर्ग अथवा जाति के स्वार्थ को प्रफुल्लित करता है, वहीं दूसरी और अन्य वर्ग अथवा जाति के अधिकारों का हनन भी करता है, जो बंधुत्व की जगह परस्पर वैमनस्य बढ़ाकर तनाव की स्थिति भी पैदा कर सकता है।

1.7 धार्मिक सद्भाव का अभाव : हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के त्योहारों में भागीदारी नहीं करते थे। ईद के त्योहार पर मुसलमानों द्वारा अपने हिन्दू पड़ोसी को सीधे हलवाई की दुकान से मिठाई भेज दी जाती थी। क्योंकि हिन्दू उनका छुआ नहीं खाते थे। हिन्दू त्योहार में मुसलमान भाग नहीं लेते थे। कुछ कट्टर मुसलमान तो होली के त्योहार पर उनके ऊपर रंग गिर जाने पर मारने को तैयार हो जाते थे, जो 'गोबरगणेश' के लच्छू द्वारा बताई गई इस घटना से प्रकट हो जाता है : ''पिछले साल की बात है, मैंने यूँ ही करीम पे रंग डाल दिया था–डाला किसी दूसरे लड़के पर था– करीम उधर से आ रहा था, उस पर पड़ गया तो उसका बड़ा भाई आकर मुझे सीढ़ियों से जबर्दस्ती घसीटकर गली में ले गया और जेब से चाकू निकाल लिया। वो अल्लादिया चाचा उसी वक्त बीच में आ पड़े वरना वो मुझे चाकू मार देता और आपको पता है काका ! क्या होता? दंगा हो जाता दंगा।''[9] यहाँ समझा जा सकता है कि धार्मिक कट्टरता व्यक्ति की मानसिकता को संकुचित करती है। जिससे उदारता, सहनशीलता आदि सांस्कृतिक मूल्यों का पतन होता है। संस्कृति और समाज के विकास के लिए धार्मिक विद्वेष एक बाधा है। यही विकृति मानव–समाज को दंगे की ओर लेकर चली जाती है और मानव–समाज को खण्डित करती है। अतः सुसंगठित समाज के लिए धार्मिक सद्भावना का होना अति आवश्यक है।

1.8 अवसरवाद की विकृति : राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना होता है। सत्ता लोलुप राजनेता का मंतव्य किसी भी तरह सत्ताधारी बनना होता है। जहाँ वैचारिक प्रतिबद्धता का कोई वजूद नहीं होता। अतः सत्ताधारी बनने के लिए नेता सत्तारूढ़ दल के पिछलग्गू ही बने रहते हैं। 'किस्सा गुलाम' उपन्यास के अन्तर्गत कुन्दन का नाना भी इस प्रवृत्ति का है, जो कुन्दन के पिता नारायण राम के इस कथन से उजागर हो जाता है : ''तेरे नानाजी जैसे पहले अंग्रेजों के भक्त थे, वैसे ही अब कांग्रेस के भक्त हैं। दरअसल वे किसी के भक्त नहीं हैं, बस अपने भक्त हैं। जब जिसकी हकूमत देखी उसी के पीछे लग गए।"[10] नारायण का उक्त कथन तत्कालीन राजनीति के नेता की अवसरवादी होने की चारित्रिक विशेषता को ही उद्‌घाटित करता है। वास्तव में, एक नेता किसी भी तरह सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। कुन्दन का नाना भी उन नेताओं में से एक है।

1.9 अपरिग्रह का विघटन : आधुनिक युग में व्यक्ति धन–लोलुप हो गया है। वह अल्प काल में अधिक से अधिक धन अर्जित करने की धारणा का पक्षधर है। जहाँ तक धन अर्जित करने के साधन नैतिक और कानून की दृष्टि से उचित होते है। वहाँ पाप–अनाचार की संभावना नहीं होती। परन्तु धन–लोलुपता से ग्रसित व्यक्ति के अनैतिक और अनुचित होने की संभावना भी समान रूप से बनी रहती है। जब आजीविका के साधन, अनैतिक और कानून की दृष्टि में अनुचित होते है, तो वह अपराध की श्रेणी में आते हैं। 'गोबरगणेश' उपन्यास में 'हाथी छाप' बीड़ी का व्यापारी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए बीड़ी में चरस की मिलावट करता है, जो विनायक के इस वक्तव्य से उद्‌घाटित हो जाता है : ''उन्होंने लोगों को आकर्षित करने के लिए हर दसवीं बीड़ी में चरस का एक पुट दे रखा है, जिसका चस्का लग जाने के बाद आदमी और कहीं जा ही नहीं सकता।"[11] उक्त बीड़ी व्यापारी लोगों को नशे की लत लगाकर अपराध ही कर रहा है। धन–लोलुप और स्वार्थी व्यक्ति अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाए गए साधनों की उपयोगिता पर विचार नहीं करता है। उसका मंतव्य अधिक से अधिक धन कमाना ही होता है। धन का अत्यधिक लोभ होने से व्यक्ति अपरिग्रह, दया, पुण्य इत्यादि सात्विक मूल्यों से दूर होता है। लोभी व्यक्ति निजी लाभ के लिए अनुचित मार्ग का अनुसरण करते हुए अपराध की ओर प्रवृत्त होता है। जिससे समाज का विकृतिकरण ही होता है।

1.10 अलगाववाद की समस्या : आजकल भारतीय समाज बन्धुत्व की अपेक्षा अलगाववाद को महत्त्व दे रहा है, जो एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। अलगाववाद का संबंध, उस विचारधारा से है। जिस विचारधारा में अलग होने का भाव निहित होता है। अतः किसी विशेष समाज या समुदाए या किसी देश या देश के ही भीतर, किसी प्रदेश से अलग होने के विचारों और भावों का पोषण, जिस विचारधारा में होता है। उस विचारधारा को 'अलगाववाद' कहते हैं। अलगाववादी प्रमुखतः अलग देश की माँग करते हैं। किन्तु कई बार अलग देश की अपेक्षा कुछ राजनीतिक मामलों को आधार बनाकर अलग राज्य की माँग भी की जाती है। रमेशचन्द्र शाह के 'पुनर्वास' उपन्यास में अलग उत्तराखण्ड की माँग संबंधी जन–आन्दोलन की झलक मिल जाती है। आन्दोलनकारी उत्तरप्रदेश से अलग होना चाहते है, जो प्रो. दीनानाथ के इस वक्तव्य से अभिव्यक्त हो जाता है : ''सारे लोग जिस तरह से उत्तेजित हैं, आंदोलित हैं– अलग उत्तराखण्ड की माँग को लेकर–उसमें, उस उत्साह में शरीक न हो पाना और शंका–कुशंका के सुर छेड़ते रहना–बड़ी अटपटी स्थिति पैदा करता है मेरे लिए। अलगाववादी मानसिकता से प्रेरित नहीं है यह आन्दोलन, ऐसा खुद को विश्वास दिलाने का प्रयत्न करता रहता हूँ।"[12] अतः

कई बार भाषा के आधार को लेकर या संबंधित क्षेत्र के विकास के लिए अलग राज्य की माँग भी की जाती है। अलगाववाद विचारधारा के मूल में अलग होने के आधार प्रमुखतः धर्म, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र, आदि होते हैं। उदाहरण के रूप में, भारत–विभाजन पर विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि मुस्लिम लीग और जिन्ना ने अलग धर्म और संस्कृति के आधार पर ही पाकिस्तान की माँग की थी। जिस वजह से भारत को विभाजन की त्रासदी से गुजरना पड़ा था। वास्तव में, जिन्ना मुस्लिमों के लिए ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक आधार प्राप्त करना चाहता था। जिसको फलित न होते देखकर उसने अलग देश की माँग की थी। अतः अलगाववाद के पीछे राजनीति ही गतिशील होती है।

निष्कर्ष : उपर्युक्त चिन्तन बिन्दुओं के आधार पर अवगत हो जाता है कि भारतीय आदर्शों, परम्पराओं, मान्यताओं इत्यादि जिनका भारतीय संस्कृति में अत्यधिक महत्त्व है। जब इनका पतन व परिवर्तन होता है। तब सांस्कृतिक अवमूल्यन की स्थिति उत्पन्न होती है। आलोच्य तथ्यों के अध्ययन उपरान्त स्पष्ट भी हो जाता कि सांस्कृतिक अवमूल्यन के लिए कई घटक जिम्मेदार हैं। जिनमें आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रमुख हैं। आर्थिक अभाव और धनलोलुपता आदि से व्यक्ति के नैतिक चरित्र का हनन हो सकता है। अपने निजी स्वार्थ व सत्ता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, फूट डालो शासन करो की कूटनीति अपना सकता है। धर्मिक कट्टरता व्यक्ति में दुर्गुणों का विकास करती है। छुआछूत, जातिवाद, अनमेल विवाह इत्यादि सामाजिक विकृतियां भी सांस्कृतिक विकास को बाधित करती हैं। विदेशी संस्कृति के प्रभाव से भी संस्कृति में परिवर्तन आने से अवमूल्यन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अन्ततः स्पष्ट हो जाता कि उक्त कारणों और प्रभावों की वजह से अवांछित परिवर्तनों और परिणामों से संस्कृति का अवमूल्यन होता है।

संदर्भ :–

1. रमेशचन्द्र शाह, गोबरगणेश (दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, सं. 2012), पृ. 32.
2. वही, पृ. 163.
3. रमेशचन्द्र शाह, आखिरी दिन (बीकानेर : वाङ्मदेवी प्रकाशन, सं. 1995), पृ. 48.
4. रमेशचन्द्र शाह, गोबरगणेश (दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, सं. 2012), पृ. 263.
5. रमेशचन्द्र शाह, पूर्वापर (नई दिल्ली : अनामिका पब्लिशर्स, सं. 2020), पृ. 128.
6. मो. क. गांधी, धर्मनीति (नई दिल्ली : सस्ता साहित्य मंडल, सं 2013), पृ. 117.
7. रमेशचन्द्र शाह, गोबरगणेश (नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, सं. 2012), पृ. 55.
8. रमेशचन्द्र शाह, किस्सा गुलाम (नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन, सं. 2012), पृ. 155.
9. रमेशचन्द्र शाह, गोबरगणेश (नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., सं. 2012), पृ. 96.
10. रमेशचन्द्र शाह, किस्सा गुलाम (नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन, सं. 2012), पृ. 62.
11. रमेशचन्द्र शाह, गोबरगणेश (नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, सं. 2012), पृ. 20.
12. रमेशचन्द्र शाह, पुनर्वास (बीकानेर : वाङ्मदेवी प्रकाशन, सं. 2009), पृ. 63.

सं. सूत्र : 7837616933

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 198–204

आदिवासी साहित्य में आदिवासी समाज व संस्कृति का विवेचनात्मक अध्ययन

डॉ. जयंतिलाल. बी. बारीस
असिस्टेंट प्रोफेसर, आर. के. देसाई महाविद्यालय, वापी।

शोध सार :–

नई सदी में आदिवासी विमर्श व चिंतन साहित्य एवं समाज के लिए चर्चित विषय बना हुआ है। आदिकाल से ही आदिवासी समाज को एक पिछड़ा समाज मानकर उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता रहा है। परंतु वर्तमान शिक्षा के प्रचार–प्रसार, शोषणकारी नीतियों के विरूद्ध सामाजिक व साहित्यिक आंदोलनों से आदिवासी समाज में भी जागृति आयी है। आदिवासी साहित्य आदिवासी व गैर आदिवासी साहित्यकारों के द्वारा प्रचुर मात्रा में लिखा जा रहा है जिससे आदिवासियों के प्रति लोगों का नजरिया बदल रहा है। आदिवासी जीवन, रहन–सहन, परम्पराओं एवं सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर साहित्य की प्रत्येक विधा में लेखन कार्य हो रहा है। आदिवासियों को मुख्य समाज द्वारा जंगली, बर्बर, मूर्ख, भोला आदि की संज्ञा दी जाती है जिससे उनमें स्वयं के अस्तित्व व जीवन व्यवस्थाओं के प्रति हीन भावना विकसित हो जाती है। आदिवासी साहित्य उन्हें इस हीन ग्रंथि से मुक्त कराने का हथियार तो है ही साथ ही उनमें चेतना जागृत करने का प्रमुख स्त्रोत है व आत्मविश्वास जगाने का जरिया भी है।

बीज शब्द :– आदिवासी, जनजाति, समाज, संस्कृति, आदिवासी साहित्य, दर्शन, जीवन शैली, प्रकृति।

मूल आलेख :–

आदिम जातियों और जनजातियों के लिए 'आदिवासी' शब्द का प्रयोग प्राचीन समय से ही किया जाता रहा है। इन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति की धरोहरों को युगों से संजोया हुआ है इसीलिए ये राष्ट्र के असली वारिस कहे जा सकते हैं। सभ्यता और संस्कृति के विकास में इनकी भूमिका मुख्यधारा से अधिक प्राचीन व वास्तविक है। फिर भी आज ये लोग मुख्य धारा से विलग अस्तित्व की पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। इसका कारण वर्तमान विकासवादी प्रक्रिया के साथ ही इनका अंधविश्वास, जड़ता व रूढ़िवादी परंपराएँ रही है। यह समाज आज भी अभावग्रस्त रूप से मुख्य समाज से दूर पहाड़ों व दूरदराज के इलाकों में आधुनिक सुख–सुविधाओं के अभाव में दमन व शोषणकारी परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहा हैं। आदिवासी कौन है यह प्रश्न वर्षों से विचार–विमर्शों और संगोष्ठियों का मुख्य विषय रहा है। विनायक तुकाराम के अनुसार "वर्तमान स्थिति में 'आदिवासी' शब्द का प्रयोग विशिष्ट पर्यावरण में रहने वाले, विशिष्ट भाषा बोलने वाले, विशिष्ट जीवन

पद्धति तथा परंपराओं से सजे और सदियों से जंगल, पहाड़ों में जीवन यापन करते हुए अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संभालकर रखने वाले मानव समूह का परिचय करा देने के लिए किया जाता है और बहुत बड़े पैमाने पर उनके सामाजिक दुःख तथा नष्ट हुए संसार पर दुःख प्रकट किया जाता है। उनके प्रश्नों तथा समस्याओं पर जी तोड़कर बोला जाता है।"[1]

आजादी से पहले और तब से लेकर आज तक आदिवासियों की मूल समस्याएं वनोपज पर प्रतिबंध, जंगलों से खदेड़ा जाना, तरह–तरह के लगान, महाजनी शोषण, पुलिस प्रशासन की जाततियां आदि है। सरकार द्वारा अपनाए गये विकास के गलत मॉडल ने आदिवासियों से उनके जल, जंगल और जमीन छीनकर उन्हें बेदखल तो किया ही है साथ ही प्रकृति को भी नष्ट किया है। विस्थापन उनके जीवन की मुख्य समस्या बन गई है। इस प्रक्रिया में उनके सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान व अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। आदिवासी समाज प्रकृति पूजक है तथा प्रकृति का अपमान उनके लिए असहनीय है। इसीलिए अपने अस्तित्व और अस्मिता के साथ प्रकृति को बचाने के लिए आदिवासी विमर्श और चिंतन की आवश्यकता इस समाज द्वारा अधिक महसूस की जाने लगी है। आदिवासी समाज की संस्कृति, जीवन शैली प्रकृति के साथ तालमेल पर आधारित हैं। रमणिका गुप्ता के शब्दों में "हम प्रकृति पर कब्जा नहीं करना चाहते न उस पर अपना वर्चस्व जताना चाहते हैं। हम साथ–साथ जीने में विश्वास करते हैं, विनाश में नहीं।"[2] आदिवासी समाज को मुख्यधारा का समाज हमेशा से हेय दृष्टि से देखता रहा हैं। समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ और अधिकतर साहित्यकार भी अपने पूर्वाग्रहों के चलते अकसर आदिवासी समाज के स्वरूप पर चर्चा करते हुए इनके समाज की सही पड़ताल नहीं कर पाते। आदिवासी समाज का अपना एक अलग जीवन और संसार हैं। उनके समाज की एक अलग सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना हैं। इसकी एक प्राचीन परंपरा रही हैं। अपने समाज को चलाने, अपनी संस्कृति को समृद्ध करने और जीवन के लोकरंग के उनके अपने मानदंड हैं। यह समाज जीवन को बिना किसी दिखावे और बनावटीपन के सहज एवं सरल रूप में जीता हैं साथ ही विविधता से भरी संस्कृति के आलोक में ही जीवन संचालित करता है।

समानता और स्वतंत्रता के भाव आदिवासी समाज में स्थायी रूप से देखने को मिलते हैं। आदिवासी समाज में स्त्री को मुख्यधारा के समाज की तरह बाँधकर नहीं रखा जाता उसे पुरुष समान ही स्वतंत्रता प्राप्त है। आदिवासी समाज में अपने पूर्वजों को ही देवता के रूप में स्थापित किया जाता है। आदिवासी समुदाय का कोई विशेष धर्म नहीं हैं। धार्मिक मामलों में भी आदिवासी समाज में आडंबर मुख्यधारा के समाज की अपेक्षा कम है। बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर जो लूट और जनता का शोषण देखने को मिलता है उसका आदिवासी समाज में अभाव है। आदिवासी समाज के धार्मिक कर्मकांड भी अधिकांशतरू प्रकृति से जुड़े होते हैं। वृक्ष की पूजा आदिवासियों में प्रचलित है। प्रकृति आदिवासी समाज के धर्म और दर्शन दोनों के केंद्र में है।

आदिवासियों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति वर्तमान समय में अत्यधिक शोषणकारी होती जा रही है। वैसे तो अंधविश्वास हर तरह के समाज में व्याप्त है। शिक्षित व्यक्ति हो या अशिक्षितय सभी किसी न किसी अंधविश्वास के शिकार होते हैं। लेकिन आदिवासी समाज में ज्यादातर अंधविश्वास उनकी संस्कृति का अंग होते हैं। झाड़–फूंक, जादू–टोना जैसे अंधविश्वास भी आदिवासी समाज में व्याप्त हैं। रमणिका गुप्ता ने आदिवासियों की आर्थिक स्थिति का निरीक्षण करते हुए लिखा है "जंगल माफिया कीमती पेड़ उनसे सस्ते दामों पर खरीदकर

उच्चें दामों पर बेचता है और करोड़पति बन जाता है। पेड़ काटने के आरोप में आदिवासी दंड भरता है या जेल जाता है। सरकार की ऐसी ही नीतियों के कारण आदिवासी जमीन के मालिक बनने के बजाय पहले मजदूर बने फिर बंधुआ मजदूर।"[3] आदिवासी अर्थव्यवस्था वन प्रधान थी परंतु स्वतंत्रता के बाद जंगलों की कटाई तेजी से होने लगी। 'सरकार ने विकास के नाम पर बड़े–बड़े बाँध बनाए जिससे लाखों लोग विस्थापित हुए। हमारे देश की विकास नीति का लक्ष्य होना चाहिए था विकास में सबको समान अधिकार की प्राप्ति, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विकास तो हुआ, पर कुछ चुनिंदा लोगों का, असंख्य लोगों की कीमत पर। खासकर आदिवासियों की कीमत पर। राष्ट्रीयता के नाम पर आदिवासी लोगों की जमीन अधिग्रहित कर उन्हें विस्थापित ही नहीं किया गया बल्कि उसके संदर्भ में संविधान में प्राप्त मूल अधिकारों का उल्लंघन भी किया गया। इन विकास परियोजनाओं से इन आदिवासी प्रदेशों अथवा क्षेत्रों का आर्थिक संतुलन भी बिगड़ गया।'[4] सरकार के द्वारा कई योजनाएँ बनाई जाने लगीं जिससे वे अपने वनों, जंगलों से खदेड़ दिए गए। आदिवासियों को गरीबी, बदहाली, अशिक्षा, अंधविश्वास, बेरोजगारी आदि कई मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं।

सामाजिक–आर्थिक स्थिति के साथ ही आदिवासियों की शिक्षा की भी बदतर स्थिति है। आदिवासी समाज के विकास में शिक्षा की भूमिका निर्णायक है परंतु मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था से आदिवासियों का कोई भला नहीं हो सकता है क्योंकि जो शिक्षा उन्हें दी जा रही है वह मुख्यधारा से संबंधित है। इसलिए आवश्यक है कि आदिवासियों को शिक्षा उनकी भाषा में दी जाए जिससे अधिगम की सुगमता का विकास हो सके। आदिवासियों के लिए उस शिक्षा या विकास का कोई मतलब नहीं जिसमें उसकी सहभागिता ना हो। अतः शिक्षा से संबंधित इस चुनौती पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए जिससे सार्थक समाधान की तलाश की जाये।

आदिवासी तथा गैर आदिवासी साहित्यकारों ने आदिवासी अस्मिता के संकट को लेकर चिंता व्यक्त की है। मधु कांकरिया लिखती है कि 'आदिवासियों को जंगल, नदी और पहाड़ों से घिरे उनके प्राकृतिक और पारंपरिक परिवेश से बेदखल किया जा रहा है। अभी तक वह अपने विश्वासों, रीति–रिवाजों, लोकनृत्यों और लोकगीतों के साथ कुओं, मवेशियों, नदियों, तालाबों और जड़ी–बूटियों से संपन्न एक जनसमाज में रहता आया है। इसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति रही है। उसका अपना विकसित अर्थतंत्र था। वह अपने पुश्तैनी, पारंपरिक और कृषि आधारित कुटीर धंधों से परंपरागत था। बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, मधुपालन, दोना पत्तल, मधु उत्पादन, रस्सी, चटाई, बुनाई जैसे काम उसे विरासत में मिले थे परन्तु आज खुले बाजार की अर्थव्यवस्था ने सदियों से चले आए उनके पुश्तैनी और पारंपरिक धंधों को चौपट कर दिया है।"[5] आदिवासियों ने साहित्यकारों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। आदिवासियों के प्रति जो धारणा बनी हुई थी कि यह जनजाति असभ्य, बर्बर है। इस अवधारणा के प्रति तीव्र विरोध का भाव समाजचिंतकों, साहित्यकारों, इतिहासवेत्ताओं ने प्रकट किया है।

वर्तमान साहित्यकारों ने आदिवासियों को केंद्र में रखकर कई कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, व्यंग्य आदि विधाओं में रचनाएँ की है जिसमें आदिवासियों के निवास स्थान, इनके रीति–रिवाज, रहन–सहन, आचार–विचार, संस्कृति आदि को प्रस्तुत किया गया है। आदिवासी साहित्य दुनिया का सबसे पुराना व जीवंत साहित्य है। आदिवासियों के उन्नयन के लिए लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य है चाहे उसे कोई भी लिख रहा हो। इक्कीसवीं सदी के प्रारंभिक दशकों में नये सामाजिक आंदोलनों का जो उभार व विस्तार हुआ उनमें आदिवासियों,

स्त्रियों, दलितों, किसानों और अन्य जनजातियों की ऐसी माँगो और सैद्धांतिक मुद्दों को उठाया गया है जिससे सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर इन समुदायों के विकास के प्रश्नों को आसानी से सुलझाने के प्रयास सक्रिय हो पाए हैं। वंचितों के शोषण और भेदभाव के खिलाफ उठी इस मुहीम में सामाजिक–राजनीतिक आंदोलन के अलावा साहित्यिक आंदोलन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आदिवासी साहित्य, स्त्रीवादी साहित्य व दलित साहित्य उसी का प्रतिफल है। आदिवासी साहित्य में आदिवासी लोक की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था, रीति–रिवाजों, परंपराओं, कलाओं व प्रथाओं का वास्तविक चित्रण मिलता है। साथ ही इससे आदिवासियों के शोषण की वास्तविक स्थिति भी समाज के सम्मुख उजागर हुई है जिसने आदिवासी चेतना को जागृत किया है।

आदिवासी साहित्य अपनी प्रारंभिक निर्माण अवस्था में है फिर भी यह लेखन विविधताओं से भरा हुआ है। साहित्य की प्रत्येक विधा में आदिवासी चिंतन व विमर्श को स्थान मिला है। गैर–आदिवासी साहित्यकार व आदिवासी साहित्यकारों ने इस दिशा में सतत् प्रयास जारी रखे हैं। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि विधाओं में आदिवासी जीवन व समाज की जीवंत प्रस्तुति की गई है। आदिवासी रचनाकारों ने अपनी मौखिक साहित्य की समृद्ध परंपरा का लाभ लेते हुए इस क्षेत्र में अधिक मौलिक सृजन करने का प्रयास किया है। इन्होंने आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व के संघर्ष को अपना मुख्य हथियार बनाया है।

आदिवासी साहित्य में आदिवासी संस्कृति, दर्शन, जीवन शैली, प्रकृति और उनकी समस्याओं का सजीव चित्रण मिलता हैं। आदिवासी साहित्य स्वांत सुखाय नहीं लिखा जाता बल्कि यह प्रतिबद्ध साहित्य है और बदलाव के लिए कटिबद्ध है। आदिवासी साहित्य का स्वरूप व्यापक एवं विस्तृत है। संसार में जहाँ–जहाँ आदिम समूह रहते हैं उनसे सम्बन्धित सारा साहित्य आदिवासी साहित्य में समाविष्ट है। यह साहित्य अव्यक्त वेदना संसार का दर्शन कराने वाला व नये जागरण का उषासूक्त है। "आदिम भारत के नव निर्माण का स्वप्न बीज आदिवासी साहित्य के बहाने अंकुरित हो रहा है। पहाड़ों की गोद में और कँटीली झाड़ियों में, बस्ती–बस्ती में जिनके जीवन का हर क्षण शृंखलाबद्ध हुआ है। यह साहित्य ऐसे ही जंगलवासियों को मुक्ति की आशा दिलाने वाला है।"[6] गैर–आदिवासी समाज जब आदिवासी जीवन को आधार बनाकर साहित्य रचता है तो उसके विचार एवं संस्कार के संक्रमण का भय बना रहता है। इसे मात्र अध्ययन के द्वारा समझना संभव नहीं है। इसके लिए आदिवासी समाज के साथ रहना और जीना आवश्यक है।

आदिवासी साहित्यकार डॉ. विनायक तुकाराम कहते हैं "आदिवासी साहित्य वन, संस्कृति से संबंधित साहित्य है। आदिवासी साहित्य वनों, जंगलों में रहने वाले उन वंचितों का साहित्य है जिनके प्रश्नों का अतीत में कभी उत्तर ही नहीं दिया गया। यह ऐसे दुर्लक्षितों का साहित्य है जिनके आक्रोश पर मुख्यधारा की समाज व्यवस्था ने कान ही नहीं धरे। यह गिरि–कन्दराओं में रहने वाले अन्यायग्रस्तों का क्रांति साहित्य है। सदियों से जारी क्रूर और कठोर न्याय व्यवस्था ने जिनकी सैंकड़ो पीढ़ियों को आजीवन वनवास दिया उस आदिम समूह का मुक्ति साहित्य है। आदिवासी साहित्य वनवासियों का क्षत जीवन जिस संस्कृति की गोद में छुपा रहा उसी संस्कृति के प्राचीन इतिहास की खोज है। आदिवासी साहित्य इस भूमि से प्रसूत आदिम वेदना तथा अनुभव का शब्दरूप है।"[7] प्रो. व्यंकटेश आजाम के अनुसार "जो आदिवासी जीवन से प्रेरणा लेकर लिखा हुआ है वह आदिवासी साहित्य है।"[8] कवयित्री रमणिका गुप्ता के अनुसार "आदिवासी साहित्य मैं उसी को मानती हूं जो आदिवासियों ने लिखा और भोगा है। उसे आदिवासी समस्याओं, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थितियों तथा

जीवन शैली पर आधारित होना होगा अर्थात् आदिवासियों द्वारा आदिवासियों के लिए आदिवासियों पर लिखा साहित्य आदिवासी साहित्य कहलाता है।"[9]

"आदिवासी दर्शन और साहित्य की अवधारणा है सृष्टि सर्वोच्च नियामककर्ता है। संपूर्ण सजीव और निर्जीव जगत् तथा प्रकृति सबका अस्तित्व एक समान है। मनुष्य का धरती, प्रकृति और सृष्टि के साथ सहजीवी संबंध है।"[10] "आदिवासी साहित्य अस्मिता की खोज, दिकुओं द्वारा किये गये और किए जा रहे शोषण के विभिन्न रूपों के उद्घाटन तथा आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व के संकट और उनके खिलाफ हो रहे प्रतिरोध का साहित्य है। यह उस परिवर्तनकामी चेतना का रचनात्मक हस्तक्षेप है जो देश के मूल निवासियों के वंशजों के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव का पुरजोर विरोध करती है तथा उनके जल, जंगल, जमीन और जीवन को बचाने के हक में उनके आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ खड़ी होती है।"[11]

इक्कीसवीं सदी के साहित्य लेखन में आदिवासी विमर्श केंद्र में है। आदिवासी विमर्श में राजनीति और सामाजिक अस्मिता दोनों का समावेश है। आदिवासी साहित्यकारों ने अपने लेखन में दर्शन और संस्कृति का वास्तविक व व्यापक चित्रण किया है जो कि उनके मौलिक मौखिक परंपराओं पर आधारित है। जबकी गैर–आदिवासी रचनाकारों में आदिवासी साहित्य रचना के नाम पर प्रतिस्पर्धा हो रही है। उनके द्वारा आदिवासी संस्कृति, जीवन और समाज पर जो साहित्य रचा जा रहा है वह प्रचारित, पाठित और वाचिक ही अधिक माना जा सकता है क्योंकि गैर–आदिवासी साहित्यकार आदिवासियों की समस्याओं को आर्थिक संघर्ष के रूप में ही अधिक देखता है। सांस्कृतिक तौर पर आदिवासी दर्शन व संस्कृति को बचाने व उनके खिलाफ आवाज उठाने के प्रयास कम ही किए जा रहे हैं।

आदिवासी साहित्य को समझने के लिए आदिवासियों की जीवन परंपरा, रीति–रिवाज व सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवस्था को समझना आवश्यक है जो कि अत्यधिक समृद्ध है। आदिवासी जीवन और समाज किसी भी प्रकार के शास्त्रीय बंधनों को स्वीकार नहीं करता। आदिवासियों की वास्तविक स्थिति, शोषण व संघर्ष को देखने व समझने के लिए इसकी अंतर्वस्तु एवं स्वरूप को समझना आवश्यक है। आदिवासी साहित्य में कौन और क्या–क्या समाहित है इसका उत्तर जानना आवश्यक है। आदिवासी साहित्य आदिवासी साहित्यकारों द्वारा लिखा गया वह साहित्य है जिसमें आदिवासी संस्कृति, दर्शन, जीवन शैली, प्रकृति और उनकी समस्याओं का चित्रण हो। "आदिवासी साहित्य जीवन का साहित्य है। वह प्रकृति का सहयोगी, सहअस्तित्व का अभ्यस्त, ऊँच–नीच, भेदभाव व छल कपट से दूर है। वह जमाखोरी या सम्पत्ति जुटाने की भावना से मुक्त है। वह अन्याय का विरोधी और सामाजिक न्याय का पक्षधर है। उसके साहित्य में इन्हीं सबकी अभिव्यक्ति है। जीवन की समस्याएँ और प्रकृति से लगाव उसके साहित्य का आधार है।"[12]

आदिवासी साहित्य जनवादी साहित्य है। इसमें आदिवासी जीवन से संबंधित प्रत्येक विशेषताएँ, मान्यताएँ, लोककथाएँ, मिथक, लोकविश्वास, आदिवासियों की प्रकृति, आदिवासियों का अस्तित्व, आदिवासियों का अन्य मानवेतर प्राणियों के साथ सहअस्तित्व, सामूहिकता की भावना, आदिवासी संस्कृति, नृत्य, गीत, संगीत, आदिवासियों की समस्याएं, आदिवासियों की स्वतंत्रता, जल, जंगल तथा जमीन विषयक दृष्टिकोण, अपनी मातृभाषा के प्रति लगाव आदि आदिवासी के बुनियादी तत्त्व हैं जो दर्शन के अंतर्गत समाहित किये जा सकते हैं। इन तत्त्वों को जिस साहित्य में समाहित किया जाता है वह साहित्य आदिवासी साहित्य है।

हिंदी साहित्य में विभिन्न आदिवासी तथा गैर :-

आदिवासी साहित्यकारों जैसे– सुशीला सामंत, वंदना टेटे, दुलाय चंद मुंडा, रामदयाल मुंडा, बलदेव मुंडा, वाहरू सोनवने, रोजकेरकेट्टा, हरिराम मीणा, एलिस एक्का, शंकर लाल मीणा, पीटर पौल, वाल्टर भेंगरा, मंजू ज्योत्सना, मंगल सिंह मुंडा, बाबूलाल मुर्मू आदिवासी, शिशिर टुडु, महादेव टोप्पो, महादेव हांसदा, निर्मल मिंज, दयामनी बारला, सुषमा असुर, लक्ष्मण गायकवाड़, शंकर लाल मीणा, मंगल सिंह मुंडा, रमणिका गुप्ता, रणेन्द्र, संजीव, निर्मला पुतुल, राकेश कुमार सिंह आदि ने आदिवासी साहित्य की प्रत्येक विधा पर कलम चलाई है।

आदिवासी साहित्य में मूल स्वर विद्रोह का होता है परंतु इसके साथ ही आदिवासी जीवन की वेदना, संवेदना, आकांक्षा और संभावना को भी साहित्यकार अपने साहित्यिक कृति में अभिव्यक्त करता है। आदिवासी साहित्य केवल आदिवासियों के प्रति सहानुभूति का साहित्य नहीं है यह तो आदिवासियों के जीवन संघर्ष से प्रेरित है। आदिवासी साहित्य से आदिवासी लोगों में चेतना जागृत हुई है। आदिवासी अपने अधिकारों के प्रति सजग हुये हैं। आदिवासी साहित्य आदिवासी समाज के प्रति नवीन दृष्टिकोण विकसित करता है तथा आदिवासी संस्कृति को बचाए रखने में सहयोग देता है। यह आदिवासियों के समक्ष उपस्थित समस्याओं जैसे आर्थिक शोषण, विस्थापन, स्वास्थ्य, गैर आदिवासी समाज के हस्तक्षेप से उत्पन्न समस्या आदि से परिचय करवाता है। आदिवासी साहित्य अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध साहित्य है। आदिवासी समाज अपने हितों व अस्तित्व के लिए लड़ाई वर्षों से लड़ता आ रहा है परंतु कोई विमर्श तभी विमर्श बनता है जब सभ्यता, संस्कृति, भाषा व क्षेत्र की अस्मिता की पहचान हाशिए पर चली जाए। आदिवासी विमर्श आदिवासी साहित्य के संदर्भ में आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा व जीवन जीने के अधिकार की पैरवी करता है।

'साहित्य समाज का दर्पण है' का प्रचार–प्रसार तो काफी हुआ लेकिन आदिवासी चिंतन के सन्दर्भ में इस सिद्धान्त की परिणति व्यावहारिक रूप में नहीं हुई। विवेचनात्मक रूप से आदिवासी समाज जितना उपेक्षित रहा उतना उनका साहित्यिक विमर्श भी। इसलिए आदिवासी साहित्य को आदिवासी समाज व संस्कृति के धरातल पर विकसित व परिमार्जित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष :-

आदिवासी समाज भारतीय सभ्यता व संस्कृति को वैश्विक परिदृश्य पर प्रस्तुतकर्ता जनजातीय समाज है जिसने लोक संस्कृति व जीवन को बनाए एवं बचाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज इसी सभ्यता व संस्कृति की पहचान के लिए उसे सरकार व मुख्यधारा से संघर्ष करना पड़ रहा है। जिससे आदिवासी विमर्श की आवश्यकता ने जन्म लिया और साहित्य के क्षेत्र में एक नई विधा आदिवासी साहित्य की आवश्यकता महसूस हुई। आदिवासी वर्ग के उत्थान, जीवन परंपरा व सभ्यता को बनाये रखने के लिए उनमें फैले विषाक्त अंधविश्वास, जड़ता से उनके जीवन को बाहर निकालने की महती आवश्यकता है। साथ ही उनके अधिकारों व आधुनिक सभ्यता, संस्कृति से उन्हें परिचित करवाना आवश्यक है। आदिवासी साहित्य वर्तमान समय की आवश्यकता है इसीलिए इसकी प्रत्येक विधा पर आदिवासी साहित्यकारों द्वारा लेखन किया जा रहा है जिससे वे स्वयं अपनी सामाजिक–आर्थिक व शैक्षणिक परिस्थिति से अवगत हो सकें तथा अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाकर अपने विकास की ओर अग्रसर हो सकें।

आदिवासी साहित्य आदिवासी समाज व संस्कृति संरक्षण में नींव का प्रस्तर है। राष्ट्र निर्माण की नीतियों

में जल, जंगल, जमीन से बेदखल कर इनके अस्तित्व का जो संकट खड़ा हुआ है उसे सरकार द्वारा इनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति व शैक्षणिक स्तर में सुधार कर समायोजित किया जा सकता है। आदिवासी साहित्य द्वारा ही आदिवासी विमर्श और चिंतन को विस्तृत किया जा सकता है। आदिवासी साहित्य का महत्त्व इस कारण भी बढ़ जाता है कि आदिवासी साहित्य आदिवासियों को सम्मान से जीने, उन्हें अपनी पहचान बनाने, अपनी लड़ाई खुद लड़ने, अपने हक तथा अधिकारों के लिए लड़ने, अपने संगठन को बचाये रखने के लिए प्रेरित करता है। आदिवासी साहित्य आदिवासी समुदाय की अस्मिता, संस्कृति तथा संघर्ष के लिए नवीन चेतना जागृत करता है तथा यह साहित्य आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति सजग कर उनके अस्तित्व को प्रकट करता है।

संदर्भ :–

1. उमा शंकर चौधरी (सं.) : हासिये की वैचारिकी, विनायक तुकाराम : आदिवासी कौन, 2008, अनामिका पब्लिशर, नई दिल्ली, पृ. 251
2. गंगा सहाय मीणा (सं.) : आदिवासी साहित्य विमर्श, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2014, पृ. 37
3. रमणिका गुप्ता : आदिवासी विकास से विस्थापन, राधाकृष्णन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2018, पृ. 12
4. रमणिका गुप्ता, (सं.) दीपक कुमार, देवेंद्र चौबे, : आदिवासी अस्मिता के प्रश्न, पृ. 357–358
5. उषा कीर्ति रावत, सतीश पांडे, शीतला प्रसाद दुबे (सं.) : आदिवासी केंद्रित हिंदी साहित्य, हिंदी बुक सेंटर, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2012, पृ. 17
6. रमणिका गुप्ता : आदिवासी साहित्य यात्रा, राधाकृष्णन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृ. 25
7. वही, पृ. 2
8. खन्ना प्रसाद अमीन : आदिवासी साहित्य, श्री नटराज प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016, पृ. 24
9. उषा कीर्ति राणावत, सतीश पांडे, शीतला प्रसाद दुबे (सं.) : आदिवासी केंद्रित हिंदी साहित्य, हिंदी बुक सेंटर, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2012, पृ. 30
10. वंदना टेटे : आदिवासी दर्शन और साहित्य, स्पेस पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2016, पृ. 34
11. गंगा सहाय मीणा : आदिवासी चिंतन की भूमिका, अनन्या प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016, पृ. 1
12. विशाला शर्मा, दत्ता कोल्हारे : आदिवासी साहित्य एवं संस्कृति, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015, पृ. 21

Email. Id - jayantilalbaris@gmail.com

Mo. 8155093121

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 205–209

हिंदी शिक्षण में उच्चारण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का विवेचन एवं अध्यापक की भूमिका

डॉ. बसन्त कुमार
चरखी दादरी, हरियाणा।

हिंदी भाषा पूर्णतः वैज्ञानिक स्वरूप के साथ एक ध्वन्यात्मक भाषा है। जिसका ध्वनि–तत्व बड़ा तथ्यपूर्ण एवं वैज्ञानिक है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग–अलग स्वरों के उच्चारण और लेखन की व्यवस्था है। व्यक्ति जैसा बोलता है, वैसा ही लिखता है। यदि उसे ध्वनियों के वर्गीकरण का ज्ञान नहीं होगा तो उसके उच्चारण में शुद्धता नहीं होगी। उसका उच्चारण दोषयुक्त होगा और उच्चारण में दोष होने पर वर्तनीध्लेखनी भी अशुद्ध होगी। अतः शुद्ध उच्चारण के साथ वर्तनी में भी शुद्धता बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक है कि विद्यार्थियों को ध्वनियों के वर्गीकरण के साथ–साथ उनका उच्चारण व लेखन का पूर्ण ज्ञान करवाया जाए।

जिस तरह स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ वातावरण और अच्छे खान पान की आवश्यकता होती है उसी प्रकार स्वस्थ सम्प्रेषण के लिए शुद्ध भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के शुद्ध व आदर्श रूप के द्वारा ही उसे ठीक प्रकार समझा जा सकता है। इस प्रकार चाहे वह सम्प्रेषण का क्षेत्र हो या शिक्षा का। भाषा अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का मानव–निर्मित एक वैज्ञानिक साधन है। यही हमारे लिए ज्ञान प्राप्ति का भी प्रमुख साधन भी है।

भाषा के शुद्ध और स्थाई रूप को समझने के लिए नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है और उस नियमबद्ध योजना को हम व्याकरण कहते हैं। कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के नियमों को समझे बिना प्राप्त नहीं कर सकता। व्याकरण के चार आधारभूत स्तर या इकाइयां हैं – वर्ण या ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। वर्ण या ध्वनि के जोड़ या मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के जोड़ से पद तथा पदों के अर्थ पूर्ण योग से वाक्य बनते हैं। इन सभी के उचित प्रयोग से शुद्ध भाषा का स्वरूप सामने आता है। किंतु आज के भागमभाग जिंदगी और अंगूठे बतियाने के छद्म समय में छात्र शुद्ध भाषा का अनुकरण नहीं कर रहें हैं। जिसके कारण उच्चारण और वर्तनीगत अशुद्धियां हो रही है, और इसी कारण वश छात्र शैक्षिक ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ रह रहें हैं।

उच्चारण और वर्तनी :–

उच्चारण शब्दों को कहने का तरीका है और वर्तनी शब्दों को लिखने का तरीका है। उच्चारण शब्दों को बोलने का तरीका है, जिसमें अक्षरों को कैसे कहा जाता है। उच्चारण और वर्तनी दोनों भाषा के महत्वपूर्ण घटक

हैं। शुद्ध उच्चारण और वर्तनी प्रभावी संचार और स्पष्ट लेखन तथा शुद्ध उच्चारण के लिए आवश्यक हैं।

मुख के विभिन्न अवयवों से घर्षण करते हुए जब प्राण बायु के साथ ध्वन्यात्मक सांकेतिक चिह्न, मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में बाहर निकलते है तो उसे उच्चारण कहते हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है।

उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के प्रकार :-

उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ हैं स्वर–वृद्धि, व्यंजन वृद्धि, स्वरागम, स्वर–लोप, व्यंजन–लोप, मात्राओं संबंधी त्रुटियाँ, व्यंजन संबंधी, अल्पप्राण और महाप्राण का भ्रम, हकलाना आदि। इसके साथ ही कुछ वर्तनीगत अशुद्धियाँ होतीं हैं। प्रत्येक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ निर्धारित प्रतीकों या चिह्नों का प्रयोग किया जाता है।

मन के भावों, विचारों आदि को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए उन निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग करना पड़ता है। परन्तु इनका प्रयोग करते समय वर्तनीगत अशुद्धियों हो जाती हैं। ये अशुद्धियां हैं – मात्रा संबंधी अशुद्धियां, सयुक्त अक्षर संबंधी अशुद्धियाँ, द्वित्व व्यंजनों के प्रयोग, रेफ संबंधी अशुद्धियों, अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियों, व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, वर्षों का अनावश्यक प्रयोग, अल्पप्राण ध्वनियों के स्थान पर महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग आदि। उच्चारण और वर्तनी के आपसी संबंधो को दर्शाते हुए डॉ. भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि 'वर्तनी का सबसे बड़ा आधार तो उच्चारण (आधुनिक, परंपरागत या ध्वनि–परिवर्तन से विकसित रूप) है। उसके बाद शब्द–रचना का स्थान है। शेष निर्णय, अशुद्धि या प्रभाव आदि कुछ ही वर्तनियों के आधार बन पाते है।'

प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर उच्चारण संबंधी दोष :-

आधुनिक समय में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च सभी स्तरों पर छात्र हिंदी भाषा लेखन, उच्चारण और वर्तनी से संबंधित कई प्रकार की अशुद्धियों कर रहें हैं जो उनके व्यक्तित्व विकास और ज्ञान प्राप्ति के क्षेत्र में बाधा उपस्थित कर रही है। प्राय देखने में आता है कि प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च कक्षा तक छात्र हिंदी माध्यम के स्कूलों में भी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में पाठ को सही रूप से पढ़ नहीं पाते हैं। वे वर्णों को धीरे–धीरे जोड़ते हुए शब्द तथा शब्दों को धीरे–धीरे जोड़ते हुए वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। यही स्तर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर तक की कक्षाओं में भी पाया गया है। जिसके कारण समाज में भाषा के शुद्ध रूप का ह्रास हो रहा है न कि विकास। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों में भी उच्चारण और वर्तनीगत अशुद्धियाँ पाई गई हैं। आजकल तो विद्यार्थियों के बीच में हिंग्लिश या हिंग्रेजी भाषा की प्रचलन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वे न तो ठीक तरह से हिंदी बोल पाते हैं और न ही अंग्रेजी ठीक तरह से बोल पाते हैं अपितु उनका मिला–जुला रूप हिंग्रेजी होता है जो कि बड़ा अजीब सा प्रतीत होता है। इस प्रकार की भाषा के प्रयोग से वे भाषा की मर्यादा को भूलते जा रहें हैं।

शिक्षक प्रशिक्षण में दोष :-

जब हम शिक्षक प्रशिक्षण की बात करते है तब हिंदी शिक्षण की कक्षाओं में भी छात्रों का यही हाल दिखाई देता है। एक तरफ तो वह शिक्षण के कौशलों एवं विभिन्न विधियों को सीख रहें होते हैं और दूसरी तरफ उनकी भाषा संबंधी अशुद्धियाँ एवं समस्याएं प्रतिदिन सामने आती हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने शिक्षण संबंधी कौशल एवं निपुणताओं को निखारने में असमर्थ रहते हैं। जिसके कारण समाज को ऐसे शिक्षक मिलते हैं जो भावी छात्रों की

भाषागत अशुद्धियों को दूर करने में असमर्थ होते हैं। क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने उच्चारण एवं वर्तनी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जिसके कारण वह आगामी भविष्य के लिए छात्रों का हित नहीं कर सकते हैं।

इस शोध पत्र द्वारा माध्यमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक में उच्चारण और वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का आकलन बड़े वैज्ञानिक एवं शोध परक दृष्टि से किया गया है। यह शोध पत्र आधुनिक समय में बड़ा ही प्रशासनिक सिद्ध होने वाला है क्योंकि इसको पढ़कर के अनेक शोध छात्र शिक्षण क्षेत्र में अपना उच्चारण ठीक करने का प्रयास करेंगे।

उच्चारण दोष दूर करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें विद्यार्थियों को हिन्दी शब्दों का शुद्ध उच्चारण सिखाना चाहिए, अक्षरों और मात्राओं का ज्ञान देना चाहिए, और उन्हें शब्द रचना तथा शब्दों के रूप परिवर्तन के नियमों से भली–भाँति परिचित कराना चाहिए. शिक्षक को खुद को भी शुद्ध उच्चारण के प्रति सजग रहना चाहिए और बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए।

उच्चारण दोष, यानी शब्दों को गलत तरीके से बोलना, कई प्रकार के होते हैं। ये दोष स्वर के लोप, स्वर के आने, या व्यंजनों के गलत उच्चारण से हो सकते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए नियमित अभ्यास, भाषा के नियमों का ज्ञान, और मनोवैज्ञानिक कारणों से होने वाले प्रभावों को समझना जरूरी है।

उच्चारण दोष के कुछ प्रकार :–

- **स्वर–लोप :**

जब किसी शब्द में स्वर का लोप (लुप्त) हो जाता है तो वहाँ स्वर लोप का दोष हो जाता है, जैसे 'क्षत्रिय' को 'छत्री' कहना।

- **स्वरागम :**

जब किसी शब्द में स्वर आ जाता है, जो मूल रूप से नहीं होता था, जैसे 'गर्मी' गरमी।

- **व्यंजन उच्चारण दोष :**

जैसे 'क्ष' और 'छ' में भ्रम, 'श' और 'ष' में भ्रम, या 'व' और 'व' में भ्रम।

शिक्षक की भूमिका :–

- **उच्चारण अभ्यास :**

शिक्षक को बच्चों को नियमित रूप से हिन्दी शब्दों का उच्चारण अभ्यास करवाना चाहिए, जिससे उनकी भाषा कौशल में सुधार हो सके।

- **अक्षरों और मात्राओं का ज्ञान :**

शिक्षक को बच्चों को हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों और मात्राओं का सही ज्ञान देना चाहिए, ताकि उन्हें शब्दों को ठीक से पहचानने और उच्चारण करने में मदद मिले।

- **शब्द रचना और रूप परिवर्तन :**

शिक्षक को बच्चों को हिन्दी शब्द रचना के नियमों और शब्दों के रूप परिवर्तन के तरीकों को समझाना चाहिए, जिससे वे विभिन्न शब्दों को सही ढंग से उच्चारण कर सकें।

- **स्वयं का शुद्ध उच्चारण :**

शिक्षक को खुद को भी शुद्ध उच्चारण के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे शिक्षक को आदर्श मानते

हैं और उनकी नकल करते हैं।

- **प्रोत्साहन और मार्गदर्शन :**

शिक्षक को बच्चों को उच्चारण में सुधार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें सही मार्गदर्शन देना चाहिए।

- **उपचारात्मक शिक्षण :**

शिक्षक को उन विद्यार्थियों के लिए विशेष उपचारात्मक शिक्षण योजना बनानी चाहिए जिन्हें उच्चारण में अधिक कठिनाई होती है।

- **भाषा शिक्षण में ध्यान :**

शिक्षक को भाषा शिक्षण के दौरान उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए और बच्चों को उच्चारण संबंधी गलतियों से बचाना चाहिए।

शिक्षक की इन भूमिकाओं से बच्चों के उच्चारण में सुधार लाने में मदद मिलेगी और वे भाषा में अधिक सहज महसूस करेंगे।

उपाय एवं सुझाव :-

प्रस्तुत शोध पत्र में उच्चारण एवं वर्तनी संबंधी अनेक उपाय एवं सुझाव बताने का प्रयास किया गया है। उन सबका विवेचन किस प्रकार है :-

- प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर हिंदी व्याकरण के शिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए जिससे कि छात्र भाषा के सभी नियमों को समझकर उन्हें अछि प्रकार से आत्मसात कर ले।
- सभी स्तरों पर भाषा अध्यापकों को अपने छात्रों के भाषाई कौशलों के विकास के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। अध्यापकों को छात्रों के वाचन, श्रवण, अभिव्यक्ति, पठन और लेखन सभी कौशलों के विकास के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए – जैसे वार्तालाप, भाषण प्रतियोगिता, प्रश्न–उत्तर विधि, लेखन प्रतियोगिताएँ, दृश्य–श्रव्य साधनों के प्रयोग आदि।
- समय समय पर भाषा प्रयोगशाला आदि का उचित प्रयोग करना चाहिए।
- अपने उच्चारण को शुद्ध करने के लिए छात्रों को स्वयं अभ्यास कार्य करते रहना चाहिए। क्योंकि भाषा एक अभ्यासात्मक कार्य है।
- भाषा के लिखित व मौखिक रूप के अभ्यास से संबंधित कार्यशाला के आयोजन, विषयानुसार चर्चा–परिचर्चा एवं प्रश्नोत्तर विधि के प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए।
- प्राथमिक स्तर पर पठन–पाठन एवं लेखन अभ्यास को महत्त्व देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- कई बार पुस्तकों में भी अशुद्धियाँ होती हैं। ऐसी पुस्तकों को, तो नकार देना चाहिए, उनके प्रकाशकों को इस बारे में अवगत करवाना चाहिए।
- NCERT एवं SCERT द्वारा भी समय–समय पर भाषा निर्देशित कार्यशाला की व्यवस्था एवं पुस्तकों के समीक्षात्मक कार्य में शिक्षकों को जोड़ने से संबंधित प्रावधान करने चाहिए।
- अध्यापकों को उनके सेवाकाल के दौरान भी समय–समय पर विभिन्न कार्यशालाओं, परिचर्चाओं के माध्यम से ज्ञानवर्धित करते रहना चाहिए।

निष्कर्ष :-

इस प्रकार उपयुक्त विवेचन के उपरांत कहा जा सकता है कि प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर शिक्षण संस्थानों में निरंतर अनेक प्रकार के वर्तनी एवं उच्चारण संबंधित दोष पाए जाते हैं। उन सबका इस शोध पत्र में निराकरण करने का प्रयास किया गया है और कुछ समाधान देने का प्रयास भी किया गया है यह शोध पत्र प्रयोग के आधार पर आधारित है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में कक्षा कक्ष को सही आकार देने के लिए छात्रों के अध्ययन और पठन पर हमें जोर देना होगा ताकि छात्र बिना रुके तथा शुद्ध रूप में उच्चारण और वर्तनी करते हुए भाषा के शुद्ध रूप से अर्थ संगत ज्ञान ग्रहण कर सके। छात्रों के शुद्ध अध्ययन के लिए अध्यापकों द्वारा हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण और शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता होती है। जिसके लिए छात्रों को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर हिंदी भाषा के व्याकरण का ज्ञान देना होगा। शिक्षक को भी अपने शिक्षण में अपने उच्चारण एवं वर्तनी को भी सुधारना होगा, जिसके आधार पर वह अपने अध्ययन को और अधिक प्रभावी बना सके और सामने बैठे प्राथमिक माध्यमिक या उच्च स्तर की विद्यार्थियों में अच्छा ज्ञान भर सके जिससे कि भविष्य में वह विद्यार्थी किसी प्रकार की उच्चारण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्ध ना करें।

ग्रन्थ सूची :-

1. डॉ. बाहरी हरदेव (2017) 'हिंदी भाषा', अभिव्यक्ति प्रकाशन।
2. डॉ. तिवारी भोलानाथ (2016), 'हिंदी भाषा की संरचना', वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
3. डॉ. मिश्र नरेश – भाषा विज्ञान : अभिनव प्रकाशन 2002
4. डॉ. तिवारी भोलानाथ (2018). 'हिंदी वर्तनी की समस्याएं एवं मानकीकरण', अमरसत्य प्रकाशन, दिल्ली।
5. डॉ. दास श्यामसुंदर (2009). 'भाषा विज्ञान' प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली।
6. डॉ. मंगल उमा (1998). 'हिंदी शिक्षण' आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली।
7. डॉ. सूद विजय (2001) 'हिंदी शिक्षण विधियां', टंडन पब्लिकेशन, लुधियाना।

पत्राचार हेतु पता
डॉ. बसन्त कुमार
द्वारा – पूनम ब्यूटी पार्लर,
रंगीला मंदिर चौक,
वार्ड 08, चरखी दादरी 127306 (हरियाणा)
मे0 –9416102109

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 210–216

वैदिक काल में सामाजिक एवं आर्थिक संरचना का अध्ययन

Bhagwan Dass Suthar
Assistant professor (History)

1. सारांश :–

यह शोध "वैदिक काल में सामाजिक एवं आर्थिक संरचना का अध्ययन" का मुख्य उद्देश्य उस युग की समाजिक जानकारियों एवं आर्थिक व्यवस्थाओं का समग्र विवेचन प्रस्तुत करना है। शोध का दायरा आरंभिक से उत्तर वैदिक काल तक के भारतीय समाज के वर्ण जाति प्रथाओं, परिवारिक संरचनाओं, कृषि उत्पादन प्रणालियों, पशुपालन एवं व्यापारिक नेटवर्क तक विस्तारित है। अध्ययन में प्रमुख रूप से चार स्तरीय वर्ण व्यवस्था, ग्राम्य एवं नगरीय सामाजिक संस्थाएँ, भूमि स्वामित्व व कर प्रणाली, तथा कारवां मार्गों द्वारा संचालित बाह्य व्यापार शामिल हैं।

इस शोध में गुणात्मक साहित्य समीक्षा और तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण विधियों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि वैदिक ग्रंथ तथा गौण स्रोतों में हिंदी शोध ग्रंथ– जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, एनसीईआरटी के सामुदायिक अध्याय, गोविन्दचन्द्र पाण्डेय काघ्वैदिक संस्कृति इत्यादि– का समन्वित उपयोग हुआ है। साथ ही शोधगंगा, गूगल स्कॉलर, शासकीय रिपोर्ट एवं विश्वविद्यालयीन प्रकाशनों से प्राप्त आँकड़ों ने शोध की प्रवृत्ति को तथ्यात्मक आधार प्रदान किया है।

मुख्य निष्कर्षों में यह स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था ने सामाजिक स्थायित्व व विभाजन दोनों को प्रभावित किया, किंतु समय के साथ वर्गीय गतिशीलता के भी प्रमाण मिलते हैं। कृषि एवं पशुपालन पर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने नगरों के उदय एवं व्यापारिक समन्वय को सुदृढ़ किया। भूमि कर व दान प्रथाएँ राजनैतिक आर्थिक नियंत्रण का माध्यम रहीं। बाह्य व्यापार ने सामाजिक आदान प्रदान और सांस्कृतिक विविधता को जन्म दिया। अन्ततः यह शोध वैदिक समाज की जटिलता एवं विविधताओं को उजागर करते हुए आधुनिक शोध के लिए सहज संदर्भ तैयार करता है।

2. मुख्य शब्द :–

वैदिक काल, सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना, वर्ण व्यवस्था, कृषि व्यापार।

3. परिचय :–

वैदिक काल (लगभग 1500–500 ईसा पूर्व) प्राचीन भारत का वह युग है जिसने सामाजिक एवं आर्थिक

संरचना के मानदंडों की नींव रखी (महावीर, 2001)। आरंभिक वैदिक समय (1500–1000 ईपू) में पृथक् जाति समूहों में विभाजन और पशुपालन आधारित गमन संक्रमण का प्रचलन था, जबकि उत्तर वैदिक काल (1000–500 ईपू) में कृषि एवं नगरीय संस्थाएँ विकसित होकर आर्थिक स्थायित्व प्रदान करने लगीं (हबीब, 2016)। ऋग्वेद में 1028 संहिताएँ सामाजिक रीतियों, देवताओं तथा यज्ञ प्रथाओं का विस्तृत वर्णन करती हैं, जिससे उस समय के सामाजिक आदेश और संस्कारों का अनुवाद संभव होता है (एनसीईआरटी, 2019)।

वैदिक समाज की विशिष्टता चार स्तरीय वर्ण व्यवस्था– ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र– के रूप में परिलक्षित होती है, जिसने सामाजिक स्थायित्व एवं लैंगिक विभाजन दोनों को आकार दिया (शर्मा, 2013)। कृषि उत्पादन में हल, पशुपालन एवं सिंचाई का योगदान महत्वपूर्ण था, तथा कारवां मार्गों द्वारा स्थानीय एवं बाह्य व्यापार ने सामाजिक आदान प्रदान को तीव्र किया (राय, 2005)। भूमि कर एवं दान प्रथाएँ राजनीतिक नियंत्रण एवं सामाजिक दायित्व दोनों का माध्यम रहीं (कौटिल्य, 1925)। यह अध्ययन इन विविध आयामों को समन्वित रूप से विश्लेषित करने का प्रयत्न करेगा।

शोध की प्रासंगिकता आधुनिक सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाओं की उत्पत्ति समझने में निहित है। वर्तमान सामाजिक विभाजन, भूमि स्वामित्व के विवाद और ग्रामीण शहरी गतिशीलता की चुनौतियाँ वैदिक मॉडल के संदर्भ में पुनर्विचार का अवसर प्रदान करती हैं (पाण्डेय, 2024)। इसी कारण प्रश्न उठते हैं : वैदिक वर्ण प्रथा ने सामाजिक समावेश एवं गतिशीलता पर क्या प्रभाव डाला? कृषि व्यवस्था एवं व्यापार ने स्थानीय समाज के आर्थिक सशक्तिकरण में कैसे योगदान दिया? शोध का उद्देश्य इन प्रश्नों का उत्तर खोजते हुए वैदिक ग्रंथों एवं आधुनिक अनुसंधानों का एकीकृत विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

यह अध्ययन गुणात्मक साहित्य समीक्षा एवं तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण की पद्धतियों पर आधारित है। प्रमुख स्रोतों में ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा 20 हिंदी शोध ग्रंथ– जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र (कौटिल्य, 1925), महावीर का वैदिक अर्थव्यवस्था (महावीर, 2001), गोविन्दचन्द्र पाण्डेय का वैदिक संस्कृति (पाण्डेय, 2024), एनसीईआरटी की सामुदायिक रिपोर्ट्स (एनसीईआरटी, 2019), तथा उत्तर वैदिक समाज पर राव का विश्लेषण (राव, 2021)–का समावेश है (संपूर्ण संदर्भ भाग 8 में)। शोध गंगा, गूगल स्कॉलर एवं शासकीय प्रकाशनों से संकलित आँकड़ों ने अध्ययन को तथ्यात्मक दृढ़ता प्रदान की है। इस पद्धति से वैदिक सामाजिक आर्थिक संरचना की जटिलता को उजागर कर आधुनिक शोध हेतु एक समृद्ध आधार तैयार होगा।

4. वैदिक सामाजिक संरचना : वर्ण और जाति व्यवस्था :-

वैदिक समाज की आधारशिला चार स्तरीय वर्ण व्यवस्था– ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र– पर आधारित थी। ब्राह्मणों को यज्ञ, शिक्षा एवं धार्मिक अनुष्ठानों का दायित्व सौंपा गया, जबकि क्षत्रियों का कर्तव्य राज्य संरक्षण एवं युद्ध प्रशासन था। वैश्य कृषि, पशुपालन एवं व्यापार के क्षेत्र में कार्यरत थे और शूद्र मुख्यतः शारीरिक श्रम एवं सेवाकार्य में लगे रहते थे (शर्मा, 2013)। वर्णों के बीच स्पष्ट विभाजन सामाजिक स्थायित्व को सुनिश्चित करता था, किंतु ऋग्वेद एवं बाद के ग्रन्थों में वर्णों के दायरे में परिवर्तन एवं समावेश के प्रमाण मिलते हैं (एनसीईआरटी, 2019)।

जाति उपजाति प्रथा ने वर्ण व्यवस्था को स्थानीय एवं वंशानुगत पहलुओं से जोड़ दिया। प्रत्येक वर्ण में उपजातियाँ (उदाहरणतः गौत्र, विश आदि) विद्यमान थीं, जो कुलगत परस्पर विवाह तथा धार्मिक कर्मकांडों में

मार्गदर्शक थीं (पाण्डेय, 2024)। आरंभिक वैदिक काल में सामाजिक गतिशीलता अपेक्षाकृत अधिक थी। ऋषियों और वीरता आधारित पुरस्कृतियों ने नये व्यक्तियों को वर्ण सीमा में स्थान दिलाया (हबीब, 2016)। उदाहरणतः कुछ क्षत्रिय कोशिकाओं से वैश्य वर्ण में प्रवेश पाए जाते थे, जैसा कि इंद्रपुराणीय कथाओं में उल्लेखित है।

परिवार, कुल एवं गोत्र की अवधारणा वैदिक सामाजिक ताने बाने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ थीं। गृहस्थाश्रम के अन्तर्गत परिवार (अलग अलग सदस्यों सहित) ने श्रम विभाजन तथा आर्थिक उत्पादन का प्रारंभिक मॉडल प्रस्तुत किया (महावीर, 2001)। गोत्र प्रथा ने वंशानुक्रम सुनिश्चित कर रक्त सम्बन्धी विवाह प्रतिबंधों को नियंत्रित कियाय उदाहरणतः एक ही गोत्र के अंदर विवाह निषिद्ध थे (UPRTOU, 2023)। कुल पंचायतें सामाजिक निर्णय एवं विवाद निवारण की रूपरेखा प्रदान करती थीं, जो ग्राम्य संस्थाओं का प्रमुख अंग थीं (एनसीईआरटी, 2024)।

लिंग आधारित विभाजन ने सामाजिक कर्तव्यों को पुरुष एवं स्त्री दोनों के बीच विभाजित किया। पुरुष धार्मिक अनुष्ठान और शारीरिक श्रम में, जबकि स्त्रियाँ गृहस्थीय कार्य, यज्ञ सहयोग एवं सामाजिक संस्कारों में सक्रिय थीं (शिक्षा विभाग, 2022)। स्त्रियों के अधिकारों का स्तर वर्णानुसार भिन्न था। ब्राह्मणी महिलाओं को शिक्षा एवं यज्ञ अनुष्ठानों में सहयोग का अवसर मिल पाता था, जबकि शूद्र स्त्रियों को सीमित आर्थिक स्वायत्तता ही प्राप्त थी (राय, 2005)। तथापि, उत्तर वैदिक समाज में कुछ उपजातियों की स्त्रियों ने कृषि कार्य और पशुपालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे उन्हें आर्थिक गतिशीलता का आंशिक अधिकार मिला (राव, 2021)।

इस प्रकार, वैदिक सामाजिक संरचना वर्ण प्रथा, जाति उपजाति, परिवार गोत्र एवं लिंग आधारित विभाजन द्वारा संयोजित थी। प्रत्येक तत्व ने सामाजिक स्थिरता एवं गतिशीलता के बीच संतुलन साधा, जिससे वह युग दीर्घकालीन सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास के लिए अवसरजनक बना।

5. वैदिक आर्थिक संरचना : कृषि, पशुपालन व व्यापार :-

वैदिक काल में कृषि जन्य गतिविधियाँ समाजिक एवं आर्थिक जीवन की मुख्य आधारशिला थीं। आरंभिक वैदिक युग में मूलतः कटाव एवं जलोढ़ कृषि पद्धति प्रचलित थी, जिसमें आग की सहायता से जंगल साफ करके अनाज उगाया जाता था। उत्तर वैदिककाल आते–आते स्थायी खेतों तथा सिंचाई तंत्र का विकास हुआ (एनसीईआरटी, 2019)। सिंचाई के लिए नदियों के तट पर खंभे एवं नहरें खोदी जाती थीं, जिससे मौसमी वर्षा पर निर्भरता कम हुई (महावीर, 2001)। फसल चक्र में मुख्यतः जौ, गेहूँ, चना, मसूर एवं सरसों की बुआई होती थीय प्रत्येक फसल का चक्र 4–6 महीनों का होता था, जिससे भूमि को आराम एवं उत्पादन दोनों का संतुलन मिलता था (पाण्डेय, 2024)।

पशुपालन वैदिक अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग था। गौवंश को 'धनुर्विद्या' के साथ आत्मिक तथा आर्थिक दोनों दृष्टियों से प्रमुख माना गया। चरागाह प्रणाली में घास तथा जंगली उपजित चारा एकत्र कर पशुओं को खिलाया जाता था, तथा ग्रीष्म और शीत ऋतु के अनुसार चरागाहों का परिवर्तन होता था (हबीब, 2016)। गाय, भैंस, भेड़ एवं ऊँट– ये सभी आवागमन व व्यापार के साधन भी थे। पशुपालकों के समुदायों ने स्थानीय सामाजिक संरचना में आपसी सहयोग एवं आदान प्रदान की प्रणालियाँ विकसित कीं (राव, 2021)।

आंतरिक एवं बाह्य व्यापार नेटवर्क ने वैदिक समाज को ब्यापक आर्थिक दायरे में समाहित किया। ग्राम्य बाजार (पञ्चायत मेला) स्थानीय उत्पादन का केंद्र थे, जहाँ अनाज, जड़ी बूटियाँ, वस्त्र एवं धातु के आभूषणों का आदान प्रदान होता था (UPRTOU, 2023)। बाह्य व्यापार के लिए कारवां मार्गों का सहारा लिया जाता था,

जिनमें रावी सरस्वती घाटी मार्ग, सिंधु मार्ग एवं पूर्वी मार्ग प्रमुख थे। इन मार्गों से भारत मध्य एशिया, तुर्की एवं फारस तक वस्तुओं का निर्यात होता था (कौटिल्य, 1925)। मेलन स्थल सामाजिक व आर्थिक मेलजोल के केंद्र रहे, जहाँ सामूहिक सौदेबाजी तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था (राय, 2005)।

भूमि स्वामित्व एवं कर प्रथाएँ वैदिक राजनीतिक आर्थिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन थीं। प्रमुखतः दो प्रकार के कर लगते थे : 'भाग' जिसमें अनाज का अंश सरकार को मिलता था, एवं 'बाली' जो नगद या पशु मुद्रा में भुगतान होता था (कौटिल्य, 1925)। भूमि का स्वामित्व राजा, गणतंत्र अथवा ग्रामसभा के नाम पर होता थाय खलिहान भूमि खेती हेतु व्यतीत होती, जबकि वन भूमि चरागाह के लिए आरक्षित रहती (महावीर, 2001)। दान की प्रथा– विशेषकर यज्ञदान– ने धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का माध्यम बनाया। दान में भूमि, पशु एवं अनाज प्रमुख रहे (शर्मा, 2013)।

इस प्रकार वैदिक आर्थिक संरचना कृषि उत्पादन की प्रगतिशील प्रणालियों, सुव्यवस्थित पशुपालन एवं चरागाह प्रथाओं, विस्तृत व्यापारिक नेटवर्क तथा भूमि कर एवं दान व्यवस्थाओं से पूर्ण थी। इन चारों तत्वों ने समृद्धि, सामाजिक समन्वय एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया, जिससे वैदिक समाज दीर्घकाल तक आर्थिक और सामाजिक रूप से स्थिर रहा।

6. चर्चा एवं विस्तृत विश्लेषण

6.1 वर्ण व्यवस्था पर गहन विश्लेषण :

वैदिक समाज की चार स्तरीय वर्ण व्यवस्था– ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र–ने सामाजिक ढाँचे का मूल निर्माण किया (शर्मा, 2013)। ऋग्वेद एवं यजुर्वेद में प्रत्येक वर्ण के कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जहाँ ब्राह्मणों को यज्ञ एवं शिक्षण, क्षत्रियों को रक्षा एवं प्रशासन, वैश्य को कृषि व्यापार तथा शूद्र को सेवाकार्य का दायित्व सौंपा गया था (एनसीईआरटी, 2024)। कौटिल्य ने वर्णों के आर्थिक और राजनीतिक महत्व पर बल देते हुए भूमि, कर और दान में वर्णानुसार भिन्नता रेखांकित की (कौटिल्य, 1925)।

धर्मशास्त्रों में वर्णों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान और संघर्ष के प्रमाण भी मिलते हैं। कुछ गाथाएँ क्षत्रियों एवं ब्राह्मणों के बीच अधिकार संघर्ष दर्शाती हैं, तथा वैश्य वर्ण के उत्थान के साक्ष्य भी उपलब्ध हैं (हबीब, 2016)। महाकाव्यों एवं उपनिषद् ग्रंथों में वर्णानुकूल समावेशीकरण के प्रसंग, जैसे अनुसूचित यज्ञों में वैश्यों की भागीदारी, सामाजिक गतिशीलता की ओर संकेत करते हैं (राव, 2021)।

वर्णों के भीतर जाति उपजातियों (उदाहरणतः गौत्र, विश) ने वंशानुगत पहचान सुनिश्चित की (पाण्डेय, 2024)। मिश्रा के अनुसार, उपजाति प्रथा ने विवाह व कर्मकांडों में नियंत्रण स्थापित किया, जिससे एक ही गोत्र में विवाह निषिद्ध हुआ (मिश्रा, 2014)। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण सीमा कुछ लचीली प्रतीत होती है, किंतु उत्तर वैदिक युग में वर्णानुसार सामाजिक गतिशीलता सीमित होती गई (महावीर, 2001)। कुल एवं गोत्र ने नृवंशविज्ञान एवं सामाजिक पहचान को दृढ़ किया, जबकि पंचायती संस्थाओं ने विवाद निवारण में भूमिका निभाई (MDU, 2008)। कुल मिलाकर, वर्ण व्यवस्था ने सामाजिक स्थायित्व के साथ–साथ विभाजन और संघर्ष दोनों को जन्म दिया, जिसका संतुलन वैदिक धर्मग्रंथों एवं प्रशासनिक नीति द्वारा बनाए रखा गया (UP विधान सभा, 2020)।

6.2 ग्राम्य व नगरीय जीवन : तुलनात्मक अध्ययन :

ग्राम्य समाज में पंचायती व्यवस्था और ग्रामसभा सामाजिक निर्णय प्रक्रिया के मूल अंग थे (एनसीईआरटी,

2024)। पंचायतें 10–15 परिवारों का समूह होती थीं, जहाँ कृषि, चरागाह एवं जल संसाधन का प्रबंधन सामूहिक रूप से होता था (UPRTOU, 2023)। NIOS मॉड्यूल अनुसार ग्रामों में 20–30 सदस्यीय ग्रामसभा होती, जो भूमि विवाद, कर संग्रह और धार्मिक अनुष्ठानों के निर्णय लेती थी (NIOS, 2025)। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में उल्लेख है कि ग्राम्य जीवन में मिल जुलकर अनाज भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था थी, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती थी (शिक्षा विभाग, 2022)।

नाथ नगरों में व्यापारिक केंद्रों का विकास आरंभिक रूप में रीठपुत्रिक मार्गों पर हुआ (राय, 2005)। त्रिपाठी के अध्ययन के अनुसार आरंभिक नगरों–हड़प्पा हरप्पा से प्रेरित नगरों–में किलेबंदी, जलाशय, शिल्पकला तथा बाजारों के चिन्ह मिले (त्रिपाठी, 2020)। नगरों में विशिष्ट पेशेवर वणिकों और शिल्पकारों का वास था, जिनके पास धातुकर्म, वस्त्रकला एवं आभूषण निर्माण की कला थी (कौटिल्य, 1925)। शहरी संस्थाएँ–जैसे व्यावसायिक गलियारे और बाजार संघ–व्यापार एवं सामाजिक मेलजोल का आधार थीं (राय, 2005)। MDU के रूपरेखा अनुसार शहरी केंद्रों में कारखाने (ग्रंथियों), गोदाम एवं देवालय भी होते थे, जो आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालित करते थे (MDU, 2008)। कुल मिलाकर ग्राम एवं नगर दोनों ही वैदिक समाज में आर्थिक और सामाजिक समन्वय के दो महत्वपूर्ण क्षितिज प्रस्तुत करते हैं (एनसीईआरटी, 2019)।

6.3 कृषि व उत्पादन प्रणालियों में परिवर्तन :

आरंभिक वैदिक युग में कटाव कृषि– अर्थात् जंगल की जलाई एवं खेत तैयार कर अनाज बोना– प्रमुख था (महावीर, 2001)। उत्तर वैदिक समय तक नहर, कुआँ एवं तालाब जैसी सिंचाई प्रणालियाँ विकसित हुईं, जिससे भूमि उत्पादन क्षमता में लगभग 20–25% वृद्धि हुई (एनसीईआरटी, 2019)। पाण्डेय के अनुसार जलाधिष्ठित सिंचाई ने मल, खाद एवं फसल चक्र में विविधता लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रबल किया (पाण्डेय, 2024)। ट्रैक्टर जैसे आधुनिक उपकरण न होकर हल, बैल एवं मनुष्य शक्ति का प्रयोग होता था, जिससे श्रम विभाजन स्पष्ट था– पुरुष कृषि, स्त्रियाँ बीज प्रबंधन व थ्रेसिंग कार्य में सहयोग (राव, 2021)।

पशुपालन में गाय, भैंस, भेड़ एवं ऊँट का महत्व रहा। चरागाह प्रणाली में लगभग 30–35% भूमि चारागाह हेतु आरक्षित थी, जिससे पशुधारा सुनिश्चित होती थी (हबीब, 2016)। कौटिल्य ने पशुजनित उत्पाद– दूध, घी, ऊन एवं चमड़ा– का व्यापारिक मूल्य रेखांकित किया (कौटिल्य, 1925)। श्रम विभाजन में गोत्र आधारित समूहों ने चरागाह प्रबंधन, पशुओं की देखभाल एवं खरीद फरोख्त का कार्य बँटा (मिश्रा, 2014)। यूपी विधान सभा की रिपोर्ट में ग्राम्य परिवारों में औसतन 5–7 बड़ी ब्रीफ पशु इकाइयाँ पाई गईं, जो आर्थिक पूंजी का स्रोत थीं (UP विधान सभा, 2020)। इस परिवर्तनशीलता ने उत्पादन प्रणालियों को अधिक स्थिरता एवं विविधता प्रदान की, जो वैदिक अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास के लिए आधार बनी (हबीब, 2016)।

6.4 वस्तु विनिमय एवं व्यापार नेटवर्क :

वैदिक समाज में वस्त्र, अनाज, धातु एवं गहनों का व्यापार व्यापक था। राय के अनुसार वस्त्रों में कपास एवं ऊनी वस्त्र का उत्पादन शहरी केंद्रों से होता था, जिन्हें कारवां मार्गों द्वारा आदान प्रदान के लिए ले जाया जाता था (राय, 2005)। त्रिपाठी ने तीन प्रमुख व्यापारिक मार्गों– सिंधु घाटी, रावी सरस्वती तथा पूर्वोत्तर–की पहचान की, जिनसे धातु जैसे तांबा, लोहे और सोने की आपूर्ति होती थी (त्रिपाठी, 2020)। कौटिल्य ने व्यापार में वाणिज्य कर (दुकान कर) और दलाल शुल्क का विवरण देते हुए बताया कि राजस्व का लगभग 10–15%

हिस्सा वाणिज्यिक गतिविधियों से आता था (कौटिल्य, 1925)।

सोनी के तुलनात्मक अध्ययन में उल्लेख है कि कृषि उपज– जौ, चना एवं मसूर– के अतिरिक्त चरागाह उत्पाद– दूध, घी एवं ऊन– का भी सामूहिक व्यापार होता था, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त आय का मार्ग मिला (सोनी, 2021)। यूपी विधान सभा रिपोर्ट में बाह्य व्यापार से प्राप्त धात्विक आय ने सामाजिक वर्गों में समृद्धि असंतुलन उत्पन्न किया, जो स्थानीय शिल्पकारों एवं व्यापारी वर्ग के उदय का कारण बना (UP विधान सभा, 2020)। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मेलन स्थलों–जैसे गुर्जर मेला, पंचायती मेला–में लगभग 100–200 व्यापारी एवं शिल्पकार वार्षिक मिलन करते थे, जो सांस्कृतिक आदान–प्रदान के साथ आर्थिक गतिविधि को भी संचालित करते थे (शिक्षा विभाग, 2022)। शर्मा की शोध प्रबन्धना में सामाजिक सुरक्षा के रूप में व्यवस्थित वाणिज्यिक मंदिर एवं संग्रहालय विकास की बातें मिलती हैं, जहाँ लेन–देन और ऋण प्रथाएँ नियंत्रित होती थीं (शर्मा, 2019)। पाण्डेय ने वर्णित किया कि व्यापार नेटवर्क ने सामाजिक समन्वय को प्रोत्साहित करते हुए सांस्कृतिक विविधता को भी जागृत किया (पाण्डेय, 2024)। कुल मिलाकर, वस्तु विनिमय एवं व्यापार नेटवर्क ने वैदिक समाज को बहुआयामी आर्थिक एवं सामाजिक दायरे में बाँधा।

7. निष्कर्ष :–

इस अध्ययन ने स्पष्ट किया कि वैदिक समाज की चार स्तरीय वर्ण व्यवस्था ने सामाजिक स्थिरता एवं गतिशीलता दोनों को प्रभावित किया (शर्मा, 2013)। कृषि एवं पशुपालन आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने सिंचाई एवं चरागाह प्रणालियों के विकास से उत्पादकता में 20–25% वृद्धि की (एनसीईआरटी, 2019) और कारवां मार्गों द्वारा आंतरिक व बाह्य व्यापार ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया (कौटिल्य, 1925, राय, 2005)। भूमि कर एवं दान प्रथाएँ राजनीतिक आर्थिक नियंत्रण का माध्यम रहीं, जिसने सत्ता संरचनाओं को मजबूत किया (महावीर, 2001)।

आधुनिक अध्ययन में वैदिक सामाजिक आर्थिक संरचना के इन तत्वों का विश्लेषण ग्रामीण विकास, जातीय गतिशीलता एवं पर्यावरणीय प्रबंधन के शोध हेतु महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है (पाण्डेय, 2024)। विशेषकर वर्ण जाति संबंधी तब के गत असमानताओं की मूल व्युत्पत्ति एवं कृषि प्रणालियों के पारिस्थितिकीय प्रभावों पर नया दृष्टिकोण आने की संभावना है।

आगे के शोध के लिए सम्भावित दिशाएँ हैं : (1) वैदिक स्थलाकृति एवं पुरातात्विक सर्वेक्षणों से प्राप्त डेटा के साथ संख्यात्मक विश्लेषण, (2) ध्यानाकर्षण के रूप में डिजिटल जीआईएस मानचित्रण, (3) उपनिषद् एवं ब्राह्मण ग्रंथों में वर्ण संघर्ष के सूक्ष्म अध्ययन, एवं (4) स्त्री पुरुष आर्थिक सहभागिता पर तुलनात्मक अंतर युगीन अध्ययन। ये दृष्टिकोण वैदिक युग के सामाजिक आर्थिक ताने बाने की गहन समझ को और समृद्ध करेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. महावीर. वैदिक अर्थव्यवस्था. नई दिल्ली : समांतर प्रकाशन, 2001.
2. कौटिल्य. अर्थशास्त्र. अनुवादक मेहरचंद्र लक्ष्मणदास, ईभारती संपत, 1925.
3. शर्मा, रश्मि. वैदिक समाज दर्शन. जयपुर : जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, 2013.
4. राय, विमला देवी. वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति. नई दिल्ली : कला प्रकाशन, 2005.

5. पाण्डेय, गोविन्दचन्द्र. वैदिक संस्कृति. कोलकाता : लोकभारती प्रकाशन, 2024.
6. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद. प्राचीन भारतीय समाज एवं संस्कृति. नई दिल्ली : एनसीईआरटी, 2019.
7. उत्तर प्रदेश राजकीय मुक्त विश्वविद्यालय. प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास. प्रयागराज : UPRTOU, 2023.
8. हबीब, इरफान. वैदिक काल. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 2016.
9. राव, विजय बहादुर. उत्तर वैदिक समाज एवं संस्कृति : एक अध्ययन. नई दिल्ली : भारतीय विद्या प्रकाशन, 2021.
10. त्रिपाठी, गयाचरण. वैदिक देवता : उद्भव और विकास. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 2020.
11. महार्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक. प्राचीन भारतीय समाज एवम् संस्कृति. रोहतक : MDU प्रकाशन, 2008.
12. उत्तराखण्ड राजकीय मुक्त विश्वविद्यालय. वैदिक अध्ययन (VAC 01). हल्द्वानी : उत्तराखण्ड राजकीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2023.
13. मिश्रा, नितेश कुमार. "वैदिक कालीन विज्ञान." International Journal of Reviews and Research in Social Sciences, वॉल्यूम 2, अंक 1, जनवरी–मार्च 2014, पृष्ठ 31–33.
14. सोनी, अनिल. "वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली व वर्तमान शिक्षक शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन." National Journal of Research and Innovative Practices, वॉल्यूम 6, अंक 6, 2021.
15. शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार. भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन. भरतपुर : महाराजा सूरजमल ब्रिज गर्ल्स कॉलेज, 2022.
16. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद. द्वितीय अध्याय : वैदिक साहित्य. नई दिल्ली : एनसीईआरटी, 2024.
17. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद. सामाजिक संस्थाएँ – निरंतरता एवं परिवर्तन. नई दिल्ली : एनसीईआरटी, 2024.
18. राष्ट्रीय मुक्त पूर्व माध्यमिक शिक्षा संस्थान. प्राचीन भारत – मॉड्यूल 4. नई दिल्ली : NIOS, 2025.
19. उत्तर प्रदेश विधान सभा. ऋग्वेद : सामाजिक जीवन एवं आर्थिक दृष्टि. लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधान सभा, 2020.

Email :- bdsuthar6193187@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 217-220

شاہ حسین نہری بطور شاعر اطفال

سید عبدالحنّان ہلال الدین
ریسرچ اسکالر، پی۔ایچ۔ڈی۔اردو ریسرچ سینٹر (ایس۔ایس۔اے آرٹس اینڈ کامرس کالج۔سولاپور)

ریاست مہاراشٹر کے علاقہ مراٹھواڑہ کے صدر مقام اورنگ آباد کے مہذب وبزرگ اصول پسند حق گو ممتاز شاعروں میں معتبر شخصیت شاہ حسین نہری کا ہمیشہ نام نمایاں رہا ہے موصوف کا پورا نام والدین نے سید شاہ حسین شہید نہری رکھا آپ کا قلمی نام شاہ حسین نہرؔی ہے 12 فروری 1941 سن عیسوی کو اورنگ آباد دکن میں ولادت ہوئی آپ کے جد اعلی حضرت سید شاہ محمد درویش نہرؔی محبوب اللہ قادری ہے شاہ صاحب نے علمی ومذہبی گھرانے میں ولادت پائی شاہ حسین نہرؔی کے والد پیشے سے وکیل تھے اور آپ درس وتدریس کے پیشے سے وابستہ تھے 21 جولائی عیسوی سن 2000 کو بحسن خدمت سبک دوش ہوئے۔

شاہ حسین نہری نے تیسری جماعت میں پہلا شعر کہا ملاحظہ کریں۔

حوض میں جو ڈراتے ہیں　　سب مینڈک کے بچے ہیں

شاہ حسین نہری نے عیسی سن 60 کے اس پاس شعوری طور پر شاعر کا آغاز کیا۔ **(عالمگیر ادب صفحہ نمبر 84)**

شاہ حسین نہری نے تقریبا تمام ہی شعری اصناف پر طبع آزمائی کی۔

نثری اصناف میں بھی کاوش سخن کیا آپ کے شعری مجموعے ہے شب آہنگ، شب تاب، رباعیات شاہ، سامان تسکین، ربیعہ رباعیات، شاہ بانی رباعیات، شب آفتاب، میرے گلشن کے پھول، بچوں کے لیے نظمیں گل بدن کی یاد میں رباعی کی ہیت میں شخصی مرثیے اور ان کے علاوہ قطعہ تاریخ میں بھی آپ ممتاز وماہر ہیں۔

شاہ حسین نہرؔی نے حمد، نعت، منقبت، مرثیہ، غزل، قطعہ تاریخ اور رباعی جیسی مشکل ترین صنف سخن میں بھی اپنی تخلیقات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے موصوف عروض کا مکمل علم رکھتے ہیں آپ کی نثری تصنیف 'عروض منتخب بحریں اور تقطیع ہیں شاہ صاحب کی نثری تخلیقات بھی ہے لیکن۔ شاہ حسین نہری نے ادب اطفال میں جو کارہائے نمایاں انجام دیا ہے اس کا ذکر کرنا یہاں مقصود ہے۔

ادب اطفال کے لیے شاہ حسین نہری کی تخلیق میرے گلشن کے پھول بہت کارامدہ مفید ہے میرے گلشن کے پھول یہ مجموعہ کلام کی سن اشاعت 2012 سن عیسوی میں ہوئی اور ہجری سن 1433 ہے سن اشاعت پر شاہ حسین نہری نے قطعہ تاریخ بمناسبت اشاعت کتاب "میرے گلشن کے پھول"

میرے گلشن کے پھول ہیں خوشبو شاہ جہاں۔ ۲۰۱۲ء عیسوی

خوشبو ہیں خوش رنگ منزہ پیارے پیارے
بچوں کی نظموں کے یہ پھول ہے رخشندہ
خوش اخلاق وہ نیک بنے بچے اپنے سب
معبود ہے اللہ یہ احساس رہے زندہ

۵۷۹

تاریخی مصرع شاہ "فصاحت" سے کہہ دے
میرے گلشن کے پھول یہ پیارے تابندہ

ہجری ۱۴۳۳+۵۷۹=۲۰۱۲عیسوی

شاہ حسین نہری کی تخلیق کردار میرے گلشن کے پھول میں ایک مکمل بات بہترین پیغام جذبہ اور احساس تمام تر فنی لوازمات اور زبان کے حسن کے ساتھ اس سلیقے سے پیش کرنا کہ قاری اور سامع کے دل میں اتر جائے جب اس حوالے سے شاہ حسین نہری کی بچوں کے لیے تخلیق کردار شعری مجموعے کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں مایوسی نہیں ہوتی شاہ صاحب کے اسلوب میں کوئی انوکھا پن یا جدت وندرت نہ سہی لیکن انہوں نے اپنے جذبات واحساسات کو فنی رچاؤ کے ساتھ بڑے سلیقے سے پیش کیا شاہ حسین نہری کی شاعری پیچیدگی اور زولودہ بیانی سے پاک ہے ان کے کئی اشعار زبان زد خاص وعام ہونے کی خصوصیت کے حامل ہے شاہ حسین نہری کے مذکورہ مجموعہ کلام میں موضوعات کا بڑا تنوع ہے انہوں نے بچوں کی تربیت وہ اخلاقی نقطہ نظر سے مختلف نوع کے موضوعات نظم کیے ہیں بچوں کے اس مجموعہ کلام کو اللہ کے نام سے ابتدا کی جس میں تعوذ وتسمیہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کی منظوم ترجمانی کی ہے۔اس کے بعد حمد اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت نظم کی اور اسی کے فورا بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی وہ نعت جس میں اس عورت کا ذکر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی اشعار ملاحظہ کریں۔ ؎

ایک عورت کی یہ عادت تھی گزرتے جب نبی
کوڑا کرکٹ آپ ﷺ کے سر پر وہ گھر کا ڈالتی
کوڑا کرکٹ ایک دن اس نے مگر ڈالا نہیں
چلتے چلتے آپ نے رو کے قدم ٹھہرے وہیں
آپ حیرت میں پڑے ٹھہرے رہے سوچا کیے
پھر بڑھے دی اس کے دروازے پہ دستک آپ نے
یہ ہوا معلوم اس عورت کو کچھ ازار ہے
ہو گئی ہے وہ بہت کمزور بھی بیمار ہے
رحمت عالم اجازت لے کے تب اندر گئے
حال دیکھا خیریت پوچھی تسلی دی اسے
اپنی بد خلقی پہ وہ عورت پشیماں ہو گئی
آپ کے اخلاق دیکھے تو مسلماں ہو گئی

(میرے گلشن کے پھول صفحہ نمبر26،27)

درج بالا سطور میں مذکور ہے کہ شاہ حسین نہری کی شاعری میں پیچیدگی اور زولودہ بیانی سے پاک ہے۔وہ مبہم استعارات اور مشکل تشبیہات سے دامن بچاتے نظر آتے ہیں یہاں تک کہ وہ الفاظ بھی آسان اور صریح المفہم استعمال کرتے ہیں جو الفاظ اور محاورے روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں وہ اپنی شاعری میں برتتے ہیں اظہار میں بھی کوئی الجھاؤ نظر نہیں آتا یہ تمام باتیں ان کی شاعری کو سہل ممتنع کے قریب کر دیتی ہے بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہو گا کہ ان کے یہاں سہل ممتنہ کے حامل کئی اشعار ان کی تمام نظموں میں پائے جاتے ہیں اور مثال کے طور پر کچھ اشعار ملاحظہ کریں۔ ؎

وقت انعام خدا ہے　　وقت انمول ایک عطا ہے
قدر جو اس کی نہ جانے　　قدر وہ اپنی نہ جانے
وقت سے جو کام لے گا　　بس وہی آگے بڑھے گا

(نظم ''وقت''، میرے گلشن کے پھول صفحہ 47،48)

مندرجہ بالا اشعار میں آسان ترین الفاظ میں اہم اور نہایت مفید باتیں کہی گئی ہیں شاہ حسین نہری کے اشعار میں روزمرہ کے محاورات کا برمحل استعمال ہوا ہے ملاحظہ کریں ؎

ٹانگیں اتنی دبلی پتلی — دیکھ کے ساس بھری ایک ٹھنڈی
غم کے سائے سے لہرائے — آنکھوں میں آنسو بھر آئے
ٹانگوں سے اپنی اوباوہ — دکھ کے ساگر میں ڈوباو
سینگوں کا بندھن جال بنا — آخر جی کا جنجال بنا
وہ جو پھنس کر رہ رہ کیا دیکھو — قسمت کو رو بیٹھا بچو
ٹانگوں نے جو جان بچائی — سینگو نے وہ جان گنوائی

(نظم ''بارہ سنگھا''، میرے گلشن کے پھول صفحہ 68 تا 71 کے درمیان)

مذکورہ اشعار بارہ سنگھا نظم سے متفرق اشعار کو یکجا کیا گیا ہے۔ اشعار میں محاوروں کے استعمال سے بچوں کے ذخیرے الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے۔ شاہ حسین نہری درس وتدریس کے پیشے سے وابستہ تھے بطور معلم طلباء کی نفسیات سے واقف ہے اس لیے ان کی نظموں میں پند ونصیحت اقدار کی تعلیم اور ساتھ ہی دینی شعور بیدار کر کے اسے تقویت دینا ہی شاہ حسین نہری کی شاعری کا متقاضی ہے۔

شاہ حسین نہری عملی پہلو کو ہم مد نظر رکھ کر نظم تخلیق کرتے ہیں ہر نظم کا موضوع مختلف ہے اور ان کی نظم میں تربیت کے مختلف انداز نمایاں جھلک رہے ہیں۔ نظم 'پہلے تولو پھر بولو' اور نظم 'سننا اور بولنا' یہ نظمیں عمر کے لحاظ سے بچوں کی نفسیات اور دلچسپی کے پیش نظر لکھی گئی ہے اشعار ملاحظہ کریں۔ ؎

دو دو آنکھیں دو دو کان — بولنے کو بس ایک زبان
بولنے سے میرے بھیا — سننا دیکھنا چار گنا
ہاتھ ہے دو اور پیر بھی دو — چار ہوئے مل کر گن لو
چاہے جتنا بھی بولے — چوگنا اس سے کام کرے

اسی طرح تربیتی اشعار ملاحظہ کریں۔ ؎

سنو تحفہ یہ گالی کا مجھے جو دے رہے ہو تم — تمہاری چیز ہے واپس اسے اے بھائی لے لو تم

(نظم 'حکایت' میری گلشن کے پھول)

اس طرح نظموں میں بد کلامی اور گالیاں دینا یہ بری عادت ہے جو گالی دیتا ہے وہ اسے کو واپس جاتی ہے اس حکایت نظم میں بہت ہی اچھے اور سادہ طرز پر بچوں کو بتایا گیا ہے۔

شاہ حسین نہری نے قدرتی مناظر کی تصویر کشی اور فطرت کے فراہم خزانے مٹی، پانی، کرۂ زمین، وقت، برسات وغیرہ ان مختلف موضوعات پر نظم تخلیق کی ہے۔ مٹی، کرۂ زمین، برسات، وقت، پانی یہ تمام موضوعات جغرافیائی عوامل ہے۔ ان کی اپنی اہمیت اور قدر ہے ان کے فوائد اور اللہ تعالی کی عطا کردہ بہت ہی دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے جغرافیہ نقطہ نظر اور کرہ ارض کے تصورات کو پیش کیا گیا ہے ملاحظہ کریں۔

اطراف اس کے موٹی چادر ہے ایک ہوا کی — اپنی زمین اپنے محور پہ گھومتی ہے
سورج گرد بھی یہ چکر لگا رہی ہے — پانی ہے چار حصے ہے ایک حصہ خشکی

خشکی پہ بس گئی ہے سب ادمی کی بستی

(نظم کرۂ زمین، میرے گلشن کے پھول صفحہ نمبر49)

اسی نوع کے مٹی، برسات، وقت، پانی کے فوائد کا ذکر ان نظموں کے مجموعے میں شامل ہے شاہ حسین نہری نے نظموں کے ذریعے علم کی اہمیت کو واضح پیش کیا ہے اور دیوار کے عنوان سے ایک نظم ہے جس میں دیوار کی اہمیت بتائی ہے اس نظم میں شاعر دیوار پر بچوں کو لکیریں مارنے یا لکھنے کی عادت نفسیاتی طور پر ہوتی ہے اس کو بتا کر اس بری عادت سے پرہیز کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔

میں دیوار تمہارے گھر کی — خدمت گار ہوں میں گھر بھر کی
ڈالے لکیر کالی کس نے — میری شکل بگاڑی کس نے
بچوں مجھ کو صاف رکھو تم — خود بھی پاک اور صاف رہو تم

اسی طرح جوتوں کو بچے ہاتھ لگاتے ہیں ان بری عادت سے بچنے کی بھی نصیحت ہے ملاحظہ کریں۔

کیوں چھوتے ہو جوتے کو — پیارے اچھے بچے ہو
چوہا کالا چھوٹا ہے — جوتا میلا گندا ہے
کیوں چھوتے ہو جوتے کو — پیارے اچھے بچے ہو

(میرے گلشن کے پھول صفحہ نمبر76،77)

مذکورہ نظموں کے مجموعے میں شاعر بنیادی طور پر پہلے عقیدے کی تعلیم جس میں توحید اور عالم الغیب پر ایمان رکھنے اللہ تعالی سے دعا مانگنے کی ترغیب دیتا ہے سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتے ہیں تا کہ قوم کے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسوہ حسنہ کا علم ہو اور اپنی زندگی کو بھی سیرت وسنت کے مطابق بسر کرنے کی ترغیب ملے مجموعہ کلام میں مختلف قسم کے موضوعات کا تذکرہ درج بالا سطور میں گزر چکا ہیں۔

شاہ حسین نہری کی اس کاوش کے ذریعے ملت کے بچوں کی تربیتی نقطہ نگاہ سے نظم تخلیق کی ہے جس میں بچوں کی عمر، ذہنی سطح، جسمانی صلاحیت، نفسیات، بول چال اور مزاج کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ شاہ حسین نہری کی اس خدمت سے بچوں کی اردو ادب سے دلچسپی میں اضافہ ہو گا بچوں کی ذہنی نشو نما وہ اخلاقی تربیت ہو گی ساتھ ہی تعلیم سے دلچسپی میں بھی اضافہ ہو گا مذکورہ مجموعہ کلام میں ہر عمر کے بچے کی ترغیب کے لیے مفید ثابت ہو گا بچے اس کے مطالعہ کرنے سے دین و دنیا کی تمام خوبیوں کو اپناتے ہوئے دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے اور معاشرہ سے برائیاں ختم ہو گی اور صالح معاشرہ ترتیب پائے گا۔ انشاءاللہ

SAYYED ABDUL HANNAN HILALUDDIN

Research Scholar, PH.D Urdu

Research center SSA Arts & Commerce College,Solapur

Punya Shlok ahliya Devi Holkar Solapur university Solapur Maharashtra

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 13, Issue 3-4
पृष्ठ : 221–225

(ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਤਾ: ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ)

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ. ਕਾਲਜ, ਮੋਹਲਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਾਓ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ ਫਰਾਈਡਮੈਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਮਾਨਵੀ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਦਮਿਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਔਕੜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ (ਬਣਾਉਟੀ) ਸਦਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿੱਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਣਗੇ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਵਿਵਹਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 'ਇਕ ਚਿੱਪ ਲਾਉਣ ਨਾਲ

ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ"। ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ਼ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ, ਬਿੱਲ਼ ਵੰਡਣ ਵਾਲ਼ਾ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੇਕਾਰ (ਵਿਹਲੇ) ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਟੀ ਸਮਝ (ਏ-ਆਈ) ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਇੱਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਘੋਸਲ-ਵੱਟੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ:-

"ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਰੋਬਿਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗੂ ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਏਲਨ ਟਿਊਰਿੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ? ਇਸ ਨੇ ਟਿਊਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰੀਖਣ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੈ,

ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ, ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। 1956 ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਡਾਰਥਮਾਊਥ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਾਭ:-

ਅੱਜ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਤਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਤਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਚਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1. ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ।
2. ਰਚਨਾਤਮਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
4. ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
5. ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਨੀਆ:-

1. ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
2. ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਤਾ ਲਕੀਰ ਦੀ ਫ਼ਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
3. ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
4. ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
5. ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡੀਪਸੀਕ (ਏ-ਆਈ) ਦਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਮਾਡਲ :-

ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਦੂ ਆਲਮੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਫ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਏ ਆਈ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਪਸੀਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ, ਮੈਟਾ, ਐਨਵਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲਫਾਬੈੱਟ ਜਿਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਡੀਪਸੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਡੀਪਸੀਕ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਮਾਡਲ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਫਿਰ ਇਹ ਡੀਪਸੀਕ ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ?

ਡੀਪਸੀਕ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ 'ਐਡਵਾਂਸ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਰਜ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾਡਲ (ਐਲ.ਐਲ.ਐਮ) ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਗਹਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮਰ ਅਧਾਰਤ ਆਰਟੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਤਰਕ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਏ-ਆਈ ਸੰਚਾਲਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਪਸੀਕ ਨੇ ਓਪਨ (ਏ-ਆਈ) ਜੀਪੀਟੀ 4 ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਜੈਮਨੀ ਜਿਹੇ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਗ ਵੈਨਫੈਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈੱਜ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਏਜੰਟ ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ ਏ-ਆਈ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਜੋਂ ਡੀਪਸੀਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿੱਤੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਏ-ਆਈ ਅਣਗੌਲਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ (ਐਮਓਈ) ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਲੋਡ ਬੈਲੈਂਸਰ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

21 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਡੀਪਸੀਕ ਨੇ ਡੀਪਸੀਕ ਆਰ 1 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰਕਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਾਧੂ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿਗਰਾਨੀਯੁਗਤ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਾਰਜ

ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਟੈਕਸਟ ਵਰਡ ਪ੍ਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਰਟੀਟੈਕਚਰ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਪਾਠ ਜਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਡਲ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਚੱਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਜੀਪੀਯੂਜ਼) ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਟੈਕਸਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਲ-ਐੱਲ-ਐੱਮਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਓ.ਐਸ. ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰੀ ਐਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪਸੀਕ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਓਪਨ ਏ-ਆਈ ਦੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਭਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਏ-ਆਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਡੀਪਸੀਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏ-ਆਈ ਫਰਮਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓਪਨ ਏ-ਆਈ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀਟੀ 4 ਮਾਡਲ ਲਈ 2.50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਪਸੀਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ 0.14 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਟੋਕਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਪਸੀਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50-60 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਏ-ਆਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਪਸੀਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਨਤ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਏ-ਆਈ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਊਰਜਾ ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਡੀਪਸੀਕ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਢ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:-

1. ਨਵਾਂ ਜਮਾਨਾਂ, ਜਲੰਧਰ, 28 ਜਨਵਰੀ 2025.
2. ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫਰਵਰੀ 2025.

ਮੋ. ਨੰ: 94630-17742
drbaljeetgill@gmail.com

PRINTED MATTER/PRINTING BOOK CLAUSE 121 (A) P & T GUIDE

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी (रजि.)
द्वारा भिवानी (हरियाणा), काठमाण्डू (नेपाल) से प्रकाशित

ISSN : 2395-7115
Impact Factor 8.642

बोहल शोध मंजूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL MULTI DISCIPLINARY, MULTIPLE LANGUAGES
PEER REVIEWED, REFREED RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

Website :
www.bohalshodhmanjusha.com
Email : grsbohal@gmail.com

Editor :
Dr. Naresh Sihag, Advocate
HOD Hindi, Tantia University
M. : 8708822674, 9466532152

गीना देवी शोध संस्थान
द्वारा श्रीगंगानगर, (राजस्थान), पटियाला (पंजाब) व नेपाल से प्रकाशित

ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834

Gina Shodh SANGAM

A Peer Reviewed & Refereed International Research Journal
Journal of Literature, Arts, Culture, Humanities and Social Sciences
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

Website : www.ginajournal.com
Email : grngobwn@gmail.com
Office : 8708822674

Editor :
Dr. Rekha Soni, Vice Principal
Education, Tantia University
M. 9828531975

गिरधारीलाल घासीराम शोधपीठ
द्वारा नई दिल्ली, आगरा, गाजियाबाद एवं नेपाल से प्रसारित

ISSN : 2348-5639
Impact Factor 6.521

SHODH SAMALOCHAN

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES QUARTERLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Website : https://ginajournal.com/shodh-samalochan/
Executive Editor : Dr. Varsha Rani M. 9671904323
Managing Editor : Dr. Mukesh Verma M. 9627912535

Editor :
Dr. Naresh Sihag, Advocate
M. 8708822674

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक गीना शोध संस्थान भिवानी के लिए डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट ने मनभावन प्रिन्टर्ज भिवानी से छपवाकर कार्यालय 202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी-127021 (हरियाणा) से वितरित की।

ISSN 2321:8037